संसार-शासन

संसार के प्रमुख देशों का इतिहास विधान
और शासन पद्धति

Constitutions and Governments of the premier
countries of the world illustrated by his-
tory and political movements
going on in them

लेखक
जगदीश प्रशाद अग्रवाल, बी० ए०
मुरादाबाद

प्रकाशक
मैनेजर "भूगोल"
इलाहाबाद

भूमिका

जगदीश प्रशाद अग्रवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक होनहार विद्यार्थी हैं। इन्होंने राजनीति शास्त्र का अध्ययन केवल परीक्षा में पास होने के विचार से नहीं किया है किन्तु इसलिये कि इन्हें ज्ञान की प्यास और राजनीति से रुचि है। इन्होंने बड़े चाव और परिश्रम से यूरुप की सरकारों और शासन-पद्धतियों का वृत्तान्त लिखा है। आजकल हमारे देश में राजनैतिक आन्दोलनों की धूम धाम है और हिन्दुस्तानियों के सामने अपने भावी शासन विधान का भारी प्रश्न है। इस प्रश्न के हल करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि देश में राजनीति सम्बंधी बातों का ज्ञान फैले और विशेष प्रकार से यूरुपीय देशों के शासन पर वैज्ञानिक रूप से चर्चा हो। इसका फल यह होगा कि हम यूरुप के तजुरबे से लाभ उठा कर अपने देश की भावी शासन प्रणाली पर विवेचनात्मक विचार कर सकेंगे।

जगदीश प्रशाद जी का उद्यम और उत्साह सराहनीय है। मुझे आशा है कि वह अपने अध्ययन को जारी रक्खेंगे ताकि उनके विचार, गम्भीर और परिपक्व हो जायँ। और वह इनके द्वारा देश का भला पहुँचाने में समर्थ हों।

इलाहाबाद
११ सितम्बर, १९३३

(डा०) तारा चन्द
(M.A., D.Sc.)
University of Allahabad

प्राक्कथन

हम को आप के सामने संसार शासन पुस्तक रखते हुए प्रसन्नता होती है । यह सारे लेख 'भूगोल' मासिक पत्र के विशेषांक में भी प्रकाशित हो चुके हैं । जहाँ तक हो सका है इस पुस्तक में मैंने संसार के समस्त देशों की शासन प्रणाली के सम्बन्ध में लिखा है । मैंने इस पुस्तक में सन् १९३२ तक के हवाले दिये हैं । कहीं कहीं १९३३ के आन्दोलनों के सम्बन्ध में भी लिखा है । आप के सामने आजकल एक बहुत बड़ी समस्या उपस्थित है । आप के सम्मुख देश का बड़ा प्रश्न उपस्थित है । मुझ को आशा है कि शायद मैं इस पुस्तक द्वारा आप की कुछ सेवा कर सकूँ ।

शायद आप को विदित होगा कि हिन्दी में अभी ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, न राजनैतिक शब्दों का भली प्रकार अनुवाद ही हो सका है । इस प्रकार मुझ को इस पुस्तक के लिखने में किंचित कठिनाई हुई है । जहाँ तक हो सका है मैंने शब्दों का ठीक प्रकार अनुवाद करने का प्रयत्न किया है । मुझ को नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ । मुमकिन है कि मैं कहीं अपना भाव ठीक प्रकार प्रदर्शित न कर सका हूँ । इन समस्त त्रुटियों के लिये पाठक मुझ को क्षमा करेंगे ।

अन्त में मैं अपने उन मित्रों को जिन्होंने कि मुझे इस पुस्तक के लिखने में सहायता दी धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ । लाला मुरारीलालजी अग्रवाल, ज्योतिषी, मुरादाबाद निवासी, श्री केदार नाथ अग्रवाल 'बालेन्दु' और बाबू केशव प्रशाद के ही परिश्रम और प्रोत्साहन से मैं इस पुस्तक को पूर्ण करने में सफल हुआ हूँ । वास्तव में सारा श्रेय आप ही लोगों को है, इसके लिये मैं उनका आभारी रहूँगा । पंडित राम नारायणजी मिश्र हिन्दी के बहुत बड़े सेवक हैं । उनके प्रेम का बखान करना या उनकी तारीफ़ करना उनकी निन्दा करना है । जो कुछ उन्होंने स्वदेश भाषा की सेवा की है उससे हिन्दी संसार भली भाँति परिचित होगा । उसके लिखने की आवश्यकता नहीं । आप ही के प्रताप से यह पुस्तक पूरी हो सकी है । उनको धन्य है ।

अन्त में ला जर्नल प्रेस के मैनेजर श्री के० पी० दर जिनके निरीक्षण में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है और जिन्होंने कि बहुत सहानुभूति दिखाई है उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ ।

हालैंड हाल
इलाहाबाद
११ सितम्बर, १९३३

विनीत
जगदीश प्रशाद अग्रवाल

To

MY FATHER

Mr. Shanti Prasad Agarwala, B. Sc., LL. B.

Advocate, Moradabad

संसार-शासन

मध्य यूरप के प्रजातंत्र राज्य

१—संयुक्त राष्ट्र और प्रान्त शासन

जिस समय किसी नये राज्य की नींव स्थापन की जाय तब उसका संगठन इस प्रकार हो कि उसको अन्य राज्य भी मान लें। राज्य के समस्त ज़िलों और प्रान्तों के सम्बन्ध भी ठीक रीति पर हों। आज कल की बहुत बड़ी समस्या है कि उनके सम्बन्ध व उनका शासन किस प्रकार होना चाहिये ? इसके समाधान के लिये बड़े बड़े महापुरुषों ने नये नये मार्गों का अनुसरण किया है। उन्होंने भिन्न भिन्न मार्गों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र का मार्ग अति उपयोगी समझा है। उपयुक्त प्रबन्ध के अनुसार देश के समस्त प्रान्त व स्टेट एक में मिला दिये जाते हैं। परन्तु स्टेटों को स्वतंत्रता रहती है। यह प्रबन्ध किसी देश में प्रशंसनीय और किसी देश में शोचनीय है।

किसी प्रान्त की सभ्यता, बोली व आचार विचार अन्य प्रान्तों से भिन्न होने के कारण अथवा अल्प संख्यक होने के कारण उसको दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा पूर्ण

स्वतंत्रता नहीं है और न वह चिरकाल के लिये अपने स्वतंत्र अधिकारों को सुरक्षित ही रख सकता है। इसलिये इस प्रकार की बहुत सी स्टेटों को एक में मिला दिया जाता है। यह प्रबन्ध जर्मनी और आस्ट्रिया में बहुत ही सुचारु रूप से काम कर रहा है। यहाँ पर जाति, सभ्यता व बोली का कोई भी अन्तर नहीं है परन्तु केवल धन का है। पोलैंड व यूगोस्लेविया में यह प्रबन्ध काम में नहीं लाया गया है।

आस्ट्रिया-हंगरी की यूगोस्लव जाति ने यह निश्चय किया कि सारा देश छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करके सीमित संख्या कर दी जाय। देश का शासन "ग्रान्ड ज़ुपान" (Grand Zupan) को सौंपा जाता है जिसको कि केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। यह प्रान्तीय भाग छोटे छोटे ज़िलों में वभक्त किये गये हैं जिनका शासन ज़िलाधीश (नासलनिक Nacelnik) के आधीन होता है। इन प्रान्तों और ज़िलों में एक सभा भी है जिसके अधिकार सीमित हैं।

इस प्रबन्ध पर बड़ी तीव्र आलोचना हुई है। आलोचकों का कथन है कि इस संकुचित शासन शैली से प्रान्तीय व जातीय सभ्यता का अन्त हो जायगा। अन्य महानुभावों का यह कहना है कि दूसरे प्रान्तों से परिवर्तन होने के कारण यह जातियाँ अल्प संख्यक हो गई हैं।

लोकल सरकारों को काफ़ी स्वतंत्रता दी गई है। अल्प संख्यक जातियों के अधिकार सुरक्षित हैं। उनके अधिकारों में राष्ट्रीय संघ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता वरन् राष्ट्रीय संघ के किसी अनुचित व्यवहार से रुष्ट होकर अल्प संख्यक जाति अन्तर्राष्ट्रीय संघ (League of Nations) के समक्ष अपनी राय प्रकट कर सकती है। शासन विधान (Constitutions) में भी अल्प संख्यक जातियों के अधिकार विशेष रूप से स्वीकृत कर लिये गये हैं जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, लेटविया और लिथुयेनिया में। इन अल्प जातियों को अपने धर्म, सभ्यता और भाषा को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। किसी किसी राज्य में इनकी सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिये संरक्षण सभायें खोली गई हैं। किसी किसी देश में यह छोटी जातियाँ इतनी अधिक अल्प संख्या में विद्यमान हैं कि राष्ट्रीय संघ ने इनके किसी प्रकार के अधिकार स्वीकार नहीं किये, और ऐसा सम्भव भी नहीं था। कुछ देशों में छोटी जातियाँ देश के एक ही हिस्से में स्वतंत्र रूप में वास करती थीं।

इनको स्वयं राज्याधिकार देकर बड़े प्रान्तों से मिला दिया गया है। जैसे कि जीको-स्लोवेकिया में सब कार्पेथियन रुथेनिया (Sub-Carpathian Ruthenia) मिला दिया गया है। कार्पेथियन रुथेनिया की एक स्वतंत्र सभा 'डाइट' (Diet) होती है जो धर्म, शिक्षा आदि मुख्य विषयों पर नियम बना सकती है। यह आवश्यक है कि इस डाइट के पास किये हुए नियमों पर रिपब्लिक और रुथेनिया के नेताओं के हस्ताक्षर होने चाहिये। नेता (President) यहाँ के गवर्नर को नियुक्त करता है। डाइट अर्थात् सभा के उत्तरदायित्व का भार गवर्नर पर निर्भर है। रुथेनिया को पार्लियामेन्ट में अपने प्रतिनिध (डिपटी और सेनेटर) भेजने का अधिकार है। यह प्रबन्ध अभी तक काम में नहीं लाया गया है। रुथेनिया का गवर्नर अपनी ही जनता में से नियुक्त होता है। उप गवर्नर ज़ेक देश का ही निवासी हो सकता है। अधिकार अधिकतर उप गवर्नर के हाथ में होते हैं। उप गवर्नर का कर्तव्य देश निवासियों को ठीक मार्ग पर चलाने का है। विशेष आन्दोलन होने पर भी डाइट के होने की भविष्य में सम्भावना नहीं है क्योंकि बजट डाइट के मार्ग में बाधक है।

स्लोवेकिया ने भी ज़ेक (Czech) सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया है और यह लोग भी रुथेनिया की भाँति स्वयं शासन करना चाहते हैं। परन्तु इन लोगों को अभी तक कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

फ़िनलेन्ड (Finland) देश में दो जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ की अल्प संख्यक जाति स्वेडन की भाषा बोलती है। अल्प संख्यक स्वेडन वालों के साथ बहु संख्यक फिनिस जाति को भाँति ही समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ की राज्य भाषा दोनों ही हैं। समस्त नियम दोनों भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। भविष्य में नये ज़िलों का इस प्रकार निर्माण होना चाहिये कि अपने अपने आचार विचार और बोली की जनता भिन्न भिन्न ज़िलों में निवास करे।

महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर जर्मनी में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस देश में छोटे छोटे राज्य थे। सब एक मत हो कर इस बात के पक्षपाती थे कि किसी प्रकार प्रशा (Prussia) से पृथक् होकर अपना स्वतंत्र शासन करना चाहिये परन्तु उन्होंने ऐक्य को सुरक्षित रखने के कारण अपने विचारों को बलिदान कर डाला और फिर इस बात का प्रयत्न किया कि प्रशा को जाति और बोली के अनुसार कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाय। अभी तक जर्मन सभ्यता बल के आधार पर निर्धारित थी। कैसर विलियम प्रशा का बादशाह होने पर जर्मनी का शासन

करता आता था। ऊपर लिखी आलोचना के उत्तर में यह कहा गया है कि प्रशा का अस्तित्व जर्मनी के लिये लाभदायक है। प्रशा ही का शासन रहना चाहिये क्योंकि आज-कल जर्मनी की दशा अत्यन्त शोचनीय है। इसी कारण प्रशा को पृथक् नहीं किया गया।

केन्द्रीय शासन को सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है। परिवर्तन के लिए 'राइक्सताग' (Reichstag) सभा के ⅔ मत की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में प्रशा प्रत्येक परिवर्तन को अस्वीकार कर सकता था इसलिए शासन विधान में यह अधिकार दे दिया गया है "स्टेट्स यदि चाहें तो परिवर्तन कर सकती हैं और केवल एक स्टेट के असहमत होने से परिवर्तन बिल स्वीकार कर लिया जायगा।" यदि कोई स्टेट सीमा परिवर्तन चाहे तो उस स्टेट के ⅓ लोगों तो इस परिवर्तन के लिये प्रार्थना पत्र देना चाहिये तदुपरान्त यह प्रार्थना पत्र स्टेट की समस्त जनता के सामने (जिसको कि वोट देने का अधिकार है) रक्खा जाता है। बहुमत के अनुसार ही परिवर्तन किया जाता है। इसी सिद्धान्त को 'रेफ़रेन्डम' (Referendum) या जनता निर्णय कहते हैं। मध्य जर्मनी की छोटी छोटी स्टेट्स थूरंजिया (Thurangia) में मिल गई हैं।

सन् १८७१ के राज्य शासन ने स्टेट्स को यह अधिकार दिया था "स्टेट्स अपने मतानुसार शासन कर सकती हैं।" परन्तु सन् १९१९ के शासन विधान ने उसके यह अधिकार छीन लिये हैं। स्टेट का शासन स्वरूप प्रजातंत्रवाद या 'रिपब्लिक' (Republic) के रूप में होना चाहिये।

निर्वाचन शैली में स्त्री पुरुष को वोट देने का समान अधिकार है। इन देशों के शासन विधान में निर्वाचन शैली आनुपातिक निर्वाचन (Propotional Representation) के आधार पर निर्मित है। सभा की अनुमति पर कार्यकारिणी का निर्वाचन होता है और उसका अस्तित्व भी सभा पर निर्भर है। यह इस कारण किया गया है जिससे कि समस्त जर्मनी की भिन्न भिन्न स्टेट्स का ऐक्य तथा समानता बनी रहे।

राइक्सरात (Reichsrat जर्मनी की प्रधान सभा) के अधिकार सीमित हैं। चान्सलर कार्यकारिणी समिति का मुखिया है। केबिनेट का अस्तित्व केवल राइक्सताग (Reichstag साधारण सभा) पर निर्भर है।

केन्द्रीय सरकार की शक्ति बहुत बढ़ा दी गई है। इसको स्टेट्स के ऊपर समस्त अधिकार हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कि राइक्सताग का अधिकार

नहीं है। इसको ऐसे विषयों पर अधिकार हैं जिन पर कि स्टेट्स कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। सेन्ट्रल सरकार स्टेट्स के लिये समय समय पर नीति का निर्माण भी करती हैं। कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन पर स्टेट्स वा राइक का समान अधिकार है। इन समस्त अधिकारों को Exclusive, normative and concurrent कहते हैं।

यदि स्टेट के निर्मित किये हुए किसी नियम का देश पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो राइक उस नियम को यथा अवसर निषेध कर सकती है। राइक को स्टेट के समस्त आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार है। राइक स्टेट के उपार्जित द्रव्य के किसी भाग को अपने व्यय में ला सकती है। केन्द्रीय शासन को देश में अमन चैन फैलाने और नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। राइक के नियम सर्वोपरि हैं। राइक स्टेट के नियमों का निषेध कर सकती है। पारस्परिक विरोध होने से कोर्ट इसका अनुसन्धान करते हैं। राइक के प्रबल अधिकारों से जनता को यह सन्देह हो चला है कि जर्मनी एक राष्ट्र (यूनिटरी स्टेट Unitary State) है अथवा संयुक्त राष्ट्र है (Federal State)। राइक्स-रात में स्टेट्स के प्रतिनिधि आकर केवल अपना मत प्रकट करते हैं। उनको नियम बनाने का अधिकार नहीं है।

आस्ट्रियन संयुक्त राष्ट्र (Austrian Federal Union) की समस्या भी उसी प्रकार है जैसी जर्मनी में प्रशा की वजह से हो गई है। इस देश में आठ स्टेट्स हैं। दक्षिणी आस्ट्रिया (Lower Austria) की जन संख्या समस्त देश की आधी से अधिक है इसलिये इस देश के दो भाग कर दिये गये हैं। दोनों देशों की पृथक् पृथक् सभायें हैं। देश की जटिल समस्याओं के अवसर पर दोनों सभाओं का एक अधिवेशन होता है अन्यथा अपना अपना कार्य क्रम भिन्न भिन्न होता है।

स्टेट की कार्य कारिणी की नियुक्ति सेन्ट्रल सरकार करती है। सेन्ट्रल सरकार स्टेट के किसी नियम को रद्द नहीं कर सकती; हाँ, कुछ काल के लिए स्थगित अवश्य कर सकती है। सेन्ट्रल सरकार को जर्मनी की तरह से और सब अधिकार प्राप्त हैं।

२—जनता सर्वमान्य

(Popular Sovereignty)

समस्त नये विधानों के प्रारम्भ में एक प्रकार की भूमिका है जिनका तात्पर्य्य यह है कि शासन विधान जनता का बनाया हुआ है और उन्हीं के लिये है। यह

इसलिये कि देश में शान्ति रहे और न्याय सुचारु-रूप से हो। "जर्मन जनता ने अपने देश में न्याय और शान्ति सुरक्षित रखने के लिये इस शासन विधान को अपनाया है। ज़ेकोस्लोवेक जनता अपने देश को संगठित करती है और न्याय अथवा शान्ति को स्थापित करने के लिये वह शासन विधान का निर्माण करती है।" "ऐस्टोनियन (Estonion) निवासियों का दृढ़ मंत्र है कि वह अपने देश का संगठन, नियम, न्याय व स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित करें जिससे कि देश वाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे और देश के वातावरण में शान्ति का संचार हो जाय। इसीलिये शासन विधान का निर्माण किया जाता है।" केवल पोलैंड के शासन विधान में धार्मिक अंश रक्खा गया है। वहाँ के निवासी ईश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि उनके देश का भला हो, स्वतंत्रता चिरंजीव रहे जो कि १५० वर्ष के निरन्तर परिश्रम के पश्चात् प्राप्त हुई है। यूगोस्लेविया (Yugoslavia) में अवश्य कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर राजा अथवा ऐसेम्वली दोनों ही शासन करते हैं। देश की सब जातियाँ अर्थात् "सर्ब, क्रोट, स्लोवेन लोग (Serbs, Croat and Slovenese) वैध राजतन्त्र (Constiutional Monarchy) की स्थापना करते हैं।" इस कथन में उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया है कि केवल जनता ही अधिकारों की जननी है। फ़िनलेण्ड वालों ने समस्त अधिकार और शक्ति ऐसेम्वली को दे दिये हैं। ऐस्टोनिया में भी समस्त अधिकार जनता को हैं। "जनता" में वोट देनेवालों के अतिरिक्त वोट न देने वाले भी शामिल हैं। ऐस्टोनिया की कार्यकारिणी समिति का निर्माण भी जनता पर निर्भर है। यहाँ पर भी वोट देने का अधिकार अधिकांश जनता को है।

इन देशों में ऐसम्वली शासन विधान के नियमों में आबद्ध होकर कार्य करती है। ज़ोकोस्लोवेकिया और लिथुयेनिया में सभा शासन विधान के नियमों के विरुद्ध कोई नियम निर्माण नहीं कर सकती। इस बात का निश्चय करने के लिये देश में न्यायालय नियुक्त हैं। परन्तु जर्मनी में ऐसे कोई न्यायालय नहीं हैं, प्रत्युत ऐसे न्यायालय हैं जहाँ यह घोषित किया जाता हैं कि राइक स्टेट के नियमों का निषेध करती है, परन्तु उन न्यायालयों को यह घोषित करने का अधिकार नहीं है कि राइक के नियम शासन विधान के विरुद्ध हैं। ऐस्टोनिया में न्यायालय अमरीका की भाँति किसी भी अभियोग में यह घोषणा कर सकते हैं कि नियम शासन विधान के विरुद्ध हैं।

राजकीय निमय (Constituent Laws) और उपनियमों में अन्तर कर दिया गया है। वैध नियमों में संशोधन के लिये विशेष बहुमत (Absolute Majority) चाहिये। ऐसा ही रेफरेन्डम के समय पर भी आवश्यक है। लेटविया और ऐस्टोनिया में बहुत ही थोड़ी जन संख्या 'रेफ़रेन्डम' या जनता-निर्णय के लिये प्रार्थना कर सकती है। ऐसा ही लिथुयेनिया में भी है। यूगोस्लेविया में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तब 'डाइट' (Diet) को भंग करके विधान-विधायनि सभा बुलाई जाती है जो संशोधन पर अपनी सम्मति प्रकट करती है। राजा के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। पोलेंड में हर दसवें वर्ष के अनन्तर डाइट उपस्थित मेम्बरों की ⅔ संख्या से शासन विधान के किसी नियम को संशोधित कर सकती है। सेनेट की आज्ञा आवश्यक है। प्रति पच्चीसवें वर्ष के अनन्तर सेनेट और डाइट का सम्मिलित अधिवेशन होता है। वह वाद-विवाद के अनन्तर किसी नियम का संशोधन करते हैं।

३—आनुपातिक निर्वाचन

(Proportional Representation and Universal Suffrage)

समस्त देशों के शासनविधानानुसार समस्त जनता को वोट देने का समान अधिकार है। वोट देने के अधिकार किसी प्रकार वंचित नहीं किये जा सकते। राज्य शासन जनता के ही आधार पर है। इस कारण वोट देने के सम्बन्ध में जनता को अधिक से अधिक अधिकार दिये गये हैं।

सन् १९१८ के पूर्व स्त्रियों को वोट देने का अधिकार केवल आस्ट्रेलिया, नार्वे, डेनमार्क व हालेंड के देशों में ही था। इंगलैंड में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार १९१८ में उनकी सेवा से सन्तुष्ट हो कर प्रदान किया गया है। परन्तु उनकी अवस्था ३० वर्ष की होनी चाहिये। अन्य देशों में उनके लिये कोई रुकावटें नहीं रखी गई हैं। उनको पुरुषों की तरह वोट देने का समान अधिकार है। केवल यूगोस्लेविया में वोट देने का अधिकार स्वीकृत नहीं किया गया है।

अवस्था कुछ अधिक नहीं रक्खी गई है। फ़िनलेन्ड में २४ वर्ष की अवस्था के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, जर्मनी और ऐस्टोनिया में २० वर्ष वालों को अधिकार है। जो लोग दुर्बल, क्षीण या पागल हो गये हैं वे वोट नहीं दे

सकते हैं। फ़िनलेण्ड के अतिरिक्त सभी प्रदेशों में दीवालियों (Insolvents) को भी वोट देने का अधिकार है। सैनिक जिस समय तक सेना में रहते हैं वोट नहीं दे सकते। सभी प्रदेशों में यह लोग नेता अर्थात् 'प्रेज़ीडेन्ट' (President) के निर्वाचन के लिये भी वोट दे सकते हैं।

वोट देने वालों को स्वयं उस पद पर खड़े होने का भी अधिकार है, अड़चनें बहुत कम कर दी गई हैं। और यह भी आवश्यक नहीं है कि मेम्बर धनी हों परन्तु कुछ प्रदेशों में अवस्था की अधिकता अनिवार्य कर दी गई है। ज़ेकोस्लो-वेकिया और यूगोस्लेविया में मेम्बर की अवस्था ३० वर्ष की होनी चाहिये; जर्मनी और पोलेंड में पचीस; लिथुयेनिया में चौबीस; फ़िनलेन्ड, लेटविया और ऐस्टोनिया में जो लोग वोट दे सकते हैं वे खड़े भी हो सकते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में सरकारी कर्मचारियों को खड़े होने का अधिकार न था। इसका तात्पर्य था कि शासन दलबन्दी के विवाद से भ्रष्ट न हो जावे। ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेंड में अफ़सर लोग इस्तीफा देकर पार्लियामेन्ट के मेम्बर हो सकते हैं। ज़ीकोस्लोवेकिया में कुछ अफ़सर लोग जैसे कि 'प्रीफ़ेक्ट्स' (Prefects) ज़िलाधीश, ट्राइब्यूनल के मेम्बर तथा विधान सम्बन्धी न्यायालयों (Constitutional courts) के मेम्बर खड़े नहीं हो सकते। यूगोस्लेविया में पुलिस अफ़सर, अर्थ व कृषी विभाग के अफ़सर खड़े नहीं हो सकते और अपने केन्द्रवर्ती स्थानों के लिये स्थानीय पदाधिकारी खड़े नहीं हो सकते। शिक्षा विभाग के लोग खड़े हो सकते हैं और ऐसा करने से वह अपना पद नहीं खोते हैं।

महायुद्ध से पूर्व बहुत ही कम देशों में संख्या-तुल्य-निर्वाचन (Proportional Representation) होता था, परन्तु महायुद्ध के पश्चात सभी देशों में यह रीति प्रयोग में लाई गई है। इस रीति के अनुसार अल्प संख्यक जातियाँ भी निर्वाचित हो सकती हैं। ऐसा न होने के कारण बहु संख्यक जातियाँ बहुधा निष्ठुर हो जाती थीं और अल्प संख्यक जातियों पर अत्याचार करती थीं। प्राय: ऐसा भी होता था कि अल्प संख्यक जातियाँ भी एसेम्बली में अधिक संख्या में प्रविष्ट हो जाती थीं।

नये विधानों ने यह प्रयत्न किया है कि जहाँ तक हो सके किसी व्यक्ति की कोई भी वोट बेकार न जावे। यूरप के सारे प्रदेश निर्वाचन के लिये भिन्न भिन्न भागों में विभक्त किये गये हैं। यहाँ पर बेडन (Baden) देश की निर्वाचन रीति प्रयोग में लाई गई है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र (Constituency)

के लिये सूची (List) तय्यार करती है जिसमें उस दल के मेम्बरों के नाम लिखे रहते हैं। जनता पार्टी के लिये वोट देती है न कि किसी व्यक्ति के लिये। पार्टी यदि १०००० वोट पा जाय तो उसको सभा में एक पद प्राप्त होता है। सूची में जिसका नाम प्रथम होता है वही सभा में जाता है। इस प्रकार इस पार्टी को दस दस हज़ार की जितनी संख्या होगी उसी के अनुसार उस दल को एक पद और प्राप्त होता है। मेम्बर लोग ऐसेम्बली नामावली के अनुसार जाते हैं। सब केन्द्रों की वोट जोड़ ली जाती है। और १०,००० की संख्या के अनुसार उस दल को सीट प्राप्त होती है। यदि वोट १०,००० से कम हों परन्तु ७५०० से अधिक हों तो उस दल को १ सीट और दी जाती है। ऐसेम्बली के मेम्बरों की संख्या वोट देने ही पर निर्भर है।

इस रीति के अनुसार मेम्बर और वोटर में कुछ सम्बन्ध नहीं रहता। बेवेरिया (Bavaria) में वोटर मेम्बर के लिए वोट दे सकता है। यदि कोई मेम्बर पसन्द न हो तो दल के लिए वोट दे सकता है।

जर्मनी में केन्द्रीय लिस्ट के अतिरिक्त 'यूनियन लिस्ट' (Union List)* और राइक लिस्ट (Reich List) होती है। इस प्रबन्ध के अनुसार योग्य तथा अनुभवी लोग भी ऐसेम्बली में जा सकते हैं।

जेकोस्लेवेकिया में वोट देना पुण्य कार्य और कर्तव्य है। वोट न देने के कारण उन पर जुर्माना किया जाता है। केवल वृद्ध जनों को रोगियों को या जो कार्यवश नहीं आ सकते वोट न देने के अपराध के लिए प्रार्थना पत्र भेजने पर क्षमा किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

४—निर्वाचन विधि और राष्ट्रीय दल

यद्यपि दल सम्बन्धी विषय शासन विधान से पृथक् है परन्तु दल सम्बन्धी दोषों को दूर करने के कारण शासन विधानों में निर्वाचन क्रिया भी स्पष्ट शब्दों में लिख दी गई है।

---

*यूनियन लिस्ट—जर्मनी में ३५ केन्द्र हैं। दो केन्द्रों को मिला कर एक यूनियन बनती है। सब यूनियनों को मिला कर राईक की लिस्ट के अनुसार पद दिये जाते हैं।

सभी देशों के शासन विधानों में पार्टी बन्दी की सूची (List) तय्यार की जाती है। वोटर केवल अपनी पार्टी की सूची के लिये ही वोट देते हैं। इस नियमानुसार वोट व्यर्थ जाने का भय नहीं रहता। इस सिद्धान्त में सब से बड़ा अवगुण यह है कि वोटर्स के स्वतन्त्र विचारों का प्रवाह नहीं रहता। पार्टी के दल समुदाय अपने आतंक से उनको वोट देने को बाध्य करते हैं। मेम्बर अपने दल का ही सदैव समर्थन करता है। जीकोस्लोवेकिया में तो इसके अवगुण बहुत ही अधिक हैं क्योंकि वोटर को मजबूरन प्रचलित नियमों में आबद्ध होकर सूची के लिए वोट देनी पड़ती है, वह चाहे किसी मेम्बर को भी न चाहता हो। वोटर रुष्ट होकर किसी मेम्बर के नाम को क़ाट भी देता है उसकी वोट व्यर्थ नहीं जाती। मेम्बर स्वयं खड़ा नहीं होता वरन् दल के टिकट पर खड़ा होता है।

इस संख्या तुल्य निर्वाचन के पक्ष में एक बात यह भी है कि पार्लियामेन्ट देश के लिये कोई भी नियम समस्त देश के भिन्न भिन्न मतों की सम्मति लिये बिना नहीं बना सकती। पार्लियामेन्ट का प्रधान कार्य है, वाद-विवाद और निश्चयात्मक परिणाम। दीर्घ संख्या नियम (Majority rule) की वजह से वाद विवाद करना व्यर्थ है क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण अल्प संख्यक दल के लोग किसी युक्ति के आधार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते और सूची नियम के अनुसार भी वोट देना व्यर्थ है क्योंकि मेम्बर अपने ही दल का पक्षपाती हो सकता है। पार्टी का निर्णय किया हुआ ही मत वह सभा में रख सकता है। ऐसी अवसर पर उसको अपने विचारों का बलिदान करना पड़ता है। समस्त शासन विधानों में यह स्वीकार कर लिया गया है कि मेम्बर जनता के निर्वाचित किये हुए हैं और अपना मत प्रकट करने में स्वतन्त्र हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। मेम्बर अपने दल के पूर्ण पक्षपाती हैं। आवश्यक विषयों पर दल की मीटिंग होती है और दल का किया हुआ निर्णय ही मेम्बर को समर्थन करना पड़ता है। यदि किसी अवसर पर वह अपने दल के विरुद्ध कुछ करता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह पार्लियामेन्ट का मेम्बर नहीं रहा वरन् यह कि दल भविष्य में उसको निर्वाचित नहीं करेगा। समस्त प्रजातंत्र राज्य शासनों में हम उपरोक्त बात प्रधान रूप में देखते हैं।

संख्या तुल्य निर्वाचन की समालोचना करते हुये महानुभावों ने बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ की हैं। उनके विचार में उपरोक्त नियमों के अनुसार देश में

अनेकों दल बन जाते हैं और शनैः शनैः पारस्परिक वैमनस्यता में परिणत हो जाता है। प्रायः यह बहुत कम होता है कि कोई दो मेम्बर राज के किसी विषय पर सहमत हों। समस्त मतों का ठीक रूप में प्रदर्शन होना असम्भव है। दल बन्दी का अभिप्राय यह है कि बहुत से एकमत लोग परस्पर मन्त्रणा करके अपना संगठन कर लें। यदि बहुत से मेम्बर अपना स्वतंत्र दल बना लेते हैं तो इनका कार्य क्षेत्र भी विशाल हो जाता है।

जर्मनी में १९२४ में ९ दल थे। ज़ीकोस्लोवेकिया में १९२० के निर्वाचन के समय २७६ मेम्बरों के १५ दल थे। प्रत्येक दल के मेम्बरों की संख्या १ से ७६ तक थी। १९२५ के निर्वाचन के समय २९ दल बन गये थे। ऐस्टोनिया में १०० मेम्बरों के दस दल थे। लेटविया में १९२५ में ४३ दल थे।

अनेकों दल होने का कारण संख्या तुल्य निर्वाचन ही नहीं है वरन् और बातें भी हैं—उदाहरणार्थ आजकल व्यवसायी लोग भी अपने दल बना लेते हैं और अपने अपने मेम्बर भेजने का प्रयत्न करते हैं। छोटे छोटे दल जिनको बड़ी संख्या मिलना कठिन है बड़े दलों में मिल जाते हैं। यह दल राष्ट्रीय विषयों पर अपना अपना मत प्रकट करते हैं। ये सदैव साम्प्रदायिक लाभ (Sectional interests) की चिन्ता में तत्पर रहते हैं। जब तक दल राज्य व्यवस्था पर मत प्रकट करते रहेंगे उस समय तक अधिक दलों की उत्पत्ति नहीं होगी। साम्प्रदायिक मतभेद होते ही अधिक दलों की सृष्टि हो जाती है।

जिन देशों का शासन विधान हम आप के सामने रख रहे हैं उनमें उदार दल (Liberals) या संकीर्ण दल (Conservatives) का अन्तर नहीं है वरन् सौदागरों (Bougeois) व साम्यवादियों (Socialists) का है। पूर्वी यूरप में कृषक दल (Agrarians) भी हैं। पहली पार्टी में तो पूँजीपति, जमींदार, कर्मचारी, तथा अन्य व्यवसायी हैं। दूसरे दल में कृषक, तीसरे में मज़दूर और अन्य लोग हैं। परन्तु उदार दल और संकीर्ण दल में सदैव परस्पर विरोध रहता है।

जर्मनी में संकीर्ण दल राष्ट्रीय दल (Nationalist People's Party) है जो कि वैध राजतंत्र शासन (Constitutional Monarchy) चाहता है। इसी दल के नाम अन्य देशों में भिन्न भिन्न हैं। यह संकीर्ण दल वाले धार्मिक विचार के हैं और कैथोलिक मत के अनुयायी हैं और गिर्जा व 'स्टेट' (राज्य) का संगठन चाहते हैं। परन्तु जर्मनी निवासी महात्मा लूथर (Luther) के पक्षपाती हैं।

जर्मनी के राष्ट्रीय दल से कुछ लोग पृथक् हो गये हैं और इन लोगों ने अपना नाम स्वतंत्र दल (Freedom Party) रक्खा है। यह दल सारी क्रान्ति को दबाना चाहता है और प्रजातंत्र राज्य शासन के विरुद्ध है।

फ़िनलेन्ड में संकीर्ण दल वाले रूस के मत के बिल्कुल ही विरुद्ध हैं। यह देश-विजय चाहते हैं। इस दल का नाम 'जयगर सोसाइटी' (Jaiger Society) है। जर्मनी में यह दल राष्ट्र प्रजातंत्र वादी (National Democrats) के नाम से प्रसिद्ध है। जर्मन प्रजातंत्र वादी (German Democrats) साधारण अथवा उदार प्रजातंत्र राज्य चाहते हैं। इस दल के अनुगामी अधिकतर विद्वान पुरुष हैं।

ज़ीकोस्लोवेकिया, फ़िनलेंड, यूगोस्लेविया, लेटविया, ऐस्टोनिया, लिथुयेनिया में कृषक सर्व मान्य हैं। यह लोग विचारों में बढ़े चढ़े हैं। प्रजातंत्र राज्य शासन चाहते हैं परन्तु साम्यवादी नहीं हैं। इन सब देशों में मज़दूर प्रजातंत्र साम्यवादी (Social Democrats) हैं। इन लोगों का विचार है कि उपज की समस्त सामग्रियाँ राज्य के अधिकार में रहें और शनैः शनैः पूँजीपतियों को नष्ट कर दिया जाय। वे क्रान्तिकारी नहीं हैं वरन् अपने उद्देश्य की पूर्ति पार्लियामेन्ट के नियमों द्वारा फलीभूत किया चाहते हैं।

'कम्यूनिस्ट दल' (Communists) क्रान्तिकारी हैं। भिन्न भिन्न संस्थाओं में युद्ध की प्रेरणा करते हैं (Class War)। अपने गन्तव्य पद पर पहुँचने के लिये उन्होंने भिन्न भिन्न मार्ग खोज लिये हैं। यह कार्यक्रम में किंचित उदार हैं परन्तु आदर्श में नहीं। यह लोग पार्लियामेन्ट के निर्वाचन में भी सम्मिलित होते हैं। ज़ीकोस्लोवेकिया में इनकी संख्या द्वितीय नम्बर है। यह दीर्घ संख्यक दल का विरोध भी करते हैं। इस कारण यह अशान्ति दल कहलाने योग्य है न कि क्रान्ति दल।

फ़िनलेन्ड के 'सोशलिस्ट' (Socialist) भी १९२४ के पश्चात् किंचित उदार हो गये हैं। यह लोग रूस से सम्बन्ध तो चाहते हैं परन्तु रूस की भाँति खूनी राज्य नहीं चाहते हैं। कम्यूनिस्ट दल रूस से आर्थिक सहायता पाने के कारण ग़ैर कानूनी घोषित कर दिया गया है।

दल के किसी भी निर्णय में जातीयता का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत से देशों में अल्प संख्यक जातियाँ अपने अपने दल बना लेती हैं।

यह दल अधिक दलों में विभाजित हो गये हैं। दलों की संख्या जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं बढ़ती जा रही है और संख्या तुल्य निर्वाचन होने के कारण सभी दलों का पार्लियामेन्ट में निर्वाचन हो जाता है। बहुत से व्यवसाइयों ने भी अपने अपने दल बना लिये हैं जैसे की जर्मनी में "पृथ्वी संघ" (Land League), कृषी संघ (Peasants Union)। ऐसे ही दल अन्य देशों में भी हैं। ऐसा होने पर भी दलों का भिन्न भिन्न प्रोग्राम नहीं होता। उपरोक्त दलों का जीवन केवल मतों पर निर्भर नहीं है बल्कि नेता के नाम से भी दल का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। नेता प्रायः मत-भेद होने के कारण कभी कभी दल से भी पृथक् हो जाते हैं और नये दलों की स्थापना करते हैं।

अब हम को यह विदित हो गया कि अनुपातिक निर्वाचन प्रजातंत्र राज्य शासन के उच्च आदर्श के लिये ठीक नहीं क्योंकि इस के कारण अनेकों दल बन जाते हैं। प्रजातंत्र राज्य शासन का प्रधान उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार राष्ट्र का कल्याण हो। दलबन्दी, मनमानी विडम्बनायें ऐसे राज्य को प्रायः निर्मूल कर डालती हैं। इसका लाभ यह है कि प्रतिनिधि दल का नेता बनने के अतिरिक्त राजनीतिज्ञ भी बन सकता है। बड़े दल के नेताओं के समक्ष बहुत सी समस्यायें रहती हैं। उनका उद्देश्य कदापि एक नहीं रह सकता। परन्तु जहाँ अधिक दल हैं वहाँ पर नेता लोग ऊँचे विचार के नहीं होते और न सहनशील ही होते हैं। वरन् शनैः शनैः संकीर्ण विचार के हो जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल साम्प्रदायिक रहता है उसी के लिये वह भरसक प्रयत्न करते हैं। तसविये से उनके दल को अधिकार मिलने की सम्भावना रहती है।

संख्या तुल्य निर्वाचन के कारण स्थिर संख्या (Stable majority) पर्लियामेन्ट में कभी नहीं हो सकती। कुछ लोग इस बात को इसलिये अच्छा बताते हैं कि प्रजातंत्र राज्य शासन में राजकीय नियम शनैः शनैः सुअवसर पर बनने चाहिये। सुधार तब तक नहीं होने चाहिये जब तक कि देश की अधिकांश संख्या उसके लिये प्रेरणा न करे। इसी प्रथानुसार केबिनेट कभी शक्तिशाली नहीं हो सकती। प्रबन्ध कारिणी को कुछ शक्ति प्रदान करने की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी एक दल का पार्लियामेन्ट में बहुमत हो सके। इस प्रबन्ध के अनुसार दल के संचालक भीषण रूप धारण कर लेते हैं। उनकी क्रूरता से असन्तुष्ट हो कर नये दलों की उत्पत्ति होती है।

जर्मनी प्रदेश में छोटे दलों की वोट बड़े दलों में मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। निर्वाचन केन्द्रों को भी छोटा करने का प्रयत्न है जिससे प्रतिनिधि अथवा जनता में अधिक संघर्ष हो सके। ज़ीकोस्लोवेकिया में भी सूची और आवश्यक वोट के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है। वोट वास्तव में दल के प्रोग्राम के लिये होनी चाहिये न कि सूची के लिये।

पोलेंड में कुछ प्रतिनिधि नेता (President) को निर्वाचन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार देना चाहते थे परन्तु असफल रहे।

इतना आक्षेप और आन्दोलन होने पर भी इस शैली का जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि कोई नया मार्ग भी नहीं दिखाई देता। छोटे दल वाले इंगलेंड की भाँति एक केन्द्र एक प्रतिनिधि (Single member constituencies) भी नहीं चाहते हैं। ऐसा करने से अन्याय होने की सम्भावना है।

कुल लोगों का कथन है कि प्रजातन्त्र राज्य शासन में भिन्न भिन्न व्यवसायों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। दीर्घ संख्या निर्वाचन की स्थापना करना उनको अपना स्वतंत्र मत प्रकट करने से रोकना है। इस प्रथा के परिचालन से सर्व साधारण मत (General Will) ठीक तरह से प्रकट नहीं हो सकता। निर्वाचन विधि में परिवर्तन करने से प्रबन्ध कारिणी की बनावट में स्वयं परिवर्तन हो जायगा। ऐसा होने पर दल संघ प्रबन्ध कारिणी (Coalition Governments) का अन्त हो जायगा।

सन् १९२६ में ऐस्टोनिया के निर्वाचन नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। यदि कोई दल निर्वाचन के समय पार्लियामेन्ट में दो प्रतिनिधि भेजने में असमर्थ रहेगा तो उसकी ज़मानत ज़ब्त कर ली जायेगी। कुछ दलों ने संगठन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि ३० दलों के बजाय केवल १४ दल रह गये।

५—जनता-निर्णय और प्रस्तावना

(Referendum and Initiative)

नवीन शासन विधान बनाते समय महानुभावों ने प्रजा के सत्वों पर विशेष ज़ोर ही नहीं दिया है वरन् उन्होंने उनको अपने अधिकार कार्य रूप में परिणत करने के साधन भी निर्माण किये हैं। इंगलैंड की जनता केवल निर्वाचन काल में

स्वतंत्र है तत्पश्चात् पुनः सेवक बन जाती है। अमरीका को प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में शोचनीय दोष हैं जैसे, घूस की प्रचलित प्रथा इत्यादि। जर्मनी की सभा 'राइक्सताग' (Reichstag) न तो भूत पूर्व सरकार (Imperial Government) की ही सहायता कर सकती है और न प्रजा का ही साथ दे सकती है। इस बात से यह स्पष्ट रूप में सिद्ध हो गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि नितान्त अयोग्य हैं। उन पर वंशीय राज्य (Hereditary monarchy) और धनिक शासन (Aristocracy) जैसा अविश्वास है। स्वीटज़रलेण्ड तथा अमरीका में जनता को स्वयं प्रस्तावना (Initiative) का अधिकार दिया गया है। इस बात से वहाँ की जनता की योग्यता का पता चल गया है।

पार्लियामेन्ट पर अविश्वास होने का कारण यह समझा जाता है कि यह केवल अनभिज्ञ, अयोग्य नये रंगरूटों के परस्पर वार्तालाप करने की रंगभूमि है क्योंकि अनुभवी कर्मचारी गण इसमें स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी लिये जनता को स्वयं नियम बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। जर्मनी में जनता-प्रस्तावना के अधिकार का अनुमोदन सभी पक्षों ने किया है। मगर ज़ीकोस्लोवेकिया, पोलेंड व यूगोस्लेविया में प्रजा को यह अधिकार नहीं दिये गये हैं। यह अधिकार उन्हीं को देना चाहिये जो उचित प्रयोग कर सकते हैं।

जर्मनी में यह शैली जनता के शिक्षार्थ प्रचलित की गई है क्योंकि बार बार मत प्रकट करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वीटज़रलेण्ड में जनता-निर्णय (Referendum) की परिपाटी ने स्पष्टतया दिखा दिया है कि जनता किंचित संकुचित हृदय है। इस कारण जनता की स्वीकृति बिना किसी नियम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लोकमत सभी समय लाभदायक है।

स्वीटज़रलेण्ड व अमरीका में पार्लियामेन्ट अपने निर्मित नियमों पर जनता-निर्णय की घोषणा करती है अथवा जनता की नियमित संख्या की प्रार्थना पर 'रेफ़रेंडम' की आज्ञा देती है। इन प्रदेशों में जनता को स्वयं नियम बनाने का अधिकार है। यह नियम या तो साधारण होते हैं या शासन विधान में परिवर्तन करने के लिये होते हैं। ऐसी प्रार्थना पर पार्लियामेन्ट अपनी अनुमति प्रकट करती है। यदि पार्लियामेन्ट इसके विरुद्ध हो तो देश के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। जनता-मत ही सर्व मान्य है।

परन्तु उन प्रदेशों के शासन विधानों में जिनका हम वर्णन कर रहे हैं यह

आवश्यक नहीं है कि समस्त नियम देश के समक्ष उपस्थित किये जायँ। ऐस्टोनिया में शासन विधान परिवर्तन सम्बन्धी सभी बिल, और लेटविया में शासन विधान सम्बन्धी परिवर्तन बिल जो कि बहुत ही आवश्यक हों जनता के समक्ष रक्खे जाने चाहिये। लेटविया, ऐस्टोनिया और जर्मनी में जनता को नियम बनाने का अधिकार है। जनता की एक नियमित संख्या ठीक रूप में प्रस्ताव बनाती है जो कि पार्लियामेन्ट के समक्ष रक्खा जाता है। यदि पार्लियामेन्ट नामंजूर कर दे तो जनता का निर्णय सर्व मान्य समझा जाता है। जनता को शासन विधान में संशोधन करने का उतना ही अधिकार है जितना कि नियम बनाने का। परन्तु शासन विधान सम्बन्धी परिवर्तन के लिये जनता की अधिक संख्या को प्रार्थना करनी चाहिये। लिथुयेनिया व आस्ट्रिया में जनता के कुछ लोग प्रस्तावना कर सकते हैं। पार्लियामेंट को उस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि वह उसमें संशोधन करे या रद् कर दे तो जनता की कुछ अधिकार नहीं रह जाता। सभा का निर्णय ही सर्व मान्य है। जब सभा का निर्णय ही सर्वमान्य है तो जनता प्रस्तावना का लाभ ही क्या?

इस प्रथा का मन्तव्य यह है कि पार्लिमेन्ट को प्रजा की इच्छानुसार कार्य करना चाहिये। भाव यह है कि पार्लियामेन्ट का कार्य क्रम दर्पण की भाँति स्वच्छ रहना चाहिये जिससे प्रजा की आकृति विकृति सदैव उसमें दृष्टिगोचर होती रहे।

ऐस्टोनिया में जनता के पार्लियामेन्ट के किसी बिल पर विरोध करने पर पार्लियामेन्ट तुरन्त भंग कर दी जाती है और पुनः निर्वाचन होता है। प्रशा, (Prussia) बेवेरिया (Bavaria) और जर्मनी की अन्य स्टेट्स में जनता यदि चाहे तो पार्लियामेन्ट को भंग कर सकती है। परन्तु ऐसी दशा में अधिकांश मत की आवश्यकता पड़ती है। प्रशा में $\frac{1}{5}$ वोटरों की संख्या को पार्लियामेन्ट के भंग करने की प्रार्थना करनी चाहिये और यदि आधे से अधिक वोटर इससे सहमत हों तो पार्लियामेन्ट अवश्य भंग कर दी जाती है।

यह तो जनता निर्णय (रेफ़रेन्डम) की साधारण रीति है। नये शासन विधानों में हम और और नवीन बातें पाते हैं।

जर्मनी, ऐस्टोनिया और लेटविया में सभा का $\frac{1}{3}$ भाग किसी भी बिल को दो मास के लिये स्थगित कर सकता है। उपरोक्त दो महीनों में वोटरों की नियमित संख्या को जनता निर्णय के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। जर्मनी की दोनों

सभायें (Reichstage and Reichsrat) यदि यह कहें कि बिल अत्यावश्यक है तो बिल स्थगित नहीं किया जा सकता। लेटविया में अत्यावश्यक की स्वीकृति के लिये पूर्व से ही बहु-संख्या को अनुमति देनी चाहिये और बिल पास हो जाने पर ३/४ सभा को यह अनुमति प्रकट करनी चाहिए। बहु संख्यक जातियों की क्रूरता से रोकने के लिए अल्प संख्यक जातियों के लिए कुछ सुविधायें हैं। परन्तु ऐसा करने से हानि होने की संभावना है। भय यह है कि अल्प संख्यक जातियाँ कहीं अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें। जर्मनी के महानुभावों का कथन है दोनों सभाओं में किसी बात के पास हो जाने पर अल्प संख्यक जातियों को कुछ भी अधिकार नहीं रह जाता। वह रुकावट डालने के लिये व्यर्थ के विवाद में लग जायेंगी।

नेता किसी मत का पक्षपाती नहीं है, जिस समय वह यह समझे कि राष्ट्र मत ठुकरा दिया गया है उस समय वह जनता-निर्णय की आज्ञा दे सकता है। लेट-विया में नेता किसी भी प्रस्ताव को देश के समक्ष रख सकता है। जर्मनी में नेता को जनता-निर्णय की आज्ञा देने में पूर्ण स्वतंत्रता है। नेता के इस अधिकार का घोर विरोध किया गया। परन्तु यह आशा की जाती है कि वह इसका सदुपयोग करेगा।

आस्ट्रिया (Austria) में जनता-निर्णय की आज्ञा केवल राष्ट्रीय कौन्सिल (National Council) की परामर्श से हो सकती है अन्यथा नहीं। इससे लाभ ही क्या? वोटर लोग नियम निर्माण की प्रस्तावना कर सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव पार्लियामेन्ट को अच्छा न लगे तो वह रद्द कर सकती है और जनता-निर्णय की आज्ञा भी रोक सकती है।

ज़ीकोस्लोवेकिया में यदि गवर्नमेन्ट का कोई प्रस्ताव पास न हो सके तब वह जनता-निर्णय की प्रार्थना कर सकती है। यह प्रथा गवर्नमेन्ट को शक्तिशाली बनाने के लिये है जिससे कि पार्लियामेन्ट बाधायें न डाल सके। तात्पर्य्य यह है कि सरकारी प्रस्ताव भी आसानी से पास हो सके और पार्लियामेन्ट को भंग करने की आवश्यकता न पड़े।

दोनों सभाओं में मतभेद होने पर नेता को अधिकार है कि वह जनता-निर्णय की आज्ञा दे या न दे। राईक्सताग सर्वोपरि है। उसके २/३ भाग के पास कर देने पर नेता को उस नियम को या तो कार्यरूप में परिणत करना चाहिये या जनता-निर्णय की आज्ञा देनी चाहिये। इसका लाभ यह है कि अनावश्यक नियम जनता-निर्णय के लिए नहीं रक्खे जायेंगे।

स्वीटज़रलेन्ड और अमरीका में और नये शासन विधानों में आर्थिक प्रस्तावों पर जनता-निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय देते समय जनता केवल अपने स्वार्थ को सोचती है। नये टैक्सों से जनता कदापि सहमत नहीं हो सकती ऐस्टोनियन शासन विधान के अनुसार युद्ध घोषणा, सन्धि, ऋण, टैक्स नियम पर जनता निर्णय नहीं हो सकता। जर्मनी में नेता को कर और ऋण पर जनता-निर्णय की आज्ञा देने का अधिकार है।

कुछ देशों में ऐस्टोनिया की भाँति जनता-निर्णय के लिये नियमित संख्या की आवश्यकता होती है। राईक्सताग के प्रस्तावों पर जनता-निर्णय के समय केवल बहुमत की अवश्यकता पड़ती है परन्तु विधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत (Absolute majority) चाहिये। (विशेष बहुमत समस्त वोटरों के आधे वोट्स से होता है।)

सन् १९२६ में कुछ जनता ने पूर्व वंश की पूर्ण सम्पत्ति को ज़ब्त करने की प्रस्तावना की। राइक्सताग के रद्द करने पर यह बिल देश के समक्ष रक्खा गया। यह बिल शासन परिवर्तन सम्बन्धी समझा गया है। केवल ४० प्रतिशत जनता ने वोट दी विशेष बहुमत प्राप्त न होने के कारण प्रार्थना पास न हो सकी। इससे यह बात विदित हो गई कि.अल्प सख्यंक जातियाँ भी शक्ति शाली हैं। हिन्डनबर्ग ने प्रस्तावना के सिद्धान्तों की तीव्र आलोचना की परन्तु इस प्रस्तावना को शासन विरुद्ध (Unconstitutional) घोषित नहीं किया। इस समय भय प्रकट किया गया कि कहीं अल्प संख्यक दल अन्य प्रस्तावनायें उपस्थित न करें। सिक्के परिवर्तन पर भी हिन्डनबर्ग महाशय ने जनता-निर्णय की आज्ञा न दी।

लेटविया और लिथुयेनिया में नेता ने कभी जनता-निर्णय की आज्ञा नहीं दी है और न अल्प सख्यंक जाति ने ही इसकी प्रेरणा की है। परन्तु प्रस्तावना (Initiative) का अधिकार प्रयोग में लाया गया है।

स्वीटज़रलेण्ड और अमरीका अथवा नवीन शासन विधानों के अनुभव से हम को यह पता चलता है कि अधिकांश संख्या को जनता द्वारा निर्मित नियमों से सहानुभूति नहीं है। अधिकांश जनता वोट देने नहीं आती। लेटविया में अनेकों बार जनता-निर्णय की आज्ञा हुई परन्तु कभी भी अधिकांश जनता मत प्रकट करने नहीं आई। विधानानुसार विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है परन्तु नेता की आज्ञानुसार नियम विशेष बहुमत से पास होने चाहिये।

जिन देशों में अनेकों दल हैं जनता-निर्णय और प्रस्तावना की प्रथा अत्यन्त ही लाभदायक है। क्योंकि स्वतंत्र विचार करके जनता आवश्यक नियमों का निर्माण कर सकेगी।

समस्त विषयों पर जनता-निर्णय नहीं हो सकता। ऐसा करना नितान्त असम्भव है। जनता पार्लियामेन्ट के मेम्बरों से बहुत ही ज़्यादा अयोग्य और अनुभव हीन है। पार्लियामेन्ट के मेम्बर अपना सारा समय देशहित में व्यय करते हैं। जनता अपनी ज़िम्मेदारी को कभी नहीं जानती। हेगल (Hegel) ने सच ही कहा है "जनता स्टेट का वह भाग है जो यह नहीं जानती उसकी क्या इच्छा है।"

६—प्रधान सभायें या द्वितीय सभायें

(Second Chambers)

उन्नीसवीं शताब्दी में व्यवस्थापिका सभाओं पर अविश्वास होने का एक कारण यह भी था कि व्याख्यानों द्वारा मेम्बर सभा पर प्रभाव डाल कर मनमानी करते थे। भय यह था कि बिना विवाद किये हुये नियम पास न हो जाय। फ्रांस की भाँति गवर्नमेन्ट को कहीं अनावश्यक बातों पर पद-त्याग न करना पड़े। समस्त देशों में दो सभा-सम्बन्धी (Bi-cameral) प्रथा स्थापित की गई। इसका अभिप्राय यह था कि नियमों का निरीक्षण योग्य, अनुभवी, संकीर्ण, पुरातन विचारों वाली सभा के सामने भी होना चाहिये।

फ्रान्स की प्रधान सभा 'सेनेट' (Senate) में अनेकों दोष हैं। सरदारों की सभा (House of Lord) का सुधार भी बहुत कठिन है। इससे प्रधान सभाओं का भी विश्वास जाता रहा।

आजकल प्रधान सभा के निर्माण की अनेकों रीतियाँ हैं। लार्ड्स सभा के अधिकार कम कर दिये गये हैं। पोलेंड और ज़ीकोस्लोवेकिया में पुराने कुटुम्बों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में प्रधान सभाओं का बिल्कुल मान नहीं है।

यूगोस्लेविया, ऐस्टोनिया, लेटविया, लिथुयेनिया और फ़िनलेन्ड प्रदेशों में प्रधान सभायें नहीं हैं।

यूगोस्लेविया में प्रत्येक नियम एक 'सेसन' (Session) में दो बार पास होना चाहिये। आवश्यक बिलों पर तीन बार बहस तो होती है परन्तु पुनः वोटिंग व्यर्थ समझा जाता है।

फ़िनलेन्ड में तीसरी बार बहस के समय एक मेम्बर भी दूसरी बैठक तक के लिए बिल को स्थगित करा सकता है। दूसरी मीटिंग के समय $\frac{1}{3}$ मेम्बरों की प्रार्थना पर बिल आगामी निर्वाचन तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। नई 'रिक्सताग' सभा (Rikstag) को बिल पर पुनः निर्णय करना पड़ता है। परन्तु गवर्नमेन्ट के बिल रिक्सताग की एक असाधारण बैठक के सामने पेश करने चाहिये, इसका तात्पर्य्य यह है कि थोड़े से बहुमत से (Chance majority) होने पर बिल कभी पास नहीं हो सकता। इस प्रथा से अल्प मत अपने अधिकारों का दुर्व्यवहार कर सकता है।

पोलेंड और ज़ीकोस्लोवेकिया में द्वितीय सभाओं को बहुत कम अधिकार दिये गये हैं।

पोलेंड वाले प्रधान सभाओं के बजाय ऐसी सभा चाहते थे जो कि 'डाइट' (Diet) द्वारा निर्मित समस्त नियमों पर सम्मति प्रकट करे। दोनों में मतभेद होने पर नेता ही झगड़े का निपटारा करता है। फिर 'सेनेट' (Senate) के लिये प्रस्ताव हुआ, इसमें १११ मेम्बर होते हैं। इस सभा में डाइट, प्रान्त, धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सभाओं के प्रतिनिधि होते हैं। इस सेनेट को डाइट के नियम निषेध करने का अधिकार है। तदुपरान्त डाइट पुनः निर्णय कर सकती है और $\frac{3}{4}$ संख्या से पास कर सकती है। सेनेट के लिये वोटरों की अवस्था ३० वर्ष की होनी चाहिये और मेम्बरों को ४० वर्ष की। नेता को डाइट भंग करने के लिये सेनेट की परामर्श लेना पड़ता था परन्तु संशोधनानुसार अब यह परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

ज़ीकोस्लोवेकिया में भी सेनेट को प्रजातंत्र बनाने का प्रयत्न किया गया। प्रस्ताव यह था कि हर चौथे वर्ष सेनेट के आधे मेम्बरों को पदच्युत करना चाहिये और ३० वर्ष की अवस्था वालों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिये। अन्त को यह निश्चय हुआ कि सेनेट का निर्वाचन आठ वर्ष के लिये होना चाहिये। वोटरों की अवस्था २६ वर्ष की होनी चाहिये और प्रतिनिधियों की ४० वर्ष की। इस सभा को नियम निर्माण करने का अधिकार है। सेनेट को डाइट द्वारा निर्मित नियमों पर छः सप्ताह के अन्दर अपना मत प्रकट करना चाहिये और बजट पर चार

सप्ताह में। डाइट को सेनेट के प्रस्ताव पर तीन महीने में निर्णय करना चाहिये। सेनेट का बिल डाइट के अस्वीकृत करने पर ऐक्ट नहीं बन सकता। यदि सेनेट डाइट के बिल को अस्वीकार कर दे तो $\frac{3}{5}$ डाइट इसको पुनः पास कर सकती है। सेनेट को केवल बिल स्थगित करने का (Suspensive Veto) अधिकार है।

जर्मनी में राइक्सरात के सदस्य स्टेट्स के अन्तरंगों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक स्टेट को कम से कम १ मेम्बर भेजने का अधिकार है, अधिक मेम्बर भेजने के लिये यह नियम है कि प्रति एक लाख जनता में से एक मेम्बर भेजा जाय। प्रशा में जन संख्या बहुत अधिक थी इसलिये किसी स्टेट को भी राइक्सरात के $\frac{2}{5}$ मेम्बरों से अधिक भेजने का अधिकार नहीं है। व्यवस्थापिका शक्ति राइक्सरात को नहीं दी गई है। परन्तु राइक्सरात को नियम निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी नियम को राइक्सताग में रखने से पूर्व गवर्नमेन्ट को राइक्सरात की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। सरकार को राइक्सरात के सहमत न होने का कारण भी प्रदर्शन करना चाहिये। दोनों सभाओं में मतभेद होने पर नेता ही उसका निर्णय करता है और अन्तिम निश्चय जनता के अधिकार में है। नेता बिल को या तो निषेध (Veto) करता है या जनता-निर्णय की आज्ञा देता है। यदि $\frac{2}{3}$ राइक्सताग किसी बिल को पास कर दे तो नेता निषेध नहीं कर सकता। राइक्सरात के विधान संशोधन प्रस्ताव का निषेध जनता का बहुमत कर सकती है परन्तु राइक्सताग द्वारा निर्मित विधान संशोधन प्रस्ताव का निषेध केवल जनता का विशेष बहुमत कर सकता है।

विधायक प्रजातांत्रिक होने के कारण प्रधान सभा निर्वाचन के लिये किसी नवीन नियम का विकास नहीं कर सके। ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलैंड में सेनेट अथवा डाइट की निर्वाचन विधि समान है। इस विधि के अनुसार डाइट और सेनेट में एकमत होने की अधिकांश संभावना है। यह सभायें स्वतंत्र मत प्रकट करने में भी असमर्थ हैं। पोलैंड और डाइट का निर्वाचन एक ही समय होता है, इसलिये जनता सेनेट के निर्वाचन में कोई विशेष भाग नहीं लेती है। ज़ीकोस्लोवेकिया में निर्वाचन भिन्न भिन्न समय होने के कारण सभाओं के एकमत होने की अधिक संभावना नहीं है।

जर्मनी में भी राइक्सरात, राइक्सताग के विरुद्ध मत प्रकट नहीं कर सकती है। स्टेट के प्रतिनिधियों को स्वतंत्र मत प्रकट करने का कुछ अधिकार नहीं है। यह प्रतिनिधि केवल डेलिगेट की हैसियत से आते हैं। इसलिये यह सभा राइक्सताग के निरंकुश शासन में कुछ भी बाधा नहीं डाल सकती।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रधान सभा की कुछ आवश्यकता नहीं है। कुछ देशों में नेता को बिल स्थगित करने का अधिकार है। प्रेज़ीडेन्ट के ऐसा करने से उस बिल पर पुनः निर्णय होता है।

इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि प्रधान सभा का निर्वाचन व्यवसायों द्वारा होना चाहिये। जर्मनी वाले इस सभा में प्रोफेसरों का भी प्रतिनिधित्व चाहते थे। ऐसी संस्था अवश्य ही प्रभावान्वित हो सकती है। यह सभा दल के चंगुल से भी बची रहेगी। यह बात प्रजा तंत्र के विरुद्ध होने के कारण पास न हो सकी।

लेटविया की विधायनी समिति (Constitutional Committee) ने देश के अन्तर्गत व्यवसायों की सभा बनाने का निश्चय किया। यूगोस्लेविया में यह प्रस्ताव किया गया कि इस सभा में दो सौ सदस्य होने चाहिये। परन्तु यह निश्चय न हो सका कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विषयों पर मतभेद होने पर कौन निपटारा करेगा और इसका निर्वाचन किस प्रकार होगा। अन्त में यही निश्चय किया गया कि सभा 'स्कूपटिना' (Skuptina) ही समस्त देश की प्रतिनिधि है। पोलेंड में श्रमजीवी और पूँजीपतियों की देखभाल के लिये सभा बनाने का प्रस्ताव किया गया था जिसका निर्वाचन तृतीय वर्ष होना चाहिये। यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

यदि प्रधान सभा को अधिकार ही प्रदान करना था तो विधायकों को किसी नवीन निर्वाचन विधि की खोज करनी चाहिये थी। पोलेंड में प्रधान सभा नितान्त अनावश्यक समझी गई। जिन प्रदेशों में मंत्री मंडल का अस्तित्व साधारण सभा पर निर्भर है वहाँ पर प्रधान सभा की प्रतिष्ठा बहुत कम रह जाती है। अमरीका में पार्लियामेन्टरी शासन न होने के कारण सेनेट शक्तिशाली है। सेनेट और प्रतितिधि सभा के समान अधिकार हैं। जन्म पर निर्धारित मुष्टिमय सभा (Aristocracy) के बजाय ज्ञानवान अनुभावी मुष्टिमय सभा होनी चाहिए।

७—नेता के व्यवस्थायिक कर्तव्य

(Legislative functions of the President)

प्रतिनिधि सभाओं पर अविश्वास होने के कारण अधिकार एक व्यक्ति को सौंप दिये गये हैं। शक्तिशाली प्रधान सभाओं वाले देशों में नेता के अधिकार

कम हैं, जैसा कि हम पोलेंड में पाते हैं। जर्मनी में प्रत्येक संस्था के अधिकार दूसरे के विरुद्ध घटा बढ़ा दिये गये हैं। इसी कारण राइक्सरात के रहते हुए भी नेता को असीम अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसा ही ज़ीकोस्लोवेकिया में भी किया गया है।

यूगोस्लेविया में राज्य अथवा राष्ट्रीय सभा के अधिकार समान हैं। राजा को नियम निर्मूल करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु वास्तव में पद त्याग के भय से वह ऐसा नहीं कर सकता। निरीक्षण करने पर हम को यह विदित होता है कि निर्वाचित नेता के वैधानिक राजा (Constitutional King) से अधिक अधिकार हैं। यदि राजा नियम निषेध करेगा तो खलबली मच जाने का भय है।

पोलेंड में नेता को निषेध (Veto) का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सन् १९२६ के संशोधन के बाद नेता को धारा सभा की अनुपस्थिति में छोटे छोटे नियम बनाने का अधिकार मिल गया है। परन्तु नेता द्वारा निर्मित नियमों पर कौन्सिल के सभापति और मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये और अधिवेशन (Session) के प्रारम्भ में ही सभा की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। नेता को निर्वाचन शैली, युद्धघोषणा, विधान संशोधन, सुलह करना, सेना की नियुक्ति, बजट, ऋण, व्यवसायिक सन्धि इत्यादि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। नेता की शक्तियाँ निश्चित समय के लिये बढ़ाई जा सकती हैं।

प्रतिनिधि सभाओं पर अविश्वास प्रकट करना ठीक भी था क्योंकि पोलेंड में प्रतिनिधि पारस्परिक विरोध, कटाक्ष अथवा दल संघ में ही अपना समय नष्ट करते थे। देश का काम बहुत कम कर पाते थे। आवश्यक बिल त्रुटियों के कारण नहीं वरन् कलह के कारण पास नहीं हो पाते थे। नियमों की देख भाल के लिये कमीशन नियुक्त किया गया है।

पोलेंड में बजट के मामलों में भी डाइट ने अपनी अयोग्यता दिखलाई है। डाइट को ३½ महीने के अन्दर अपनी सम्मति देनी चाहिये। इस अवधि के व्यतीत हो जाने पर बजट सेनेट को भेजा जाता है। तीस दिन बाद बजट फिर डाइट के पास आता है। यदि सिनेट ने कुछ संशोधन किया है तो डाइट १५ दिन में उसको निर्मूल कर सकती है। इस अवधि के भी व्यतीत हो जाने पर नेता बजट को स्वयं पास करता है और बजट को कार्यान्वित करता है चाहे डाइट ने उसमें सम्मति दी हो या न हो।

लेटविया और लिथुयेनिया में नेता को नियम स्थगित करने का अधिकार है। दोनों ही देशों में नेता-प्रतिनिधि सभा को पुनः विचार करने के लिये आज्ञा दे सकता है। परन्तु उसकी आज्ञा लेटविया में बहुमत से और लिथुयेनिया में विशेष बहुमत से नामंज़ूर की जा सकती है। परन्तु यदि ३/४ सभा पहले से ही नियम को अत्यावश्यक घोषित कर दे तो नेता उस नियम को निषेध कदापि नहीं कर सकता। लेटविया में नेता नियम को कार्यान्वित करने से भी रोक सकता है। और जनता को मत प्रकट करने का अवसर देता है। परन्तु यदि ३/४ सभा इसको अत्यावश्यक घोषित कर दे तो नेता स्थगित नहीं कर सकता। लेटविया और लिथुयेनिया के नेताओं के अधिकार लगभग समान हैं।

ज़ीकोस्लोवेकिया में नेता नियमों को अपनी टिप्पणी सहित सभा में पुनः निर्णय के लिये भेज सकता है। परन्तु यदि दोनों सभायें उसको पुनः पास कर दें या केवल ३/५ 'डाइट' पास कर दे तो नेता को नियम कार्यान्वित करना पड़ता है। यदि सेनेट किसी नियम पर अपनी अनुमति प्रदान न करे और डाइट केवल बहुमत से पास करे तो नेता उस नियम को निषेध (Veto) कर सकता है।

फ़िनलेंड में नेता के अधिकार असीम हैं। यहाँ पर हमको स्वेडन देश (Sweden) का प्रभाव दीख पड़ता है स्वेडन में अधिकार पृथक् करके भिन्न भिन्न संस्थाओं को देने के बजाय बाँट दिये गये हैं (Division instead of separation) समस्त नियमों के पास होने के उपरान्त नेता की अनुमति लेनी चाहिये। यदि नेता सहमत न हो तो सभा पुनः निर्वाचन के पश्चात् उस नियम को बिना संशोधन किये हुए विशेष बहुमत से पास कर सकती है। "यदि नेता तीन मास के भीतर अनुमति प्रदान करने में असमर्थ रहे तो यह नियम स्वीकृत समझा जायगा।" सभा भंग की शक्ति अत्यंत ही भयावह है। यदि उनको बहुसंख्या (Majority) जनता समर्थन की आशा भी हो तब भी वह ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि विषय अत्यावश्यक न हो। यह लोग अकारण धन नष्ट के भय से जनता को सभा भंग करने के लिये बाध्य नहीं करते।

जर्मनी में नेता राइक्सताग अथवा राइक्सरात के समस्त झगड़ों का निपटारा करता है। और मतभेद होने पर तो वह नियम को निषेध कर देता है, या जनता-निर्णय की आज्ञा देता है। परन्तु २/३ राइक्सताग के पास कर देने पर उसको नियम

कार्यान्वित करना पड़ता है या जनता निर्णय की आज्ञा देनी पड़ती है। इससे नेता अधिकार सम्पन्न हो गया है।

नवीन विधानों में कुछ मतभेद हो गया है। नेता को निषेध (Veto) का अधिकार दो प्रकार है—स्वतंत्र या सरकार की आज्ञा से। यदि निषेध अधिकार न हो तो अन्तरंग शक्तिशाली हो जायगी और प्रतिनिधि सभा पर उसका पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो जाने की सम्भावना है। तब तो सरकार निरंकुश शासन कर सकेगी। ज़ीकोस्लोवेक सरकार यह भी निश्चय करती है कि नेता किन विषयों को अस्वीकृत करेगा।

जर्मनी और फ़िनलेंड में नेता इन शक्तियों का प्रयोग यह समझ कर करता है कि सभा का निर्णय अनुचित है। जर्मनी में इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि नेता को जनता निर्णय की आज्ञा देते समय मंत्री के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े।

समस्त नवीन विधानों ने पार्लियामेन्टरी शासनशैली की स्थापना की है। शासन प्रबन्ध एक अंतरंग सभा के हाथों सौंपा गया है जिसका अस्तित्व प्रतिनिधि सभा के ऊपर निर्भर है। अल्प संख्यक जातियाँ शासन प्रबन्ध का भार नेता को सौंपना चाहती थी जिससे कि नियम निर्माण और उनके कार्यान्वित करने की संस्था पृथक् और स्वतंत्र हो। बाधाओं के भय से किसी प्रदेश ने इस प्रथा का परिचालन नहीं किया है। ऐसी शैली का अर्थ होता महायुद्ध से पूर्व जैसे शासन की स्थापना करना क्योंकि निर्वाचित नेता वही कर सकता था, जो कि कैसर कर सकता था। पूर्व में जनता और पार्लियामेन्ट में किसी प्रकार का संबंध नहीं था। इस समय तो विशेष आवश्यकता पार्लियामेन्टरी गवर्नमेन्ट की थी। यही नहीं कुछ देशों में पार्लियामेन्टरी शासन के विरुद्ध भी आन्दोलन है, विशेषकर पोलेन्ड में। यहाँ के सर्वमान्य नेता पिलसुदस्की (Pilsudski) अमरीका की भाँति शासन चाहते थे अर्थात् कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका के स्वतंत्र अधिकार चाहते थे। इस प्रबन्ध के अनुसार नेता स्वतंत्र है और बिना किसी झंझट के अपनी केबिनेट में भी परिवर्तन इत्यादि कर सकता है।

८—नेता

(President)

यरोपीय महाद्वीप के प्रमुख लेखकों ने फ्रान्सीसी शासन की कटुवाक्यों में तीव्र आलोचना की है। क्योंकि यहाँ पर नेता के अधिकार हीन होने के कारण

पार्लियामेन्ट मनमाना शासन करती है। इंगलैंड का राजा नाम मात्र होते हुए भी स्वतंत्र है लेखकों का कथन है कि इंगलैंड में अच्छा शासन होने का कारण यह है कि राजा शिरोमणि है इसीलिये जर्मनी में भी नेता शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

परन्तु प्रेज़ीडेन्ट को अधिकार देते समय यह भय प्रकट किया गया कि कहीं वह नेपोलियन तृतीय की भाँति साम्राज्य की स्थापना न कर बैठे। प्रेज़ीडेन्ट केवल राईक्सताग के क्रूर शासन में बाधा डालने के लिये बनाया गया है। यूगोस्लेविया में वैधानिक राजा है। पोलैंड और ज़ीकोस्लोवेकिया ने नेता निर्वाचन विधि में फ्रान्स की शैली का अनुकरण किया है। लेटविया, लिथुयेनिया, ऐस्टोनिया में जनता की रक्षा के लिये यहीं ठीक समझा गया कि वही निर्णय करें।

फ़िनलैंड में नेता का निर्वाचन जनता नहीं करती है। परन्तु जनता के निर्वाचित किये हुए ३०० प्रतिनिधि नेता का निर्वाचन करते हैं। यदि नेता के दो बार निर्वाचन में किसी को विशेष बहुमत प्राप्त न हो तो तीसरी बार केवल प्रथम दो उम्मेदवारों का पुनः निर्वाचन होता है। इस प्रकार नेता दल के चंगुल से निकल कर राष्ट्र का सच्चा नेता होता है। सन् १९२५ में महाशय स्टालबर्ग (Stahlberg) ने पुनः निर्वाचित होने से मना कर दिया क्योंकि वह इसको प्रजातंत्र-वाद के विरुद्ध समझता था।

राजनैतिक दृष्टि से नेता अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी है। उसके निर्मित नियमों पर सदैव मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। उस पर देश द्रोही जुर्म के अतिरिक्त किसी अन्य जुर्म का अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

जर्मनी में नेता का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। वह राष्ट्रपति है, देश का प्रतिनिधि है, नागरिकों के अधिकारों का अधिष्ठाता है। अस्थायी सरकार का प्रमुख व्यक्ति है और वह शासन प्रबन्ध करता है। इसी कारण उसका निर्वाचन जनता द्वारा सात वर्ष के लिये होता है। राइक्सताग सभा और नेता की उत्पत्ति एक ही संस्था द्वारा होनी चाहिये। क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई भी अपना कर्त्तव्य करने में चूके तो दूसरा उसकी सँभाल करेगा। नेता का कार्य बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी का है इसीलिये उसका निर्वाचन जनता के बहुमत द्वारा होना चाहिये। प्रजा को दल से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति को ही अपना नेता निर्वाचित करना चाहिये। यदि प्रथम बार निर्वाचन में उसके पक्ष में जनसम्मति विशेष बहुमत में न होवे तो पुनः निर्वाचन होता है। इस समय केवल बहुमत ही उसका

निर्वाचन करता है। पुनः निर्वाचन के समय दल संघ बना लेंगे और नेता के पक्ष में विशेष बहुमत होना सम्भव है। इस दशा में जनता दूसरा निर्वाचन अनिवार्य समझकर प्रथम निर्वाचन में अधिकांश संख्या में मत प्रकट न करेगी। सन् १९२५ में नेता के प्रथम वार निर्वाचन में केवल ६९ प्रति शत जनता ने भाग लिया और पुनः निर्वाचन में ७८ प्रति शत जनता ने।

जर्मन नेता पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यदि राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय तो उसकी ज़िम्मेवारी कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके समस्त कार्यों पर मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। केवल राइक्सताग ही उसका चालान कर सकती है। नेता के विधान विरुद्ध काम करने से राइक्सताग न्यायालय में उस पर अभियोग चला सकती है। मंत्री के हस्ताक्षर का होना यह सिद्ध करता है कि मंत्री ही ज़िम्मेवार है। नेता को स्वतंत्र अधिकार भी है। राइक्सताग को पथ-भ्रष्ट देख कर वह नियमों का निषेध कर सकता है। यदि राइक्सताग और नेता में मतभेद हो तो जनता निर्णय ही इस समस्या का समाधान करती है। यदि दोनों में विशेष मतभेद होता है तो जनता यह भी निश्चय करती है किसको पद त्याग करना चाहिये। यदि जनता निर्णय सभा के विरुद्ध हो तब सभा भंग कर दी जाती है और नेता का सात साल के लिये निर्वाचन हो जाता है। इस रीति के अनुसार नेता जनता के प्रति उत्तरदायी है।

पोलेंड और ज़ीकोस्लोवेकिया में नेता का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा (National Assembly इसमें सेनेट और डाइट की संयुक्त बैठक होती है) द्वारा होता है। नेता को निर्वाचित होने के लिये $\frac{3}{4}$ राष्ट्रीय सभा का बहुमत पाना चाहिये। यदि दो बार निर्वाचन में इतनी संख्या पाने में असमर्थ रहे तो तीसरी बार केवल प्रथम दो उम्मेदवार खड़े होते हैं। सभा द्वारा निर्वाचित नेता सभा का कैसे विरोध कर सकता है। पोलेंड का नेता नितान्त सामर्थ हीन है इसी कारण वहाँ निर्वाचन करने की विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है।

लेटविया, लिथुयेनिया, ऐस्टोनिया में विधायकों ने धारा सभा 'सीमास' (Seimas) को ही सर्वाधिकारी बनाया है। इसका उत्तरदायित्व का भार प्रजा को है। इसका अस्तित्व भी प्रजा पर निर्भर है।

लेटविया और लिथुयेनिया में प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन सभा द्वारा तीन वर्ष के लिये होता है। उसका शासन काल सभा के शासन काल पर ही निर्भर है।

लेटविया में नेता को सभा से सहानुभूति रखनी चाहिये। यदि नेता सभा भंग के लिये जनता-निर्णय की आज्ञा देता है और जनता उसके विरुद्ध मत प्रकट करे तो उसको पद त्यागना पड़ता है। निर्वाचन पुनः होता है। दोनों देशों में उसका निर्वाचन सभा के विशेष बहुमत से होना चाहिये। उसका राजनैतिक उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसके कार्यों पर मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। प्रधान मंत्री की नियुक्ति और सभा भंग के समय किसी मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों देशों में $\frac{2}{3}$ सभा की प्रार्थना पर और जनता की अनुमति प्राप्त होने से नेता को हटाया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि दो संस्थाओं के झगड़े का निपटारा जनता ही कर सकती है। लेटविया और लिथुयेनिया में नेता स्वतंत्र नहीं है वरन् सभा के आधीन है। अभी तक तो उसने सभा के बहुमत का ही सहयोग किया है।

ऐस्टोनिया में नेता का पद नहीं है। राज का अध्यक्ष (State head—Riegwanen) और प्रधान मंत्री दोनों ही काम करते हैं। राज्याध्यक्ष ऐस्टोनियाँ की सरकार का प्रतिनिधि है, प्रजातंत्र शासन का संगठन करता है और अन्तरंग का सभापति होता है। सभा ही उसका निर्वाचन करती है और जब चाहे पदच्युत कर सकती है। लेटविया में नेता को अपनी जननी सभा के विरुद्ध अधिकार दिये गये हैं।

ऐस्टोनिया की इस शैली से अशान्ति फैल गई है। क्योंकि जिस समय मंत्री मंडल से विश्वास हट जाता है। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह जाता जो इन कठिनाइयों का सामान कर सके। कुछ काल के लिये सभा का 'स्पीकर' (Speaker) ही देश कार्य करता है। वह नेता के अधिकारों का प्रयोग करता है। वही भिन्न भिन्न दल के नेताओं को बुला कर संघ बनाने की आज्ञा देता है। सन् १९२४ में नेता बनाने का प्रस्ताव एक कमीशन के सामने रक्खा गया परन्तु यह बात पास न हो सकी।

९—सभा भंग

(Dissolution)

प्रजा तंत्र वाद के अनुसार सभा तीन प्रकार से भंग होती है।

(१) यदि सभा ने जनता का विश्वास खो दिया है तो नेता की आज्ञा से सभा भंग हो सकती है।

(२) सभा व सरकार में मतभेद होने पर सरकार जनता-निर्णय की प्रेरणा कर सकती है।

(३) यदि दल सभा पर अपना आतंक जमा कर सभा का काम ठीक तरह से न होने देवे तो सभा तंग आकर स्वयं-भंग की आज्ञा दे सकती है।

प्रत्येक शासन विधान में किसी न किसी प्रकार की भंग रीति है। जर्मनी में तीनों ही प्रकार की विधि रखने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु इन तीनों विधियों में हमको किसी प्रकार का अन्तर नहीं दीख पड़ता है। इस झमेले का कारण यह है कि सभा भंग का तात्पर्य चाहे जो हो भंग करने का अधिकार और पुनः निर्वाचन की आज्ञा केवल राज्य के अध्यक्ष, वैधानिक राजा या निर्याचित नेता द्वारा होती है। नेता इत्यादि सभा को केवल एक बार भंग कर सकते हैं।

सभा भंग विशेष कर ऐसे समय होती है जब सरकार सभा के बहुमत के विरुद्ध जनता-निर्णय की प्रार्थना करती है। इस अधिकार का प्रयोग ही हमको केबिनेट की योग्यता का पता देता है। इंगलेंड में सरकार बहुत शक्ति-शाली होती है। प्रधान मंत्री अविश्वास प्रकट होने पर या किसी प्रस्ताव के रद्द होने पर सभा भंग की प्रार्थना करता है। मेम्बर सदैव निर्वाचन के व्यय और ना-उम्मेदी से डरते हैं। इस कारण भंग की धमकी से बहुधा बहुमत प्राप्त हो जाता है।

फ्रान्सीसी सरकार के इतने शक्तिहीन होने का विशेष कारण यह है कि नेता $\frac{२}{३}$ सेनेट की अनुमति से ही सभा भंग कर सकता है। हारी हुई सरकार ने कभी सेनेट में बहुमत नहीं पाया है। सरकार को भंग अधिकार प्राप्त न होने के कारण वह शक्ति हीन है। इसी कारण केबिनेट आधीन नौकर की भाँति है।

पोलेंड में $\frac{२}{३}$ सभा की अनुमति प्राप्त करके या $\frac{३}{५}$ सेनेट की अनुमति से सभा भंग हो सकती है। सभा भंग होने पर सेनेट का भंग होना आवश्यक है, इसलिये सेनेट ऐसी अनुमति क्योंकर दे सकती है। इस प्रथा के दोष जल्द ही दीख पड़े और विधान संशोधन की आवश्यकता पड़ने लगी। डाइट ज़िम्मेवारी को भूल गई और देश का विश्वास खो बैठी। गवर्नमेन्ट का शासन बिना लोक मत प्राप्त किये हुए ही निर्मूल कर दिया जाता था। जुलाई १९२६ के संशोधनानुसार नेता डाइट को नियत समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। इस आज्ञा पर प्रधान मंत्री और समस्त मंत्री मंडल के हस्ताक्षर होने चाहिये। सभा भंग का अधिकार गवर्नमेन्ट के हाथों में शक्ति रूप समझा जाता है। नेता के अधिकार बहुत अधिक न बढ़ जायँ

इसी लिये मंत्री मंडल की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है। इससे सभा के अधिकारों की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। डाइट स्वयं भंग की आज्ञा प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि सेनेट का भी भंग होना आवश्यक है। (इसका प्रयोजन डाइट की शक्ति कम करने का नहीं है।)

जर्मनी में नेता को पूर्व वैधानिक राजा की भाँति अधिकार देने का प्रयत्न किया गया है। भंग का अधिकार वास्तविक होना चाहिये। जब कि राइक्सताग मंत्री मंगल में विश्वास खो बैठे तब केबिनेट को सभा भंग करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेता की आज्ञा पर प्रधान मंत्री के हस्ताक्षर होने के कारण वह कोई काम स्वतंत्रता के साथ नहीं कर सकता है।

नेता मंत्री मंडल की इच्छा पर सभा भंग कर सकता है या नहीं यह हम को कुछ सन्देह-जनक मालूम पड़ता है। परन्तु विधान का तात्पर्य्य यही है कि उसको (नेता को) यह अधिकार प्रयोग में लाना चाहिये। वह सभा के लिये बाधा स्वरूप है अथवा जनता का अधिष्ठाता। "यदि वह सचमुच ही यह समझे कि राईक्सताग जर्मन राष्ट्र मत की प्रतिनिधि नहीं है तब उसे राइक्सताग को अवश्य ही भंग कर देना चाहिये।" यह अच्छा होता कि लेटविया की भाँति भंग आज्ञा पर प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों की आवश्यकता न पड़ती।

लेटविया और लिथुयेनिया में नेता को सभा भंग करने का स्वतंत्र अधिकार है। यह अधिकार सरकार के हाथ में अस्त्र स्वरूप नहीं है। परन्तु नेता मनमानी नहीं कर सकता है। यदि वह ग़लत मत प्रकट करे तब उसको भी अपने पद पर रहना कठिन हो जाता है। लेटविया में सभा भंग पर नेता का पुनः निर्वाचन होता है। लेटविया में यदि जनता का निर्णय भंग के विरुद्ध हो तो नेता को पद त्याग करना पड़ता है। जैसे पोलेंड में सेनेट का भंग की आज्ञा देते ही सेनेट का भंग होना आवश्यक है।

फ़िनलेण्ड में नेता और भी स्वतन्त्र है। वह अपनी ही मति अनुसार सभा को भंग करता है। सन् १९२४ में महाशय स्तालवर्ग ने 'रिक्स्ताग' (Rikstag) सभा को सरकार के विरोध करने पर भी भंग कर दिया। २७ विप्लववादी प्रतिनिधि गिरफ्तार कर लिये गये। कुछ ने कहा शेष सभा देश का मत प्रकट नहीं करती है। परन्तु नेता ने किसी की भी न सुनी।

ज़ीकोस्लोवेकिया और यूगोस्लेविया में भंग प्रथा अंग्रेज़ी प्रथा से मिलती

जुलती है। भंग का अधिकार सरकार के हाथ में शस्त्र रूप है। नेता अपनी मति अनुसार सरकार के विरोध करने पर सभा भंग नहीं कर सकता। यूगोस्लेविया के राजा का कथन है कि यदि वह केबिनेट का मत प्राप्त किये विना सभा भंग नहीं कर सकता है तो वह सभा भंग करने के लिये वाध्य भी नहीं किया जा सकता है। सन् १९२४ में उसने पसिक (Pasic) महाशय के कहने पर भी सभा भंग नहीं की।

नेता हीन प्रदेशों के शासन विधानों के निरीक्षण करने से हमको सर्वथा नई बातों का पता चलता है। ऐस्टोनिया के शासन विधायकों ने स्वीटज़रलेण्ड का अनुकरण करते हुए शक्ति उन्होंने कलीजियेट मंत्री मंडल (Collegiate ministry) को नहीं दी है—जिसका काम मुखिया अथवा अन्तरंग दोनों का ही है। ऐस्टोनिया में सभा का अस्तित्व जनता पर निर्भर है और सरकार का सभा पर। अविश्वास प्रकट होने पर सरकार इस्तीफ़ा देती है। जनता निर्णय के समय लोक मत सभा के विरुद्ध होता है तो सभा भंग कर दी जाती है। सरकार सभा के कर्मचारी की भाँति है न कि किसी लीडर की भाँति। उसी प्रकार सभा भी जनता की सेवक है।

जर्मनी के आन्तरिक राज्यों में से नेता का पद हटा दिया गया है जिससे कि कभी छोटे राज्यों के नेता का राष्ट्रीय नेता से झगड़ा न होवे। जनता-प्रस्तावना (Initiative) ठीक प्रकार का आश्वासन नहीं समझा गया है। इन अन्तर्गत (Internal) राज्यों का शासन विधान किंचित मनोरंजक है। यहाँ पर राज्य का अधिष्ठाता न होने के कारण कोई भी सभा भंग नहीं कर सकता है—सभा भंग की विधि अन्याय विधानों से भिन्न है।

प्रशा में डाइट सभा के बहुमत से या जनता-प्रसतावना से भंग की जा सकती है। सभा भंग के लिये $\frac{1}{5}$ वोटरों को प्रार्थना करनी चाहिये। तदुपरान्त जनता निर्णय (Referendum) के समय यदि विशेष बहुमत (Absolute majority) इससे सहमत होवे तो सभा भंग कर दी जाती है। बेवेरिया में आधे से अधिक जनता को इसमें सम्मिलित होना चाहिये और वोटरों की $\frac{2}{3}$ संख्या इससे सहमत होवे तो सभा भंग की जा सकती है। प्रथम दृष्टि से तो हमको यह प्रजातंत्र वाद का सच्चा स्वरूप दीख पड़ता है। परन्तु वास्तव में इन देशों की जनता ऐसी प्रस्तावना करने में सर्वथा अयोग्य है। केबिनेट ठीक तरह से शासन तब कर सकता है जब कि इसके हाथ में सभा भंग करने का अधिकार हो। बेवेरिया, थुरंजिया (Thurangia)

आदि कुछ राज्यों में सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है। प्रशा में चांसलर नेता की अनुमति प्राप्त करके ऐसा कर सकता है।

कुछ राज्यों में गवर्नमेन्ट जनता-निर्णय की आज्ञा देकर इस बात का पता चलाती है कि सभा भंग की जावे या नहीं। उदाहरणार्थ उटमबर्ग (Wurtemberg) अमबुर्ग (Hamburg) ओल्डनबुर्ग (Oldenburg) सेक्सनी (Saxony) हैं।

इंगलेंड में केबिनेट सभा भंग की धमकी देकर अविश्वास प्रकट होने को रोक सकता है। इस कारण केबिनेट को नियम निर्माण करने में भी सुविधा रहती है। परन्तु इन देशों में आय व्यय अनुमान पत्र (Budget बजट) का न पास होना या किसी अत्यावश्यक बात का न पास होना अविश्वास प्रकट होने के तुल्य है।

सच पूछा जाय तो यूरोपीय देशों में सरकार को उपरोक्त अधिकार देने से क्या लाभ ? यहाँ पर दल के मेम्बरों का विशेष रूप से संगठन है। जब संगठन है तो मेम्बर कैसे टूट सकते हैं। जब नहीं टूट सकते हैं तो इस साधन की आवश्यकता ही क्या ? इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी यूरोपीय देशों में शासन दल संघ (Coalition Government) द्वारा होता है। सभी नियमों पर सभा में भेजने से पूर्व ही अन्तरंग तथा दल के नेताओं में पृथक पृथक विचार होता है। इसलिये ऐसा तसविया किया जाता है जो सभी दलों के मन का होता है। सब बातों को दृष्टि गोचर करने से हमको यह पता चलता है कि इन सब साधनों का प्रयोजन जनता को शिक्षा देने का है। यह अधिकार सभा द्वारा निर्वाचित अन्तरंग के हाथों में न रह कर जनता द्वारा निर्वाचित नेता के हाथों में होना चाहिये। भंग का अधिकार जनता, नेता या प्रधान सभा के हाथों में होने से जनता के अधिकारों की रक्षा हो जाती है। यह अधिकार केवल किसी विशेष समय पर काम में लाने चाहिये। इस कारण इनका प्रयोग होता ही नहीं। थोड़े से समय में लोकमत में परिवर्तन होना कठिन है।

१०—केबिनेट

(Cabinet)

केबिनेट की नियुक्ति—

पार्लियामेन्टरी राज्यों में मंत्री मंडल पर सभा का विश्वास होना चाहिये। इसी बात पर पार्लियामेन्टरी राज्य शासन की नींव स्थित है। इसका अभिप्राय यह

है धारा सभा तथा शासन सरकार में सदैव सहयोग रहे। समस्त नवीन विधान इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार सभा को उत्तरदायी है। सभा का अविश्वास प्रकट होते ही केबिनेट को पद त्याग करना चाहिये, परन्तु फ़िनलेन्ड में ऐसा नहीं है।

भंग अधिकार के अतिरिक्त वैज्ञानिक राजा और नेता का कर्तव्य शासन सरकार को नियुक्त करना भी है। बहुत से लेखक गण और राजनीतिज्ञ यह चाहते हैं कि शासन सरकार को नियुक्त करने के लिये एक अन्य संसथा होनी चाहिये।

आजकल लोग फ्रान्सीसी प्रथा को नहीं चाहते हैं जहाँ पर कि नेता केवल धारा सभा द्वारा निर्धारित नियमों पर हस्ताक्षर करके केवल उनका अन्तिम संस्कार करता है। वह यह भी नहीं चाहते हैं कि नेता के हाथों में अधिकार भी अधिक आ जायँ। इंगलेंड में राजा मनमानी नहीं करता है। वह केवल बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री का पद सौंप सकता है। अन्य मेम्बरों की छाँट प्रधान मंत्री के हाथों में है और उसी की मंजूरी पर राजा उनको भी नियुक्त करता है। परन्तु जब बहुमत दल अपना नेता नहीं चुन सकता है तो वह अवश्य किसी को भी चुन सकता है। यूरोपीय प्रदेशों में अनेकों दल होने के कारण नेता का प्रभाव अधिक है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किस संघ को शासन सौंपा जाय और किस व्यक्ति को उनकी नियुक्ति सौंपी जाय। इन सब बातों के निरीक्षण से हमको यह पता चलता है कि नियुक्ति या पदच्युत करने का अधिकार नेता को होना चाहिये।

प्रधान मंत्री—जिसको चांसलर (Chancellor) कहते हैं—मंत्रीमंडल को नियुक्त करता है। नेता को मंत्री मंडल के पद भ्रष्ट करने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि उसको सभा भंग करने का है। अन्तिम निश्चय जनता के हाथ में है जिसकी कि नेता प्रेरणा कर सकता है। विश्वास रहने पर भी मन्त्री मंडल पद भ्रष्ट किया जा सकता है। इंगलेंड में अन्तिम बार जार्ज तृतीय ने ऐसा सन् १७८२ में किया था जब कि उसने शासन का भार पिट (William Pitt) को सौंपा था। सन् १८३४ में चतुर्थ विलियम की ऐसी कार्यवाही नाजायज़ क़रार दी गई। जिन देशों में नेता को सभा भंग करने का अधिकार दिया गया है उनमें उसको मंत्री मंडल को पद भ्रष्ट अथवा नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। अन्तिम निश्चय प्रजा के हाथ में है। ऐसे अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित नेता को सौंपना ठीक है। यदि वह लोकमत जानने में कोई ग़लती भी करे तो वह बिना शासन में परिवर्तन किये हुए हटाया जा सकता है। यदि राजा (Hereditary monarch) ऐसा करे तो

उसके कार्यों पर तीव्र कटाक्ष होगा और देश के शासन विधान अथवा प्रबन्ध में खलबली मच जाने का भय है।

जर्मनी में नेता अपने अधिकार स्वतंत्रता से काम में ला सकता है। केबिनेट इस प्रकार नेता तथा पार्लियामेन्ट के बीच की साँकल है। नेता को चांसलर (प्रधान मंत्री) को चुनने का पूर्ण अधिकार है और वह चांसलर को पदच्युत भी कर सकता है। यह अधिकार प्रयोग में भी लाया गया है। यदि नेता किसी समय भी यह समझे कि सभा लोकमत के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह मंत्री मंडल को पदच्युत कर सकता है, राइक्सताग को भंग कर सकता है, और जनता को नई सरकार चुनने का अवसर देता है। यदि अपने निर्वाचन के समय वह यह समझ जाय कि लोकमत में पहले से अब परिवर्तन हो गया है तो ऐसा करने में वह और भी समर्थशाली हो सकता है। नेता का चाहे दल से कुछ सम्बन्ध न हो परन्तु राइक्सताग और नेता में पूर्ण सहयोग होना चाहिये।

नेता को सभा भंग करने का अधिकार तो है परन्तु चान्सलर के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है। चांसलर ऐसा क्योंकर करेगा? ऐसी परिस्थिति में नेता किसी अल्प दल वाले को चांसलर बनाकर सभा भंग पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। सन् १९३२ में प्रेज़ीडेन्ट हिन्डनबर्ग ने चांसलर ब्रूनिंग (Bruening) को सभा के विश्वास रहने पर भी निकाल दिया।

बहुमत का विरोध करके नेता को अत्यन्त ही विशेष समय पर सभा भंग करनी चाहिये। यह अधिकार नेता को विधान द्वारा प्राप्त है परन्तु उसकी ऐसी कार्यवाही विधान विरुद्ध (Unconstitutional) कहलायी जायगी। भूतपूर्व चांसलर मार्क्स का कहना है—"जब तक गवर्नमेन्ट इस्तीफ़ा न देवे, नेता दूसरा केबिनेट नहीं बना सकता है।"

कुछ भी सही नेता का केबिनेट के बनाने में काफ़ी प्रभाव है। संकीर्ण दल का कथन है कि भविष्य में नेता इन अधिकारों का पूर्ण रीति से प्रयोग करेगा। जर्मनी में बहुधा अल्प मत शासन स्थापित हुआ है। नेता को मंत्री मंडल को बदल कर अल्प दल को बहुमत बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

फ़िनलेन्ड में नेता का पद अत्युक्ति पूर्ण है। इसका कारण है स्वेडन देश का प्रभाव। स्वेडन में कुछ ही वर्ष हुए पार्लियामेन्टरी शासन की स्थापना की गई है। यहाँ पर समान अधिकारों की दो संस्थायें हैं—'रिक्सताग' सभा और राजा। राजा

शासन में स्वतन्त्र है, वह ज़िम्मेवार नहीं है और उसके कार्यों पर एक मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। मंत्री चाहे तो हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। राजा को मंत्री मंडल की राय लेनी चाहिये परन्तु उसके अनुसार काम करे या न करे यह उसके आधीन बात है। अभी तक तो राजा की नीति मन मानी रही है। वह उन मंत्रियों को चुनता था जो कि सभा में अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं था कि वह उनको बहुमत दल में से ही चुने। गवर्नमेन्ट की स्थापना दल के आधार पर नहीं होती थी। मंत्री मंडल की ज़िम्मेवारी बहुत कम थी। रिक्सताग मेम्बरों से प्रश्नों द्वारा जाँच पड़ताल करती थी। यदि मंत्रियों की नीति पसन्द नहीं आती थी तो उनमें अविश्वास प्रकट किया जाता था ऐसे मंत्री मंडल में राजा किस प्रकार इन मंत्रियों को उनके पदों पर स्थिर रख सकता था? सन् १९१७ के पश्चात् पार्लियामेन्टरी राज्य प्रथा की स्थापना की गई है। मंत्रियों का चुनाव दल के आधार पर होता है।

स्वेडन में तो राज्य परिषद् (Council of State) मंत्रियों को उनके पद से हटाने की प्रार्थना कर सकती है। यह निश्चय हुआ है कि प्रतिनिधि सभा (Chamber of Representatives) का विश्वास राज्य परिषद् में होना चाहिये। (पार्लियामेन्टरी शासन तो है) परन्तु अन्तरंग के उत्तरदायित्व का भार किस के ऊपर है? नेता के प्रति या रिक्सताग के प्रति? सन् १९२५ में नेता स्टालबर्ग के पद त्याग करने के उपरान्त यह झगड़ा हुआ कि कौंसिल अब किस के सामने ज़िम्मेवार है पार्लियामेंट के या नये नेता के? नये नेता ने अंतरंग में विश्वास प्रकट कर दिया। परन्तु लोग इससे भी सन्तुष्ट न हुये क्योंकि पार्लियामेंट की शक्ति कम हो जाने का भय था।

फ़िनलेंड के विधान में भी हम यही पाते हैं। नेता शासन में भी भाग ले सकता है। राज्य परिषद् और नेता के कर्तव्यों में भेद कर दिया है "काउन्सिल नेता के प्रस्तावों को कार्यान्वित करेगी और विधानानुसार नियमों का निर्माण करेगी। काउन्सिल शासन या नेता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।" नेता का कर्तव्य है नियम निर्माण करना, विटो को काम में लाना, राइक्सताग को भंग करना और उसके अधिवेशन की तिथि नियत करना, आर्डिनेन्स (Ordinance) (इनसे भारतवासी भली भाँति परिचित होंगे) बनाना, परदेश से पत्र व्यवहार करना। काउन्सिल आफ़ स्टेट कोई भी कार्य नेता की अनुपस्थिति में नहीं कर

सकती। नेता की विज्ञप्ति पर परिषद् के सभापति और एक मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। मंत्रीमंडल की बैठक नेता की अनुपस्थिति में तब हो सकती है जब कि यह राज्यनीति पर विचार कर रहा हो। मंत्री गण प्रतिनिधि सभा को अपने शासन कार्यों के लिये ज़िम्मेवार हैं। नेता को शासन पर ज़ोर जमाने का वैसा ही अधिकार है जैसा कि राज्य शासन का निरीक्षण। वह विभागों के अध्यक्षों को बुलाकर पूछताछ कर सकता है। ऐसे समय मंत्री के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं रहती।

लेटविया और लिथुयेनिया में भी नेता को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न किया गया है ताकि वह सभा के निरंकुश व्यवहारों को रोक सके। परन्तु इसमें ज़रा सन्देह है कि वह सभा के ऊपर निर्भर रह कर ऐसा कर भी सकता है या नहीं।

पोलैंड, यूगोस्लेविया, ज़ीकोस्लोवेकिया में नेता का कर्तव्य केवल यही है कि वह समय समय पर दल के नेता को चुने और संघ बनाने की आज्ञा दे। यदि एक बार किसी मंत्री की नियुक्ति कर दी जाय तो वह पार्लियामेन्ट के विश्वास उठ जाने पर ही हटाया जा सकता है।

ऐस्टोनिया में नेता के न होने के कारण मंत्री मंडल का चुनाव सभा के हाथ में है। स्वीटज़रलेण्ड का अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है। सरकार सदैव सभा के सामने ज़िम्मेवार है।

ऐस्टोनिया और प्रशा में प्रधान मंत्री को सभापति (Speaker of the Chamber) ही नियुक्त करता है। विधानानुसार तो वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि सभापति को नियुक्ति के अधिकार होने से वह देश का वास्तविक नेता बन जाता है। सभापति तो किसी दल का नहीं होता है तब वह ऐसा किस प्रकार कर सकता है? परन्तु वास्तव में तो प्रधान मंत्री की नियुक्ति सभापति के हाथ में ही है।

प्रधान का मंत्री मंडल से सम्बन्ध—

प्रधान का मंत्री मंडल से क्या सम्बन्ध होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देना ज़रा कठिन है। इङ्गलैंड में ऐसा किसी प्रकार का नियम नहीं है। राजा प्रधान को नियुक्त करता है और प्रधान भिन्न विभागों पर सदस्य नियुक्त करता है। सरकार के समस्त प्रस्ताव गुप्त होते हैं। हमको इस बात का पता नहीं चल सकता कि कितना बहुमत रहा, कहाँ तक तसविया हुआ और प्रधान का कितना प्रभाव पड़ा। यह बातें तो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती हैं। आम तौर से प्रधान बहुमत का साथ देता है। कोई भी विषय उसकी अनिच्छा से पास नहीं हो सकता। यदि ऐसा

न होवे तो दल में फूट मच जाने की संभावना है। समस्त मंत्री मंडल अपने प्रस्तावों के लिये ज़िम्मेवार है। यह पूर्ण कलीजियेट सिस्टम नहीं है। कलीजियेट प्रथा के अनुसार प्रधान मंत्री को बहुमत की आज्ञा माननी पड़ती है। स्वयं वह कुछ भी नहीं कर सकता है।

जर्मनी में युद्ध से पहले मंत्री मंडल की स्थापना नौकरशाही (Bureaucracy) प्रथा के अनुसार थी। राज्यों के सदस्य वेतन भोगी (Civil Servants) थे जो कि चान्सलर के आधीन थे। किसी बात में मतभेद होने पर चांसलर की मति सर्व मान्य समझी जाती थी। नवीन विधानों ने इस परिपाटी का परिचालन नहीं किया है। उन्होंने किसी न किसी रूप में कलीजियेट प्रथा को विधान में रक्खा है। कुछ देशों ने अंग्रेज़ी केबिनेट प्रथा को काम में लाने की सोची परन्तु ऐसा करने में असमर्थ रहे।

जर्मनी के शासन विधान में केबिनेट की व्याख्या नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि समयानुसार यह अपना रूप ग्रहण कर लेगा। उन्होंने केवल उसका ख़ाका (Outline) दे दिया था। चान्सलर आम नीति (General policy) के लिये ज़िम्मेवार है अन्य मंत्री गण अपने अपने विभाग के लिये। इससे सभा हर विभाग की जाँच कर सकती है, और किसी मंत्री की नीति नापसंद करके उसको हटा सकती है। चांसलर और अन्य मंत्रियों का सम्बन्ध नौकरशाही जैसा न होगा वरन् कलीजियेट जैसा। यदि दो विभागों में किसी बात पर झगड़ा हो तो उस झगड़े का निपटारा कम से कम समय में हो जाना चाहिये। कुछ विषयों पर समस्त केबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए और उसमें बहुमत ही प्रधान समझा जायगा। चांसलर के सभापतित्व में मीटिंग होती है जो कि समान राय होने पर ही वोट दे सकता है (Chancellor has merely a casting vote)।

पोलेंड, लेटविया, लिथुयेनिया में जर्मनी की भाँति नेता प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को। कलीजियेट प्रथा पर ही ज़ोर दिया गया है। पोलेंड और लिथुयेनिया में प्रधान मंत्री केबीनेट की मीटिंग का सभापति होता है। समस्त मंत्री मंडल आम नीति के लिये ज़िम्मेवार है और अपने विभागों के लिये पृथक पृथक। लेटविया में केबिनेट मंत्रियों के बनाये हुये बिलों पर और उनके शासन व नीति पर विवाद करता है।

लिथुयेनिया में यदि किसी मंत्री को अपने बिल के लिये केबिनेट में बहुमत न मिले तो वह उस बिल को सभा में केबिनेट की सम्मति समेत पेश कर सकता है। इङ्गलैंड

में समस्त मंत्री मंडल का एक मत होना चाहिये, यदि वास्तव में न हो तो दिखावटी तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि इस प्रकार का मतभेद अङ्गरेज़ी केबिनेट में होगा तो गवर्नमेंट में फूट हो जायगी। यूरोप में सरकार का धाराओं पर इतना प्रभुत्व नहीं होता जितना कि इङ्गलैंड में होता है। सभा बिल में संशोधन भी कर सकती है और नामंजूर भी कर सकती है, परन्तु सरकार को इस्तीफ़ा देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार सभा समस्त मंत्रियों का मत जान सकती है।

यूगोस्लेविया व ज़ीकोस्लोवेकिया में राज्य नेता स्वयं ही मंत्रियों को नियुक्त करता है। ज़ीकोस्लोवेकिया में तो नेता इसका भी निर्णय करता है कि कौन सा सदस्य कौन से विभाग का अध्यक्ष होगा। दोनों ही देशों में प्रधान मंत्री के कोई विशेष अधिकार नहीं हैं, वह केवल अन्य मंत्रियों की भाँति हैं। यूगोस्लेविया में राजा की विज्ञप्ति पर विभाग मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये, प्रधान के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र सभा भंग की आज्ञा पर या नियम कार्यान्वित होने के लिये समस्त मंत्री मंडल के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है। मंत्री राजा के आधीन तो अवश्य है परन्तु प्रधान के नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि राजा को शासन में भाग लेना चाहिये।

उपरोक्त प्रथा के विरुद्ध ज़ीकोस्लोवेकिया में समस्त नियमों पर केबिनेट में विवाद हो जाना चाहिये और उन पर पूर्ण रीति से निश्चय हो जाना चाहिये जिसमें कि मन्त्री दुरुपयोग न कर सकें। सरकार को बहुत अधिकार हैं। अधिवेशनकाल में सरकार नेता की विटो पर, राजनैतिक विषयों पर, राजकर्मचारी अथवा सेना के सफ़सरों की नियुक्ति पर विचार करती है। मंत्री सिविल सर्वेन्टस की नियुक्ति में कुछ भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार अल्प संख्यक जातियों की रक्षा होती है।

फिनलेन्ड राज्य परिषद् (Council of State) का संगठन कलीजियेट प्रथानुसार है। नेता मंत्रियों को चुनता है। प्रधान मंत्री केवल नेता की अनुपस्थिति में परिषद् की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है। पाँच मेम्बरों की उपस्थिति से कोरम (Quorum) पूरा होता है। जिन मंत्रियों ने विवाद में भाग लिया है ज़िम्मेवार होते हैं बशर्ते कि उसका विरोध अंकित न करलिया जाय।

ऐस्टोनिया में समस्त मंत्रियों की नियुक्ति सभा द्वारा होती है। प्रधान मंत्री जो कि राज्य का अधिष्ठाता है सरकार के काम में सहयोग देता है। वह केबिनेट मीटिंग का सभापति बनता है और किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है।

प्रतिनिधि सभा का केबिनेट पर प्रभुत्व—

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं केबिनेट का अस्तित्व सभा के ऊपर निर्भर है और अविश्वास प्रकट होने पर इसको इस्तीफ़ा देना चाहिये। परन्तु इसको सभा के प्रहारों से बचाने के लिये कुछ साधन ढूँढ़े गये हैं। फ़्रान्स में प्रश्नोत्तर के समय सरकार की बहुधा हार हो जाती है। नये शासन विधानों ने इन बातों को दूर करने का प्रयत्न किया है।

यूगोस्लेविया में प्रश्नोत्तर के लिये केवल एक दिन नियत है। जर्मनी में किसी प्रश्न के १३ मेम्बरों को प्रार्थना पत्र भेजना चाहिये। इन प्रश्नों पर ५० मेम्बरों की अनुमति बिना विवाद नहीं हो सकता। विवाद के समय ३० मेम्बरों की मीटिंग के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। ज़ीकोस्लोवेकिया में प्रश्न के लिये या तो २१ डिप्टी या ११ सेनेटरों को प्रार्थना करनी चाहिये। मंत्री को दो महीने के भीतर लिख कर या ज़बानी उत्तर देना चाहिये। मेम्बर यदि चाहें तो वह किसी भी नियत दिन उत्तर माँग सकता है। सेनेट में ऐसी पूछ ताछ से सरकार को कभी पद त्याग करना नहीं पड़ता और न व्यर्थ समय ही नष्ट होता है।

ज़ीकोस्लोवेकिया में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर १०० मेम्बरों को प्रार्थना करनी चाहिये। तदुपरान्त यह प्रस्ताव एक कमेटी के पास भेजा जाता है। इस कमेटी को आठ दिन के भीतर अपना निर्णय भेजना चाहिये। सभा में यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होना चाहिये। प्रशा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए ३० मेम्बरों को प्रार्थना करनी चाहिये। दो दिन तक इस प्रस्ताव पर वोट नहीं ली जा सकती। इसका अभिप्राय यह है कि अकारण ही शासन सरकार एक दल से अल्प बहुमत से निर्मूल न कर दी जाय। पोलेंड में सन् १९२६ के संशोधनानुसार एक ही बैठक में प्रस्ताव और वोटिंग नहीं हो सकती।

इस प्रकार सरकार के अधिकारों की बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। केवल कमेटियों की स्थापना हो गई है। जर्मनी में आवश्यक प्रश्नों की जाँच के लिये कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटियाँ $\frac{1}{5}$ राइक्सताग की प्रार्थना पर बनाई जाती हैं। दो स्थायी कमेटी (Standing Committees) होती हैं जो कि विदेशी नीति अथवा सभा के अधिकारों की रक्षा के लिये होती हैं। विदेश नीति कमेटी का कर्तव्य है, विदेश नीति को सभा के सामने रखना। दूसरी कमेटी राइक्सताग की छुट्टियों के दिनों में केबिनेट को अपने अधिकार में रखती है। प्रशा (Prussia) में भी नियन्त्रण

समितियाँ (Control Committees) हैं।

ज़ीकोस्लोवेकिया में १६ डिप्टी और ८ सेनेटरों की एक कमेटी है जो कि छुट्टी के दिनों काम करती है। इसके अधिकार जर्मन कमेटी से अधिक हैं। इसको पार्लियामेन्ट के पूर्ण अधिकार हैं। यह केवल नेता को निर्वाचित नहीं कर सकती है; टैक्स नहीं बढ़ा सकती है; युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती है या विधान संशोधन नहीं कर सकती है। सभा के अधिवेशन के प्रारम्भ में ही सभा की अनुमति से यह नियम जारी समझे जाते हैं।

इन देशों में पार्लियामेन्ट का अधिवेशन बहुत काल तक होता है और सरकार इतनी शक्तिहीन है कि इस बात का भय नहीं है कि वह अधिकारों को हड़प कर लेगी। परिणाम उल्टा ही हुआ। मंत्री मंडल के रास्ते में इतनी बाधायें पड़ीं कि वह विशेष कार्य करने में असमर्थ है। इसलिये लोग अब केबिनेट के ऊपर सभा का अधिक प्रभुत्व नहीं चाहते हैं। पार्लियामेन्ट का अधिवेशन आय व्यय अनुमान पत्र (Budget) के पेश करने के बाद चार महीने तक हो सकता है। उसके बाद बजट स्वयं पास होजाता है।

आज कल प्रजा तंत्र वाद ऐसी संस्थाओं का निर्माण चाहता है जो कि विश्वस-नीय हों। उनको शांतिपूर्वक काम करने देने के बजाय उसके मार्ग में देख भाल और जाँच से उसके कार्य में बाधा डालना चाहते हैं। जर्मनी में राइक्सताग प्रजा निर्वाचित है परन्तु इस पर भी बाधा रूप जनता-निर्णय और जनता-निर्माण हैं। सरकार राइक्सताग की प्रतिनिधि है परन्तु इसको भी रस्सी में बाँध रखने के लिये कमेटियाँ हैं। आजकल के प्रजा तंत्र काल में शायद ही कोई शासन संस्था प्रजा विरोध का कोई काम करे। नवीन विधान विशेषज्ञों का शासन चाहते हैं। विधानों ने प्रजा के अधिकारों को स्वीकृत करके उनको किसी न किसी रूप में ले लिया है। बाधा रूपी संस्थाओं के स्थापन से अपना मतलब खो देना है।

११—पार्लियामेन्टरी शासन का वास्तविक स्वरूप

Practical Application of Parliamentary Government

इस परिच्छेद में हम देश का आन्तरिक इतिहास नहीं दे रहे हैं वरन् उनके शासन विधान का उल्लेख कर रहे हैं। पेचीदा नियम होने के कारण केबिनेट

प्रजा की बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है। विलायती प्रथा को अनुकरण करने में असफलता रही।

इंगलैंड में पार्लियामेन्टरी शासन केवल दो दलों पर निर्भर है। यदि एक बहुमत में हो तो दूसरा सदैव विरोध करने के लिये तय्यार रहता है। प्रधान जो कि बहुमत से होता है अपने सदस्यों से सहयोग की आशा रखता है। यहाँ पर विरोध का संगठन भी भली प्रकार है। यूरोप की दशा बिल्कुल भिन्न है। संख्या तुल्य निर्वाचन होने के कारण अनेकों छोटे छोटे दल हैं। कोई दल बहुमत नहीं पा सकता है। केबिनेट के निर्माण में भी अनेकों कठिनाइयाँ पड़ती हैं! दलों के नेताओं में परस्पर परामर्श होता है। शासन सरकार को चुनने की अनेकों विधि होने पर भी दलों के नेता द्वारा ही सरकार की नियुक्ति होती है।

दलों में घोर मतभेद होने के कारण सरकार बहुमत से नहीं चुनी जा सकती। राजनीतिज्ञ किसी पद को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं वरन् केवल उस प्रथा की समालोचना करते हैं। शासन का भार अल्प दल को सौंपा जाता है। वह भी इस शर्त पर कि कोई दूसरा दल इसके विरुद्ध वोट न दे। पार्लियामेन्टरी शासन की ठीक स्थापना न किये जा सकने के कारण मंत्री पद अफ़सरों को या विशेषज्ञों को सौंपा जाता है जिनका दल से कुछ सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु अपने साधनों के लिये बहुमत चाहते हैं।

शासन सरकार स्थापित हो जाने पर भी शक्तिशाली नहीं होती। केबिनेट की बनावट में विभिन्नता आ जाती है। सदस्यों में बहुधा मतभेद रहता है। प्रधान मंत्री को निश्चित मशवरे के अनुसार काम करना पड़ता है। नवीन साधनों के निर्माण होने के कारण विवाद होते हैं, झगड़ा होने की संभावना रहती है। इस लिये इसका प्रोग्राम सारहीन रहता है। सदस्य अपने विभाग का शासन अपने दल के मतानुसार करेंगे न कि प्रधान मंत्री की आज्ञा अनुसार। संघ प्रथा के अनुसार केबिनेट को कलीजियेट बनाने का प्रयत्न हो रहा है।

जर्मन चांसलर अपने सदस्य संघ के समस्त दलों में से चुनता है। नेताओं में वार्तालाप उपरान्त यह निश्चय हो जाता है कि कौन कौन से दल कितना कितना भाग शासन में लेंगे। केबिनेट में दल के सदस्य संख्यानुसार होते हैं। तदुपरान्त सदस्यों के पद पर झकझक होती है। चांसलर सदस्यों पर अपना प्रभुत्व कैसे जमा सकता है जब कि उसको दल की सहायता चाहिये। मतभेद होने पर वह विषय केबिनेट के

सामने रक्खा जाना चाहिये परन्तु इससे भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता क्योंकि अल्प दल वाले क्यों अपनी हार मानने लगे ? केबिनेट की नियुक्ति के समय बहुधा किसी दल को उस दल की सहायता करनी पड़ती है जिसका कि उन्होंने निर्वाचन के समय विरोध किया है। मध्य दल (Centre Party) तो अधिकतर शासन में सम्मिलित होता रहा है। शासन विधान के प्रथम वर्ष में प्रजातंत्री, साम्यवादी, तथा मध्य दल का संघ बना। इन सब के आदेश एक दूसरे से भिन्न थे। सन् १९२० से १९२४ तक चार संघ बने। सन् १९२४ में विशेषज्ञ रिपोर्ट (Experts' Report) के बाद सभा भंग कर दी गई। इस रिपोर्ट पर जनता का ⅔ बहुमत नहीं मिल सका। केबिनेट निर्माण के लिये कई सप्ताह तक बातचीत हुई परन्तु कुछ न तय हो पाया। विदेश नीति के कारण दल अपना पारस्परिक विरोध नहीं त्याग सकते थे। अतएव जनता दल और प्रजातंत्रियों का संघ बना जिसकी ४७२ में केवल १३५ वोट थीं।

दिसम्बर १९२४ में केबिनेट निर्माण में फिर दिक्कत हुई। डाक्टर मार्क्स ने छः बार केबिनेट बनाने का प्रयत्न किया। अन्त को डाक्टर लूथर ने राष्ट्रवादी, जनता दल तथा मध्य दल का संघ बनाया। इस संघ के बहुत से मेम्बर या तो सभा के मेम्बर नहीं थे या राजनीति से सम्बन्ध नहीं रखते थे। इसी कारण यह सरकार विशेषज्ञों की कही गयी है।

फिनलेण्ड में १९२१ से १९२३ तक कृषक अथवा प्रोग्रेसिव (Progressive) दल के अल्प संघ ने शासन किया। इस संघ के दो सौ में से केवल ६८ वोट थीं। यहाँ पर शक्तिशाली नेता होने के कारण अधिक हानि न पहुँच सकी। सन् १९२४ में नेता ने नान-पार्लियामेन्टरी शासन स्थापित किया। सन् १९२४ में महा संघ बनाया गया परन्तु आन्तरिक विवाद होने के कारण टूट गया। तदुपरान्त अल्प दल शासन स्थापित किया।

बाल्टिक देशों में भी कठिनाइयाँ अनेकों हैं। विधानानुसार प्रतिनिधि सभा मंत्रियों का चुनाव करने में असमर्थ है। केबिनेट के गड़बड़ी काल में सभापति नेता का काम करता है और किसी बड़े राजनीतिज्ञ को केबिनेट बनाने का आदेश करता है। दल के नेता एक मसविदा तयार करते हैं जिसको कि सभा मंज़ूर कर लेती है।

लेटविया में केबिनेट परिवर्तन पर लगभग एक महीना या इससे अधिक समय तक बात चीत होती है। घूस का भी प्रयोग किया जाता है। एक समय

अक्टूबर १९२२ से जनवरी १९२३ तक कुछ तय न हो पाया। अन्त में मध्य दल और साम्यवादियों का एक बड़ा संघ बना। संख्या तो इसकी अधिक थी परन्तु मत-भेद हो जाने का भय सदैव रहता था। साम्यवादियों को सरकार से मई मास में अलग होना पड़ा। जून के अंत तक कुछ तय न हो पाया। १९२५ के निर्वाचन के पश्चात् दलों की संख्या में वृद्धि हो गई। नेता ने दल नेताओं को बुलाकर केबिनेट बनाने का आदेश किया। यह काम बड़े दिन (Christmas) से पहले ही समाप्त हो जाना चाहिये था। सबों ने अपनी अयोग्यता प्रकट की। तदुपरान्त नेता ने अधिक संख्या वाले साम्यवादी और कृषकों को दल बनाने का आदेश किया। दोनों ही ने केबिनेट की दो तालिकायें उपस्थित कीं। दोनों का दावा था कि बहुमत उनका है। साम्यवादियों को ४७ वोट प्राप्त हुईं और कृषकों को ४८। इसलिये कृषक दल ने शासन संगठन किया।

राजनैतिक मत के अतिरिक्त जातीय मामलों पर भी झगड़ा होता है। संघ बन जाने के माने यह नहीं हैं कि मतभेद का अन्त हो गया। सदस्य सरकार की इतनी पर्वाह नहीं करते हैं जितनी कि दल की। ऐस्टोनिया में कलीजियेट प्रथा होने के कारण दल संगठन शक्तिशाली हो गया है। मंत्री गण राज्य से सहानुभूति न रख कर दल से सहानुभूति रखते हैं। वह अपने विभागों का काम अपने दल के आदेशा-नुसार करते हैं। यदि वह ऐसा न करें तो दल किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करेगा।

यूगोस्लेविया, ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेंड में आन्तरिक विवाद के कारण पार्लियामेन्टरी संस्थाओं का काम बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ जातियाँ शासन में भाग लेकर केवल बाधा डालती हैं। असफलता का कारण विधान की खराबी नहीं है वरन् कुछ राजनैतिक कारण हैं।

यूगोस्लेविया में स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय है। राष्ट्रीय अल्प दल तो बाधा नहीं डालते हैं परन्तु यूगोस्लव लोग स्वयं बहुत झगड़ालू हैं। चार साल तक सर्बिया के रेडिकल्स तथा क्रोट दल में निरन्तर झगड़ा होता रहा। क्रोट लोग निर्वाचन उप-रान्त पार्लियामेन्ट में नहीं आते थे। १९२४ में जब वह आये भी तो आपस में झगड़ा कर बैठे। इस कारण अल्प दल शासन कर सका। विरोध का अन्त न हुआ। राजा ने संगठन करने का प्रयत्न किया। अन्त में उसको पार्लियामेंट भंग करनी पड़ी। सन् १९२५ में निर्वाचन के बाद क्रोट लोगों को गिरफ्तारी का भय था। इस-

लिये उन्होंने विरोध त्याग दिया। पार्लियामेंट में पूर्ण संगठन से आये। सर्व क्रोट लोगों का भी संगठन किया गया। एक ने अपने एकतंत्री विचार त्यागे, दूसरे ने अपने क्रान्ति के विचार। इस संघ को भी रेडिकल नेता (Radical) की अदूर दर्शिता के कारण सफलता न मिल सकी। १९२६ में सरकार सात बार बनाई गई और तोड़ी गई।

ज़ीकोस्लोवेकिया में राष्ट्र अल्प दलों ने तथा स्लोवक दल ने छः वर्ष तक घोर विरोध किया। इन दलों ने अपने प्रतिनिधि तो सभा में भेजे परन्तु शासन में भाग न लिया। समुदायवादी (Communists) भी प्रतिद्वन्दिता में लग गये। इस कारण ज़ेक दल ही बहुमत पा सकता था। सन् १९२० में जनता दल, राष्ट्र प्रजा-तंत्रवादी, कृषक, राष्ट्र-साम्यवादी और साम्यवादी दलों का संघ बनाया गया जो कि १९२५ तक रहा। ऐसे संघ के टूटने का सदैव भय रहता था। परन्तु विरोध का संगठन ठीक नहीं था। संघ तभी जीवित रह सकता है जब कि सरकारी बिलों पर पहले से संघ के दलों की अनुमति ले ली जाय। इस प्रकार शक्ति दलों के हाथ में थी न कि केबिनेट के हाथ में। नियम ऐसा बन गया कि जिसके अनुसार पहले पहल पाँचों दलों के नेता एक साथ बिलों पर विचार करने लगे। इसी मीटिंग का नाम 'पेटका' (Petka पाँच आदमियों की कौन्सिल) पड़ गया। केबिनेट तो शासन सम्बन्धी एक कौन्सिल था। १९२५ में संघ में मतभेद होने लगा। पुनः निर्वाचन हुआ लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हुआ। कृषक, जनता और अब व्यवसायी दल के संघ की केवल १८ वोट अधिक थीं। पूर्व की भाँति शासन बनाया गया। पेटका अब चैस्का (Cheska छः आदमियों की कौन्सिल) बन गया। १९२६ में जानवरों पर ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव के कारण केबिनेट में खलबली पैदा हो गई। शासन सरकार स्थिर न रह सकने के कारण विशेषज्ञ शासन की स्थापना हुई। कुछ मास बाद पुनः संघः बनाया गया।

पोलेंड में दल की दशा और भी शोचनीय है बहुत काल तक देश में किसी का आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा सका। सन् १९२६ में नानपार्लियामेन्टरी शासन की स्थापना की गई। सन् १९३६ में साम्यवादियों में और व्यवसाइयों में झगड़ा हुआ।

इन देशों ने इंगलैंड का अनुकरण करना चाहा परन्तु असफल रहे। फ्रान्स की ही प्रथा स्थापित की गई अन्तर केवल यही रहा कि दल संगठन अधिक शक्ति-

शाली रहा। जैसे भी समझ लीजिये शासन सरकार शक्तिहीन रही। इंगलैंड में भी तो शक्ति साधारण सभा (House of Commons) के बजाय दलों के हाथ में है। साधारण सभा का बहुत कम सम्मान है। जनता तो अगले निर्वाचन तक के लिये शासन सरकार को चुनती है। सरकार का साथ देने के लिये संगठित बहुमत है। सरकार अपनी नीति का पालन स्वच्छन्दता से कर सकती है। परन्तु अंग्रेज़ी प्रथा और संख्या तुल्य निर्वाचन की क्या तुलना ? एक का मतलब है दल शासन और दूसरे का है मत मतान्तरों का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना। यूरोपीय प्रदेशों में तो सभा की बैठक तक कुछ निश्चय नहीं हो पाता है। देश का बहुमत पाने से अंग्रेज़ी सरकार बलवान होती है। परन्तु यूरोप में दल के नेता ही सब कुछ करते हैं। इंगलैंड वाले संघ शासन नहीं चाहते हैं।

यूरोपीय देशों में भंग का अधिकार बहुत कम प्रयोग में लाया गया है। हम तो यह देखते हैं कि भंग का प्रस्ताव न होते हुए भी परिवर्तन की आवश्यकता रहती है। इससे सदस्यों की उलट फेर की जाती है। यदि एक संघ असफल होता है तो शासन बिना लोकमत में परिवर्तन हुए बदल दिया जाता है। अनेकों दल होने के कारण यह बात कभी दूर नहीं हो सकती। निर्वाचन उपरांत भी कठिनाइयों का अन्त नहीं होता। निर्वाचकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह शासन सरकार बना रहे हैं और न कि एक सभा।

धारा सभा के अनुचित व्यवहारों को बन्द करने के लिये नेता को शक्ति दी गई है। शासन स्थिर रहने के लिये यह आवश्यक है कि इसको जनता का आदेश होना चाहिये तथा इसका बहुमत।

इन देशों में केबिनेट के दोष अनगिन्ती हैं। उदाहरणार्थ; शासन एक दम शिथिल हो जाता है; नीति का अन्त होता है; विदेश में राज्य का सम्मान जाता रहता है। यदि कर्मचारीगण न हों तो ईश्वर जाने क्या परिणाम होवे। जर्मनी में युद्ध के बाद अनेकों कठिनाइयाँ पड़ीं। परन्तु विद्वान तथा मध्यम श्रेणी के लोगों ने शासन को सँभाला है। लेटविया, लिथुयेनिया और ऐस्टोनिया में विभागों पर यह दोषारोपण लगाया गया है कि यहाँ पर भी दल के मतानुसार कार्य क्रम होना चाहिये। यूगोस्लेविया का कुछ हाल चाल ही ठीक नहीं है। मंत्रीगणों को निर्दिष्ट अवधि तक रहने की आशा नहीं रही इसीलिये वह ऐसी ज़िम्मेवारी लेते ही नहीं हैं। वह अब झगड़ों में भाग लेने लगे हैं।

इन सब का परिणाम यह हुआ कि प्रजातंत्र शासन में से विश्वास ही उठ गया है। यह राज्य अभी तक किसी नवीन विधान के निर्माण करने में असमर्थ रहे हैं। प्रजातंत्र शासन को ही निर्मूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नान-पार्लियामेन्टरी शासन की स्थापना तो हम देख ही चुके हैं। फिनलेन्ड में फ़ासिस्ट वाद (Fascism) का आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य है 'डिक्टेटरशिप' (Dictatorship) की स्थापना करना। इटली का उदाहरण देते हुये लोग यह भूल जाते हैं कि उसने अभी तक किसी ऐसी शैली की स्थापना नहीं की है जिसका कि अनुकरण किया जा सके। भय इस बात का है कि कहीं इन राज्यों की राजनैतिक शक्तियाँ शिथिल न हो जायँ, राजनीतिज्ञ कुछ होता हुआ न देखकर राजनीति से अपना मुख न मोड़ लें।

मुमकिन है कि कोई नया विधान भी बना लिया जाय। यह किस प्रकार का होगा हम अभी से अनुमान लगा सकते हैं—दल तोड़ दिये जायँगे, केबिनेट शिथिल हो जायेंगे और नेता की शक्तियों में बढ़ोत्तरी होगी जैसा कि हम इटली में पाते हैं।

१२—राज्य के सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य

(Duties of the State—Social and Economic)

नवीन विधान नागरिकों की सामाजिक भलाई और राष्ट्र की व्यावसायिक उन्नति की प्रेरणा करते हैं। तिजारत राष्ट्र की भलाई के लिये होनी चाहिये और न कि किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिये। जर्मन विधान के अनुसार "आर्थिक संगठन न्यायानुसार होना चाहिये जिससे कि सब को खाने पीने के लिये काफ़ी मिल जाय।" ऐस्टोनियन विधानानुसार "आर्थिक संगठन न्यायानुसार होना चाहिए जिससे कि सब मनुष्यों को जीविका मिल जाय।"

श्रम ही इस नियम का मुख्य अंग है। इस कारण श्रम की छाँट राज्य को करनी चाहिये। जर्मन विधानानुसार "स्टेट का कर्तव्य है श्रम जीवियों की रक्षा करना।" विद्वान श्रमजीवी तथा साधारण श्रमजीवी समान हैं। राज्य को "स्वास्थ्य, कार्य्य सामर्थ्य, माताओं, वृद्धावस्था तथा बीमारी का ध्यान रखना चाहिये।

पोलेंड के विधानानुसार श्रमजीवियों की विशेष तौर से रक्षा की गई है

और अधिकार दिये गये हैं। फ़िनलेन्ड में नागरिकों के अधिकारों के अतिरिक्त उनकी रक्षा करना भी स्टेट का कर्तव्य है। परन्तु श्रमजीवी अपनी आर्थिक दशा सुधारने तथा रक्षा के योग्य होने चाहिये। व्यक्तित्व (Individuality) की रक्षा के लिये कुछ नहीं किया गया है वरन् व्यवसायी संस्थाओं की सहायता के लिये ही सब कुछ किया गया है। जर्मन विधान ने उन समितियों को शक्ति प्रदान की है जो कि देश की आर्थिक दशा सँभालेंगी और श्रमजीवियों की दशा सुधारेंगी। ऐस्टोनिया के विधान ने समितियों को हड़ताल का अधिकार दिया है।

यूगोस्लेविया, जर्मनी और फ़िनलेंड के विधानों ने 'टेकनिकल स्कूल' (Technical Schools) खोलने की हिदायत की है जिनमें कि नागरिक व्यवसायी शिक्षा प्राप्त कर सकें। निर्धन माता पिताओं के बच्चों की धन से भी सहायता करनी चाहिये। जर्मन विधानानुसार नागरिकों को अपनी शारीरिक और मस्तिष्क की शक्तियों को देश की भलाई के लिये लगानी चाहिये। जब तक कोई व्यक्ति ठीक काम न पा सके राज्य उसका उस समय तक भरण पोषण करेगा। राज्य को शिक्षा का प्रबन्ध भी करना चाहिये।

राज्य के भले के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा डाली जाय। सरकार इस कारण नागरिकों के आर्थिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य की निर्धनता दूर करने का भी प्रयत्न करना चाहिये।

ज़ाती जायदाद का नियम मान लिया गया है परन्तु हर कोई मनमानी नहीं कर सकता। सम्पत्ति रखने से देश के प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है। सम्पत्ति सब के लाभ के लिये होनी चाहिये। यदि बिना परिश्रम किये हुये या पूँजी लगाये किसी धरती की क़ीमत बढ़ जाय तो यह लाभ सब के भले के लिये होना चाहिये। यूगोस्लेविया के विधानानुसार जनता की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके इस्तेमाल से जाति को कुछ हानि नहीं होनी चाहिये।

राज्य किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। नियमानुसार उसके विक्रय के लिये विवश कर सकता है। जर्मनी में एवज़ देकर सम्पत्ति ली जा सकती है परन्तु देशहित के लिये बिना मुआवज़े के भी छीनी जा सकती है। धरती भी मकान या उपनिवेश बनाने के लिये छीनी जा सकती है। धरती की बाँट और इस्तेमाल राज्य के हाथ में है। सिपाहियों का विशेष ध्यान रक्खा जायगा।

व्यवसायों को स्टेट अपने हाथ में ले सकता है। क्रान्ति के समय साम्यवादी

व्यवसायों का साम्यवाद चाहते थे। श्रमजीवियों के हाथ में ही समस्त प्रबन्ध रहना चाहिये। इसके लिये कमेटी नियुक्त की गई जिसने यह रिपोर्ट दी कि राज्य को समस्त व्यवसाय शनैः शनैः अपने हाथ में लें लेने चाहिये। प्रतिस्पर्द्धा के बजाय सहयोग होना चाहिये।

समस्त व्यवसाय स्वतंत्र हैं और उनका प्रबन्ध नौकरों और मालिकों के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिये। संयुक्त आर्थिक कौन्सिल (Federal Economic Council) आर्थिक विषयों पर निर्णय करेगी। सन् १९१९ की हड़तालों के बाद पोटाश और कोयले के व्यवसाय राज्य ने अपने हाथ में ले लिये। और अन्य व्यवसायों को अपने हाथ में ले लेने का वायदा किया। सरकार भिन्न भिन्न व्यवसायों को संगठन करने के लिये वाध्य कर सकती है। उन सब के प्रतिनिधि प्रबन्ध करेंगे। राज्य केवल निरीक्षण करेगा। जो लोग उपज में भाग लेंगे प्रबन्ध में भी भाग लेंगे। उपज और बाँट जाति के लाभ के लिये होगी।

अन्य विधानों ने भी सम्पत्ति के लिये कुछ नियम बना दिये हैं। यूगोस्लेविया में (जो कृषि प्रधान देश है) यह नियम केवल पैतृक सम्पत्ति के लिये है। पैतृक सम्पत्ति की सीमा राज्य द्वारा नियत कर दी गई है। कुछ सम्पत्ति राज्य ने ले ली है जोकि ज़रूरतमन्दों को देदी गई है। बँटवारा करते हुए सिपाहियों का (जोकि युद्ध में लड़े हैं) विशेष ध्यान रक्खा जाता है। इस ज़ब्त के लिये मुनासिब मुआवज़ा दिया जाता है। समस्त बड़े बड़े जंगल राज्य ने अपने भले के लिये अपने हाथ में ले लिये हैं।

पोलैंड में धरती छीनी जा सकती है परन्तु मुनासिब मुआवज़ा देने पर। ज़ीकोस्लोवेकिया में भी मुआवज़ा देना आवश्यक है। परन्तु एवज़ के विरुद्ध नियम बना देने से मुआवज़े की आवश्यकता नहीं रहती है।

बाल्टिक देशों में आर्थिक प्रश्न केवल कृषि सम्बन्धी था। ऐस्टोनिया, लिथुयेनिया और लेटविया में कृषि सम्बन्धी नियम निर्माण किये गये हैं जिनके अनुसार सम्पत्ति जनता लाभ के लिये छीनी और विभाजित की जा सकती है। ऐस्टोनिया में ७५ प्रतिशत जनता के पास कुछ भी पृथ्वी न थी। सन् १९१९ के बाद समस्त सम्पत्ति राज ने अपने अधिकार में ले ली परन्तु इस पर अधिकार धीरे धीरे स्थापित किया जायगा—पहले बंजर धरती अधिकार में ली जायगी। ऐसे ही सुधार लेटविया और लिथुयेनिया में भी किये गये।

किसी का सम्पत्ति पर क्या अधिकार है ? यह जाति लाभ के लिये होनी चाहिये। धरती बाँट से हानि होने की सम्भावना है। छोटे छोटे टुकड़े अनभिज्ञ निर्धन कृषकों को देने से कुछ मतलब सिद्ध नहीं होता है।

पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का मालिक बन सकता है परन्तु मृत्यु कर (Death duty) देने के बाद।

इन सब बातों का क्या फ़ायदा हुआ ? तिजारतों को राज्याधीन बनाने का क्या प्रयत्न किया गया ? जर्मनी में छोटी और बड़ी तिजारतों का संगठन तो किया गया है परन्तु व्यक्तियों के स्वयं परिश्रम और प्रयत्न करने से ही ऐसा हो सका। इन सब में विशेष कर श्रमजीवियों का ध्यान रक्खा गया है। सब बातों में उनसे परामर्श ली जाती है। प्रबन्ध और अधिकार पूँजीपतियों का है। फिर साम्यवाद कैसे हुआ ?

कुछ बातें विधान में केवल उपदेशानुसार हैं जैसे कि जर्मनी में "प्रत्येक नागरिक को सब काम जाति की भलाई के लिये करने चाहिये।" कुछ विधान भावी सरकार के लिये शिक्षा छोड़ गये हैं। जिनके लिये सरकार बाध्य नहीं है। भिन्न भिन्न स्थानों पर हम साम्यवाद और व्यक्तित्व का प्रभाव देख सकते हैं।

१३—आर्थिक विधान

पूर्व परिच्छेद में हमने व्यवसाय संगठन के सम्बन्ध में कुछ लिखा है। हमने राज्य के कर्तव्य भी बताये हैं। उनको किस प्रकार कार्य में परिणत किया गया इसका सारांश हम इस परिच्छेद में लिख रहे हैं।

जर्मनी में तीन विशेष समस्यायें हैं—

(१) श्रमजीवियों की सामाजिक माँगें और समस्यायें।

(२) मध्य श्रेणी वालों की आवश्यकतायें।

(३) तिजारत और कृषि का भावी सुधार।

राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल (National Economic Council) जिसमें श्रमजीवियों के और ज़िला आर्थिक कौन्सिल के प्रतिनिधि आते हैं घोर विवाद होता है। इस सभा में समस्त व्यवसायों के प्रतिनिधि होते हैं।

इस कौन्सिल के कर्तव्य हैं वेतन ठीक करना, उपज की सामग्रियों का

संगठन करना भिन्न भिन्न संगठनों को स्वीकृति देना और उनका आपस में समझौता करना।

इस कौन्सिल का निर्माण इस प्रकार होगा—

(१) श्रमजीवियों की कौन्सिल—वेतन भोगियों के प्रतिनिधि राष्ट्र, श्रम जीवी कौन्सिल (National Workers' Council) बनायेंगे।

(२) मालिकों और नौकरों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय आर्थिक सभा बनायेंगे जो कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी और साम्यवाद के काम में सहयोग देगी। सभी व्यवसायों को अपनी अपनी आवश्यकतानुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। इसके (१) आर्थिक कर्तव्य है, (२) व्यवसायों की देख भाल करती है, (३) इसके अधिकार राइक्सरात के समान हैं। इससे श्रमजीवियों को अधिकार मिल गये हैं। अट्ठारह वर्ष वालों को वोट देने का अधिकार है और चौबीस वर्ष वाले मेम्बर बन सकते हैं।

बड़े बड़े तिजारती केन्द्रों में भी छोटी छोटी कौन्सिल बनाई जा सकती हैं। जिनका काम है—

(१) वेतन की शरायतों की देख भाल करना।

(२) काम की देख भाल करना।

(३) श्रमजीवियों के लाभ के साधन करना—जैसे पेन्शन आदि।

(४) वेतन भोगियों में और मालिकों में मेल रखना।

यह कौन्सिल गड़बड़ी न करें इसलिये सरकार को उनके ऊपर पूर्ण अधिकार है। रूस की भाँति पूर्ण साम्यवाद नहीं हो सकता। इसके ३३६ मेम्बर थे जो कि १० ग्रूपों के प्रतिनिधि थे—कृषि, फ़ेक्टरी, व्यवसाय, बाहर माल भेजने वाले (Exporters), दस्तकार (Handiwork), बरतने वाले (Consumers) पदाधिकारी (Officers), अन्य व्यवसाय अथवा राइक्सरात और सरकार के नामज़द।

कौन्सिल का काम तीन कमेटियों द्वारा होता है। बाहर वालों से मशवरा लिया जा सकता है। इन कमेटियों में नौकरों और मालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होनी चाहिये। इनमें सरकार के मेम्बर भी होते हैं।

कौन्सिल अन्तिम निर्णय नहीं करती है परन्तु सरकार को अपनी सम्मति देती है।

ज़ीकोस्लोविक में केवल एक सम्मति दायिनी कौन्सिल (Advisory Council) है जिसकी शक्ति कुछ नहीं है। १९१९ में कुछ राजनैतिक कारणों वश सफलता प्राप्त न हो सकी। १९२१ में इसका पुनः संगठन किया गया। इसमें १५० मेम्बर थे।

कौन्सिल का काम कमेटियों द्वारा होता है। आवश्यक विषयों पर कौन्सिल से भी राय ली जा सकती है। अल्प मत का भी ध्यान रखना पड़ता है। कौन्सिल का काम प्रशंसनीय है।

यूगोस्लेविया और पोलैंड में अर्थ कौसिल हैं।

फ्रान्स

१—ऐतिहासिक परिचय

आधुनिक फ्रान्स का श्रीगणेश सन् १७८९ की क्रान्ति से होता है। फ्रान्स में एक मात्र स्वेच्छाचारी शासन था। राजा ही राज्य का माँ बाप था। उसकी आज्ञा नियम बद्ध समझी जाती थी। उसका उल्लंघन घोर पाप तथा देश-द्रोह के तुल्य समझा जाता था। राजा ही एकता के सूत्र में आबद्ध करके प्रजा का शासन करता था। यहाँ पर न कोई पार्लियामेन्ट थी न कोई मंत्री मंडल था और न कोई विधान ही था। स्वच्छन्द भाव से राजा निरंकुशता के आश्रय होकर प्रजा पर शासन करता था। एक प्रकार की पार्लियामेन्ट 'स्टेटस जनरल' (Estates General) थी। इसमें पादरियों, धनिकों के अतिरिक्त कुछ सर्व साधारण जनता के प्रतिनिधि होते थे। उनका अधिवेशन राजा की इच्छा पर निर्भर था। वास्तव में राजा स्टेटस जनरल का अधिवेशन तब करता था जब उसको किसी घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता था, जब उसको धन की विशेष आवश्यकता पड़ती थी या किसी आभ्यन्तरिक युद्ध की संभावना होती थी। राजा मेम्बरों के ऊपर अत्याचार करके अथवा घूस का प्रयोग करके उनको उनके पथ से डिगाता था और मनमाने प्रस्ताव पास करा लेता था, जब उसका मतलब सिद्ध हो जाता था तब वह उस सभा को चिरकाल के लिये भंग कर देता था। फिर कभी मेम्बरों की पूछ न होती थी। सन् १६१४ से १७८९ तक स्टेटस जनरल का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फ्रान्स के राजा चौदहवें लुई (Louis XIV) ने देश पर नितान्त निरंकुश शासन किया। वह अपने को ही देश या राज्य समझता था ('I am the State')। वह अपने आप को शासन काल के स्वच्छ प्रकाश का सूर्य समझता था जिसके चारों ओर नक्षत्र विचरण करते हैं। उसके मंत्री नौकरों की भाँति थे। वह कोई काम राजा की आज्ञा लिये बिना नहीं कर सकते थे। राजा फैशन की धुन में मस्त था। उसके वारसाई (Versailles) नगर के दर्पन-महल में

भोग विलास की समस्त सामग्रियाँ प्रस्तुत थीं। यहाँ पर नग्न व्यभिचार होता था। पृथ्वीपतियों को अपनी प्रजा या किसान से कोई सम्बन्ध न था। वह राजा के साथ आकर रहने लगे। उसकी अनुपस्थिति में उसके एजेन्ट ही ज़िले का सारा काम करते थे। यह पृथ्वीपति इस देश में 'ऐबसेन्टी लैंड लार्डस' (Absentee Land lords) के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके एजेन्ट किसानों पर घोर अत्याचार करते थे, मनमाना लगान वसूल करते थे। क्रूरता पराकाष्ठा को पहुँच गई थी। यह सब अत्याचार कैसे सहन हो सकते थे। इससे भी सन्तुष्ट न हो कर चौदहवें लुई ने ह्यूगेनोज़ (Hugenots) को जो प्रबल धर्मावलम्बी थे देश निकाला दिया। यह लोग व्यवसायी और उद्यमी थे इनके निर्वासन से प्रजा वर्ग में हाहाकार मच गया। सारी तिजारत चौपट हो गई। इन लोगों ने विदेशों को अपनी पितृ-भूमि (Fatherland) के विरुद्ध भड़काया। चौदहवें लुई ने अपने शासन काल में विदेशी जातियों से तारतम्य युद्ध किया। वह पृथ्वी के टुकड़ों को जीतने की अभिलाषा रख कर डच, स्पेन, इंगलैंड, आस्ट्रिया आदि अनेकों देशों से लड़ा। सन् १६९० के लगभग उसका सूर्य मध्याकाश में चमकने लगा था। उसी समय से अवनति शुरू हुई। चौदहवाँ लुई स्पेन के राज सिंहासन पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। उसकी यह नीति यूरोपीय जातियों को पसन्द न थी। यूरोपीय देशों से लगातार युद्ध होता रहा। अन्त में सन् १७१३ को यूट्रेक्ट सन्धि (Treaty of Utrecht) से उसको घोर हानि पहुँची। कोष बिलकुल ख़ाली हो चुका था धार्मिकता के पाश में आकर और भी घोर अत्याचार करने लगा। सन् १७१५ में चौदहवें लुई ने स्वर्गारोहण किया।

पन्द्रहवें लुई ने किसी बात की भी परवाह न की। उसने राज्य शासन से मुख ही मोड़ लिया। वह किसी की न सुनता था। उसके शासन काल में स्त्रियों का प्रभुत्व अधिक था (Age of Mistresses)। उसने देश की दशा सुधारने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। उसका पूर्ण विश्वास था कि उसके बाद ही फ़्रान्स का सर्वनाश होगा (After me the deluge), वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसकी करनी उसके बाद सोलहवें लुई को उठानी पड़ी। सोलहवें लुई ने दशा सुधारने का कुछ प्रयत्न अवश्य किया। परन्तु अब इससे क्या हो सकता था। जनता को इससे क्या सन्तोष मिल सकता था "का वर्षा जब कृषी सुखानी"। वर्षों से बजट देश के सामने नहीं रक्खा गया था।

चूहे की माँ कब तक खैर मनायेगी। अन्त को बजट प्रकाशित करना ही पड़ा। बजट से पता चलता था कि देश दिवालिया हो गया। इतना अधिक व्यय देख कर लोग दंग हो गये, दाँत तले उंगली दबा ली। स्टेटस जनरल की शरण ऐसे समय में ही ली जाती है। शासन अब किस प्रकार आगे चल सकता था। स्टेटस जनरल बुलाई गई। सदस्यों ने अपनी अपनी मति अनुसार माँगें पेश की। किसी एक की भी न सुनी गई। बम फट गया जिसकी चिन्गारियाँ देश भर में फैल गईं। क्रान्ति का आरम्भ हुआ।

इसमें सन्देह नहीं कि असन्तुष्ट प्रजा के हाहाकार से ही क्रान्ति की उत्पत्ति होती है, परन्तु इस देश के विद्वत् समाज ने कृषक समूह की अपेक्षा क्रान्ति में स्वयं अधिक भाग लिया है। विद्वानों ने अपनी लेखनी द्वारा ग़रीबों की निधर्नता का शोचनीय नग्न चित्र खींचा। उन्होंने देशभर में स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व (Liberty, Equality and Fraternity) के भाव फैला दिये। उनके सार्व-जनिक उपदेशों से जनता में जागृति उत्पन्न हुई। इस में सहयोग देनेवाले मानटेसक्यू (Montesqieu), वाल्टेयर (Voltaire) रूसो इत्यादि बड़े बड़े महानुभाव थे। मान्टेसक्यू वैधानिक राज्य शासन चाहते थे। महाशय रूसो ने अपनी नामी पुस्तक सोशल कान्ट्रेक्ट "(Social Contract) का श्रीगणेश इन शब्दों से किया "मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परन्तु सब जगह शृंखलाओं में आबद्ध है।" उपरोक्त विचारों के कारण सन् १७८९ के क्रान्तिकारियों को सामग्री प्राप्त होगई।

सन् १७८९ की क्रान्ति की माँग थी—स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व। १८ जुलाई सन् १७८९ को अचानक जनता के एक बड़े समूह ने बेस्टिल नामक कारागार पर आक्रमण किया। इस क्रान्ति की तुलना हम १९१८ की रूस की क्रान्ति से कर सकते हैं। कुछ ही सप्ताह में पुराना शासन निर्मूल कर दिया गया। राजा रानी को पूर्वजों के दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ा। केवल मृत्यु-छुरा (Guillotine) ही उनका साथ दे सका—दोनों मृत्यु को प्राप्त हुये। रियासतों का अन्त कर दिया गया। गिर्जा घरों की समस्त सम्पत्ति ज़प्त कर ली गई। जंत्री और केलेन्डर में भी परिवर्तन किया गया। नागरिकों की स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। मृत्यु-छुरा (Guillotine) रात दिन अपना काम करने लगे। हज़ारों नर नारियों की बलि इस महायज्ञ में चढ़ाई गई।

क्रान्तिकारियों ने कई विधान रचे। सन् १७८९ के विधान ने नागरिकों के

अधिकारों की घोषणा की। सन् १७९१ के विधान ने मंत्री मंडल और धारा सभा का निर्माण किया। परन्तु मताधिकार केवल टैक्स देनेवालों को दिया गया। यह विधान सन् १७८९ की घोषणा के विरुद्ध था जिसने प्राणी मात्र में साम्यवाद घोषित किया था। रोबसपियर (Robespierre) और डान्टन (Danton) जैसे गर्म विचार वाले इससे सन्तुष्ट न हो सके। यह लोग पूर्ण प्रजातंत्र राज्य चाहते थे। सन् १७९३ में एक और नवीन विधान बनाया गया। देश के सामने जनता की अनुमति के लिये पेश किया गया। पास भी हो गया परन्तु कार्यान्वित न किया जा सका। राब्सपियर स्वयं कर्ता धर्ता या डिक्टेटर (Dictator) बन बैठा और शोणित की नदी बहाने लगा। परन्तु जब अत्याचार सीमा को उल्लंघन कर जाता है तब अत्याचारी का भी पतन स्वयं होने लगता है। सन् १७९५ में एक और नवीन विधान बना जिसको कि जनता ने स्वीकृत कर लिया। इस विधानानुसार दो सभाओं का चुनाव सम्पत्ति-दाताओं द्वारा होता था। शासन के लिये सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न पाँच आदमियों की डाइरेक्टरी बनाई गई। विद्वान पुरुष इसके सदस्य बनाये गये। उन्हीं को सारा शासन का काम सौंपा गया। सन् १७९९ में डाइरेक्टरी को हटा कर 'कान्सुलेट' (Consulate) की स्थापना की गई। नेपोलियन बोनापार्ट इसका अध्यक्ष बना। सारे शासन की बागडोर उसने अपने हाथ में लेली। नेपोलियन प्रजातंत्र का अनुयायी न था। सन् १८०० में धारा सभा के अधिकारों को कम कर दिया गया और कार्य कारिणी के अधिकार बढ़ाये गये। सन् १८०२ में नेपोलियन आजीवन के लिये कौन्सल बन बैठा और दो वर्ष पश्चात् उसने अपने को महाराजाधिराज घोषित किया। पन्द्रह वर्ष के अन्दर ही फ्रान्स ने राजतंत्र, गण तंत्र (Republic) और साम्राज्य सभी का स्वाद चखा। नेपोलियन का साम्राज्य १८०४ से १८१५ तक रहा। वाटरलू के युद्ध में हार जाने के बाद नेपोलियन का पतन हुआ। उसके साम्राज्य की भी अधोगति हुई। उसने पुनः धर्म की स्थापना की। वह कहता था कि धर्म शासन संचालन के लिये परमावश्यक है। नेपोलियन ने ला कोड्स (Law Codes) बनाये जो बहुत प्रसिद्ध हो गये। नेपोलियन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसका आदर उसकी राजनीति के लिये होता है न कि उसके युद्ध के कारण। उसका नाम अभी तक जीता जागता है। उसका नाम समय समय पर देश वासियों को चेतावनी देता है।

नेपोलियन के अध:पतन के बाद उसके साम्राज्य का भी पतन हो गया।

शासन पुनः बूरबन वंश (Bourbounes) के हाथों सौंपा गया। सोलहवें लुई का भाई अट्ठारहवाँ लुई राजा बनाया गया। विधान बनाया गया। विधान बनाने में इंगलेंड का अनुकरण किया गया। कुछ काल बाद राजा ने लापरवाही शुरू की। विधान का भी सम्मान नहीं किया। सन् १८३० के जुलाई मास में क्रान्ति हुई और उसी वर्ष आरलियन्स वंश (Orleans) का लुई फ़िलिप शासनारूढ़ हुआ। पार्लियामेन्ट और मंत्री मंडल ठीक तरह से शासन न कर सके। प्रजा को यह शासन पसन्द न था। वह पुनः प्रजातंत्र की प्रेरणा करने लगे। सन् १८४८ में पेरिस में पुनः क्रान्ति की लहर दौड़ गई। लुई फिलिप गद्दी से उतार दिया गया। सन् १८४८ में प्रतातंत्र की पुनः नींव डाली गई। इस विधान ने एक प्रतिनिधि सभा की आयोजना की, और चार वर्ष के लिये एक राष्ट्रपति बनाया जो कि यूरोप में फ्रांस का सम्मान बढ़ाये। द्वितीय नेपोलियन चार वर्ष के लिये राष्ट्रपति चुना गया। सन् १८५२ में उसने अपने आपको सम्राट घोषित किया। द्वितीय प्रजातंत्र विनष्ट होकर एकतंत्र राज्य शासन आरम्भ हुआ। वह नेपोलियन बोनापार्ट की भाँति शक्तिशाली और सम्मानशाली बनना चाहता था। देश ने भी उसको सम्राट स्वीकार कर लिया। वह अपने मंत्री स्वयं नियुक्त करता था जो कि सभा को उत्तरदायी न थे। वह नेपोलियन दी ग्रेट की भाँति निरंकुश शासन करने लगा। सन् १८७० में वह सीडन के युद्ध में प्रशा से हार गया। उसकी हार ने नेपोलियन के साम्राज्य का ही अन्त कर दिया। शत्रुओं ने पहले उसे बन्दी कर लिया बाद को उसको छोड़ दिया। नेपोलियन सन् १८७५ में इंगलेंड में मर गया। तृतीय प्रजातंत्र की घोषणा की गई। नये शासन विधान की आवश्यकता पड़ी। फ्रान्स को जर्मनों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करना परमावश्यक था। इस से तुरन्त एक स्थायी सरकार की स्थापना की गई। परन्तु जर्मन लोग फिर भी चढ़ आये और पेरिस को अपने अधिकार में लेलिया। जर्मनी से सन्धि की गई। इस सन्धि के अनुसार अलसेस लोरेन का प्रान्त जर्मनी को देना पड़ा और साथ में भारी हर्जाना भी और जबतक सारे हर्जाने की अदायगी न हुई जर्मन लोग फ्रान्स के कई भागों में अधिकार जमाये रहे। तीन वर्ष के अन्दर सारा हर्जाना चुका दिया गया और शत्रु के चंगुल से मुक्ति पाई। स्वतंत्रता की साँस ली।

इसके अनन्तर देश की शान्ति की श्रृंखला बद्ध रखने के लिये राष्ट्र सभा को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सभा में ७०० मेम्बर थे। इतनी बड़ी

सभा ऐसे महान् कार्य में कैसे सफल हो सकती थी। इसमें से अधिक संख्या एक तंत्री (Monarchists) दलवालों की थी परन्तु इसमें आपस में ही संगठन न था। इसमें से कुछ बूरबन वंश का शासन चाहते थे, कुछ आर्लियन्स वंश का और कुछ बोनापार्ट वंश का। सन् १८७१ में थेरिवेट लासे महाशय थियर्स (Thiers) राष्ट्रपति बनाये गये। यह महाशय सभा के मेम्बर भी बने रहे। सन् १८७३ में एक तंत्रियों ने प्रजातंत्रियों के बनाये हुये प्रस्तावों को रद् कर दिया। थियर्स ने अपने मतानुसार काम करने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु सभा ने इनकी एक न चलने दी। उनको अपना पदत्याग करना पड़ा। उसके बाद महाशय मेकमोहन (Mac Mohan) सात साल के लिये राष्ट्रपति बनाये गये। मेम्बरों से पृथक् पृथक् उनकी सम्मति ली गई। तदुपरान्त येन केन प्रकारेण उपर्युक्त सभा ने सन् १८७५ में तीन विधान बनाये। यह विधान या कानून ही फ्रान्स के वर्तमान विधान हैं।

इस देश का शासन-विधान अन्य देशों से भिन्न है। इंगलैंड से भिन्न इस कारण है कि इंगलैंड का विधान अलिखित है और फ्रान्स का "लिखत" है। अमरीका से भिन्न इस कारण है कि फ्रान्स के तीन विधान हैं और अमरीका का केवल एक है। फ्रान्स के विधानों ने नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध में, अदालत के संगठन, मंत्री मंडल की नियुक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं किया है। सन् १७९१ से १८७५ तक फ्रान्स ने सात विधान बनाये। पुराने विधान सुप्रतिष्ठित समझे जाते थे परन्तु वह अधिक दिन तक न रह सके।

विधान में संशोधन साधारण विधि से हो सकता है। वैधानिक नियम और साधारण नियमों में कुछ भेद नहीं है। किसी समय भी चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ और 'सेनेट' मिला कर विधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन होने से पहले दोनों सभायें यह निश्चय करती हैं कि वह दूसरे विभाग से मिल कर संशोधन करेंगी या नहीं। यदि दोनों विभाग एक साथ मिल कर विचार करने को सहमत हो जाते हैं तो वरसाई के राजभवन में इनकी एक संयुक्त सभा होती है। इस सभा को राष्ट्रीय सभा कहते हैं। प्रत्येक सेनेटर (सेनेट का सदस्य) और प्रत्येक डिपुटी (चेम्बर का सदस्य) का केवल एक वोट होता है। अन्तिम निर्णय बहुमत से किया जाता है। परन्तु प्रत्येक विभाग संयुक्त सभा में बैठने से इनकार कर सकता है। फलतः किसी भी संशोधन के लिये दोनों विभागों में बहुमत होना आवश्यक है और संयुक्त सभा में भी। यद्यपि संशोधन की इतनी सरल विधि है परन्तु इस समय

तक केवल दो संशोधन हुए हैं। प्रथम संशोधन सन् १८७९ में किया गया था। इस संशोधन द्वारा वरसाई की अपेक्षा पेरिस गवर्नमेन्ट की राजधानी नियुक्त हुई। सन् १८८४ के संशोधनानुसार सेनेट द्वारा निर्मित नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

फ्रान्स देश की राष्ट्रीय सभा ही सर्वोच्चतम क़ानूनी संस्था है। इसके अधिकारों की सीमा नहीं है। यद्यपि सेनेट चेम्बर से संख्या में कम हैं परन्तु संयुक्त सभा के लिये तबतक प्रस्तुत नहीं होती जब तक कि चेम्बर की ओर से यह वचन न मिल जाय कि संयुक्त सभा में कौन से प्रस्ताव उपस्थित होंगे। सभा के निर्णय में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई संस्था राष्ट्रीय सभा के बनाये हुए नियमों को अवैध (Unconstitutional) घोषित नहीं कर सकती। सभा के निर्णयों को राष्ट्रपति या नेता की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और न इस सभा द्वारा निर्मित नियम जनता के समक्ष रक्खे जाते हैं। सेनेटर और डिपुटियों के प्रभुत्व होने पर भी जनता का ही बोल बाला है।

२—नेता या राष्ट्रपति

The French President is a Phantom king without a crown

इंगलैण्ड के एक प्रसिद्ध विद्वान और भारतवर्ष के भूतपूर्व एक ला मेम्बर ने कटाक्ष पूर्ण शब्दों में फ्रान्सीसी नेता के सम्बन्ध में लिखा है "फ्रान्स के भूतपूर्व राजे हुकूमत करते थे और राज्य भी करते थे। आधुनिक काल के वैधानिक राजे (Constitutional kings) राज्य करते हैं परन्तु हुकूमत नहीं करते हैं। अमरीका का राष्ट्रपति हुकूमत करता है परन्तु राज्य नहीं करता है और फ्रान्स के प्रजातंत्र का राष्ट्रपति न हुकूमत ही करता है और न राज्य ही करता है।"

फ्रान्स के नेताओं पर समय समय पर अनेकों कटाक्ष हुए हैं। महाशय लेन्टेन ने तो इस पद को बिल्कुल व्यर्थ समझा इस कारण फ्रान्स सम्बन्धी पुस्तकों में नेता का कुछ हाल नहीं दिया है। इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं कि नेता वास्तव में देश का शासक है। वह देश के सबसे बड़े पद का अधिकारी बनता है। वह बूरबन और बोनापार्ट के सिंहासन पर सुप्रतिष्ठित होकर समस्त देश का शासन सञ्चालन करता है। फ्रान्स के सेना विभाग का अध्यक्ष बनता है। वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। इसके अधिकार लम्बे चौड़े न होने पर भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने इस पद को पाने की चेष्टा की है।

राष्ट्रीय सभा ही बहुमत से नेता का निर्वाचन करती है। समस्त जनता इसमें वोट नहीं देती। सन् १८४८ के नेता में निर्वाचन से विधायकों को जनता की अयोग्यता का पता चल गया था। अब जनता को मताधिकार देना उन्होंने मुनासिब न समझा। प्रेज़ीडेन्ट का शासन काल सात वर्ष के लिये नियमित है। और उसका पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। परन्तु इस समय तक केवल एक ही नेता (Grevy ग्रेवी) का पुनः निर्वाचन हुआ है।

प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन १८७५ के विधानानुसार होता है। जब किसी प्रेज़ीडेन्ट के कार्य काल समाप्त हो जाने में एक मास रह जाता है तब वह राष्ट्रीय सभा को आमंत्रित करता है। उसके ऐसा न करने पर दोनों सभायें स्वयं संयुक्त बैठक करती हैं और प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन कर लेती हैं। यह संयुक्त सभा प्रायः वारसाई नगर में होती है।

चुनाव में किसी प्रकार के व्याख्यान या तर्कवाद की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु सभी चालें चली जाती हैं। दल संगठन होता है। दल संघ अपने अपने उम्मेदवार चुन लेते हैं। अन्त में केवल दो ही दल रह जाते हैं। दलों की शक्तियों का पता सर्वसाधारण को पहिले से ही चल जाता है। उम्मेदवार कभी कभी बिल्कुल नया आदमी होता है। इन दल बंदियों के कारण उम्मेदवार शक्तिहीन और अयोग्य होते हैं।

निर्वाचन के दिन सेनेटर और डिप्टी पेरिस जाते हैं। सेनेट का सभापति सभा को शान्त रहने की प्रार्थना करता है। समस्त डिप्टी और सेनेटरों के नाम पुकारे जाते हैं। सब मिला कर संयुक्त सभा के ९०० सदस्य होते हैं। नाम पुकारते समय प्रत्येक मेम्बर अपनी पसन्द के उम्मेदवार का पत्र गोलक में डाल आता है। फ़्रान्स का प्रत्येक नागरिक इस पद के लिये उम्मेदवार बन सकता है यदि किसी कोर्ट ने उसके राजनैतिक अधिकार संदिग्ध नहीं किये हैं। राजवंश का व्यक्ति इस पद पर खड़ा नहीं हो सकता।

वोट गिनने वाले संयुक्त सभा के मेम्बरों में से लाटरी डाल कर चुने जाते हैं। अगर वोट गिनने के पश्चात् किसी उम्मेदवार के पक्ष में विशेष बहुमत (Absolute majority) होता है तो वह प्रेज़ीडेन्ट चुन लिया जाता है। यदि किसी उम्मेदवार की तरफ़ विशेष बहुमत नहीं होता है तो दोबारा वोटिंग होती है और जब तक किसी एक पक्ष में विशेष बहुमत न होवे तब तक वोटिंग होती

रहती है। बहुधा एक ही बार के वोटिंग से काम चल जाता है। इस समय तक केवल तीन बार पुनः वोटिंग हुई है। तिबारा वोट पड़ने की नौबत अभी तक नहीं आई। पुराने प्रेज़ीडेन्ट के कार्य काल समाप्त हो जाने पर नये प्रेज़ीडेन्ट को शासन कार्य सौंपा जाता है। अगर अकस्मात मृत्यु या स्तीफ़े के कारण जगह ख़ाली होती है तो तुरन्त नया निर्वाचन होता है और बिना विलम्ब किये हुये उसको पद सौंपा जाता है। एक नेता के पृथक होने पर उसके उत्तराधिकारी के आने पर्य्यन्त मंत्री मंडल ही सारा काम करता है।

निर्वाचन समाप्त हो जाने के बाद प्रेज़ीडेन्ट को तत्क्षण सौ तोपों की सलामी दी जाती है। अमरीका के प्रेज़ीडेन्ट को केवल २१ तोपों की सलामी मिलती है। फ़ान्स के नेता का देश भर में राजा की भाँति आदर सत्कार और सम्मान होता है। अपने शासन काल में सुविशाल ऐलायजी भवन (Elysee Palace) में निवास करता है। यहीं से देशभर का शासन करता है। इसके अतिरिक्त उसको अन्य सुविधायें मिलती हैं। उसको लगभग १२,००,००० फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता (१२,००,००० फ्रांक के लगभग ६६६६०० रुपये होते हैं) इसके अतिरिक्त १०,००,००० फ्रांक सफ़र और घर ख़र्च के लिये मिलते हैं।

तृतीय प्रजातंत्र के १८७० से १९३१ तक १३ प्रेज़ीडेन्ट हुए हैं यद्यपि उनके कार्य काल की अवधि सात वर्ष है। केसिमिर पेरियर और देशानल (Casimir Perier and Deschanal) ने कुछ ही काल शासन करने के बाद स्तीफ़ा दे दिया था। थियर्स, मेकमोहन, ग्रेवी, मिलरेंड नेताओं को इस्तीफ़ा देने के लिये वाध्य किया गया था। तीन प्रेज़ीडेन्टों का उनके शासन काल में ही भीषण हत्याकांड हुआ था—कार्नट, फौर और डुमूरिये (Carnot, Faure and Domouries)। केवल तीन प्रेज़ीडेन्ट अपनी अवधि समाप्त कर सके हैं लूबे, फ़ेलिये और पोयनकेयर (Loubet, Fallieres and Poincare)।

नेता के अधिकार प्रायः इगंलेंड के वैधानिक राजा की भाँति हैं। वह दोनों सभाओं को आमंत्रित करता है। वह सभा द्वारा निर्मित किसी नियम को स्थगित कर सकता है। परन्तु वह कभी इस अधिकार को प्रयोग में नहीं लाता है। बड़े अफ़सरों की वही नियुक्ति करता है, बाहर प्रान्तों से सन्धि की बात-चीत करता है, नियमों को कार्यान्वित करता है। वह जल और थल सेनाओं का सेनाध्यक्ष बनता है। उसको क्षमा प्रदान करने का पूर्ण अधिकार है। सेनेट के सहमत

होने पर चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को भी भंग कर सकता है। परन्तु गत आधी शताब्दी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उपरोक्त अधिकार प्रेज़ीडेन्ट को विधान ने दिये हैं। परन्तु वह इन अधिकारों का प्रयोग ज़िम्मेवार मंत्रियों की सलाह से कर सकता है। इसी एक शर्त के कारण प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार सीमित हो गये हैं। और वह स्वयं अपने मतानुसार किसी बात के करने में असमर्थ है। उसके समस्त कार्यों पर मंत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

नूतन वर्ष के आरम्भ में जनवरी के द्वितीय मंगलवार से पूर्व ही वह सदैव दोनों सभाओं को आमंत्रित करता है। यदि वह ऐसा न करे तो दोनों सभायें अपना अपना अधिवेशन स्वयं करती हैं। प्रेज़ीडेन्ट पाँच महीने तक उनके अधिवेशन का अन्त नहीं कर सकता है। अधिवेशन काल में वह सभा का अधिवेशन केवल एक महीने के लिये स्थगित कर सकता है। और साल में वह ऐसा केवल दो बार कर सकता है।

सन् १८७५ के विधानानुसार प्रेज़ीडेन्ट को नियम निर्माण करने का भी अधिकार प्राप्त है, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग वह केवल मंत्रियों द्वारा कर सकता है। वह किसी सभा में जाकर अपना मत प्रकट नहीं कर सकता है, यह काम भी मंत्री ही करते हैं। गत पचास वर्षों में किसी प्रेज़ीडेन्ट ने किसी प्रकार का कोई संदेश (Message) सभाओं के पास नहीं भेजा है। उन्होंने केवल निर्वाचन के लिये धन्यवाद प्रकट किया है या अपना त्याग पत्र भेजा है। संदेश भेजने से भी क्या लाभ उनपर भी मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये।

दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हुआ कोई नियम तत्क्षण क़ानून का स्वरूप धारण नहीं कर लेता है। प्रेज़ीडेन्ट की स्वीकृति और प्रकाशित होने के अनन्तर ही क़ानून का स्वरूप धारण करता है। यह काम प्रेज़ीडेन्ट को एक मास के अन्दर करना चाहिये और यदि नियम अत्यावश्यक होवे तो तीन दिन के भीतर ही उसको यह काम करना चाहिये। यदि कोई क़ानून प्रेज़ीडेन्ट को न पसन्द होवे तो वह उसको सभा के पास पुनः निर्णय के लिये भेजता है। यदि चेम्बर उसको पुनः पास करदे तो नेता को तुरन्त उस नियम को पास करना पड़ता है। सन् १८७५ से अब तक किसी प्रेज़ीडेन्ट ने कोई नियम सभा के पास पुनः निर्णय के लिये नहीं भेजा है।

उपरोक्त बातों से हमको ऐसा भास होता है कि प्रेज़ीडेन्ट नितान्त अधिकार शून्य है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह नियमों को कार्यान्वित करने के लिये

आर्डिनेन्स और डिक्री बनाता, विभागों को शिक्षा आदि भी देता है। कार्य कारिणी समिति नियम को यथेच्छ कार्य में परिणत कर सकती है। नेता का इस प्रकार नियमों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

प्रेज़ीडेन्ट सेनेट की अनुमति प्राप्त करके चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को भंग कर सकता है। परन्तु ऐसा केवल एक बार सन् १८७७ में हुआ था जब कि राष्ट्रपति मेकमोहन को फल स्वरूप इस्तीफ़ा देना पड़ा था।

ऊँचे पदाधिकारी नेता के नाम पर नियुक्त किये जाते हैं परन्तु वास्तव में इंगलेंड की भाँति मंत्री मंडल ही उनको नियुक्त करता है। नेता किसी अमुक व्यक्ति के लिये सिफ़ारिश कर सकता है परन्तु मंडल इस सिफ़ारिश से वाध्य नहीं है। प्रेज़ीडेन्ट को सूचना प्राय: नियुक्ति हो जाने पर मिलती है। प्रेज़ीडेन्ट कासिमिर पेरियर इस बात से बहुत रुष्ट होते थे। उनका कथन था कि नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्रों में पढ़ने के अनन्तर मुझसे उसकी स्वीकृति के लिये हस्ताक्षर कराये जाते हैं। छोटे छोटे पदों की नियुक्ति के लिये प्रेज़ीडेन्ट के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंत्री ही उनको नियुक्त करता है। नेता मंत्रियों के परामर्श से अफ़सरों को पदच्युत कर सकता है। देशान्तरों से पत्र व्यवहार नेता के नाम से होता है, परन्तु सारा काम विदेश मंत्री ही करता है। प्रेज़ीडेन्ट को केवल सब बातों की सूचना मिलती है। सन्धि पत्रों पर सभा की अनुमति होना आवश्यक है।

साधारण न्यायालयों का प्रेज़ीडेन्ट पर कोई अधिकार नहीं है। यह अदालतें प्रेज़ीडेन्ट पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चला सकतीं केवल चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ किसी उत्कट अपराध पर प्रेज़ीडेन्ट पर अभियोग चला सकती हैं और केवल सिनेट उसको सुन सकती है। सेनेट के बहुमत से प्रेज़ीडेन्ट दंडित किया जा सकता है। दंड पदच्युत के अतिरिक्त किसी प्रकार का आर्थिक या शारीरिक नहीं होता है। फ्रान्स में अभी तक किसी प्रेज़ीडेन्ट पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया गया है।

समय समय पर नेता को अपने अधिकार काम में लाने का अवसर प्राप्त होता है। फ्रान्स में अनेकों दल हैं। किसी दल का सभा में बहुमत नहीं होता है। ऐसे समय में प्रेज़ीडेन्ट प्रधान मंत्री के चुनने में स्वतंत्र हो जाता है। परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। वह प्रधान मंत्री की नियुक्ति के समय दोनों सभाओं के सभापतियों से परामर्श लेता है।

फ्रान्स के बहुत से लोग नेता की इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं। वह अधिकार-हीन है। इस कारण उसका सम्मान जाता रहता है। बहुत से लोग तो यह चाहते हैं कि प्रेज़ीडेन्ट का पद ही उड़ा दिया जाय क्योंकि व्यर्थ इतने रुपयों का व्यय होता है। इस सम्बन्ध में एक बार राष्ट्रीय सभा में प्रस्ताव भी पेश किया गया था परन्तु विवाद की आज्ञा न दी जा सकी। कुछ लोग यह चाहते हैं कि उसके अधिकारों की वृद्धि होनी चाहिए। फ्रान्स के प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार बढ़ाने से पार्लियामेन्ट के अधिकार कम हो जायेंगे। पार्लियामेन्ट कभी अपने अधिकार कम करना न चाहेगी। "न होगा नौ मन तेल न राधा नाचेगी।"

३—मंत्री मंडल

"वर्ष में आठ महीने फ्रांस का शासन पार्लियामेन्ट करती है और चार महीने मंत्री मंडल।"

नेपोलियन के पतन के पश्चात् फ्रेंच लोग यह समझने लगे कि इंगलिश शासन की सफलता का कारण यह है कि मंत्रीगण पार्लियामेन्ट के प्रति ज़िम्मेवार हैं। इसी का अनुकरण उन्होंने अपने विधान में किया है। सन् १८७५ के विधानानुसार प्रत्येक कृत्य पर ज़िम्मेवार मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये और सारा मंत्री मंडल साधारण नीति (General Policy) के लिये ज़िम्मेवार है।

प्रेज़ीडेन्ट मन्त्रियों को नियुक्त अवश्य करता है परन्तु उनको चुनता नहीं है। प्रेज़ीडेन्ट प्रधान मंत्री पद के लिये ऐसे व्यक्ति को बुलाता है जिसका कि सभा में बहुमत होता है। इस व्यक्ति से प्रेज़ीडेन्ट मंत्री मंडल बनाने को कहता है। प्रधान के इससे सहमत होने पर वह चुनने का काम आरम्भ करता है और अगर वह सहमत न होवे तो अन्य व्यक्ति बुलाया जाता है। एक दफ़ा तीन आदमियों ने लगातार मंत्री मंडल बनाने से इन्कार कर दिया। परन्तु बहुधा प्रेज़ीडेन्ट पहली ही बार सफ़ल हो जाता है। भावी प्रधान मंत्री भिन्न भिन्न दल के नेताओं से परामर्श करता है। उनको अपने मंत्री मंडल का सदस्य बनाने का वचन देता है। और इस प्रकार सभा में बहुमत पाने का प्रयत्न करता है। उसको केबिनेट निर्माण करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। यदि वह असफल होता है तो वह प्रेज़ीडेन्ट से किसी अन्य व्यक्ति को पद सौंपने को कहता है। प्रेज़ीडेन्ट का मंत्रियों के चुनाव में कुछ अधिकार नहीं है। वह मंत्री मंडल में से किसी को भी अलग नहीं कर सकता। मंत्री

मंडल बनाने के पश्चात् प्रधान मंत्री सभा से विश्वास प्रकट करने को कहता है। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद मंत्री मंडल अपना कार्य आरम्भ करता है।

यह आवश्यक नहीं है कि समस्त मंत्रीगण पार्लियामेन्ट के मेम्बर हों। बाहर के आदमी भी मंत्री पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में विधान ने कुछ नहीं कहा है। परन्तु उप मंत्री बहुधा सभा के मेम्बर होते हैं। प्रधान मंत्री की सलाह से नेता यह निश्चय करता है कि मंडल में कितने सदस्य मेम्बर होंगे। चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ मंत्री मंडल के सदस्यों की संख्या घटा बढ़ा सकती है क्योंकि चेम्बर ही उनके वेतन का बिल पास करती है। सब सदस्यों को समान वेतन मिलता है, इंगलेंड की भाँति कम और अधिक नहीं मिलता है। सबों को प्रधान सहित ६०,००० फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता है। सब सदस्यों को राज्य की ओर से निवास स्थान भी मिलता है।

महायुद्ध से पहले मंत्री मंडल के बारह सदस्य थे। सन् १९२४ से निम्न-लिखित चौदह पद हैं। (१) न्याय, (२) विदेश कार्य, (३) आन्तरिक दशा, (४) अर्थ, (५) युद्ध, (६) जल सेना, (७) शिक्षा, (८) डाकख़ाना और तार इत्यादि, (९) व्यवसाय और व्यापार, (१०) कृषि, (११) उपनिवेश, (१२) श्रम और स्वास्थ्य, (१३) पेन्शन और (१४) मुक्त देश। प्रधान अपने लिये इनमें में एक विभाग चुनता है। यदि वह न्याय विभाग नहीं चुनता है तो न्याय मंत्री का पद दूसरी श्रेणी का समझा जाता है। न्याय मंत्री कौंसिल का वाइस प्रेज़ीडेन्ट बनता है और 'राज्य परिषद' (Council of State) का प्रेज़ीडेन्ट होता है।

मंडल के सदस्य केबिनेट और चेम्बर की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। आवश्यकतानुसार समय पड़ने पर सेनेट में भी जाते हैं। जो मंत्री किसी सभा के प्रतिनिधि नहीं हैं सभाओं में जाकर व्याख्यान दे सकते हैं। मंत्रियों पर काम का बड़ा भारी बोझ आ पड़ता है। उनकी सहायता के लिये सहयोगी कर्मचारी होते हैं। यह सहकारी मंत्री मंडल के मेम्बर नहीं होते हैं परन्तु इसकी बैठकों में सदैव उप-स्थित रहते हैं ताकि वह आवश्यकतानुसार विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दे सकें। परन्तु इंगलेंड और अमरीका में सहयोगी (Under Secretaries) कभी मंत्री मंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। फ्रान्स में सहयोगी सभा के प्रश्नों का भी यथेष्ट उत्तर देते हैं। यदि प्रश्नों का सन्तोष जनक उत्तर न देवें तो सभा उनको

पद-च्युत कर सकती है। मंत्री मंडल के हटाये जाने पर सहयोगी भी हटा दिये जाते हैं परन्तु अन्य पदाधिकारी नहीं हटाये जाते हैं।

मंत्री मंडल की सप्ताह में दो बैठकें होती हैं। राष्ट्रपति प्रेज़ीडेन्ट ही इन बैठकों का सभापति बनता है। परन्तु केबिनेट कौन्सिल की मीटिंगों में प्रधान मंत्री-ही सभापति बनता है और उसकी अनुपस्थिति में न्याय मंत्री। मंत्री मंडल अपनी नीति निश्चय करता है। इन बैठकों की कार्यवाही कहीं अंकित नहीं की जाती है, और बाहर वालों को इसकी कार्यवाही का कुछ पता नहीं चलता है।

प्रधान-मंत्री मंत्री-मंडल के सदस्यों पर किसी प्रकार का आतंक नहीं जमा सकता है। यदि वह ऐसा करे तो सदस्य उससे असन्तुष्ट होकर अपना पद त्याग देते हैं और अपने दलवालों को उसके विरुद्ध भड़का देते हैं। इससे प्रधान को अपना पद खोने का भय सदैव रहता है।

फ्रान्स में मन्त्री मंडल दोनों सभाओं को उत्तरदायी है। वह दोनों सभाओं का उत्तर देते हैं। परन्तु सेनेट के अविश्वास प्रकट होने पर पद-त्याग करना आवश्यक नहीं है। परन्तु सेनेट के अविश्वास प्रकट होने पर तीन मन्त्री मंडलों ने अवश्य अपना पद-त्याग किया है। १८९६ के बूरजियाज़ (Bourgeoise) मंडल ने, सन् १९१३ में ब्रांड मंडल (Briand) ने, सन् १९२५ के हेरियट मंडल ने। सेनेट का और चेम्बर का निर्वाचन भिन्न भिन्न समय पर होता है। सेनेट संकीर्ण हृदय होता है और चेम्बर गरम दिल। ऐसी परिस्थिति में मंत्री मंडल दोनों सभाओं को कदापि उत्तरदायी नहीं हो सकता। इस कारण मंत्री मंडल आमतौर से केवल चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को ही उत्तरदायी है। मंत्री मंडल के हटाये जाने पर बिल्कुल नया मंडल नहीं बनता है, प्रायः केवल इधर उधर की काट छाँट होती है। कुछ अयोग्य मंत्रियों के बजाय नये मंत्री रक्खे जाते हैं। गत पचास वर्षों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि नितान्त नया मंडल बना हो, वरन् केवल संशोधन ही हुआ है। प्रायः प्रधान मंत्री भी वही चुना जाता है जो कि पुराने मंडल में था। इंगलैंड में मन्त्री मंडल का परिवर्तन केवल निर्वाचन के पश्चात् होता है, परन्तु फ्रान्स में तो चेम्बर ही सब कुछ करती धरती है। वही परिवर्तन करती है और नये मंडल का निर्माण करती है। फ्रांस में केवल दो बार जनता ने विरुद्ध मत प्रकट किया है।

फ्रांस का राज्य परिषद (कौन्सिल आफ़ स्टेट Council of State) शासन की एक उच्चतम संस्था है। शासन विभाग के सारे नियम लागू होने के लिए

इस कौंसिल के पास आते हैं जिससे कि नियम नियमित सीमा का उल्लंघन न कर सकें। कभी कभी तो कौन्सिल आर्डिनेन्स का स्वरूप ही बदल देती है। प्रेज़ीडेन्ट को विवश होकर अनुमति प्रदान करनी पड़ती है। इस प्रकार यह परिषद् नागरिकों की सभा के निरंकुश व्यवहारों से रक्षा करती है। कौन्सिल के ३५ सदस्य होते हैं जिनको कि प्रेज़ीडेन्ट नियुक्त करता है। इन सदस्यों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न विभागों के २१ प्रतिनिधि होते हैं जोकि केवल सलाह देते हैं। यह प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शासन संस्था है। यह परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की सार्वजनिक सभा है। समय पड़ने पर आवश्यकतानुसार शासन सरकार इससे परामर्श लेती है। यह सभा सचमुच ही ज्ञान और अनुभव का भंडार है।

४—सेनेट

"विधायक सेनेट को ब्रेक का रूप देना चाहते थे जिससे कि साधारण सभा के नवयुवक अनुचित व्यवहार न कर सकें।"

—वार्थेलिमी

सन् १७८९ की क्रान्ति से पूर्व फ्रान्स में कोई पार्लियामेन्ट न थी। उसके बाद फ्रांस में अनेकों विधान निर्माण किये गये। कुछ में केवल एक सभा थी और कुछ के अनुसार दो सभायें। सन् १८७५ के विधान ने दो सभायें निर्माण कीं। सेनेट का निर्माण दक्कियानूसियों को सन्तुष्ट करने के लिये किया गया था। सभा में उन्हीं का बहुमत था। परन्तु राष्ट्रीय सभा की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सेनेट की नियुक्ति किस प्रकार हो। वह इसको सरदार सभा (House of Peers) नहीं बनाना चाहते थे। फ्रान्स देश में छोटे राज्य न थे। इस कारण उनके प्रतिनिधि भी न आ सकते थे। अन्त में यह निश्चय हुआ कि राष्ट्रीय सभा ७५ आदमियों को जीवन भर के लिए इसका मेम्बर नियुक्त करे और २२५ का नौ वर्ष के लिये निर्वाचन विभागों (Electoral Colleges) द्वारा निर्वाचन होवे। इस विधि से जनता सन्तुष्ट न हुई। सन् १८८४ में यह तय हुआ कि जो मेम्बर अब मरेंगे उनकी जगह निर्वाचन द्वारा पूरी की जायगी।

आज कल सेनेट में ३१४ निर्वाचित मेम्बर हैं। पर सेनेटर फ्रान्स के ८९ विभागों और उपनिवेशों के प्रतिनिधि हैं। ⅓ सेनेटर हर तीसरे साल पदत्याग करते हैं। इनका चुनाव निर्वाचन विभागों द्वारा होता है जिनकी बैठक हर तीसरे साल

होती है। इस संख्या में निम्न लिखित चार प्रकार के सदस्य होते हैं। (१) चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ के सदस्य जो उस प्रान्त के प्रतिनिधि होते हैं, (२) प्रान्तीय साधारण सभा के मेम्बर, (३) प्रान्तीय अन्य कौन्सिलों के मेम्बर और (४) प्रान्त के अन्तर्गत कम्यूनों (Communes नगर, क़स्बा और गाँव) की म्युनिसिपल कौन्सिल द्वारा चुने हुए तमाम प्रतिनिधि। फ्रान्स में ३६००० कम्यून हैं। अतएव उनकी संख्या कालेज में अत्यन्त अधिक होती है और वह चुनाव को सदैव अपने अधिकार में रख सकते हैं। इसीलिए सेनेट को कभी कभी "कम्यून की बड़ी कौन्सिल कहते हैं।"

सन् १८८४ से पहले प्रत्येक कम्यून केवल एक डेलीगेट भेज सकता था। परन्तु सन् १८८४ के वाद प्रत्येक कम्यून अपनी म्युनिसिपल कौन्सिल के साइज़ के अनुसार १ से ३० मेम्बर तक भेज सकता है। जब एक प्रतिनिधि को आवश्यकता होती है तो बहुधा मेयर ही चुन लिया जाता है। प्रत्येक प्रान्त के प्रधान नगर में कालिज की बैठक होती है। जो व्यक्ति ४० वर्ष के होते हैं सेनेटर चुने जा सकते हैं। सेनेट के मेम्बर अधिकतर वकील, पत्र-लेखक, और पूंजीपति होते हैं।

सेनेट उतनी दक़ियानूसी संस्था नहीं है जितनी कि इसके निर्माणकर्ता इसको बनाना चाहते थे, परन्तु इसके सदस्य डिपुटीज़ से अधिक अनुभवी होते हैं। अवस्था और अनुभव ही मेम्बरों के निर्वाचन में सहायता करते हैं। इसके सदस्यों की अवस्था लगभग ६२ वर्ष की होती है। ६० वर्ष से कम उम्र वाले बहुत कम इसके मेम्बर होते हैं। प्रेज़ीडेन्ट लावेल और लार्ड ब्राइस का कथन है कि आधुनिक काल की किसी अन्य धारा सभा में इतने योग्य और अनुभवी पुरुष नहीं हैं। परन्तु अधिकांश जनता इससे सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि अधिकतर सेनेटर छोटे छोटे नगरों के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ महापुरुष सेनेट की नौ वर्ष की अवधि बहुत अधिक बताते हैं। पिछले चालीस वर्षों में इसके सुधार के अनेकों प्रयत्न किये गये परन्तु परिणाम कुछ भी न हुआ। सिनेट का सुधार उसकी अनुमति प्राप्त किये विना कभी नहीं हो सकता। सेनेट और चेम्बर का अधिवेशन साथ ही प्रारम्भ होता है और साथ ही समाप्त होता है। परन्तु इनका अधिवेशन इंगलेंड और अमरीका की भाँति एक ही भवन में नहीं होता है। सेनेट का अधिवेशन लक्समबर्ग भवन में होता है। सेनेट स्वयं अपना सभापति चुनती है। इसका दर्जा राज्य में दूसरा होता है। सेनेटरों को

वेतन मिलता है, उनको व्याख्यान देने की पूर्ण स्वतंत्रता है और गिरफ़्तार नहीं किये जा सकते।

विधानानुसार सेनेट और चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ के अधिकार समान हैं। सेनेट के दो विशेष अधिकार होने पर भी उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है—सेनेट ही प्रेज़ीडेन्ट पर लगाये हुए दोषारोपणों को सुनती है और आवश्यकता पड़ने पर चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को भंग करने में प्रेज़ीडेन्ट का साथ देती है। सेनेट के इन अधिकारों का महत्त्व इस कारण नहीं है कि नेता कोई काम भी मंत्री के हस्ताक्षरों के बिना नहीं कर सकता। गत पचास वर्षों में चेम्बर केवल एक बार भंग की गई है।

आर्थिक बिलों का श्रीगणेश चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में ही होता है। सेनेट केवल इन बिलों में संशोधन करता है। यदि यह संशोधन चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को पसन्द न आये तो सेनेट को हार माननी पड़ती है। नये टेक्सों का सेनेट सदैव विरोध करता है। अमरीका में तो अर्थ सम्बन्धी अधिकांश अधिकार सेनेट को ही प्राप्त हैं।

परन्तु आर्थिक बिलों के अतिरिक्त अन्य विषयों में सेनेट को पर्याप्त अधिकार हैं। इन बिलों का श्रीगणेश सेनेट में भी हो सकता है परन्तु इनका उद्घाटन बहुधा चेम्बर में होता है। दोनों सभाओं में बहुमत न होने से बिल निर्णयात्मक कमेटी को नहीं भेजा जाता है। सेनेट सदैव साम्यवाद नीति का विरोध करती रही है।

५—चेम्बर आफ़ डिपुटीज़

"एक बड़ा जनसमूह सदैव बेक़ाबू होता है, यही हाल फ्रान्स के चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ का भी है जिसमें कि मेम्बरों की संख्या बहुत अधिक है।"—

—प्रेज़ीडेन्ट लावेल

सन् १८७५ के विधान ने चेम्बर के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है, न यह कहा गया है कि इसका कितना साइज़ होगा, कितना शासन काल होगा, और चेम्बर अपने कार्य क्रम किस प्रकार करेगी। आज कल चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में ५८४ सदस्य हैं। इन सदस्यों की अवधि चार वर्ष की होती है। फ्रान्स का प्रत्येक नागरिक जिसकी अवस्था २१ वर्ष की है वोट दे सकता है। सैनिक या सामुद्रिक

विभाग के कर्मचारी या जिनके अधिकार छीन लिये गये हैं मत नहीं दे सकते हैं। स्त्री जाति को वोट देने का अधिकार नहीं है। सन् १९१९ में उनको मताधिकार देने का प्रयत्न किया गया था। चेम्बर ने इस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दिया था परन्तु सेनेट ने इसको नामंजूर कर दिया। मताधिकार देने के नियम बहुत ही सरल हैं। किसी आदमी के दो वोट नहीं हैं, न वह अपनी अनुपस्थिति में मतपत्र भेज सकता है और न आवश्यक वोटिंग (Compulsory voting) ही है।

सन् १८७५ से अब तक फ्रान्स ने तीन प्रकार की निर्वाचन-विधियों का प्रयोग किया है। प्रथम दस वर्षों में निर्वाचन एक केन्द्र एक प्रतिनिधि की रीति से होता था जिसको कि फ्रेंच लोग स्क्रूतें दारोंदिसमाँ (Scrutin D'arrondissement) कहते हैं। इस प्रथा से जनता सन्तुष्ट न हुई क्योंकि सदस्य केवल अपने केन्द्र के लाभ की ही सोचते थे। महाशय गेम्बेटा ने कहा है कि इस प्रकार चेम्बर एक टूटे हुए दर्पण की भाँति था जिसमें कि फ्रान्स अपनी आकृति को नहीं पहचान सकता। सन् १८८५ में सूची प्रथा की स्थापना की गई। इस प्रथा के अनुसार सारे विभाग की लिस्ट होती थी। वोटर इन्हीं में से अपने प्रतिनिधि चुनते थे। इससे भी सन्तोष न हुआ इस कारण सन् १८८९ में पुरानी प्रथा (एक केन्द्र एक प्रतिनिधि) का परिचालन किया गया।

सन् १९१९ में अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) का प्रस्ताव पास हुआ। परन्तु इस विधि में अनेकों त्रुटियाँ हैं। सेनेट केवल पुरानी सूची प्रथा चाहती थी। फ्रान्स का प्रत्येक प्रान्त ७५,००० मनुष्यों के पीछे एक डिप्टी चुनता है। प्रत्येक प्रान्त कम से कम तीन डिप्टी चुनता है चाहे उसकी आबादी कितनी ही कम हो। यदि किसी प्रान्त में छः से अधिक डिप्टी चुने जाने वाले हों तो वह प्रान्त दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। २५ वर्ष की उम्र का हर एक पुरुष जिसे मत देने का अधिकार है खड़ा हो सकता है। उम्मेदवार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह उस प्रान्त का ही वोटर हो। सरकारी पदाधिकारी भी खड़े हो सकते हैं, परन्तु निर्वाचन के आठ दिन बाद उनको पदत्याग करना पड़ता है। परन्तु कुछ कर्मचारी खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे कि न्यायाधीश इत्यादि।

नियोजन विधि (Nomination) बहुत ही सरल है। प्रत्येक दल को निर्वाचन से पाँच दिन पहले अपना नामिनेशन पत्र भेजना चाहिये। उम्मेदवार

स्वतंत्र भी खड़े हो सकते हैं। उनको १०० वोटरों के हस्ताक्षर प्राप्त करके तब अपना नियोजन पत्र भेजना चाहिये । वोटर दल की सूची के लिये भी वोट कर सकते हैं। और किसी उम्मेदवार के लिये भी। परन्तु निर्वाचन अधिकतर दलों के अनुसार होता है, इसलिए कभी कभी तमाम उम्मेदवार एक ही दल के हो जाते हैं। परन्तु इसके माने यह नहीं है कि स्वतंत्र उम्मेदवार कामयाब नहीं हो सकते हैं।

सभा के कार्य-काल समाप्त हो जाने के साठ दिन के भीतर ही निर्वाचन होना चाहिये। यह सदैव रविवार के दिन होता है, वोट देने की जगह प्रान्त निश्चित करते हैं। प्रत्येक वोटर को डाक द्वारा वोटिंग पत्र भेजा जाता है। सन् १९१९ में पहले प्रत्येक दल भिन्न भिन्न रंगों की अपनी अपनी तालिकायें तैयार करता था। यह पत्र वोटरों को दिये जाते थे जोकि इनको गोलक में डाल आते थे। तब उसको पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग पत्र मिलता है जिसकी पूर्ति करके वह लिफ़ाफ़े में रखकर मोहर लगा देता है। तदुपरान्त वह उसको गोलक में डालता है। अधिकतर चुनाव सुबह के आठ बजे से शाम के छः बजे तक होते हैं। जिस उम्मेदवार को या जिस तालिका को विशेष बहुमत मिल जाता है वह चुन लिया जाता है। यदि आधे से अधिक वोटरों की संख्या वोट नहीं करती है तो पुनः निर्वाचन होता है। यदि किसी दल को भी वोटों की नियमित संख्या प्राप्त नहीं होती है तब भी पुनः वोटिंग होता है। यदि किसी केन्द्र में किसी प्रकार का निर्वाचन में झगड़ा होता है तो चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ ही उसका निपटारा करती है। यदि चेम्बर शिकायतों को ठीक समझे तो पुनः निर्वाचन की आज्ञा दे सकती है। फ्रान्स में इंगलैंड और अमरीका की भाँति निर्वाचन सम्बंधी व्यय की संख्या सीमित नहीं है। परन्तु जनता इस प्रकार व्यय से न तो प्रभावान्वित ही होती है और न ऐसे व्यय को पसन्द ही करती है।

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ की साल में दो बैठकें होती हैं। प्रथम बैठक इसकी जनवरी मास से जुलाई मास तक होती है और दूसरी नवम्बर मास से जनवरी मास तक। फलतः तीन महीनों के अतिरिक्त साल भर बराबर सभा की बैठक होती है। दैनिक बैठकें इसकी मध्याह्न के १२ बजे से शाम के छः बजे तक होती हैं। सन् १८७५ के विधानानुसार सभा की बैठक वर्ष में दस मास रहनी चाहिये। परन्तु काम इतना भारी रहता है कि कभी भी सभा को सांस लेने के लिये दम नहीं मिलता है।

प्रेज़ीडेन्ट सेनेट की अनुमति से इसको भंग भी कर सकता है और स्थगित भी। मेम्बरों को २७,००० फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता है। अमरीका में मेम्बरों का वेतन इससे द्विगुण होता है। पेरिस ऐसे नगर में इतने कम वेतन से जीविका नहीं चल सकती। चेम्बर के अधिकार प्रत्यक्ष ही हैं। समस्त नियमों के लिये इसे सम्मति देनी पड़ती है। सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश यहीं होता है। प्रत्येक वर्ष बजट पास करती है।

६—नियम निर्माण विधि

"नियम-निर्माण कर्ता ही नियम को भली भाँति कार्यान्वित कर सकते हैं। इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के अधिकार एक ही संस्था को सौंपने चाहिये"—रूसो

व्यवस्थापिका सभाओं के तीन मुख्य कर्तव्य हैं (१) नियम निर्माण करना, (२) आय व्यय-अनुमानपत्र (Budget) पर स्वीकृति देना और (३) शासन प्रबन्ध की देख भाल करना।

फ्रान्स की दोनों सभाओं के सभापति दल विशेष के आदमी होते हैं। काम में सहायता देने के लिये कुछ सहकारी भी चुने जाते हैं। इन सभापतियों का पद इंगलेंड की पार्लियामेन्ट के सभापतियों की तरह नहीं होता है। सभापति नियुक्त हो जाने पर भी दल के कामों में भाग लेता रहता है और सदैव दल की मनो-कामना चाहता है। कुछ वर्षों से सभापति अपना आसन छोड़कर सभा को व्याख्यान देने लगे हैं। समान मत होने पर भी वह अपना वोट नहीं देता। अन्य सब अधिकार उसके स्पीकर जैसे हैं।

दोनों सभाओं में समितियाँ या कमीशन होते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में कमीशन के मेम्बर लाटरी द्वारा चुने जाते थे। परन्तु जब कोई विषय आवश्यक होता था तो उसके लिये विशेष रूप से कमीशन बनाया जाता था। सारा काम इस प्रकार कमीशनों द्वारा होने लगा।

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में २० कमीशन होते हैं। प्रत्येक कमीशन में ४४ मेम्बर होते हैं। इन कमीशनों की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष होती है। इन कमेटियों की नियुक्ति दल संख्या के आधार पर होती है। दल स्वयं मेम्बरों को नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार सेनेट में भी १२ कमीशन हैं। प्रत्येक कमीशन का कार्य-

क्षेत्र भिन्न भिन्न है। समस्त प्रस्ताव कमीशनों के पास रिपोर्ट के लिये आते हैं। कमीशनों की बैठक बुधवार और शनिवार को होती है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी बैठकें अन्य दिन भी हो सकती हैं। इन कमीशनों की बैठकें गुप्त होती हैं परन्तु बिल पेश करनेवाला इन कमीशनों की बैठकों में आ सकता है। प्रत्येक कमीशन को अपनी कार्यवाही का पूरा रेकार्ड रखना पड़ता है जो कि चेम्बर में सुरक्षित रहता है।

बिलों का श्री गणेश दोनों सभाओं में हो सकता है, परन्तु बहुधा चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में होता है। जब कोई मेम्बर बिल पेश करना चाहता है तो वह उस विभाग से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री से परामर्श करता है। मंत्री चाहे तो इस बिल को मंडल के सामने रख सकता है। मंडल यदि पसंद करले तो बिल सरकारी समझा जाता है, इस कारण मेम्बर मंडल को अपने पक्ष में लाने का भरसक प्रयत्न करता है। यदि मेम्बर मंडल की सहायता पाने में असफल रहता है तो वह उस बिल को स्वयं पार्लियामेन्ट के सामने पेश करता है। ऐसे बिलों के पास होने की बहुत कम सम्भावना रहती है। बिल पेश होते ही कमीशन के पास ज्यों का त्यों भेज दिया जाता है। कमीशन तुरन्त एक रिपोर्टर नियुक्त करता है जो कि कमीशन की रिपोर्ट का सभा में समर्थन करता है। यह रिपोर्टर ही उसको पास कराने का प्रयत्न करता है। चेम्बर में बहस के समय अधिकतर नान-मेम्बर ही भाग लेते हैं, परन्तु इंगलैंड और अमरीका में केवल मेम्बर ही बहस में भाग ले सकते हैं। मेम्बरों की अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उनकी लिखित स्पीच को सभा में पढ़ सकता है। हाउस आफ़ कामन्स में मेम्बर ऐसा नहीं कर सकते। वोट देते समय मेम्बर हाथ उठाते हैं या एक गोलक बारी बारी मेम्बरों के पास भेजी जाती है। मेम्बर लोग अपनी मति का कार्ड इस गोलक में डालते हैं। अनुपस्थित मेम्बर अपने किसी साथी को उसके लिये वोट डालने का आदेश करते हैं। यदि सभा के पचास सदस्य इस वोटिंग से सन्तुष्ट न होवें तो वह नम्बरवार वोटिंग के लिये प्रार्थना कर सकते हैं। तदुपरान्त सब मेम्बर एक एक करके सभापति के पास आकर सफ़ेद या नीला कार्ड (अपनी 'हाँ' या 'न' का) गोलक में डालते हैं। इस समय अनुपस्थित मेम्बरों की वोट नहीं ली जा सकती। बिल चेम्बर में पास होने के बाद सेनेट में जाते हैं। सेनेट से पास हो जाने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास आता है जो कि नियम को कार्यान्वित करता है।

फ्रान्स में प्रत्येक वर्ष आयव्यय अनुमान पत्र (Budget) को तय्यार करने का सारा भार अर्थ मन्त्री के सुपुर्द होता है। बजट तय्यार होने के बाद सारा मंत्री मंडल इस पर निर्णय करता है। फ्रान्स में साधारण और असाधारण व्यय की सूची होती है। साधारण व्यय में शासन सम्बन्धी व्यय की सूची होती है। असाधारण व्यय के लिये रुपया कर्ज़ लिया जाता है। महायुद्ध के बाद मंत्री मंडल सदैव असाधारण व्यय की सूची यह समझ कर बना रहा है कि इन व्ययों का 'पेमेन्ट' जर्मन प्रत्यागमन आदमनी (Reparation Debt लड़ाई का हर्जाना) से हो जायगा तदुपरान्त यह बजट चेम्बर के सामने रक्खा जाता है। चेम्बर बजट को बजट-कमेटी को भेजती है। कमीशन को बजट में संशोधन करने के सारे अधिकार हैं, परन्तु मंत्री मंडल का कभी घोर विरोध नहीं करता है। कमीशन की रिपोर्ट सभा के पास आती है। रिपोर्टर ही बजट को पास कराने का प्रयत्न करता है। चेम्बर भी बजट में संशोधन कर सकती है, आयव्यय को घटा बढ़ा सकती है। सेनेट भी बजट में संशोधन कर सकता है पर चेम्बर के सामने सेनेट को सदैव झुकना पड़ता है। तदुपरान्त बजट प्रेज़ीडेन्ट के पास कार्यान्वित करने के लिये भेजा जाता है।

सभा मंत्रियों को अपने प्रभुत्व में रख सकती है। इसकी एक विधि है मेम्बरों से प्रश्न करना और उनके उत्तर माँगना। कोई मेम्बर लिख कर या ज़बानी सवाल पूछ सकता है। मंत्रियों को उत्तर देना आवश्यक है या उत्तर न देने का कारण बताना पड़ता है। सदस्य प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं परन्तु इस पर विवाद नहीं हो सकता। अधिवेशन काल में सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर माँगे जाते हैं। प्रश्नों के ऊपर बहस होती है जिसमें सारे मेम्बर भाग ले सकते हैं। प्रश्नों के अन्त में वोट ली जाती है। तत्पश्चात यदि मामूली काम करने का प्रस्ताव पेश न हो जावे तो मंत्री मंडल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इस प्रश्नोत्तर के अभिप्राय दो प्रकार के हैं—मंत्री मंडल की नीति की आलोचना करना या उनके विरुद्ध मत प्रकट करना। इस प्रकार नौकरशाही (Bureaucracy) की स्थापना कभी नहीं हो सकती। अब तक फ्रान्स में जितने मंत्री मंडलों ने इस्तीफ़े दिये हैं उनमें से अधिकतर इन प्रश्नों के फलस्वरूप ही इस्तीफ़े देने पड़े हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस नीति की बड़े कटु शब्दों में आलोचना की है। मंत्री मंडल के इतने शक्तिहीन होने का एक कारण यह भी है कि दलों का संगठन ठीक प्रकार नहीं है।

७—अदालतें

"अदालतें ही सदैव नागरिकों की शुभचिन्तक होना चाहती हैं उनकी बनावट ही हमको शासन प्रबन्ध की अच्छाई का परिचय देती है।"—लार्ड ब्राइस।

रोम साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरप में 'फ्यूडेलीज़्म' (Feudalism) की स्थापना हुई। इस प्रथा का आधार पृथ्वी आधिपत्य (Land lordism) के उपर निर्भर था। इस प्रथा का प्रभुत्व विशेष कर फ्रान्स में था। पृथ्वीपति ही न्यायाधीश का काम करते थे। फ्यूडेलिज़्म प्रथा के कारण सारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ था। राष्ट्रीयता का इस प्रकार अन्त होता था। सन् १७८९ की क्रान्ति से पहिले सारा शासन और न्याय राजा की इच्छानुसार होता था। समय समय पर वह विज्ञप्ति प्रकाशित करता था। फ्रान्स में समान नियम न थे। परन्तु सन् १७८९ की राष्ट्रीय सभा ने नये नियम निर्माण किये। नेपोलियन ने नियम संग्रह करके उनका एक 'कोड' (Code) बनाया जोकि बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से देशों की न्याय प्रणाली इसी कोड के ऊपर निर्धारित है। फ्रान्स को अन्य देशों की भाँति अधिक नियमन हीं बनाने पड़ते हैं।

फ्रान्स में मातहत अदालतें बड़ी अदालतों के निर्णय से वाध्य नहीं हैं। बड़ी अदालतों के विरुद्ध भी अपना निर्णय कर सकती हैं। फ्रान्स का विधान ही देशभर के लिये शिरोधार्य है परन्तु कोई अदालत किसी नियम को अवैध (Unconstitutional) घोषित नहीं कर सकती। फ्रान्स में सारे मुक़दमों का निर्णय तीन जज करते हैं ताकि कभी असावधानी या भूल चूक से अन्याय न हो जाय। इसी कारण फ्रान्स में जजों की संख्या लगभग ६,००० है और इंगलेंड में तो केवल १,००० है।

इंगलेंड और अमरीका में जजों की नियुक्ति वकीलों में से होती है। फ्रान्स में ऐसा नहीं है। फ्रांस में छात्रगण न्यायालयों के लिये पृथक् विशेषरूप से अध्ययन करते हैं। अध्ययन समाप्त हो जाने पर वह नियुक्त किये जाते हैं और कभी कभी बिना वेतन के। कुछ काल बाद उसको जज बनाया जाता है और उसको वेतन भी मिलने लगता है। तदुपरान्त वह अपील कोर्ट (Appellate Court) का मेम्बर हो जाता है और उसके बाद तरक्की होने पर उसको लाल पोशाक भी मिलती है। क्रान्ति काल में न्यायाधीशों का निर्वाचन होता था। अफ़सरों के मुक़दमें खास अदालतों में होते थे।

फ्रान्स में कई प्रकार की अदालते हैं। (१) समस्त केन्टनों में छोटे छोटे कोर्टस हैं जहाँ पर कि छोटी छोटी बातों का तसविया किया जाता है। मतभेद दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। न्यायाधीश इस बात का प्रयत्न करते हैं कि मुक़दमेबाज़ी न होवे। देशभर में इस प्रकार के ३,००० न्यायाधीश हैं जो कि लग-भग दस लाख वार्षिक मुक़दमों का निपटारा करते हैं। इनको पर्याप्त वेतन मिलता है

(२) ज़िला कोर्टस—इन अदालतों में पाँच से पन्द्रह तक न्यायाधीश होते हैं। सारे जज एक साथ बैठते हैं। एक सरकारी वकील होता है। यह अदालतें तीन सौ फ्रांक से अधिक के मुक़दमें सुनती हैं। १,५०० फ्रांक से ऊपर के मुक़दमें बड़ी अदालतों में होते हैं। ज़िला कोर्टस में पंच या 'जूरी' नहीं होती।

(३) अपील कोर्टस—यहाँ पर प्रान्तों के अपीलों की सुनवाई होती है। इस प्रकार की २७ अदालतें हैं। इन कोर्टस के कई भाग होते हैं—दीवानी, फ़ौजदारी अथवा पंच। प्रत्येक विभाग के लिये सरकारी वकील होते हैं। इन अदालतों में जूरी नहीं होती।

(४) फ़ौजदारी के मुक़दमें ही अधिकतर सब से बड़ी अदालतों में होते हैं। इस में ८९ प्रान्तों के मुक़दमें आते हैं। यह अदालतें साल में चार बार फ़ौज-दारी के मुक़दमों का निपटारा करने के लिये बनाई जाती हैं। केवल यही अदालत पंचों से परामर्श लेती है।

(५) 'कोर्ट आफ़ कासेशन' (Court of Cassation)—फ्रान्स की सुप्रीम कोर्ट हैं। इसका निर्णय अन्तिम है। इसी कोर्ट के द्वारा फ्रान्स के नियमों में समानता आती है। इसकी अदालत पेरिस में होती है। इस अदालत के ४९ न्यायाधीश हैं। एक सरकारी वकील है और कुछ उसके सहकारी हैं। इसके तीन विभाग हैं। दो विभाग दीवानी मुक़दमें करते हैं और एक फ़ौजदारी के मुक़दमें फैसल करता है। यहाँ पर केवल अपील होती है। यह अदालत मातहत अदालतों के निर्णयों को लौट नहीं सकती वरन् लौटाल सकती है। It can not revoke but send back.

फ्रान्स में तीन स्पेशल ट्राइब्यूनल हैं :—

(१) कामर्स कोर्ट—यह कोर्ट नगरों में होती है और इन कोर्टस के न्यायाधीशों का निर्वाचन म्यूनिसिपेलिटी के सौदागरों द्वारा होता है। पेरिस में

४७,००० आदमी इन जजों का निर्वाचन करते हैं। इस अदालत के अपील ऐपेलाट कोर्ट को जाते हैं।

(२) मध्यस्थ या आरबिट्रेशन कोर्ट (Arbitration Courts)—इन में श्रमजीवियों और उनके मालिकों के झगड़ों का निपटारा होता है। उन्हीं के प्रतिनिधि न्यायाधीश होते हैं यदि दावा ५०० फ्रांक से अधिक का होवे तो इन अदालतों के निर्णय की अपील भी हो सकती है।

(३) स्पेशल कोर्टस (Special Courts) जो ज़मीन छीनी जानी पर मुआवज़ा तय करते हैं। इस कोर्ट में सोलह नागरिकों की पंचायत होती है जो कि अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं।

८—प्रान्तीय शासन

"किसी राष्ट्र में प्रान्तीय शासन के बिना स्वतंत्रता का अंकुर नहीं जम सकता। प्रान्तीय शासन संगठन से ही राष्ट्र की शक्ति का पता चलता है।"

—टोकेविल।

फ्रान्स में गत १४० वर्षों में अनेकों क्रान्तियाँ हुईं जिन्होंने केन्द्रीयशासन का स्वरूप और उसके सिद्धान्त बदल दिये। परन्तु लोकल शासन जैसा का तैसा रहा। आजकल का प्रान्तीय शासन प्रजातंत्री अवश्य हो गया है परन्तु वास्तव में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इस रीति से अनेकों लाभ हैं। हम इस प्रथा की तुलना एक बड़े नोकीले 'पिरेमिड' (Pyramid) से कर सकते हैं जोकि उठता जाता है और नोकीला होता जाता है। यहाँ पर प्रान्तों में और केन्द्र में अधिकारों का बँटवारा नहीं है। सब गृह सचिव की आज्ञा का पालन करते हैं। संसार के अनेकों देशों ने फ्रान्स का अनुकरण किया है।

सन् १७८९ की क्रान्ति से पूर्व प्रान्तीय शासन नहीं था। देश प्रान्तों में विभाजित अवश्य था। परन्तु उनके अधिकार दिन दिन घटते जा रहे थे। इनका शासन 'इन्टेन्डेन्ट' (Intendants) द्वारा होता था जो केवल राजा के सामने उत्तरदायी थे। यह प्रान्त ४०,००० कम्यूनों में विभाजित थे। इन कम्यूनों की स्वतंत्रता भी राजाओं ने छीन ली थी। सन् १७८९ की क्रांति ने फ्रान्स को ८९ प्रान्तों में बाँटा। इन प्रान्तों को भी ऐरोन्डिसमेंट और कम्यूनों में बाँटा गया। सारे देश का शासन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होने लगा। सन् १७९५ में

अफ़सर पेरिस डाइरेक्टरी के अधिकार में लाये गये। उसके बाद नेपोलियन की आज्ञानुसार छोटे छोटे अफ़सरों की नियुक्ति होने लगी।

फ्रान्स में ८९ प्रान्त हैं। इन प्रान्तों के नाम पर्वत, नदी या किसी अन्य वस्तु के नाम पर पड़े हुए हैं। इन प्रान्तों के क्षेत्रफल और आबादी में विभिन्नता है। प्रान्त के शासक को 'प्रीफ़ेक्ट' (Prefect) कहते हैं। मंत्री की सिफ़ारिश पर प्रेज़ीडेंट उन्हें नियुक्त करता है। प्रत्येक प्रान्त की राजधानी होती है। यहाँ के भवन पर तिरंगा झंडा फहराता है। दर्वाज़े पर 'स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व' के शब्द अंकित रहते हैं। प्रीफ़ेक्ट प्रान्तीय शासन का एजेन्ट होता है और अपने प्रान्त का अध्यक्ष। वह पब्लिक वर्क्स का निरीक्षण करता है—जैसे सड़क, पुल, जेल, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। वह रंगरूटों को भी भर्ती करता है। वह शान्ति स्थापित रखता है, तम्बाकू एकाधिकार (Monopoly) की देख भाल करता है। मनुष्य-गणना (Census) करता है, इत्यादि इत्यादि। वह छोटे छोटे पदाधिकारियों को भी नियुक्त करता है; वह कम्यून शासन पर भी देख भाल रखता है। म्यूनिसिपेलिटी के वार्षिक बिल मंजूरी के लिये उसके सामने रक्खे जाते हैं। प्रीफ़ेक्ट म्यूनिसिपल कौन्सिल की बैठक को तोड़ भी सकता है। प्रीफ़ेक्ट को मंत्रियों की आज्ञा माननी पड़ती है। प्रीफ़ेक्ट निर्वाचन के समय अपने मित्रों और दल की सफलता के लिये भरसक प्रयत्न करता है, वोट इकट्ठी करने के साधन ढूँढ़ता है। सफलता पाने पर उसकी तरक्की भी होती है।

प्रत्येक प्रान्त में एक कौन्सिल होती है। इस कौन्सिल का एजेन्डा प्रीफ़ेक्ट ही तय्यार करता है। प्रान्तीय बजट तय्यार करके वह इस कौन्सिल को पेश करता है। कौन्सिल अपनी मति अनुसार बजट में संशोधन करती है। सारी आय का व्यय प्रीफ़ेक्ट के हाथ में है, कौन्सिल उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कौन्सिल का प्रीफ़ेक्ट पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। कौन्सिल प्रीफेक्ट को न पद-च्युत कर सकती है और न उसका वेतन ही कम कर सकती है और न उसके अधिकार ही छीन सकती है। उपरोक्त कौन्सिल का चुनाव छः वर्ष के लिये होता है आधे मेम्बर हर तीसरे वर्ष पद-त्याग करते हैं। बड़ी से बड़ी कौन्सिल के ६७ मेम्बर हैं और सब से छोटी के केवल १७ मेम्बर हैं। इस कौन्सिल के वर्ष भर में दो अधिवेशन होते हैं। कौन्सिल की छुट्टी के दिनों में एक कमीशन काम करता है। इस कौन्सिल को प्रान्त की धारा सभा समझना कुछ अत्युक्ति न होगा।

प्रान्त के हिस्सों को 'ऐरोन्डिसमेन्ट' (Arrondissement) कहते हैं। इसके शासक को 'सब-प्रीफ़ेक्ट' (Sub-Prefect) कहते हैं। यहाँ भी एक कौन्सिल होती है जिसमें कि प्रत्येक केन्टन से एक मेम्बर चुना जाता है। इस कौन्सिल के सदस्य निर्वाचन बैठकों (Electoral colleges) में बैठ सकते हैं।

अन्त में कम्यून या म्युनिसिपेलिटी होती है। कुछ कम्यूनों में पचास निवासी भी नहीं होते हैं। कुल मिलाकर फ्रान्स में ३७,००० कम्यून हैं। प्रत्येक कम्यून में एक म्यूनिसिपेलिटी होती है जिसमें कि आबादी के अनुसार १० से ३६ तक मेम्बर होते हैं। मेम्बरों को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। उनकी अवधि चार वर्ष की होती है। म्युनिसिपल का पहला काम मेयर को चुनना है। मेयर स्वयं कौन्सिल का मेम्बर होता है। मेयर ही म्युनिसिपल कौन्सिल का सभापति होता है। मेयर के चुनाव के बाद कौन्सिल उसको नहीं हटा सकती। समस्त कम्यूनों का शासक एक दूसरे से मिलता जुलता है। इस मेयर के अधिकार न तो इंगलैंड के मेयर की भाँति कम है और न अमरीका के मेयर की भाँति बढ़े चढ़े हैं। कौन्सिल मेयर के कामों में हस्तक्षेप कर सकती है। मेयर मनमानी कभी नहीं कर सकता क्योंकि कौन्सिल ही उसको देख भाल कर चुनती है और कौन्सिल ही उसको ख़र्च के लिये धन देती है। मेयर भी प्रीफ़ेक्ट की भाँति केन्द्रीय शासन का एजेंट होता है और अपने कम्यून का अध्यक्ष। जब कोई आज्ञा पेरिस से चलती है तब प्रीफ़ेक्ट, सब-प्रीफ़ेक्ट आदि के पास पहुँच कर तब मेयर के पास आती है। मेयर को अधिकारियों की आज्ञा मानना आवश्यक है। ऐसा न करने से वह पद-च्युत किया जा सकता है। मेयर अपने कम्यून का प्रधान होता है, म्युनिसिपल कौन्सिल को कार्यान्वित करता है। कौन्सिल की बैठक केवल काम पड़ने पर बुलाई जाती है। अर्थ, पुलिस, और शिक्षा को छोड़ कर सभी बातों में कौन्सिल का हाथ है।

फ्रान्स में पेरिस का विशेष स्थान है। यह फ्रान्स का मस्तिष्क है और हृदय भी। पेरिस में दो प्रीफ़ेक्ट काम करते हैं। एक विशेष प्रीफ़ेक्ट पुलिस का काम करता है। दोनों प्रीफ़ेक्टों को प्रेज़ीडेन्ट ही मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। म्युनिसिपल कौन्सिल में ८० मेम्बर हैं। नगर २० भागों (Wards) में बँटा हुआ है। बीस भागों के बीस मेयर हैं। नगर की कौन्सिल ही इस प्रान्त का काम करती है। नगर कौन्सिल बजट आदि पास करती है। परन्तु नगर के शासन पर इसका कोई अधिकार नहीं है।

९—फ़्रान्स के औपनिवेशिक राज्य

"किसी राष्ट्र की सहृदयता का पता हम उसकी औपनिवेशिक नीति को देख कर चला सकते हैं"—टोकेवील।

फ़्रान्स के औपनिवेशिक राज्य सारे संसार में फैले हुए हैं। यह संसार का प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र है। फ़्रान्स का क्षेत्रफल केवल २,००,००० वर्ग मील है। परन्तु फ्रान्स का तिरंगा झंडा यूरोप से बाहर लगभग दस लाख वर्ग मील में फहराता है। फ्रान्स की जन-संख्या केवल ३,९०,००,००० है परन्तु इसके उपनिवेशों की जन-संख्या लगभग ६,००,००,००० है।

फ़्रान्स और इंगलेंड भी संसार के दो बड़े शक्तिशाली राज्य हैं जिनके अधिकार में बहुत बड़े उपनिवेश हैं। फ़्रांस को उपनिवेशों से बहुत बड़ा लाभ है। कच्चा माल इत्यादि के अतिरिक्त इसको जन सहायता भी मिलती है। फ़्रान्स की जन-संख्या इतनी शीघ्र नहीं बढ़ती है जितनी कि अन्य देश वालों की। समय समय पर आवश्य-कतानुसार फ़्रान्स अपने राज्य में उपनिवेशों से लोग ला लाकर भर सकता है।

फ़्रान्स और इंगलेंड दोनों ही देशों ने आधिपत्य जमाया, दोनों ने भारतवर्ष को पाने का प्रयत्न किया। दोनों ही ने अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य में क्षति उठाई। एक को जीत के कारण दूसरी को क्रान्ति के कारण।

इंगलेंड का औपनिवेशिक राज्य सौदागरों के परिश्रम का फल है, परन्तु फ़्रांस के औपनिवेशिक शासन सरकार के प्रयत्न द्वारा प्राप्त हुये हैं। गत पाँच शताब्दियों का इतिहास फ्रांस के इतिहास से भरा हुआ है। जहाँ देखिये फ्रांस मौजूद है। इसका इतिहास भरा पूरा है—चितकबरा हो गया है। फ़्रान्स ने युद्धों में विजय भी प्राप्त की है, और हार भी खाई है। इसको सफलता भी प्राप्त हुई है और घोर क्षति भी उठानी पड़ी है। इसका डंका भी बजा है और इसको नीचा भी देखना पड़ा है। इसके इतिहास ने सारी मनुष्य-जाति पर अपना मोहिनी मंत्र डाला है। फ़्रान्स के बिना इतिहास की पूर्ति नहीं होती है। इसका कारण है कि यह यूरोप के बिल्कुल मध्य में बसा हुआ है। दूसरा कारण है यहाँ के निवासियों का जोशीलापन। किसी राष्ट्र के इतने पड़ोसी नहीं हैं जितने फ़्रान्स के।

सोलहवीं शताब्दी में फ़्रान्स की शक्ति बढ़ी चढ़ी थी, इस शताब्दी में अनेकों राष्ट्र उपनिवेश प्राप्ति के लिये घोर यत्न कर रहे थे। परन्तु फ़्रान्स ने किंचित विलम्ब किया परन्तु तब भी इसको बहुत सफलता प्राप्त हुई। सन् १७५० के लग-

भग फ्रान्स के अधिकार में लारेंस झील से उत्तर का सारा देश और पश्चिमी अमरीका का भी बहुत सा भाग था। वह मिसिसिपी वादी को भी अपने अधिकार में करना चाहते थे। भारतवर्ष में फ्रान्स का बहुत जल्दी प्रभुत्व फैल गया। तारतम्य युद्ध हुये और अन्त को पेरिस नगर की सन्धि के बाद सारे देश से हाथ धोना पड़ा।

फ्रान्स ने अपने उपनिवेशों का शासन प्राचीन काल के रोमन्स की भाँति किया। उनका अत्याचार सीमा उल्लंघन कर गया था। क्रान्ति के बाद फ्रान्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। नेपोलियन के अधः पतन के बाद फ्रान्स ने उपनिवेशों की ओर पुनः हाथ फैलाना शुरू किया। नेपोलियन स्वयं भारतवर्ष पर आक्रमण करना चाहता था। मिश्र तक पहुँच भी गया था परन्तु इंगलैंड की चालों के सामने उसको शीश झुकाना पड़ा।

A—Algeria एल्जीरिया

नेपोलियन के युद्धों से फ्रान्स को भारी क्षति पहुँची। फ्रान्सीसी उत्तरी अफ्रीका पर अपनी दृष्टि लगाये हुए थे। इस देश को जीतना भी कोई कठिन काम न था। सन् १८२७ में ऐलजीयर्स के देशी राजा ने फ्रान्सीसी एलची की बेइज़्ज़ती करने की क्षमा न माँगी। उसका नगर गोला बारूद से उड़ा दिया गया, एक सेना ने इसको अपने आधिपत्य में कर लिया। तदुपरान्त ऐलजीरिया देश फ्रान्स साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। ऐलजीरिया का क्षेत्रफल फ्रान्स के क्षेत्रफल से कुछ अधिक है। इस देश में उपजाऊ मैदान हैं जो कि बड़े लाभ के हैं। एलजीरिया की आवादी लगभग ६०,००,००० है और इसमें से दस प्रति शत यूरोपियन हैं। इन देशवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी और जानवर पालना है। यह देश बहुत सा खाद्य पदार्थ फ्रान्स को भेजता है। दोनों देशों में अवाध व्यापार (Free Trade) है। परन्तु चीनी और तम्बाकू पर कुछ चुंगी देनी पड़ती है।

ऐल्जीरिया का शासन एक गवर्नर जनरल करता है जिसको कि राष्ट्रपति देशी मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। देशी मंत्री के निरीक्षण में गवर्नर जनरल सेना और पुलिस का शासन करता है। वह वार्षिक आय व्यय अनुमान पत्र तय्यार करता है वास्तव में फ्रेंच पार्लियामेन्ट ही उसको तय्यार करती है परन्तु यह राष्ट्रीय बजट का अंश नहीं होता है। पेरिस में भेजने से पूर्व बजट पर अर्थ समिति और सुपीरियर कौन्सिल में विवाद होता है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिये दो

कौन्सिलें होती हैं—एक मशहवरा देने वाली है और दूसरी नियम निर्माण करने वाली (Consultative and Deliberative) मशहवरा देने वाली कमेटी केवल परामर्श देती है और नियुक्ति स्वीकृत करती है और दूसरी कौन्सिल उच्चतम परिषद (Superior Council) के नाम से प्रसिद्ध है। इस कौन्सिल में उच्च पदाधिकारी होते हैं और कुछ फ्रेंच निवासियों के प्रतिनिधि। यह बजट पर बहस करने के अतिरिक्त पब्लिक वर्क्स और प्रान्तीय शासन का निरीक्षण करती है। फ्रान्सीसी उपनिवेशों के प्रतिनिधि तीन संस्थाओं द्वारा चुने जाते है—फ्रेंच लोग, टैक्स देने वाले, और मुसलमान निवासी। आय व्यय के समस्त प्रश्न अर्थ समिति (Financial delegation) तय करता है। बजट में संशोधन भी कर सकती है।

ऐल्जीरिया तीन प्रान्तों में बँटा हुआ है (एल्जीयर्स, ओरन और कोन्स-टेन्टाइन)। प्रत्येक प्रान्त का शासन एक प्रीफ़ेक्ट और कौन्सिल द्वारा होता है। पर शासन प्रबन्ध बहुत कुछ फ्रान्सीसी प्रान्तीय शासन से मिलता जुलता है। एल्जीरिया में मताधिकार केवल फ्रेंच निवासियों को दिया गया है। सन् १९१९ के बाद नागरिक अधिकार उन सिपाहियों को भी दिया गया जिन्होंने कि महायुद्ध में भाग लिया था और जिनकी अवस्था पच्चीस वर्ष की है। पृथ्वी-पतियों को और जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको भी मताधिकार दिया गया है। गवर्नर जनरल अपनी कौन्सिल में कुछ मेम्बर स्वयं भरती करता है। फ्रान्स की भाँति प्रान्त भी ऐरोन्डिसमेन्ट और कम्यून में बँटा हुआ है।

फ्रान्स ने एल्जीरिया में बहुत बड़ी सेना रख छोड़ी है। फ्रेंच लोग देशी निवासियों को सेना में काम करने के लिये बाध्य कर सकते हैं।

B—ट्यूनिस (Tunis)

फ्रेंच लोग ऐल्जीरिया पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात् ट्यूनिस की ओर बढ़े। अन्य यूरोपीय जातियों ने इसके मार्ग में कुछ बाधायें न डालीं। विशेषकर जर्मन लोग सन् १८७० के युद्ध के पश्चात् फ्रेंच उपनिवेश नीति की सराहना करने लगे ताकि उनको अल्सेस लोरेन (Alsace-Lorraine) प्रान्त के खो जाने की चिन्ता न सतावे। सन् १८८१ में फ्रेंच लोगों ने ट्यूनिस पर हमला किया और उसको रक्षित राज्य बनाया (Protectorate)। यह अभी तक रक्षित राज्य ही समझा जाता है परन्तु वास्तव में यह फ्रेंच उपनिवेश है।

ट्यूनिस की आबादी २० लाख से अधिक है। १० प्रतिशत के लगभग यूरोपीयन्स की जन संख्या है। देशी निवासी अधिकतर मुसलमान हैं। अनेकों उपजाऊ घाटियाँ हैं। शेष पृथ्वी रेगिस्तान है जिसमें कि खजूर पैदा की जा सकती है। यहाँ पर कुछ कानें भी हैं। फ्रेंच लोगों ने अधिकृत सेना (Occupation Army) रख छोड़ी है जिसके कुछ रेजीमेन्ट देशी निवासियों के हैं।

ट्यूनिस देश के अधिकारी अभी तक बे राजे हैं (Bey of Tunis), परन्तु वास्तव में समस्त अधिकार एक "रेज़ीडेन्ट" (Resident) के हाथों में हैं जिसको कि फ्रांस का राष्ट्रपति विदेश मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। रेज़ीडेन्ट जनरल ट्यूनिस के मंत्री मंडल में विदेश मंत्री का पद लेता है। इसके अतिरिक्त दस अन्य मंत्री होते हैं जो कि भिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। नाम मात्र के लिये उनकी नियुक्ति बे आफ़ ट्यूनिस (Bey of Tunis) के हाथ में है परन्तु वास्तव में रेज़ीडेन्ट जनरल ही 'फ़ारेन आफ़िस' (Foreign office) की परामर्श से उनको नियुक्त करता है।

सन् १९२२ में ट्यूनिस "ग्रांड कौन्सिल" (Grand Council) नाम की एक पार्लियामेन्ट की स्थापना हुई। इसके दो भाग हैं। एक भाग में फ्रांसीसी लोगों के प्रतिनिधि हैं और दूसरे भाग में देशी निवासियों के। फ्रान्सीसी विभाग के प्रतिनिधि चुनने की विधि का निर्णय रेज़ीडेन्ट स्वयं करता है परन्तु देशी विभाग में छोटी कौन्सिलों के मेम्बर आते हैं और कृषि, व्यवसायिक, और तिजारती संस्थाओं के भी प्रतिनिधि, कुछ आते हैं। ग्रांड कौन्सिल का बजट पर पूर्ण अधिकार है परन्तु आदेश-युक्त (Mandatory) विषयों पर कौन्सिल का कुछ अधिकार नहीं है—उदाहरणार्थ सरकारी ऋण पर सूद शरह, रेज़ीडेन्ट जनरल का वेतन, इत्यादि इत्यादि। ट्यूनिस प्रान्तों में नहीं बँटा हुआ है वरन् छोटे छोटे टुकड़ों (Regions) में। प्रत्येक टुकड़ा एक 'कन्ट्रोलर' (Controller) के अधिकार में है। प्रत्येक टुकड़े की कौन्सिल है और इस कौन्सिल का अपने भाग के व्यय पर कुछ अधिकार है।

C—मरक्को (Morocco)

एल्जीरिया की दूसरी तरफ़ मरक्को है। बहुत काल तक यह देश अपनी स्वतंत्रता क़ायम रख सका। इसका कारण यह था कि तीन राष्ट्र इस स्थान पर अपनी निगाह लगाये हुये थे—स्पेन, इंगलैंड और फ्रांस। कोई यह नहीं चाहता

था कि सारा देश किसी एक आदमी के हाथों में आ जाय। सन् १९०४ में इंगलैंड और फ्रांस में समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार फ्रांस को मरक्को देश पर शासन करने का अधिकार मिल गया। कुछ काल बाद स्पेन से भी समझौता हो गया जिसके अनुसार स्पेन वालों को मरक्को के कुछ समुद्री तट दे दिये गये और फ्रान्स अब मरक्को का शासन करने में स्वतंत्र हो गया। इसी समय जर्मन सरकार ने यह पत्र भेजा कि वह ऐंगलो-फ्रेंच-स्पेनिश सन्धि से वाध्य नहीं है। हमसे परामर्श नहीं ली गई है। जर्मन वालों की इस धमकी से लड़ाई छिड़ने वाली ही थी। परन्तु तुरन्त ही अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसने कि यह तय किया कि सुल्तान को स्वतंत्रता रहेगी और समस्त देशों को अवाध व्यापार (Free Trade) का अधिकार है। जर्मन लोग इस सन्धि से सन्तुष्ट न हुए। सन् १९११ में क़ैसर ने मरक्को के एक बन्दरगाह को हथियार बन्द सेना भेजी। जर्मन लोग वास्तव में मरक्को पर अधिकार स्थापित करना नहीं चाहते थे परन्तु वास्तव में वह फ्रान्स के अन्य उपनिवेशों से तिजारत करने के अधिकार चाहते थे। फ्रेंच लोगों ने जर्मनी को विषुवत रेखा (Equator) के पास का कुछ देश दे दिया और फ्रांस को मरक्को पर शासन करने का अधिकार मिल गया। मरक्को फ्रान्स का रक्षित राज्य वन गया। उसी वर्ष स्पेन और फ्रांस ने मरक्को देश का बटवारा कर लिया।

यूरोपीय राष्ट्रों के हृदयों में मरक्को अब भी खटकता रहा। महायुद्ध के बाद ही फ्रेंच लोग मरक्को पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर सके। जर्मनी को जो कुछ रियायतें १९०६ और १९११ में मिल गई थीं उन सबसे उसको हाथ धोना पड़ा।

मरक्को अब तीन भागों में बँटा हुआ है—टेन्जीयर जिसका शासन एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन द्वारा होता है। रूम सागर (Mediterranean Sea) के किनारे का देश स्पेन के हाथ में है, और देश का शेष भाग फ्रांसीसियों के हाथ में है। फ्रेंच भाग का क्षेत्रफल फ्रान्स के बराबर है और इसकी आबादी लगभग साठ लाख है। इस देश का शासन अभी तक सुल्तान के नाम से होता है जो कि नागरिकों का धर्म रक्षक है। परन्तु १९१२ से मरक्को का शासन रेजीडेन्ट जनरल द्वारा होता है जिसको कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर मंत्रीमंडल तो अवश्य है परन्तु कोई कौन्सिल नहीं है।

एल्जीरिया, ट्यूनिस और मरक्को के अतिरिक्त फ्रांस में और बहुत सी धरती है। सहारा रेगिस्तान फ्रान्स के हाथ में है। परन्तु देश का यह भाग किसी अर्थ

का नहीं है। अफ्रीका की अन्य पृथ्वी भी फ्रांस के हाथों में है जैसे कि सेनीगल (Senegal), गिनी (Guinea), आइवरी कोस्ट (Ivory Coast), डाहोमे (Dahomay), नाइगर देश (Niger Region), सोमाली कोस्ट (Somali Coast), इन सब देशों की आबादी लग भग १३० लाख है। कांगो का भी बहुत बड़ा भाग फ्रांस के हाथ में है जो कि बहुत मूल्यवान है और बड़े काम का है। वारसाई सन्धि के अनुसार जर्मनी के टोगोलेन्ड और कमीरून (Togoland and Camerun) भी फ्रान्स के हाथ में हैं।

D—मेडागास्कर (Madagascar)

पूर्वीय किनारे पर मेडागास्कार द्वीप है। इसका क्षेत्र फल फ्रांस से अधिक ही है। लगभग दो शताब्दी हुए फ्रांस ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था परन्तु कुछ काल बाद उसको छोड़ दिया। उसके बाद सन् १८९६ तक यह फ्रांस का रक्षित राज्य रहा। तदुपरान्त यह फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया है। मेडागास्कर की जन-संख्या लगभग चालीस लाख है परन्तु इसमें फ्रान्सीसियों की जन संख्या केवल १५००० है। मेडागास्कर का शासन गवर्नर जनरल के हाथ में है जो कि फ्रान्सीसी उपनिवेश मंत्री के आदेशानुसार काम करता है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिये एक परामर्श समिति (Advisory Council) है और एक अर्थ समिति (Financial delegation) भी है। द्वीप प्रान्तों में विभाजित है। प्रत्येक प्रान्त का शासन फ्रान्सीसी कमिशनर के हाथ में है।

एशिया के अनेकों भागों में फ्रान्स का आधिपत्य लगभग ३०० वर्ष से है। सन् १७६३ की पेरिस सन्धि के अनुसार फ्रान्सीसियों को भारतवर्ष के अधिकार से हाथ धोना पड़ा परन्तु कुछ नगर अब भी फ्रान्स के हाथ में हैं जैसे कि पांडिचेरी और कारोमंडल तट। उस समय से अब तक फ्रान्स अपना अधिकार नहीं बढ़ा सका है। फ्रान्सीसी लोगों ने इंडोचाइना में भी अधिकार जमा लिया है। इसके पाँच भाग हैं—कोचीन चीन, केम्बोडिया, अनाम, टोन्किन, और लाओस (Cochin China, Cambodia, Annam, Tonkin and Laos) इन प्रान्तों के उत्तर में चीन है और पश्चिम में सियाम (Siam)। इन देशों की कुल जन-संख्या लगभग दो करोड़ है। कोचीन चीन उपनिवेश है और शेष सब रक्षित राज्य हैं। परन्तु सारे देश के लिये एक गवर्नर जनरल है, कोचीन

में एक उपगवर्नर है और अन्य भागों के लिये एक रेज़ीडेन्ट है। गवर्नर की सहायता के लिये एक सुप्रीम कौन्सिल है। समस्त इन्डोचीन के लिये एक ही आय-व्यय अनुमान पत्र है।

सिरिया भी फ्रांस का संरक्षण युक्त शासन है। यह देश टर्की राज्य की सीमा पर है जिसकी जन-संख्या ३० लाख है और क्षेत्रफल लगभग साठ हज़ार वर्ग मील है। इस देश के निवासी अधिकतर अरब लोग हैं और अरबी भाषा बोलते हैं। परन्तु कुछ परदेशी भी रहते हैं। पेशा अधिकतर कृषि का होता है। फ्रांस ने देश की रक्षा के लिये एक सेना रख छोड़ी है और फ्रांस के अधिकारी ही यहाँ का शासन करते हैं। इसके शासन की सूचना अन्तर्राष्ट्रीय संघ को देनी पड़ती है।

रक्षित राज्यों के अतिरिक्त उपनिवेशों के प्रतिनिधि पार्लियामेन्ट में आते हैं। इंगलेंड ने ऐसी सुविधायें अपने उपनिवेशों को नहीं दी हैं। फ़िलीपाइन्स और पोर्टोरोको (Philippines and Porto Roco) देश अमरीका की प्रतिनिधि सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं; परन्तु यह प्रतिनिधि अपना मत प्रकट नहीं कर सकते हैं। परन्तु फ्रान्स में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का पूर्ण मताधिकार है। अल्जीरिया के अतिरिक्त अन्य उपनिवेशों से चार सेनेटर और दस डिप्टी आते हैं। यह प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल जन संख्या के आधार पर नहीं है वरन् मनमानी है। रीयूनियन, मार्टीनिक, गुआडाल्रूप (Reunion, Martinique and Guadaloupe) प्रत्येक उपनिवेश एक सेनेटर और दो डिप्टी भेजते हैं, फ्रान्सीसी भारत एक सेनेटर और एक डिप्टी भेजता है। सेनीगल, गियाना और कोचीन चीन एक एक डिप्टी भेजता है परन्तु सेनेट में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। अन्य किसी उप-निवेश का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया गया है। फ्रान्सीसी निवासी ही इन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। कुछ देश-वासियों को भी मताधिकार दिया गया है परन्तु वह सम्मान सरूप इसका प्रयोग नहीं करते हैं।

यह प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है। मेडागास्कर जैसे बड़े उपनिवेश को कुछ प्रति-निधित्व प्राप्त नहीं है। जिन उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त भी है वह केवल अपना मत प्रकट कर सकते हैं। ३०० मेम्बर के सेनेट में और ६०० मेम्बर के चेम्बर में उप-निवेशों का इतना थोड़ा प्रतिनिधित्व क्या कर सकता है? फ्रान्सीसी शासन सरकार को या तो प्रतिनिधित्व सब अधिकृत राज्यों को देना चाहिये या किसी को नहीं। स्पेन और पोर्चुगल राष्ट्रों ने समस्त उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व अधिकार दिया है।

उपनिवेशों के चार सेनेटर और दस डिप्टियों की कमेटी पेरिस में बैठती थी जो कि उपनिवेश मंत्री को समय समय पर परामर्श देती थी। कुछ वर्ष पश्चात् तीन परामर्श समितियाँ बनीं जो कि उच्च उपनिवेश कौन्सिल (High Colonial Council), अर्थ कौन्सिल (Economic Council), उपनिवेश धारा कौन्सिल (Council of Colonial legislation) के नाम से पुकारी जाती हैं। हर कौन्सिल का कार्य-क्षेत्र भिन्न है।

उपनिवेश मंत्री ही सारे उपनिवेशों की देख भाल करता है। वह अन्य मन्त्रियों की तरह सभा को उत्तरदायी है। फ्रेंच उपनिवेश मंत्री मंडल (French Colonial Ministry) का संगठन बहुत भली प्रकार हुआ है। इसके अनेकों विभाग (Bureaux) हैं। प्रत्येक विभाग का किसी एक उपनिवेश से सम्बन्ध नहीं है। वरन् सारे उपनिवेशों के किसी एक शासन शाखा की देख भाल करती है— उदाहरणार्थ उपनिवेश अर्थ, व्यवसाय, तिजारत इत्यादि। बहुत सा काम इन्हीं विभागों द्वारा होता है।

कुछ उपनिवेशों का शासन संशोधन केवल फ्रान्सीसी पार्लियामेन्ट ही कर सकती है। इस प्रकार के तीन उपनिवेश हैं—मार्टीनिक, गुआडालूप और रीयूनियन। परन्तु अन्य उपनिवेशों का शासन संशोधन राष्ट्रपति उपनिवेश मंत्री की सलाह से हो सकता है। इस अन्तर से कोई विशेष लाभ नहीं हैं क्योंकि समस्त उपनिवेशों का शासन समान रूप से होता है। किसी फ्रेंच उपनिवेश का आस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रीका की भाँति विधान नहीं है।

किसी फ्रेंच उपनिवेश को स्वतंत्र अधिकार नहीं है प्रत्येक उपनिवेश में शासन प्रबन्ध का भार एक गवर्नर जनरल या गवर्नर को सौंपा गया है। यह गवर्नर फ्रान्सीसी शासन सरकार (Home Government) का ऐजंट होता है और प्रान्तीय शासन का अध्यक्ष। उसकी सहायता के लिये एक सेक्रेटरी जनरल (Secretary General) होता है। गवर्नर के प्रान्तों में एक कौन्सिल होती है जो कि केवल सलाह देती है। भिन्न भिन्न अधिकृत देशों में इसकी बनावट में किंचित् भेद है। गवर्नर को इन कौन्सिलों से परामर्श लेना आवश्यक है परन्तु उनके निर्णय से बाध्य नहीं है। यह कौन्सिल ही शासन कोर्ट का काम करती है।

फ्रान्स के उपनिवेशों में व्यवस्थापिक सभायें भी हैं। इनमें अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कुछ देशवासियों को भी मताधिकार दिया गया है।

परन्तु बहुत से मताधिकार प्रकट करना अप्रतिष्ठा समझते हैं। कौन्सिल बजट पर वोट करती है और गवर्नर चाहें तो कौन्सिल के निर्णय का निषेध कर सकता है।

पूर्व में अफ़सर लोगों की नियुक्ति मनमानी होती थी। फिर उन्होंने सिविल नौकरों में से अफ़सरों को भर्ती करना शुरू किया। यह विधि भी सन्तोषजनक प्रतीत न हुई। अन्त में यह निश्चय किया गया कि अफ़सरों की विशेष शिक्षा के लिये कालिज खोला जाय। सन् १८८८ में इस प्रकार का एक स्कूल खोला गया जोकि "इकोल कोलोनियेल" (Ecole Coloniale) के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें दो वर्ष की पढ़ाई है। तदुपरान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् अफ़सरों की नियुक्ति होती है।

स्वीटज़रलैंड (Switzerland)

१—पूर्व परिचय

स्वीटज़रलैन्ड स्वीस संघ (Swiss Confederation) के नाम से प्रसिद्ध है। इस देश को संसार की राजनैतिक परीक्षा का स्थान (Political laboratory) कहना अत्युक्ति न होगा। (१) जनता को प्रस्तावना और निर्णय (Initiative and Referendum) के अधिकार दिये गये हैं। यह देश इन दोनों विधियों का जन्म-स्थान है। (२) इसके अतिरिक्त इस देश के कुछ हिस्सों में प्रजा स्वयं अपना शासन करती है। यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिनिधि सभायें नहीं हैं। जनता की महती सभा ही अपनी केन्टन के लिये नियम निर्माण करती है। इस प्रकार के प्रजा तंत्र को अंग्रेज़ी भाषा में 'डाइरेक्ट डिमाक्रेसी' (Direct Democracy) कहते हैं। प्राचीन काल में भी डाइरेक्ट डिमाक्रेसी थी, परन्तु आधुनिक समय में केवल प्रतिनिधि प्रजातंत्र राज्य हैं। स्वीटज़रलेन्ड में इस प्रकार के प्रजातंत्र को 'लेन्डस गिमिन्डी' (Landes Gemeindi) कहते हैं। इस प्रकार के प्रजातंत्र हम को प्राचीन काल के ऐथिनियन एक्लोज़िया और रोमन कमीशिया सेन्चूरियाटा (Athenian Ecclesia and Roman Comitia Centuriata) का स्मरण कराता है। (३) इस देश में दल बन्दी के दोष बहुत ही कम हैं (४) प्रान्तों को अपना स्वतंत्र शासन करने का पूर्ण अधिकार है। यही इस देश के प्रजातंत्र राज्य की सफलता का कारण है (५) यहाँ के प्रबन्धक वर्ग में हम नई नई बातें पाते हैं। यह प्रबन्धक वर्ग न तो पार्लियामेन्टरी ही है जैसा कि इंगलेड में है और न अमरीका की भाँति प्रेज़ीडेन्शियल ही है वरन् कलीजियेट है। इस प्रथा को बहुत सफलता प्राप्त हुई है। अन्य देशों ने इस का अनुकरण किया परन्तु सफल न हुए।

स्वीटज़रलैण्ड तीन शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में बसा हुआ है—फ्रांस जर्मनी और इटली। इस का क्षेत्रफल यूरप के अन्य राष्ट्रों से बहुत ही छोटा है। इस देश में अनेकों जातियों का सम्मिश्रण है। अधिकतर लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, परन्तु कुछ लोग फ्रेन्च और इटेलियन की बोली भी बोलते हैं। इस कारण स्वीट-

ज़रलेन्ड की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस देश के लोग भिन्न भिन्न मतों के अनु-यायी हैं। उन के धर्म विचार भी भिन्न हैं। बारह केन्टनों में प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायी बहुमत में हैं और शेष दस में केथालिक मत वाले बहुमत में हैं। इस प्रकार इस देश को एक सूत्र में बाँधने के लिये इन तीनों (धर्म, भाषा, जाति) में से कोई भी साधन प्रस्तुत नहीं हैं। परन्तु तब भी इन लोगों में एक्यता है, परस्पर विरोध इन को छू तक नहीं गया और सदैव राष्ट्र के लिये जो जान देने को तय्यार हैं।

लगभग ६०० वर्ष हुए आलपस घाटी की तीन केन्टनों ने संघ बनाया जिससे कि उन की शत्रुओं से रक्षा हो सकी। कुछ काल बाद दस अन्य केन्टन इस संघ में आकर मिल गई और एक बड़े संघ 'कन्फ़ीडरेशन' (Confederation) की स्थापना की गई। समय समय पर शत्रुओं के घोर आक्रमण हुए परन्तु इन लोगों ने उनका वीरता से सामना किया। शत्रु समर में पराजित हुए। सन् १६४८ की वेस्टफ़ालिया सन्धि (Treaty of Westphalia) ने इस देश की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। परन्तु शासन सरकार का भली भाँति संगठन न हो सका प्रत्येक केन्टन अपना अपना स्वतंत्र शासन करता था। विपत्ति काल में आवश्यकता पड़ने पर इन केन्टनों के डेलीगेटों की एक कांग्रेस या डाइट आमंत्रित की जाती थी। परन्तु इस सभा में निर्णय एकमत (Unanimous) होना चाहिये था। डेलीगेट्स समय समय पर सभा करते थे। उनके निर्णयों से केन्टन वाध्य नहीं की जा सकती थी, न उन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कोई फ़ेडरल कार्य-कारिणी ही थी।

सन् १७९८ में फ़्रान्सीसी सेनाओं ने देश को अपने अधिकार में ले लिया। देश का संगठन फ़्रान्सीसी प्रथा के अनुसार किया गया। केन्टनों को हटाकर 'हेल्वेटिक रिपब्लिक' (Helvetic Republic) को स्थापना की गई, स्वीटज़रलेंड वालों को स्वयं शासन करने का अधिकार नाम मात्र के लिये सौंपा गया परन्तु वास्तव में फ़्रान्स ही सब कुछ करता था। स्वीटज़रलेंड वाले अपनी इस परतन्त्रता अथवा मान-हानि से बहुत रूष्ट हुए। फल स्वरूप देश भर में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। परन्तु जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत सदैव चरितार्थ होती है। एक छोटा सा देश स्वीटज़रलैंड शक्ति शाली राष्ट्र फ़्रान्स के विरुद्ध क्या कर सकता था। उनका विद्रोह क्रूरता से शान्त किया गया। सन् १८०३ में नेपोलियन ने यहाँ पर शान्ति स्थापना करने का प्रयत्न किया। उसने पुरानी रीति के अनुसार कांग्रेस का पुनः संगठन

किया। एक फ़ेडरल कांग्रेस की भी स्थापना की जिसमें सारे केन्टनों के प्रतिनिधि आते थे। नेपोलियन के पतन के बाद उसके स्थापित किये हुए शासन का भी पतन हुआ।

सन् १८१५ की वीना कांग्रेस (Congress of Vienna) ने संघ में कुछ और केन्टन मिला कर उनकी संख्या २२ कर दी। स्वीटज़रलैंड वालों को अपनी इच्छानुसार शासन संगठन करने का अधिकार भी दिया गया। केन्टनों को अपनी खोई हुई स्वतंत्रता मिली। कांग्रेस के अधिवेशन निश्चित समय पर होने लगे। इस कांग्रेस की एक कार्य-कारिणी थी जिसको कि केवल युद्ध के समय ही समस्त अधिकार थे। नेपोलियन के विरुद्ध सारे यूरप में संकीर्णता की लहर दौड़ गई थी। प्रजातंत्र वाद का जैसे अन्त हो चला था। स्वीटज़रलैंड जैसा देश भी इस उदासीन वृत्ति से छुटकारा न पा सका। सन् १८४७ के "सोन्दर बन्द युद्ध" (Sonder Bund War) तक उसकी गाड़ी लुढ़कती रही। यह युद्ध केवल गृह-कलह था, आभ्यन्तरिक युद्ध था। केथालिक धर्मानुयायियों ने प्रोटेस्टेन्ट मतावलम्बियों के विरुद्ध आन्दोलन किया था। केथालिक सोन्दर बन्द संघ ने फ़्रान्स और आस्ट्रिया से सहायता की प्रार्थना की। प्रोटेस्टेन्ट लोग कांग्रेस में अधिक संख्या में थे। इस अधिकार के प्रयोग में उन्होंने सोन्दर बन्द ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया। युद्ध हुआ और सोन्दर बन्द संघ भंग कर दिया गया।

युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् नये विधान की आवश्यकता पड़ी जिसके अनुसार अल्प संख्यक जातियों को भी अधिकार दिये गये। कांग्रेस की एक कमेटी ने १८४८ में एक विधान निर्माण किया जिसको कि देश ने स्वीकार कर लिया। केन्टनों का संगठन भली प्रकार हुआ और उनको एक सूत्र में अच्छी तरह से बाँधा गया। संयुक्त शासन पद्धति की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया। केन्टन अपने अधिकारों में से न्यूनाधिक नहीं करना चाहते थे। परन्तु जनता इस शासन विधि की उपयोगिता समझ गई थी। सन् १८७२ के विधान संशोधनानुसार अधिकांश अधिकार एक संयुक्त राष्ट्रीय शासन-कारिणी को दिये। इस विधान के अनुसार ही आज स्वीटज़रलैंड का शासन हो रहा है।

विधानानुसार केन्टन के नागरिक संयुक्त राष्ट्र के भी नागरिक हैं। नागरिकों के अधिकार विधान पत्र में जगह जगह पर स्वीकृत कर लिये गये हैं। राष्ट्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार परदेशियों को नागरिक बना सकती है। वास्तव में केन्टन ही अपने

अपने नियम बनाती हैं। समस्त नागरिक न्याय की दृष्टि में समान हैं। उनको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है।

विधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। (१) फ़ेडरल कांग्रेस विधान संशोधन का प्रस्ताव पास करे (२) या ५०,००० जनता विधान संशोधन के लिये प्रस्तावना करे। परन्तु संशोधन प्रस्ताव जनता की स्वीकृति बिना पास नहीं हो सकता।

२—केन्टनों का शासन

स्वीटज़रलेन्ड संघीय गण तंत्र (Federal Republic) राज्य है। इसमें २२ केन्टन हैं। इन केन्टनों को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता है। केन्टनों को अपने रक्षित विषयों (Reserved Subjects) में पूर्ण अधिकार है। सब केन्टनों के भिन्न भिन्न विधान हैं। उन सब को अपनी इच्छानुसार अपना अपना विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु उनको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है:—(१) केन्टन का विधान प्रजातंत्री होना चाहिये, (२) विधान के लिये केन्टन की जनता से स्वीकृति लेनी आवश्यक है और (३) केन्टन का विधान संघीय विधान के नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिये।

स्वीटज़रलैंड में १९ पूर्ण केन्टन हैं और छः अर्ध केन्टन (एक पूर्ण केन्टन को दो भागों में बाँटने से दो आधी केन्टन बनती हैं)। केन्टनों में विभिन्नता है। कुछ केन्टनों का क्षेत्रफल २५०० वर्ग मील है और कुछ का केवल १४ वर्ग मील है। सब से बड़ी केन्टन बर्न (Berne) की जन संख्या ६½ लाख है और सबसे छोटी की आबादी केवल १३००० है। केन्टनों को जन संख्या शासन के आधार पर हम कई भागों में बाँट सकते हैं।—

(१) लेन्डस गिमिन्डी केन्टन (Landes gemiendi Cantons) जहाँ पर की समस्त जनता की सभा ही नियम निर्माण करती है। इस प्रकार की स्वीटज़रलैंड में छः केन्टन हैं।

(२) दस पूर्ण केन्टनों में और १ आधी केन्टन में व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित समस्त नियमों पर जनता निर्णय होना चाहिये।

(३) छः पूर्ण केन्टन और १ अर्ध केन्टन में जनता की कुछ नियमित संख्या की प्रार्थना पर जनता निर्णय की आज्ञा दी जाती है।

(४) फ्रीवर्ग (Freiburg) की केन्टन में किसी प्रकार का जनता निर्णय या प्रस्तावना नहीं है।

(५) लेन्डस गिमिन्डी केन्टनों की उत्पत्ति का हमको कुछ पता नहीं है। इसका कुछ अंश हम प्राचीन काल के जर्मन देश में पाते हैं परन्तु स्वीटज़रलैंड में डाइरेक्ट डिमाक्रेसी का श्रीगणेश सन् १२०९ में हुआ। अठारहवीं शताब्दी में ११ डाईरेक्ट डिमाक्रेसी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में उनकी संख्या केवल आठ ही रह गई। परन्तु सन् १८४८ के बाद इस प्रकार की केवल छः केन्टन रह गईं। इस प्रकार जनता द्वारा शासित छः केन्टन हैं—ऐपेन्जल इन्टीरियर और ऐपेन्ज़ल बाहरी (Appenzel Interior and Appenzel Exterior) अपर उन्टरवाल्डन, लोअर उन्टरवाल्डन (Upper and Lower Unterwalden), उरी और गलारियस (Uri and Glaurius)। इन छः केन्टनों का शासन पूर्ण जनता सभा (Popular Assembly) द्वारा होता है। इन केन्टनों का शासन हम को प्राचीन काल के ग्रीस और रोम के 'सिटीस्टेट' (City States) का स्मरण दिलाता है। इन सभाओं में केवल यही दोष है कि पूर्ण जनता को अधिकार नहीं है। स्त्रियाँ मताधिकार प्रकट करने से नितान्त वञ्चित हैं। इन जन-सभाओं की बैठकें केन्टन के मुख्य नगर में होती हैं। मीटिंग सदैव नगर के बाहर खेतों में होती है। सरकार की प्रार्थना करने पर भी सारी जनता सम्मिलित नहीं होती है, गो कि वह समय समय पर अनुपस्थिति के लिये जुर्माना भी करती है। इन सभाओं में केवल ३३ प्रति शत जन-संख्या से ७७ प्रति शत तक जन-संख्या उपस्थित रहती है। स्त्रियाँ और बच्चे भी यहाँ पर तमाशा देखने के लिये आते हैं। सारा दृश्य आमोद प्रमोद का प्रतीत होता है, जैसे कि उत्सव हो रहा हो। जन सभा साल में केवल एक बार आमन्त्रित की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठकें भी होती हैं।

सभा का प्रथम कार्य है अपनी केन्टन का एक नेता निर्वाचित करना जो कि 'लेन्डमेन' (Landmann) के नाम से प्रसिद्ध है, तदुपरान्त सभा एक कार्य कारिणी का भी निर्वाचन करती है। सभा 'लेंडरात' (Landrat) नाम की एक कौन्सिल भी नियुक्त करती है जिसमें कि कार्य-कारिणी के सदस्य होते हैं अथवा ज़िलों के प्रतिनिधि होते हैं। जन सभा में पेश होने से पहले सारे बिलों पर लेंडरात समिति में विवाद होता है कोई भी नागरिक किसी नियम के लिये

प्रस्तावना कर सकता है। विधान संशोधन के लिये भी कोई नागरिक प्रार्थना कर सकता है। इसको प्रारम्भिक कार्यवाही (Problouetic function) कहते हैं। लेंडरात सभा के लिये ऐजेन्डा तय्यार करती है। जन सभा ही सर्वमान्य है। यह अफ़सरों का निर्वाचन करती है, नियम निर्माण करती है, वेतन नियत करती है, केन्टन की नीति या पालिसी का निर्णय करती है। कार्य कारिणी को इस नीति का पालन करना पड़ता है। केन्टनों ने अपने अपने विभागों में बड़ा अच्छा काम किया है। इसका वास्तविक कारण यह है मेम्बर लोग राजनीति से प्रेम रखते हैं, केन्टनों का क्षेत्रफल विस्तीर्ण नहीं है, जन-संख्या भी इतनी अधिक नहीं है कि उसकी सँभाल न हो सके। इस देश में जाति गत स्वार्थ या माँगें कुछ नहीं है (Sectional and communal interests are absent)।

केन्टनों की व्यवस्थापिक सभायें—स्वीटज़रलेंड की केन्टनों में केवल एक सभा है। इन देशों ने दूसरी सभा की आवश्यकता नहीं समझी। क्योंकि दूसरी सभा का काम केवल साधारण सभा के निरंकुश कार्यों पर ब्रेक लगाने का है। इस कमी को जनता निर्णय और प्रस्तावना दूरी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त स्वीटज़रलेन्ड की जनता अपनी ज़िम्मेवारी को भली भाँति समझती है, वह इलेक्शन की चालों और साहित्य के फंदे में नहीं फँसती है। जनता भली प्रकार समझ बूझकर अपना मत प्रकट करती है। इस कारण प्रधान सभा (Second Chamber) की विल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिन छः केन्टनों में जन सभायें हैं वहाँ पर ऐजेन्डा तय्यार करने के लिये एक सभा है जो कि प्रधान सभा नहीं कहलाई जा सकती।

जिन केन्टनों में सभायें हैं वहाँ पर जन-संख्या का लिहाज़ करते हुए सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें १०० मेम्बरों से २२३ मेम्बर तक होते हैं। भिन्न भिन्न केन्टनों में प्रतिनिधित्व संख्या भी भिन्न है। उनमें १ मेम्बर प्रति ४०० के हिसाब से १ मेम्बर ४००० संख्या के हिसाब तक आते हैं। जर्मनी में एक मेम्बर ६०,००० मनुष्यों के लिये होता है, भारतवर्ष में एक मेम्बर १००,००० जन संख्या का प्रतिनिधि होता है। कुछ काल तक केन्टनों में प्रतिनिधित्व १ केन्द्र १ मेम्बर के हिसाब से होता था। इस रीति से अल्प संख्यक वालों के साथ अन्याय होता था। इस प्रथा के विरुद्ध घोर आन्दोलन हुआ। टिसिटेनो (Tisitano) में विप्लव आरम्भ हो गया। सेना की सहायता से विद्रोह की अग्नि शान्त की गई

और तदुपरान्त अनुपातिक निर्वाचन (Proportional Representation) की प्रथा स्थापित की गई। सन् १९१८ में स्वीस संघ (Swiss Confederation) ने भी यह प्रथा स्थापित कर ली। इन सभाओं में बिल अधिक संख्या में पेश नहीं होते हैं। सभाओं को केवल अपने काम से मतलब है और केवल निरीक्षण करती हैं। केन्टनों में कार्य कारिणी के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। परन्तु यह सदस्य सदैव अपने को सभा का ऐजन्ट और नोकर समझते हैं। परन्तु वाले और फ्रीबर्ग (Valey and Freebourg) में कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है।

३—जनता प्रस्तावना और जनता निर्णय

(Referendum and Initiative)

राजनीति के एक बहुत बड़े लेखक श्रीयुत मुनरो का कथन है कि स्वीटज़रलेन्ड जनता निर्णय और प्रस्तावना का जन्म स्थान है। डाइरेक्ट डिमाक्रेसी बहुत प्राचीन संस्था है परन्तु प्रतिनिधि प्रजातंत्र (Representative Democracy) केवल आधुनिक काल की वस्तु है प्रतिनिधि सभाओं का उद्घाटन केवल मध्य काल (Middle ages) से हो रहा है। इन प्रतिनिधि सभाओं ने ठीक काम नहीं किया है। इनकी व्यवस्थापिक कार्यवाही सन्तोष जनक नहीं है।

प्रतिनिधि सभाओं के दोष:—

(१) भिन्न भिन्न समय पर सभायें देश का ठीक मत प्रकट नहीं करती हैं। राष्ट्रीय मत में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण निर्मित नियम सदैव जनता के सामने रक्खे जाने चाहिये।

(२) जनता के हाथ में आवश्यकता पड़ने पर सर्वसाधारण निर्वाचन (General Election) की प्रेरणा करने के साधन नहीं हैं। जनता के हाथ में नियम संशोधन के अधिकार होने से सर्व साधारण निर्वाचन की आवश्यकता नहीं रहती।

(३) प्रतिनिधि अपनी केन्द्र वर्ती जनता का मत समझने में असमर्थ रहते हैं और प्राय: जान बूझकर ऐसा करते हैं। प्रतिनिधि बेंकर्स और सौदागरों के प्रभाव में होते हैं। इस कारण स्वतंत्र मत प्रकट करने में सर्वथा अयोग्य हैं। इसीकारण समस्त निर्मित नियम जनता के समक्ष रक्खे जाने चाहिये।

(४) प्रतिनिधिगण समय अभाव के कारण किसी प्रश्न पर ठीक तरह से निर्णय नहीं कर सकते हैं। मेम्बर दल पाश में आवद्ध होने के कारण अपना मत प्रकट करने में असमर्थ हैं।

प्रतिनिधि सभा की अयोग्यता और आतंक से असन्तुष्ट हो कर वहुत से महानुभाव प्राचीन काल की जन सभायें (Popular Assemblies) और डाइरेक्ट डिमाक्रेसी चाहने लगे। स्वीटज़रलैंड ही इस कार्य में अग्रसर हुआ क्योंकि यह छोटा सा राष्ट्र था। इस आन्दोलन ने बड़ा स्वरूप ग्रहण किया। स्वीटज़रलैंड ने जनता-प्रस्तावना और जनता-निर्णय की प्रथा की भी संस्थापना की। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक और बहुत से देशों ने इस प्रथा को अपना लिया। युद्ध के वाद तो लगभग सभी देशों ने इस प्रथा की स्थापना की है। जर्मनी में वैधानिक और साधारण दोनों प्रकार के नियमों के लिये 'रेफ़रेन्डम' है परन्तु आयरलैंड में केवल वैधानिक नियमों के लिये ही रेफ़रेन्डम है।

रेफ़रेन्डम जनता के हाथ में वह साधन है जिसके उपयोग से जनता सभा द्वारा निर्मित नियमों को निषेध कर सकती है और नियम कार्यान्वित नहीं हो सकते। इनीशियेटिव अर्थात् जनता-प्रस्तावना वह साधन है जिसके अनुसार जनता की कुछ संख्या किसी नियम के लिये प्रस्तावना कर सकती है और सभा को इस प्रस्ताव को या तो पास करना पड़ता है या जनता निर्णय की आज्ञा देनी पड़ती है। यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। रेफ़रेन्डम सभा द्वारा निर्मित नियम निषेध करने के बराबर है और जनता को स्वच्छन्द अपने नियम वनाने के अधिकार को प्रस्तावना कहते हैं। इन साधनों के कारण सभाओं को चेतावनी मिलती रहती है।

स्वीटज़रलैण्ड में यह साधन सभाओं के ऊपर ब्रेक लगाने के लिये स्थापित नहीं किये गये हैं वरन् जनता को सर्वोपरि घोषित करने के लिये।

स्वीटज़रलैण्ड की छः केन्टनों में जन सभायें हैं अर्थात् जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं लेन्डस गिमिन्डी हैं। इस कारण जनता प्रस्तावना और निर्णय की आवश्यकता नहीं है। शेष केन्टनों में रेफ़रेन्डम भिन्न भिन्न रूप में हैं। रेफ़रेन्डम कई प्रकार का होता है :—

(अ) वैधानिक—जब कि केवल विधान संशोधन सम्बन्धी नियम जनता के सामने रक्खे जाते हैं।

(ब) साधारण—जब कि साधारण नियम जनता के सामने रक्खे जाते हैं।

यह भी दो प्रकार का है—(१) आवश्यक—जब कि समस्त नियम जनता के सामने रक्खे जाने चाहिये और (२) जब कि जनता की प्रार्थना पर ही रेफ़रेन्डम की आज्ञा दी जाती है।

वैधानिक नियमों पर जनता निर्णय स्वीटज़रलैन्ड की समस्त केन्टनों में है। १० पूर्ण केन्टनों में और १ आधी केन्टन में समस्त नियमों के लिये आवश्यक रेफ़रेन्डम है और ६½ केन्टनों में केवल जनता की प्रार्थना पर ही ऐसी आज्ञा प्रदान की जाती है। परन्तु, इन केन्टनों में रेफ़रेन्डम की विधि बहुत ही सरल है। कुछ मताधिकारियों को नियम पास होने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी को रेफ़रेन्डम के लिये प्रार्थना पत्र भेजना चाहिये। इन प्रार्थियों की संख्या भिन्न भिन्न केन्टनों में चार प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत तक है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अधिकारी निर्वाचन के लिये आज्ञा देते हैं। या सामयिक (Periodic) निर्वाचन के समय जनता के समक्ष यह प्रस्ताव रक्खा जाता है। प्रायः समय समय पर निर्वाचन होते हैं। और उस अवधि में पास हुये समस्त नियम जनता के सामने रक्खे जाते हैं। ज़ूरिच केन्टन (Zürich) में साल में कई बार इस प्रकार का निर्वाचन होता है। इन निर्वाचनों के समय नियम जनता के सामने रक्खे जाते हैं। राष्ट्रीय नियमों पर रेफ़रेन्डम की आज्ञा ३०,००० मताधिकारियों की प्रार्थना से दी जाती है।

प्रस्तावना (Initiative)—प्रस्तावना भी दो प्रकार की होती है। (१) वैधानिक प्रस्तावना विधान संशोधन के लिये होती है, (२) साधारण प्रस्तावना जब कि जनता साधारण नियम निर्माण के लिये प्रार्थना करती है। वैधानिक प्रस्तावना स्वीटज़रलैन्ड की सब केन्टनों में है और साधारण प्रस्तावना फ़्रीबर्ग के अतिरिक्त अन्य समस्त केन्टनों में है। प्रस्तावना और रेफ़रेन्डम पत्रों पर समान संख्या के हस्ताक्षर होने चाहिये। प्रस्तावना की अन्य विधि रेफ़रेन्डम की भाँति है। जनता प्रस्तावना पत्र में दोष होने की संभावना है, इसीलिये सभा प्रस्ताव के विरुद्ध अपना प्रस्ताव पेश करती है। परन्तु देश के समक्ष जनता द्वारा बनाया हुआ प्रस्तावना पत्र भी रखना चाहिये। जनता का निर्णय ही अन्तिम है।

स्वीस संघ (Swiss Confederation) भी प्रस्तावना का अधिकार देता है। इसके लिये पचास हज़ार वोटरों को प्रार्थना करनी चाहिये। तदुपरान्त इस प्रस्ताव पर लोकमत लिया जाता है।

स्वीस लोग किंचित संकुचित हृदय हैं और सारे काम देख भाल कर, सोच समझ कर करते हैं। प्रस्तावना पेश करने में जनता ज़रा हिचकिचाती है। यह लोग वोट भी सोच समझ कर देते हैं। सन् १८७४ से १९२४ तक इस प्रस्तावना और निर्णय के फल स्वरूप हमको यह पता चलता है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों में जनता ने अपनी ज़िम्मेवारी नहीं दिखाई है। पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि संबंधी विषयों में तो जनता ने कभी हाँ की ही नहीं है। उन्होंने देशवासियों के साथ प्रायः अत्याचार किया है विशेष कर यहूदी (Jews) लोगों के साथ। परन्तु जनता के अधिकार वृद्धि संबंधी विषय सदैव उन्होंने पास कर दिये हैं। सामाजिक सुधार संबंधी नियमों के लिये जनता ने कभी 'नाहीं' नहीं की है—उदाहरणार्थ विवाह या मदिरा सम्बंधी विषय। ऐसे निर्वाचन के समय बहुत कम जन-संख्या मत प्रकट करने आती है इसको हम लापरवाही के अलावा और क्या कह सकते हैं।

४—फ़ेडरल सरकार

फ़ेडरल सरकार को राजदूतों के भेजने का अधिकार है। केवल फ़ेडरल सरकार ही युद्ध की घोषणा कर सकती है और संधि कर सकती है। देश की समस्त जनता को फ़ौजी शिक्षा पाना आवश्यक है, इस कारण शासन सरकार के निरीक्षण में ही सारा मिलिटरी विभाग है। फ़ेडरल सरकार का ही डाकघर, तार और रेल पर सारा अधिकार है। टकसाल घर और नोटों पर सरकार का संपूर्ण अधिकार है। समस्त व्यवसाय और बैंक सरकार के हाथ में है। सरकार चुंगी वसूल करती है परन्तु प्रजा पर कर नहीं लगा सकती है। देश की सारी जल सेना पर केन्द्रीय शासन का ही अधिकार है और साथ में 'एल्कोहाल' (Alcohol नशीली चीज़) और बारूद पर एकाधिकार (Monopoly) है। कुछ विषयों पर केन्टन और सरकार का समान अधिकार है जैसे कि तिज़ारत, इन्श्योरेन्स, सड़क, शिक्षा इत्यादि। परन्तु इन विषयों पर भी केन्द्रीय सरकार की आज्ञा ही केन्टनों के लिये शिरोधार्य है।

स्वीस सरकार का स्वरूप अमरीका के समान है। दोनों ही देशों के अन्तर्गत प्रान्तों को समान अधिकार है। दोनों देशों में शासन विधान लिखित है। दोनों ही देशों में संयुक्त सरकार और स्टेटस के अधिकार भिन्न हैं।

स्वीस शासन सरकार में व्यवस्थापिक सभा है, कार्य कारिणी है और न्याय कर्ता वर्ग (Judiciary) है। यहाँ पर दो व्यवस्थापिका सभायें हैं। प्रधान सभा

(Upper House) राज्य परिषद् (Council of State 'कौंसिल आफ़ स्टेट') के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभा में प्रत्येक केन्टन से दो प्रतिनिधि आते हैं। अमरीका में सेनेट के मेम्बर छः वर्ष के लिये जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं परन्तु स्वीटज़रलेन्ड में केन्टन ही अपने अपने प्रतिनिधियों की अवधि और निर्वाचन विधि का निर्णय करती हैं। कुछ केन्टनों में मेम्बर जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और कुछ में सभाओं द्वारा। उनके कार्य की अवधि भिन्न भिन्न केन्टनों में १ से ४ वर्ष तक है। अमरीका में सेनेट को विशेष अधिकार है—उदाहरणार्थ पद नियुक्ति पर स्वीकृति प्रदान करना, संधि पत्रों पर अंतिम विचार प्रकट करना, तथा राज्याधिकारियों के ऊपर साधारण सभा के लगाये हुये जुर्मों का फ़ैसला करना। परन्तु स्वीटज़रलेन्ड में कौंसिल आफ़ स्टेट के अधिकार कुछ भी नहीं हैं।

साधारण सभा या राष्ट्रीय सभा (National Council) में १८९ सदस्य हैं जिनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) के अनुसार होता है। दल ही मेम्बरों का नियोजन (Nomination नाम ज़द) करते हैं। प्रत्येक दल अपनी अपनी तालिका भेजता है। कभी कभी दल संघ बना लेते हैं और संघ मिश्रित तालिका भेजते हैं। बीस वर्ष वाले मर्दों को मत प्रकट करने का अधिकार है। अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद भी स्त्रियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। प्रत्येक नागरिक पादरियों के अतिरिक्त उम्मेदवार हो सकता है। निर्वाचन के समय स्वीटज़रलेन्ड में इंगलेंड और अमरीका की भाँति इतनी सनसनी नहीं फैलती है क्योंकि यहाँ पर न तो दल संगठन ही ठीक है और न वह इतना व्यय ही करने के योग्य हैं। और स्वीस लोग इतने जल्दबाज भी नहीं हैं कि आसानी से बहकाये जा सकें।

साल में राष्ट्रीय सभा के दो अधिवेशन होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तीसरा भी कर सकते हैं। इसके अधिवेशन काल की अवधि प्रायः चार सप्ताह है। कौन्सिल अपना सभापति अर्थात् स्पीकर नियुक्त करती है। मेम्बर जर्मन, फ्रेन्च, इटेलियन किसी भाषा में व्याख्यान दे सकते हैं। यह तीनों ही राज्य भाषायें हैं। समस्त राज्य-विज्ञप्तियाँ और अन्य पत्र तीनों भाषाओं में छपते हैं। इस कारण व्यय अधिक होता है। मेम्बर लोग अन्य यूरोपीय देशों की भाँति अपने दलों के साथ नहीं बैठते हैं। मंत्री स्पीकर के प्लेटफ़ार्म पर बैठते हैं। मेम्बर लोग अपने स्थानों पर खड़े हो कर व्याख्यान दे सकते हैं। सभा की सारी कार्यवाही शान्ति

के साथ होती है। किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला नहीं मचता है। मंत्री मंडल का भविष्य कदापि सभाओं के बिल निषेध करने पर या विवाद करने पर निर्भर नहीं है। उनको तीन साल बाद सभा भंग होने पर पद त्यागना पड़ता है। प्रश्न कभी भी दल की रोषाग्नि भड़काने के लिये नहीं पूछे जाते हैं।

स्वीटज़रलेन्ड में समस्त बिल दोनों सभाओं में एक साथ पेश होते हैं। अमरीका में यदि कोई एक सभा बिल को रद्द कर दे तो बिल दूसरी सभा के पास नहीं जाता है और किसी कमेटी के रद्द कर देने पर भी बिल सभा के पास नहीं जाता है।

स्वीटज़रलेन्ड में किसी सभा का कोई मेम्बर सभा में बिल पेश कर सकता है परन्तु आम तौर से मंत्री मंडल (फ़ेडरल कौन्सिल) ही यह सब काम करती है। सभा मंत्री मंडल से बिलों का मसविदा (draft) तय्यार करने के लिये भी कहती है।

स्वीटज़रलेन्ड वाले कमेटी प्रथा नहीं चाहते हैं। बिल पेश होने पर कमेटी के पास रिपोर्ट पेश करने के लिये नहीं भेजे जाते हैं, परन्तु सभा की आज्ञा से कमेटी नियुक्त की जा सकती है। दोनों सभाओं की स्वीकृति के पश्चात् ही बिल नियम बन सकते हैं। किसी सभा की ना मंजूरी पर दोनों सभाओं के प्रतिनिधियों की बैठक होती है और वह आपस में तसफ़िया कर लेते हैं। आम तौर से प्रधान सभा साधारण सभा का विरोध नहीं करती है। स्वीटज़रलेन्ड के कौन्सिल आफ़ स्टेट का उतना सम्मान नहीं है जितना कि अमरीका की सेनेट का, परन्तु फ्रान्सीसी सेनेट से अधिक प्रभुत्वशाली है। कौन्सिल आफ़ स्टेट अन्य प्रधान सभाओं की भाँति दक़ियानूसी नहीं है और न यह साधारण सभा के उपर ब्रेक का काम करती है।

साधारणतया दोनों सभाओं की बैठकें पृथक पृथक बर्न नगर में होती हैं परन्तु समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त बैठक भी होती है। संयुक्त बैठक पदाधिकारियों को नियुक्त करती है—यह मंत्री मंडल यानी फ़ेडरल कौन्सिल (Federal Council) और इसके सभापति को चुनती है। इसके अतिरिक्त चाँसलर फ़ेडरल कोर्ट के न्यायाधीशों का अथवा सेना पतियों का निर्वाचन करती है। संयुक्त सभा क्षमा प्रदान भी करती है। साल में दो बार संयुक्त सभा आमंत्रित की जाती है। संयुक्त सभा अन्य विषयों पर विवाद करने के लिये भी बुलाई जाती है।

स्वीटज़रलेन्ड की कार्य कारिणी अन्य देशों से भिन्न है। अन्य देशों में केवल राष्ट्रपति, मंत्री मंडल या राजा ही एक्ज़ीक्यूटिव होता है परन्तु यहाँ पर मंत्री मंडल और एक राष्ट्रपति कार्य कारिणी का निर्माण करते हैं। मंत्री मंडल में सात मेम्बर संयुक्त सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। उनके कार्य की अवधि तीन वर्ष की होती है बशर्ते कि साधारण सभा इस अवधि में भंग न कर दी जाय। मंत्री मंडल के सदस्य सभा के मेम्बर और अन्य लोग भी हो सकते हैं। परन्तु सदस्य बहुधा सभा के मेम्बर होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात् मंत्री गण सभाओं से इस्तीफ़ा देते हैं और उनकी जगह भरने के लिये पुनः निर्वाचन होता है। सदस्य मंत्री मंडल में जब तक चाहें रह सकते हैं।

संयुक्त सभा प्रत्येक वर्ष स्वीटज़रलेन्ड के लिये प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन करती है जो कि मंत्री मंडल का भी चेयरमेन बनता है। फ़ेडरल कौन्सिल में समान मत होने पर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है। वह केवल नाम मात्र के लिये राष्ट्र-पति बनता है। उत्सवों के समय वह उपस्थित रहता है। वास्तव में वह विभागों के शासन का निरीक्षक होता है और फ़ेडरल कौन्सिल अपने काम का सारा भार उसको सौंपती है, परन्तु प्रेज़ीडेन्ट का कोई भी कार्य तब तक जायज़ नहीं समझा जाता जब तक कि फ़ेडरल कौन्सिल अपनी अनुमति प्रदान न करे।

संयुक्त सभा एक उप-सभापति (Vice President) का भी निर्वाचन करती है। प्रेज़ीडेन्ट की अनुपस्थिति में वह कौन्सिल का सभापति बनता है और आगामी वर्ष में प्रायः प्रेज़ीडेन्ट बनता है। कोई भी व्यक्ति दो वर्ष बराबर तक प्रेज़ीडेन्ट या वाइस प्रेज़ीडेन्ट नहीं बन सकता। परन्तु एक साल की अवधि के बीत जाने पर ही पुनः निर्वाचन हो सकता है।

चांसलर का निर्वाचन भी संयुक्त सभा द्वारा होता है, परन्तु वह फ़ेडरल कौन्सिल का मेम्बर नहीं होता है। वह केवल एक सेक्रेटरी की भाँति होता है जो कि काग़ज़ात इत्यादि को सँभाल कर रखता है। वह नियमों पर अपने हस्ताक्षर करता है और निर्वाचन कार्य की देख रेख करता है। उसके कुछ भी राजनैतिक कर्तव्य नहीं हैं। उसका पद जर्मन चांसलर से बिलकुल भिन्न है।

फ़ेडरल कौन्सिल के प्रबन्धक, व्यवस्थापिक और नैतिक कर्तव्य हैं। फ़ेड-रल कौन्सिल को सदैव पार्लियामेन्ट की आज्ञा पालन करनी चाहिये। पार्लियामेन्ट में हार खाने के बाद इंगलैंड और फ़्रान्स की भाँति मंत्रियों को पद नहीं त्याग करना

पड़ता है । मंत्री मंडल जहाँ तक हो सकता है सभा की आज्ञा का पालन करता है । प्राय: समय समय पर फ़ेडरल कौन्सिल मनमानी करती है और आवश्यक विषयों पर अपने पक्ष में बहुमत पा लेती है । फ़ेडरल कौन्सिल स्वीटज़रलेन्ड की प्रधान प्रबन्धक वर्ग है । यह विदेशों से पत्र व्यवहार करती है, नियमों को कार्यान्वित करती है, सेना की देख भाल करती है । राज्य पदाधिकारियों को नियुक्त करती है, प्रत्येक वर्ष आय व्यय अनुमान पत्र तय्यार करती है । अर्थ सचिव बजट को सभा में पेश करता है । अर्थ सचिव इस पर व्याख्यान देता है और इस पर बहुमत पाने का प्रयत्न करता है । कौन्सिल सभा को अपने कार्यों का वार्षिक विवरण देती हैं । सभा इस रिपोर्ट पर अपनी सम्मति प्रदान करती है । मंत्री सदैव उत्तर दायी रहते हैं । कोई भी सभा किसी समय किसी विषय पर प्रश्न पूछ सकती है । परन्तु किसी प्रश्न पर न तो विवाद हो सकता है और न वोट ली जा सकती है ।

मंत्री गण कौन्सिल के लिये बिल तय्यार करते हैं । समस्त बिल ड्राफ़्स द्वारा तैयार किये जाते हैं । सभा के मेम्बरों के बिलों पर प्रथम कौन्सिल की सम्मति ली जाती है । इस प्रकार कोई भी बिल कौन्सिल की परामर्श लिये बिना पास नहीं हो सकता । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कौन्सिल बिल निषेध कर सकती है । अनेकों बार कौन्सिल के निषेध करने पर भी सभा ने बिल पास कर दिये हैं । कौन्सिल को फ़्रान्सीसी मंत्री मंडल की भाँति आर्डिनेन्स (Ordinance) बनाने के विशेष अधिकार नहीं हैं, परन्तु समय समय पर सभा कौन्सिल को इसका काम सौंपती है । इस प्रकार सभा का भार हल्का हो जाता है ।

कौन्सिल के कुछ नैयायिक अधिकार भी हैं । पूर्व में यह वैधानिक नियमों पर मत प्रकट करती थी और साथ में यह प्रधान शासन कोर्ट भी थी, परन्तु कुछ वर्षों से फ़ेडरल कोर्टस् ही वैधानिक नियमों पर निर्णय करते हैं । पन्द्रह वर्ष के लगभग हुये इसके यह शासन अधिकार छीन लिये गये ।

फ़ेडरल कौन्सिल की सप्ताह में बैठक होती है । आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठकें भी हो सकती हैं । सब बातें बहुमत से पास होती हैं । इसकी कार्यवाही गुप्त होती है । प्रेज़ीडेन्ट समान मत होने पर अपनी वोट देते हैं ।

स्वीटज़रलेन्ड की फ़ेडरल कौन्सिल वास्तव में केबिनेट का स्वरूप नहीं है । केबिनेट में तो सदैव एक ही दल के सदस्य रहते हैं परन्तु फ़ेडरल कौन्सिल में कई दल के मेम्बर होते हैं । केबिनेट के मेम्बर दल सम्बन्धी झगड़ों में

भाग लेते हैं और राजनैतिक विषयों पर विरुद्ध मत भी प्रकट करते हैं और समय समय पर जनता को भी इसकी सूचना देते हैं। सभा में केबिनेट के निर्णय के विरुद्ध भी भाषण करते हैं। घोर मतभेद होने पर भी किसी मंत्री को मंडल से इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता है। इस पारस्परिक विरोध का निपटारा सभा ही करती है।

फ़ेडरल कौन्सिल सभा के सामने ऐसे ही बिल पेश करती है जिनको कि सभा चाहती है। सभा फ़ेडरल कौन्सिल के प्रस्तावों में विशेष संशोधन नहीं करती है।

स्वीटज़रलेन्ड की शासन सरकार ज़िम्मेवार भी है और अधिक काल तक जीवित रहती है। कार्य का भार दो संस्थाओं के हाथ में है परन्तु उनमें सदैव सहयोग रहता है। केबिनेट में दलबन्दी न होने के कारण बड़े राजनीतिज्ञ भी भाग ले सकते हैं।

फ़ेडरल कौन्सिल का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित सात विभागों में से किसी एक का मेम्बर होता है:—(१) राजनैतिक, (२) आर्थिक, (३) न्याय, (४) देशी (Interior), (५) सेना, (६) डाकघर और रेलवे, (७) कृषि, तिजारत और व्यवसाय, प्रत्येक विभाग में अनेकों सहायक होते हैं जिनको कौन्सिल नियुक्त करती है। कुछ अफ़सरों की नियुक्ति प्रतियोगिता (Competition) द्वारा होती है। कौन्सिल परीक्षा परिणाम को रद्द करके अपने मनमाने अफ़सर नियुक्त कर सकती है। सरकारी नौकरों को परिश्रम अधिक करना पड़ता है और वेतन भी अधिक नहीं मिलता है।

स्वीटज़रलेन्ड में केवल एक फ़ेडरल कोर्ट है। इस कोर्ट में चौबीस न्यायाधीश हैं जिनका निर्वाचन संयुक्त सभा छः वर्ष में करती है। आमतौर से सभा न्यायधीशों को पुनः निर्वाचित करती है। कोर्ट के तीन हिस्से किये गये हैं जो दीवानी के मुक़दमों का फ़ैसला करते हैं। केन्टन और राष्ट्र में मतभेद होने पर यही कोर्ट झगड़ों का निपटारा करती है। केन्टन कोर्टस के मुक़दमों की अपील फ़ेडरल कोर्ट करती है। देश द्रोह के मुक़दमे और राष्ट्रीय नियम भंग के जुर्मों का फ़ेडरल कोर्ट ही निर्णय करती है। फौजदारी के मुक़दमों को तय करने के लिये कोर्ट चार हिस्सों में बँटा हुआ है, इनमें से पंच (Jury) का काम करता है। फौजदारी के मुक़दमों में मुजरिम बारह पंचों के लिये प्रार्थना कर सकता है।

फ़ेडरल कोर्ट केन्टन द्वारा निर्मित नियमों को निर्मूल कर सकती है बशर्ते कि केन्टन के नियम विधान विरुद्ध हों या राष्ट्रीय सभा के नियमों के विरुद्ध । परन्तु राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित नियमों को अवैध घोषित नहीं कर सकती । इस कारण कोर्ट को नैयायिक प्रधानता (Judicial Supremacy) प्राप्त नहीं है ।

स्वीटज़रलेन्ड में शासन सम्बन्धी नियम हैं परन्तु शासन सम्बन्धी कोर्टस नहीं हैं (There are administrative laws but no administrative courts) । जब राष्ट्रीय सभा या किसी नागरिक में मतभेद होता है तो मंत्री मंडल ही उसको तय करता है । यदि मंत्री मंडल के फ़ैसले से नागरिक को सन्तोष न होवे तो वह संयुक्त सभा से प्रार्थना कर सकता है । इस प्रथा से कुछ सन्तोष नहीं हुआ है । पार्लियामेन्ट मनमानी कर सकती है । विधान संशोधन के अनुसार शासन कोर्ट तो होनी चाहिए परन्तु उनका निर्माण किस प्रकार होवे यह अभी तक तय न हो पाया है ।

स्वीटज़रलैण्ड की आन्तरिक दशा को देख कर सब कोई यही ख़्याल करेंगे कि यहाँ पर अनेकों दल होने चाहिए—यहाँ पर जाति, बोली, भाषा अथवा धर्म में विभिन्नता है । यहाँ पर श्रमजीवी भी हैं । सन् १८४८ के सोन्दरबन्द युद्ध के कारण गृह कलह बढ़ गया जो अभी तक है । परन्तु वास्तव में इस देश में दलों की संख्या बहुत ही कम है । यहाँ पर केवल चार ही दल हैं—धार्मिक,, कृषक, स्वतंत्र प्रजातंत्री, और साम्यवादी (Clericals, Agrarians. Independent, democrats, and Social Democrats), दलबन्दी जाति, भाषा या धर्म विचार के आधार पर नहीं है । समय समय पर दलों की संख्या घटती बढ़ती रहती है । लोग दल की अपेक्षा राष्ट्र का अधिक ध्यान रखते हैं । बहुत अधिक जन संख्या निर्वाचन के समय मत प्रकट करती है । वोटरों का हार जीत से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है ।

स्वीटज़रलैण्ड के विधानानुसार समस्त नागरिकों को सेना में काम करना पड़ता है, परन्तु राष्ट्रीय संग कोई स्थायी सेना (Standing Army) नहीं रख सकता । समस्त जनता को सेना के काम में भाग लेना पड़ता है । सन् १९०७ के रेफरेन्डम ने इसको पास भी कर दिया है । सेना शिक्षा का काम स्कूलों में ही आरम्भ हो जाता है । उन्तीसवें वर्ष समस्त नागरिकों को डाक्टरों से स्वास्थ्य की जांच (Test of fitness) करानी होती है और उनकी योग्यता का

पता चलाया जाता है। जो लोग अयोग्य समझे जाते हैं उनको ज़रा हल्की सी अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती है। योग्य पुरुष शिक्षार्थ किसी स्कूल में भेजे जाते हैं और इसमें ६५ दिन से ९० दिन तक काम करना पड़ता है। (पैदल, सवार, बारूद, हवा—इन चारों में से किसी एक विभाग में काम करना पड़ता है)। बीस वर्ष से बत्तीस वर्ष तक के नागरिकों को 'लाइन आर्मी' (Line Army) में काम करना पड़ता है। और साल में पन्द्रह दिन तक किसी केम्प में रहना पड़ता है। बत्तीस वर्ष की अवस्था में नागरिक 'सेकेन्ड लाइन सेना' (Second line) में भेजा जाता है जहाँ कि नागरिकों को कुछ ही दिन के लिए काम करना पड़ता है। चालीस वर्ष की अवस्था के बाद केवल हथियार इत्यादि का ही निरीक्षण होता है।

सेना के अफ़सरों की नियुक्ति रंगरूट स्कूल (Recruit School) की परीक्षा के पास करने के उपरान्त की जाती है। इन लोगों को विशेष शिक्षा दी जाती है। यह लोग सिपाही नहीं होते हैं वर अन्यान नौकरियाँ भी करते रहते हैं। केवल ३०० सेनाध्यक्ष स्थायी कर्मचारी होते हैं जो कि केवल शिक्षा देते हैं। इतना कम प्रबन्ध होने पर भी स्वीटज़रलैण्ड किसी समय भी १,५०,००० आदमियों की सेना इकट्ठी कर सकता है। महायुद्ध के समय में स्वीटज़रलैण्ड उदासीन (Neutral) देश था परन्तु तब भी २००,००० सेना अपने पास रखना ठीक समझा। यह सब सेना प्रबन्ध देश को आक्रमणों से बचाने के लिए किया गया था। सेना शिक्षा आवश्यक होने पर भी लोगों में मिलिटेरिज़म (Militarism) नहीं आया है।

अन्त में हम स्वीटज़रलैण्ड की प्रशंसा के लिए यही कह सकते हैं कि प्रजातंत्र राज्य होते हुए भी प्रजातंत्र के दोष नहीं हैं। इसका क्या कारण है? देश का छोटापन, प्राकृतिक सीमा और रक्षा के साधन। देशवासी समृद्धिशाली, देशभक्त और विद्वान हैं। यहाँ की जनता न तो बहुत निर्धन है और न बहुत धनवान ही है। प्राचीन परिपाटी और प्रणाली भी इस देश की सदैव सहायक रही है।

Italy (इटली)

१—इतिहास

यूरोप के किसी देश का इतिहास इटली के समान मनोरंजक नहीं है। इसको समय समय पर अनेकों आपत्तियों का सामना करना पड़ा है जिनका कुछ ठिकाना नहीं है। इस देश के उत्तर में लम्बार्डी, पीडयन्ट टस्केनी, और वेनीशिया है, दक्षिणी भाग में रोम के अतिरिक्त अन्य देश है। इस राज्य में नेपल्स राज्य और सार्डिलिया द्वीप भी शामिल हैं। इटली के सारे देश का क्षेत्रफल लगभग ९०,००० वर्ग मील है, और इसकी जन संख्या लगभग ३,८०,००,००० (तीन करोड़ अस्सी लाख) है।

ईसा से सात शताब्दी पूर्व यहाँ पर प्राचीन जातियाँ रहती थीं। ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व यहाँ पर रोमन्स ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इन लोगों ने अपने सामर्थ्य से सारे यूरप पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। रोम की कीर्ति सारे संसार में गूंज उठी थी। उन्हीं का साम्राज्य प्राचीन काल में सब से बड़ा था। इटली संसार भर की शिक्षा और सभ्यता का देश बन गया। रोम वालों ने अपनी राजधानी से साम्राज्य के मुख्य नगरों को सड़कें बनाईं। रोम इतिहास में 'इटर्नल सिटी' (Eternal City सदैव स्थित रहने वाला नगर) प्रसिद्ध है। इस साम्राज्य ने संसार की बड़ी सेवा की है। इसका इतिहास मनुष्य जाति के लिये चिरस्मरणीय रहेगा। इन सब बातों का उल्लेख करने का इस समय स्थान नहीं है। जैसे रोम साम्राज्य की वृद्धि हुई वैसे ही उसका पतन भी हुआ। अन्त को पाँचवी शताब्दी तक साम्राज्य बिल्कुल नष्ट हो गया। उत्तर देश की बर्बर हूश जातियाँ इटली पर चढ़ आईं जिन्होंने कि सारे देश का सत्यानाश कर दिया। इन लोगों ने नगरों को उजाड़ दिया, शासन सरकार को निर्मूल कर दिया। तदुपरान्त भिन्न भिन्न वंशों ने इटलो पर अपना अधिकार स्थापित किया—वाईजेन्टाइन, गोथिक, लोम्बार्ड, और केसेलिंजियन। पाँचवी शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक देश में चारों ओर अराजकता रही। मनुष्यों के जान व माल की रक्षा नहीं हो सकती

थी। पोप सदैव राजाओं से झगड़ा करते रहते थे। दोनों अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इस कारण देश का और भी सर्वनाश होने लगा।

ग्यारहवीं शताब्दी में जातीयता का पुनर्जीवन होने लगा, देश खोई हुई वस्तु को पाने में लग गया। पुनरुत्थान आरम्भ हुआ छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। अपने अपने राज्यों का उन्होंने संगठन किया, परन्तु वह पारस्परिक युद्ध में संलग्न रहे। मध्यकाल के अन्त होने पर भी इटली का संगठन या ऐक्य न हो सका। इसी बात की विशेष आवश्यकता थी, परन्तु यह कैसे हो सकता था। एक्य योजना के बजाय लगातार घरेलू लड़ाइयों (Civil war) ने देश को तहस नहस कर डाला। बाहिरी जातियों ने इटली पर अनेकों आक्रमण किये और अपना अधिकार स्थापित किया। इटली की अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय थी। उसकी अवस्था का चित्र हम आपके सामने क्या खींचें वह केवल नक्शे पर नाम मात्र के लिये स्थित था (Italy was a mere geographical expression) इसके कारण थे—अनेकों राज्य, प्रान्तीय द्वेश, विदेशी आधिपत्य और राष्ट्र अप्रियता।

सन् १७९६ से १७९९ तक नेपोलियन इटली में रहा। अनेकों युद्ध करने के बाद उसने सारे देश को अपने अधिकार में ले लिया। यह देश फ्रान्स के अधिकार में आ गया। यहीं से इटली के ऐक्य संग्राम का श्रीगणेश होता है। नेपोलियन ने अपने साम्राज्य काल में अपने बनाये हुये कोड से ही इटली का शासन किया। इटली वाले सदा के बद किस्मत ठहरे। नेपोलियन के अधःपतन के बाद इटली में पुनः अराजकता फैल गई, द्वेष बढ़ गया। परन्तु इटली वालों का दृष्टि कोण बढ़ गया, वह ओजस्वी राष्ट्रवादी हो गये। देशभक्त इटली को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करने लगे परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि एक दूसरे नेपोलियन के पतन के बाद ही इटली का एकीकरण हो सका।

नेपोलियन के पतन के बाद बीना कांग्रेस के सामने यूरोपीय देशों में सीमा परिवर्तन करने का प्रथम सवाल था। बीना कांग्रेस में इटली का कोई चित्र न था। आस्ट्रिया यही चाहता था कि इटली में एक्य न हो। यही नहीं आस्ट्रिया सारे देश पर अपना आधिपत्य भी स्थापित करना चाहता था। आस्ट्रिया को वेनीशिया और मिलान मिले। पार्मा, मेडोना, टस्केनी, नेपल्स अन्य देशों को मिले। पोप को रोम और अन्य जागीरें मिलीं। केवल सार्डिनिया, सेवोय, और पीड़मन्ट इटली के वंशजों के पास ही रहे। इस प्रकार इटली की दुर्गति हुई।

वीना कांग्रेस ने देश का अधिकांश भाग तो परदेशियों को अवश्य दे दिया, परन्तु राष्ट्रीयता को दबाने में असमर्थ रहे। नेपोलियन की दूर दर्शिता ने भी ऐक्य आन्दोलन को भाँप लिया था। सेन्ट हेलेना द्वीप से (जहाँ पर कि उसको देश निर्वासन दंड दिया गया था) उसने लिखा "शीघ्र ही इटली की भाषा, साहित्य और रीतिरिवाज़ का संगठन होगा और सारे देश की एक शासन सरकार होगी।" अस्तु ऐसा ही हुआ। राष्ट्रीयता की जागृति का श्रीगणेश सार्डिनिया के राज्य में आरम्भ हुआ परन्तु संगठन करने की कोई भी तरकीब सफल होना असम्भव दीख पड़ती थी। सार्डिनिया राज्य तक में कोई विधान न था। सन् १८४८ में यहाँ के राजा चार्ल्स ऐल्वर्ट ने प्रजा की स्वतंत्रता का फ़रमान पेश किया। इस फ़रमान पत्र के फलस्वरूप आस्ट्रियन्स अत्यन्त ही क्रुद्ध हुये, चार्ल्स ऐल्वर्ट को अपनी गद्दी तक त्यागनी पड़ी। उसके पदत्याग करने के पश्चात उसके पुत्र ने पिता की रीति के अनुसार ही काम किया। इस प्रकार सार्डिनिया में वैधानिक राजतंत्र शासन की स्थापना हुई। बीस वर्ष तक इटली अपने शत्रुओं से बराबर लड़ता रहा। सन् १८५२ में काउन्ट केवूर (Count Cavour) प्रधान मंत्री बने, वह बहुत ही गूढ़ राजनीतिज्ञ और देशभक्त थे। वह अपने देश को एकता के सूत्र में बाँधना चाहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियों का प्रयोग किया। उसकी डिप्लोमेसी की तुलना हम बिसार्क की डिप्लोमेसी से कर सकते हैं। केवूर भली भाँति जानते थे कि आस्ट्रिया को परास्त किये बिना इटली कभी पूरी स्वतंत्रता नहीं पा सकता है। आस्ट्रिया को निकालना ही उसने अपने कार्य की सफ़लता की प्रथम सीढ़ी समझी। आस्ट्रिया के पास बड़ी सेना थी। ऐसे महान् देश से छोटा सा राज्य सार्डिनिया—पीडमंड बिना सहायता के अकेला कैसे लड़ सकता था। केवूर ने यूरोपीय राष्ट्रों से मित्रता गाँठना आरंभ किया। सन् १८५५ में उसने इंगलेंड और फ्रान्स को रूस के विरुद्ध सहायता दी। इस सहायता का उद्देश्य था कि समय पड़ने पर फ्रान्स इटली की सहायता करे। आख़िरकार उसने तृतीय नेपोलियन को अपने वश में कर लिया। इससे आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में लड़ने का वचन ले ही लिया। फ्रान्स और इटली की संयुक्त सेनाओं ने आस्ट्रिया को सन् १८५९ में मेजन्टा और सालफेरीनो (Maganta and Salferino) के युद्धों में पराजित किया। परन्तु आस्ट्रिया वालों पर पूर्ण विजय पाने से पहले ही नेपोलियन ने इटली वालों का साथ छोड़ दिया और आस्ट्रिया के साथ सन्धि कर ली। इटली वालों को

नेपोलियन की इस कार्यवाही से बड़ा धक्का पहुँचा। लम्बार्डी आस्ट्रिया वालों से छीन कर सार्डिनिया में मिला दिया, परन्तु वेनेशिया इटली वालों को न मिल सका। नेपोलियन के विश्वासघात से केवूर रुष्ट अवश्य हुआ, परन्तु उसने अपना मन्तव्य नहीं त्यागा। जनता में राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव होता रहा। बहुत से छोटे छोटे राज्यों ने हिम्मत करके अपने देश से परदेशियों को निकाल कर अपने राज्य को सार्डिनिया में सम्मिलित कर दिया। महात्मा गेरीवाल्डी की अध्यक्षता में नेपलस और सिसली ने भी सन् १८६० में विद्रोह की पताका फहराई, परदेशियों को बाहर निकाल दिया और सार्डिनिया में सम्मिलित हो गये। केवल वेनेशिया और रोम इटली के अधिकार से बाहर रहे। महाशय केवूर अधिक काल तक जीवित न रह सके। सन् १८६६ में प्रशा की सेनाओं ने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया। आस्ट्रिया की इस आपत्ति काल में इटली वालों का हाथ लग गया उन्होंने वेनेशिया को ले लिया। सन् १८६६ से नेपोलियन भी इटली में हस्तक्षेप करने लगा। उसकी सेना सदैव रोम की सहायता के लिये तत्पर थी। इस कारण चार वर्षों तक रोम इटली वालों के हाथ में न आ सका। सन् १८७० में सीडन के युद्ध में नेपोलियन प्रशा वालों से हार गया। नेपोलियन ने अपनी सहायता के लिये रोम से सेना बुला भेजी। इटली वालों को मौक़ा मिल गया और रोम को भी अपने हाथों में ले लिया। रोम इटली की राजधानी घोषित किया गया। पोप के अधिकारों का अन्त हुआ।

२—मंत्री मंडल

सन् १८४८ में चार्ल्स ऐल्बर्ट ने अपने देश सार्डिनिया को एक फ़रमान (Statute) मंजूर किया। यह फ़रमान ही इटली का आधुनिक विधान है। रीति रिवाज, संशोधन इत्यादि ने इस फ़रमान का स्वरूप ही बदल दिया है। इसी पत्र के अनुसार इटली का शासन होता है। यह फ़रमान सार्डिनिया राज्य के लिये था। जैसे इटली की बढ़ोत्तरी होती रही और अन्य राज्य इसमें सम्मिलित होने लगे यह फ़रमान भी इन राज्यों के लिये लागू होने लगा।

इस विधान में संशोधन साधारण रीति से पार्लियामेन्ट के ऐक्ट द्वारा हो सकता है। पार्लियामेन्ट द्वारा निर्मित नियम अवैध घोषित नहीं किये जा सकते। पार्लियामेन्ट जनता की अनुमति बिना कभी विधान में संशोधन नहीं करती है।

इटली देश का विधान पत्र बहुत ही संक्षिप्त है, जिसमें कि केवल सिद्धान्त अंकित हैं। इस विधान के ८४ अंक (Articles) हैं। इसी विधान पत्र की नींव पर नियम, डिक्री, रीति रिवाज का विशाल भवन स्थित है।

इटली में वैधानिक राजतंत्र शासन (Limited Monarchy) है। आजकल के राजा विक्टर इमन्युल द्वीतिय चार्ल्स एल्वर्ट के परपोते हैं। इस राजा के अधिकार इंगलेंड के वैधानिक राजा की भाँति हैं। सारे कार्य उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा होते हैं। सारी कार्यवाही राजा के नाम से होती है। सारे कार्यों पर मंत्रियों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। मंत्री केवल चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को ही उत्तर-दायी है, और उनका पद भी सभा के बहुमत ही पर निर्भर है। इस प्रकार इटली का शासन इंगलेंड से मिलता जुलता है। सन् १९२३ से पूर्व चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में अनेकों दल थे, किसी का भी विशेष मत न था। इस कारण दल सदैव संघ बनाते थे। यह संघ अधिक काल तक जीवित नहीं रख सकते थे जिसके फल स्वरूप मंत्री मंडल को भी पद त्यागना पड़ता था। विधान बनने के पचास वर्ष तक इटली में ऐसी ही गड़बड़ी होती रही—मंत्री मंडल की नियुक्ति और उसके पद त्याग का लौट फेर। सन् १९२३ में चेम्बर के सदस्यों की निर्वाचन विधि में परिवर्तन कर दिया गया जिसके अनुसार जिस दल के चेम्बर में सबसे अधिक मेम्बर होंगे वह शासन की बागडोर अपने हाथ में लेगा। इस प्रकार मंत्री मंडल के सदस्य भी एक ही दल के मेम्बर होने लगे।

राजा का मुख्य परामर्श दाता एक प्रधान मंत्री होता है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति विधि वैसी ही है जैसे कि इंगलेंड में है। राजा बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करके उसको मंत्री मंडल के बनाने का काम सौंपता है। केबिनेट के सारे सदस्य पार्लियामेन्ट के मेम्बर होते हैं। मंडल के सदस्य और सहयोगी (Under secretaries) भी दूसरी सभा के समक्ष जाकर व्याख्यान दे सकते हैं। मंडल में चौदह सदस्य होते हैं। प्रधान मंत्री मंडल की संख्या घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक मंत्री का एक सहयोगी होता है जिसको कि प्रधान ही नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री मंडल का मालिक है, वह जो चाहे सो कर सकता है।

मंत्री मंडल की नियुक्ति केवल एक दल से होने के कारण इसका स्वरूप इंगलेंड के केबिनेट का सा है, इसका संगठन और कार्य विधि फ्रांस की भाँति है। पार्लियामेन्ट केवल नियम बनाती है—उनका ख़ाका और सिद्धान्त, बाकी सारी

ज़ाब्तेपुरी मंडल के हाथों में है। मंत्री मंडल पूर्ति करने के लिये, डिक्री और आर्डि-नेन्स बनाते हैं। मंत्री मंडल के सहकारी भी—सहयोगी, प्रीफ़ेक्ट, सब प्रीफ़ेक्ट, इत्यादि बहुत सी डिक्रियाँ बनाते हैं।

इटली की पार्लियामेन्ट के दो भाग हैं।

३—सेनेट

इटली का सेनेट संसार की अन्य प्रधान सभाओं से भिन्न है। इसमें इंगलैंड की सरदार सभा (House of Lords) और केनाडा की प्रधान सभाओं का मिलान है। इसके कुछ मेम्बर उत्तराधिकारी (Hereditary) हैं और कुछ जीवन भर के लिये चुने जाते हैं। इटली के राजवंश वाले आजीवन सेनेट के मेम्बर रहते हैं, परन्तु अधिकतर मेम्बर चुने जाते हैं। प्रधान मंत्री की परामर्श से ही राजा सेनेटरों को चुनता है। नियुक्त मेम्बरों की अवस्था कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिये। राजा को भिन्न भिन्न समुदायों का ध्यान रखना पड़ता है। फ़रमान पत्र में तो इस प्रकार के इक्कीस विभाग हैं परन्तु वास्तव में केवल चार ही मुख्य विभाग हैं जिनमें से सेनेटर चुने जाते हैं:—

(१) बिशप और गिर्जाघर के मुख्य कर्मचारी।

(२) जो लोग सेना या शासन में उच्च पदाधिकारी रह चुके हैं।

(३) वैज्ञानिक और साहित्यिक पुरुष जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया है।

(४) वह लोग जो कि देश का नियमित कर देते हैं।

यदि यह शर्तें पूरी न होवें तो सेनेट किसी व्यक्ति को सेनेटर बनाने से इन्कार कर सकती है। यदि ये शर्तें पूरी होवें तो सेनेट उनकी नियुक्ति को रद्द नहीं कर सकती।

सेनेट के सदस्यों की संख्या नियमित नहीं है। आजकल लगभग चार सौ सदस्य हैं। सन् १८७२ के बाद कोई पादरी सेनेट का सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है। अधिकतर सेनेट चेम्बर के सदस्यों में से या उच्च पदाधिकारियों में से चुने जाते हैं। एकेडमीज़ और विश्वविद्यालयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

विधानानुसार सेनेट और चेम्बर के लगभग समान अधिकार हैं। परन्तु अर्थ बिलों का श्रीगणेश चेम्बर में ही होता है। सेनेट चेम्बर द्वारा स्वीकृत नियमों

को कभी रद् नहीं करती है। समय समय पर सेनेट संशोधन भी कर सकती है। यदि यह संशोधन चेम्बर को न पसन्द हों तो सेनेट को सिर झुकाना पड़ता है। यदि सेनेट चेम्बर की राय मानने को तैयार नहीं है तो मंत्री मंडल राजा से नये सेनेटर नियुक्त करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार सेनेट का विरोध निर्मूल किया जा सकता है। सन् १८९० में ७५ नये सेनेटर नियुक्त किये गए थे और सन् १८९२ में ४२ और नियुक्त किये गए थे। सेनेट को इससे शिक्षा मिल गई है वह अब चेम्बर का बहुत कम विरोध करती है। इस प्रकार नियम निर्माण में सेनेट का कुछ हाथ नहीं है।

मंत्री मंडल किस को उत्तरदायी हैं? सेनेट को या चेम्बर को? विधान तो केवल यह कहता है कि मंत्री मंडल उत्तरदायी होगा। किसको उत्तरदायी होगा सेनेट में इसका ज़िक्र ही नहीं। समय की प्रथानुसार मंत्री मंडल केवल चेम्बर को उत्तरदायी हैं। सेनेट के विरुद्ध मत होने पर मंत्री अपना पद नहीं त्याग करते हैं। चेम्बर ही मंत्री मंडल पर अधिकारान्वित है। सन् १९२३ के निर्वाचन परिवर्तन के बाद मंत्री मंडल ही सब कुछ है क्योंकि इसकी नियुक्ति विशेष दल में से होती है।

इटली का सेनेट पूर्णतया विद्वत मंडली है। संसार के किसी अन्य देश के सेनेट में इतने अधिक विद्वान् पुरुष नहीं हैं। इस सभा में वैज्ञानिक, साहित्यिक, राजनैतिक सभी प्रकार के लोग हैं। इस सभा को ख्याति और ज्ञान का भंडार कहना अत्युक्ति न होगी। परन्तु जनता पर इस सभा का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। सेनेट को अधिकार सम्पन्न या शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सेनेट का निर्वाचन जनता द्वारा होना चाहिए।

प्रधान सभा का सुधार करने के लिए समय समय पर घोर प्रयत्न किया गया है। अनेकों तरकीबें सोची गई हैं, उनमें से मुख्य है अर्कोलियो प्लान (Arcoleon plan)। इसकी रिपोर्ट का काम एक सरकारी कमीशन को सौंपा गया जिसने कि अनेकों देश की प्रधान सभाओं की देख भाल की। इस प्लान के अनुसार सेनेटर फ्रांस देश की भाँति निर्वाचन केन्द्र (Electoral Colleges) द्वारा होना चाहिए था। यह सेनेटर भिन्न उद्यमों और व्यवसायों के प्रतिनिधि होने चाहिए थे—(उदाहरणार्थ—चेम्बर आफ़ कामर्स, कृषि संघ, लेबर संघ, विद्वत मंडली इत्यादि)। देश के भिन्न भिन्न भागों से प्रतिनिधि साधारण सभा में आ

जाते हैं, इस कारण सेनेट का निर्माण भिन्न भिन्न रीति से होना चाहिए। अर्कोलियो प्लान डिप्टियों को पसन्द न हुई और नामंजूर कर दी गई। यदि यह प्लान मंजूर कर ली जाती तो डिप्टियों के अधिकार कम हो जाते, डिप्टी यह कब चाह सकते हैं।

४—चेम्बर आफ़ डिपुटीज़

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ इटली की साधारण सभा है। इसके ५३५ सदस्य हैं। इक्कीस वर्ष के समस्त मर्दों को मताधिकार है। निर्वाचन गुप्त रीति से होता है। लिखाई पढ़ाई की परीक्षा नहीं ली जाती। पूर्व में एक केन्द्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता था इस प्रथा के दोष गिनाने की आवश्यकता नहीं है। सन् १८८२ में एक नई प्रथा स्थापित की गई—"स्क्रूशिनियो डिलिस्टा" (Scrutionio dilista) इस प्रथा के अनुसार निर्वाचन केन्द्र बड़े कर दिए गए और प्रत्येक दो केन्द्र पाँच मेम्बर भेजने लगे। यह विधि भी ठीक नहीं समझी गई और पुनः एक केन्द्र एक प्रतिनिधि प्रथा की स्थापना की गई। प्रतिनिधित्व प्रथा की स्थापना की गई। सन् १९२३ में मसोलिनी ने इस प्रथा को हटा कर एक दूसरी प्रथा की स्थापना की जो कि 'फ़ासिस्ट प्लान' (Fascist Plan) के नाम से प्रसिद्ध है।

फ़ासिस्ट प्लान—यह प्रथा सन् १९२३ के निर्वाचन सुधार का अंग है। इस प्रथा को गैर संख्या-तुल्य-निर्वाचन (Unproportional Representation) कहना अत्युक्ति न होगा। सर्वसाधारण निर्वाचन (General Election) के समय प्रत्येक दल अपने अपने उम्मेदवारों की तालिका (List) बनाता है। वोटर किसी एक सूची के लिये मत प्रकट करता है। जिस दल को वोटों की सब से अधिक संख्या प्राप्त होती है उस दल को उस केन्द्र का $\frac{2}{3}$ प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। सारा देश १५ भागों (Regions) में बाँटा गया है। दल को समस्त भागों के लिये तालिकायें बनाने का अधिकार है। कुछ भागों में तो दस तालिकायें पेश की गईं और कुछ में केवल तीन या चार। केवल फ़ासिस्ट, पोपोलारी, और साम्यवादी दलों ने समस्त भागों में अपनी अपनी तालिकायें पेश कीं। सन् १९२४ के निर्वाचन में १३६० उम्मेदवार खड़े हुये। निर्वाचन पत्र (Ballot Paper) पर केवल दल का नाम या चिन्ह होता है। वोटर दल के नाम के आगे (× निशान) नहीं बनाते हैं वरन् दल चिन्ह के आगे लाइन खींच देते हैं। फ़ासिस्ट दल का चिन्ह लकड़ियों का

गट्ठर और कुल्हाड़ा है* । पोपोलारी दल का चिन्ह फरी (Shield) है । फ़ासिस्ट दल को केवल ४० प्रति शत वोट प्राप्त हुये और उसके ३५६ सदस्य सभा में निर्वाचित हुये । अन्य दलों को उनकी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिला ।

इस प्रथा का सिद्धान्त यह है कि दल शासन तब तक ठीक प्रकार से नहीं हो सकता जब तक किसी एक दल का विशेष मत न हो । दल उत्तरदायी जब ही हो सकते हैं जब कि उसको अधिकार प्राप्त हों । संघ शासन के होने से ज़िम्मेवारी का बँटवारा हो जाता है । मसोलिनी का आशय यह था कि किसी एक दल का सभा में विशेष बहुमत होना चाहिये । जिससे कि मंत्री-मंडल को सदैव पद-त्याग का भय न रहे, और दलों में फूट न मचे ।

प्रथम दृष्टि के निरीक्षण से ही हमको इस प्रथा के दोषों का पता चलता है । कोई भी इस प्रथा की सराहना नहीं कर सकता है । यह बात तो ठीक नहीं है कि फ़ासिस्ट वादियों को केवल चालीस प्रतिशत वोट पा जाने से उनको इतना अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाय । क्या इसी का नाम प्रजातंत्र है ? यह प्रथा तो प्रजातंत्र जैसे शुद्ध नाम को दूषित करती है । इस प्रथा का घोर विरोध किया गया । सन् १९२५ में मसोलिनी ने हार कर यह घोषित किया कि विधान संशोधन अथवा निर्वाचन विधि परिवर्तन के लिये एक कमीशन बनाया जायगा । इस कमीशन के अट्ठारह सदस्य थे जिसने कि निम्नलिखित स्कीम तय्यार की । चेम्बर में छः सौ सदस्य होने चाहिये, इनमें से आधों का निर्वाचन केन्द्र द्वारा और आधों का व्यवसायों के अनुसार । चेम्बर के विरुद्ध मत प्रकट करने पर मंत्री-मंडल को पद नहीं त्यागना चाहिये, वरन् उसकी प्रार्थना पर चेम्बर और सेनेट की संयुक्त सभा होनी चाहिये । पार्लियामेन्ट ने अभी तक इस प्रथा के अनुसार अमल नहीं किया है । केन्द्रीय निर्वाचन और व्यवसायिक निर्वाचन तो ठीक है परन्तु मंत्री-मंडल का दोनों सभाओं के प्रति उत्तरदायी होना असंभव सा प्रतीत होता है ।

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ के कार्य काल की अवधि पाँच वर्ष है । प्रधान मंत्री के परामर्श से राजा सभा को भंग कर सकता है । औसत लगाने पर हमको यह पता चलता है कि इसकी अवधि तीन वर्ष की है । नये निर्वाचन विधि के स्थापन से यह

---

*इसका तात्पर्य्य है ऐक्य और हुक्म का प्रदर्शन करना (Bundle of sticks and an axe are the symbol of unity and authority) ।

आशा की गई थी कि मंत्री-मंडल का पद अब दृढ़ हो जायगा। ऐसा होने से मंत्री-मंडल पूरे पाँच वर्ष तक निर्विघ्न काम कर सकेगा और सभा भंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा के विपरीत ही सारा काम हुआ। बहुत से सदस्यों ने जिनका निर्वाचन फ़ासिस्ट टिकट पर हुआ था आवश्यकता पड़ने पर सहायता न दी। फ़ासिस्ट दल का बहुमत था और थोड़े से काल में ही बहुमत जाता रहा। मंत्री-मंडल के लिये अब एक चारा रह गया—इस्तीफ़ा या डिक्टेटरशिप।

चेम्बर प्रत्येक वर्ष आमंत्रित की जाती है और कभी कभी तो पूरे साल तक काम करती है। सभा अपने लिये सभापति का निर्वाचन करती है। स्पीकर को उदासीन वृत्ति (Neutrality) धारण करनी पड़ती है।

नियम निर्माण विधि तो पूर्व में इङ्गलैण्ड के समान थी, परन्तु अब किंचित अन्तर हो गया है। इङ्गलैण्ड का अनुकरण करना तो बहुत ही कठिन है। इङ्गलैण्ड में केवल दो दल हैं और इनमें से एक शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है और दूसरा विरोध करता है। इटली की विधि फ्रांस के चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ से मिलती-जुलती है।

इटली की पार्लियामेन्ट धीरे-धीरे अंग्रेज़ी प्रथा को त्याग करके फ़्रान्सीसी प्रथा को अपना रही है। विशेष कर कमेटी नियुक्ति और प्रश्नोत्तरी विधि फ्रान्स से मिलती-जुलती है। कमेटी नियुक्ति की विधि वही है जो कि बहुत काल तक फ़्रान्स में थी। सारे सदस्य नौ हिस्सों में बाँटे गये हैं। दो महीने के बाद इन हिस्सों में काट छाँट होती है। कमीशन बनाने के लिये हर हिस्से से एक मेम्बर लिया जाता है। और इस प्रकार नौ मेम्बरों की एक कमेटी बनती है। आवश्यक विषयों के लिये कमेटी विशेष प्रकार से बनाई जाती है। बजट आदि आवश्यक विषयों पर मंत्री-मंडल चेम्बर से एक कमेटी बनाने की प्रार्थना करता है। सभा का ठीक प्रकार शासन करने के लिये Committee on Rules का निर्माण स्वयं सभापति करता है। पहले पहल अमरीका में भी ऐसा ही होता था। यहाँ कमेटियों को बहुत कम काम करना पड़ता है। कुछ वर्षों से कमेटियों का काम और भी कम हो गया है। क्योंकि फ़ासिस्ट दल मंत्री-मंडल सभा की एक स्थायी कमेटी की भाँति है।

इटली में प्रश्नोत्तर विधि फ्रान्स के समान है। नियम और विधि दोनों देशों में समान हैं, परन्तु वे एक बात में भिन्न हैं। फ्रान्स में प्रश्न के उत्तर दे देने के उपरान्त विवाद होता है और तब ही वोट ली जाती है, परन्तु इटली में एक सप्ताह के बाद

विवाद होता है और तब वोट ली जाती है। इस विधि से अचानक ही सभा भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जर्मनी में प्रश्नोत्तर पर कुछ मेम्बरों की प्रार्थना पर विवाद तो हो सकता है, परन्तु मंत्री पद-च्युत नहीं किये जा सकते। सन् १९२३ से प्रश्नोत्तर की प्रथा इटली में घटती जा रही है। मुसोलिनी के पक्ष में सभा का बहुमत है, इस कारण वह प्रश्नोत्तर देने की इच्छा नहीं करता है।

सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश चेम्बर में ही होता है। सरकारी बिल मंत्री पेश करते हैं और उनको पास कराने का प्रयत्न करते हैं। सभा के अन्य मेम्बर भी बिल पेश करते हैं। सारे बिल तीन बार पेश होते हैं (Every bill has to go through three readings) अन्तिम बार पास हो जाने के पश्चात् राजा अपनी स्वीकृति देता है। राजा कभी स्वीकृति देने के लिये आनाकानी नहीं करता, राजाज्ञा प्राप्त हो जाने के पश्चात् बिल कार्यान्वित किया जाता है।

(५) **इटली में न्याय** (Legal System)—फ्रांस की भाँति इटली में भी ला कोड (Codes) हैं। इटली के संगठन से पहले प्रत्येक छोटे छोटे राज्य में न्याय की भिन्न भिन्न विधि थी। परन्तु अब तो सारे देश का न्याय एक ही कोड द्वारा होता है। अनेकों कोडों का संग्रह करके और एक में मिलाकर एक महान् कोड तय्यार किया गया है जिसके अनुसार दीवानी और फ़ौजदारी के मुक़दमे तय होते हैं। यह कोड रोमन्स कोड और नेपोलियन के कोड से मिलता जुलता है।

फ्रान्स की भाँति इटली में भी साधारण और शासन नियमों में अन्तर है। फ्रान्स में साधारण अदालतें अफ़सरों का मुकदमा नहीं कर सकतीं, परन्तु इटली में यदि अफ़सरों ने किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित रक्खा है (न कि उसकी सम्पत्ति से) तब उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। अधिकार या सम्पत्ति का झगड़ा कासेशन कोर्ट्स (Cassation Courts) करते हैं और न कि स्पेशल अदालतें।

साधारण अदालतें—साधारण अदालतों का निर्माण ज़िलों के आधार पर होता है। सारे देश न्यायार्थ छोटे छोटे ज़िलों में विभाजित हैं। हर एक नगर में एक छोटा कोर्ट अर्थात् प्राइमरी कोर्ट है। कई ज़िलों की एक उच्च कोर्ट (Superior Court) बनती है। यहाँ साधारण अदालतों के निर्णयों की अपील हो सकती है। रोम में सर्वोच्च कासेशन कोर्ट है। सन् १९२३ से पहले देश भर में पाँच कासेशन कोर्ट थीं जो कि अपने क्षेत्र में प्रधान थीं। हर एक कोर्ट का न्याय भिन्न होता था इस प्रकार

नियमों में समानता न थी। आजकल रोम के कासेशन कोर्ट में दीवानी और फ़ौज़-दारी के मुक़दमों की अन्तिम अपील होती है और यह कोर्ट छोटी अदालतों के कार्य क्षेत्र का भी निर्णय करती है। इटली की जनता बहुत काल तक लोकल कोर्ट्स के पक्ष में रही और अमरीका की भाँति देश भर के लिये प्रधान कोर्ट नहीं चाहती थी। इटली के न्यायाधीश अपने पूर्व के निर्णयों से वाध्य नहीं है। इस रीति के अनेकों लाभ हैं परन्तु नियम पालन में कुछ अन्याय होने की भी संभावना है।

इटली के साधारण कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा न्याय मंत्री की परामर्श से करता है। इन न्यायाधीशों को क़ानून में कुछ योग्यता प्राप्त होनी चाहिये। आमतौर से साधारण कोर्ट्स के न्यायाधीशों को ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है। प्राइमरी कोर्ट्स के न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य अदालतों के न्यायाधीश तीन वर्ष में जभी हटाये जा सकते हैं जब कि उनके विरुद्ध भीषण अप-राध हों और रोम की कासेशन कोर्ट उनको ठीक समझे। न्याय मंत्री न्यायाधीशों को एक केन्द्र से हटा कर दूसरे केन्द्र में रख सकता है। राजनीतिज्ञ भी नियम पालन में वाधा डालते हैं। बड़े बड़े फ़ौजदारी के मुक़दमों के लिये पंच (Jury) नियुक्त किये जाते हैं। इन पंचों का काम सन्तोष जनक नहीं है।

शासन कोर्ट (Administrative Courts) की अदालतों का निर्माण फ़्रान्स की भाँति होता है। इटली के प्रत्येक प्रान्त में एक शासन ट्राइब्यूनल होता है। इस प्रान्तीय ट्राइब्यूनल के सदस्यों को प्रीफ़ेक्ट नियुक्त करता है। इन अदालतों की अपील रोम के राज्य परिषद् (Council of State) से हो सकती है। राज्य परिषद् के सदस्यों को राजा मंत्रियों की सलाह से नियुक्त करता है। राज्य परिषद् के अन्य अनेकों कर्त्तव्य हैं।

६—प्रान्तीय शासन

इटली में प्रान्तीय शासन भी फ़्रान्स की भाँति होता है। दोनों देशों में शासन नितान्त समान है। केवल पदाधिकारियों के नाम (Nomenclature) भिन्न है। सारा प्रान्तीय शासन आन्तरिक मंत्री (Interior Minister) के निरीक्षण में होता है। सारा देश ७५ प्रान्तों में बँटा हुआ है। प्रत्येक प्रान्त का अध्यक्ष एक प्रीफ़ेक्ट होता है जिसको कि राजा स्वयं नियुक्त करता है। छोटे छोटे विभागों के अध्यक्ष ही प्रीफ़ेक्ट बनाये जाते हैं और समय पड़ने पर इधर उधर हटाये जाते हैं।

वे पद च्युत भी किये जा सकते हैं। प्रीफ़ेक्ट अपने प्रान्त का अध्यक्ष होता है अथवा राष्ट्रीय सरकार का कर्मचारी होता है। उसके अधिकार व शक्ति फ़्रान्सीसी प्रीफ़ेक्ट की भाँति होते हैं। वह निर्वाचन के समय अपनी दल की सहायता के लिये भरसक प्रयत्न करता है। प्रीफ़ेक्ट की सहायता के लिये सहकारी होते हैं जो कि प्रान्तीय केबिनेट के सदस्य बनते हैं।

प्रत्येक प्रान्त में एक छोटी कौन्सिल होती है जो कि 'जिन्टा' (Giunta) कहलाती है। सारे मनुष्य जिनको मताधिकार है वोट देते हैं। इसके कर्तव्य वही हैं जो कि फ़्रान्स की प्रान्तीय कौन्सिल के हैं। इटली की प्रान्तीय कौन्सिल साल में कई मास तक काम करती है। और अधिवेशन समाप्त हो जाने के पश्चात छुट्टियों में काम करने के लिये कौन्सिल के कुछ सदस्यों को चुनती है। प्रान्तीय कौन्सिल प्रीफ़ेक्ट्स को पद-च्युत नहीं कर सकती है। कौन्सिल का आय व्यय पर पूर्ण अधिकार है। इस कारण प्रीफ़ेक्ट को सदैव कौन्सिल के सहयोग से काम करना पड़ता है। (The whole administration is by Compromise.)

इटली में फ़्रान्स की भाँति ऐरोन्डिसमेन्ट और केन्टन होते हैं। परन्तु इन छोटे छोटे विभागों को इतनी प्रधानता नहीं दी गई है जितनी कि फ़्रान्स में दी गई है। यहाँ पर ८५०० कम्यून (Communes) हैं। नगर, क़स्बा या गाँव में कुछ भेद नहीं है। सबों का शासन एक ही प्रकार होता है। अन्तर केवल इतना है कि बड़े कम्यूनों की बड़ी कौन्सिलें हैं और छोटों की छोटी कौन्सिलें हैं। कम्यून-कौन्सिल का निर्वाचन होता है और इनके द्वारा म्युनिसिपल शासन होता है। यह कम्यून कौन्सिल कर लगाती है, बजट पास करती है; और नगर की देख रेख करती है। कौन्सिल के सदस्यों में से एक मेयर चुना जाता है। मेयर को सिन्डिक (Syndic) भी कहते हैं और उसकी सहायता के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाता है। सिन्डिक तीन साल के लिये चुना जाता है। कौन्सिल उसको पद-च्युत नहीं कर सकती है, परन्तु तब भी सिन्डिक सदैव सावधानी से काम करता है। सिन्डिक कौन्सिल का सदस्य बना रहता है और वास्तव में कौन्सिल का नेता बनता है। उसको प्रीफ़ेक्ट की आज्ञा का भी पालन करना पड़ता है। दो मालिकों की आज्ञा का पालन करने में उसको बड़ी कठिनाई पड़ती है। म्युनिसिपल शासन में भी दल बन्दी बहुत ज़्यादह है, इस कारण शासन सन्तोष-जनक नहीं है। म्युनिसिपेलिटियाँ न तो

नई रीतियों का प्रयोग कर सकती हैं और न उनको व्यवहार में ला सकती हैं क्योंकि ये नियम पाश में आवद्ध हैं। कहने का सारांश यह है कि प्रान्तीय शासन ठीक नहीं है।

प्रान्तीय शासन को केन्द्री भूत (Centralise) करने के अनेकों लाभ हैं प्रान्तों में गड़बड़ी कभी नहीं फैल सकती है। राष्ट्रीय सरकार के एजेन्ट सारे देश में फैले हुये हैं जो कि ख़बर पाते ही काम करते हैं। केन्द्री भूत शासन से किफ़ायत भी हो सकती है।

७—राजनीति

इटली देश की राजनीति की दशा गड़बड़ी और झंझट की है कि उसको समझना ज़रा कठिन है। परन्तु कुछ विशेष बातों को ले कर हम उसका सूत्र बाँध सकते हैं।

सन् १८४८ के फ़रमान 'स्टेटुओ' (Statuo) में दल स्थापना का बिल्कुल ज़िक्र नहीं है, न यही ज़िक्र है कि शासन में कुछ भाग ही मिलेगा। परन्तु समय का प्रभाव है कि शासन दल द्वारा ही होता है। सन् १८५२ से १८६१ तक महाशय केवूर (Cavour) प्रधान मंत्री रहे। वह दल संस्था के बहुत बड़े पक्षपाती न थे। वास्तव में संकीर्ण हृदय थे। उनकी राजनीति के बहुत से पक्षपाती थे। यह पक्षपाती अधिकतर उनके देश-प्रेम से सन्तुष्ट होकर उनका साथ देते थे। सन् १८६१ में महाशय केवूर की मृत्यु के पश्चात दल बन्दियाँ बहुत बढ़ गईं। सन् १८७० में रोम के इटली राज्य में सम्मिलित हो जाने से दो प्रधान दल बन गये, राइट्स (Rights) जो कि संकीर्ण दल था और लेफ्ट (Left) जो कि उदार दल था। देश के उत्तरी भाग वाले राइट्स थे और दक्षिणी भाग वाले लेफ्ट थे। राइट्स दल का बहुमत था और इन्होंने इटली को संयुक्त राष्ट्र बनाने में बहुत योग दिया था। परन्तु इसकी नीति से सन्तुष्ट न होकर प्रजा ने सन् १८७६ में लेफ्ट दल को बहुमत दिया और बीस वर्ष तक बहुमत रक्खा। इस काल में अनेकों मनुष्य प्रधान मंत्री बने क्योंकि राइट्स और लेफ्ट में आपस में फूट हो गई थी और कई छोटे छोटे दल बन गये। कुछ वर्षों तक महाशय डेप्रिटिस (Depretes) बड़े राजनीतिज्ञ थे और सदैव मंत्री मंडल की गड़बड़ी के बाद विजय प्राप्त करते थे। सन् १८९१ से १८९६ तक फ़्रान्सेसको क्रिस्पी रहे। यह बहुत ही चतुर और योग्य आदमी थे इनको अकारण

ही अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका कारण यह था कि इटली का आक्रमण एबीसीनिया के विरुद्ध असफल रहा। उनके पद-त्याग के बाद लेफ्ट दल को पद-त्याग करना पड़ा।

सन् १८९६ में राइट्स प्रधान पद को लौटे, परन्तु बहुत काल तक पद को अपने हाथ में न रख सके। राइट्स लोगों ने संघ बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु इटली वाले संघीय शासन नहीं चाहते थे और इसी कारण संकीर्ण दल वाले बहुत काल तक पद पर स्थित न रह सके। पन्द्रह वर्ष तक मंत्री मंडल में अनेकों परिवर्तन हुये, उनका निर्माण हुआ, भंग हुआ और सुधार भी हुआ। इन कठिन समयों में महाशय गियोवानी गिलिटी सब से मुख्य राजनीतिज्ञ थे। यह संघ बनाने में बड़े प्रवीण और निपुण थे। उन्होंने वैसे तो किसी बड़ी राजनैतिक समस्या का समाधान नहीं किया, परन्तु वास्तव में बड़े बड़े सामाजिक सुधार उन्हीं के परिश्रम के फल हैं। उनको समय समय पर संकीर्ण दल और साम्यवाद दल का विरोध भी सहना पड़ा। वह देश की बहुत कुछ सेवा कर सके, इसका कारण है उनकी दूर-दर्शिता। इन महाशय के प्रजातान्त्रिक विचार थे, परन्तु कोई स्थायी राजनैतिक सिद्धान्त नहीं थे। वह अपना मतलब सिद्ध करने के लिये किसी दल की सहायता करने को तय्यार थे। १९०० से १९१५ के अधिकांश भाग में आप ही प्रधान के पद पर स्थित रहे।

सन् १८७० से १९२० तक इटली के समक्ष तीन बड़ी समस्यायें उपस्थित हुईं। हमको उनका ठीक तरह से निरीक्षण करना चाहिये। आज कल की राजनैतिक दशा को ठीक तरह से समझना चाहिये—(१) प्रथम समस्या चर्च की थी जो कि अभी तक इटली को परेशान कर रही है, (२) दूसरी समस्या है साम्यवादियों का उत्थान (३) तीसरी है फासिस्ट दल का आन्दोलन।

८—चर्च सम्बन्धी समस्यायें और साम्यवाद

चर्च—आधुनिक इटली की यह सबसे जटिल और गूढ़ समस्या है, जिसका कि इटली को सामना करना पड़ रहा है। इटली कैथालिक देश है, यहाँ के निवासियों की अधिकांश संख्या कैथालिक धर्मावलम्बियों की है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा होने पर भी यहाँ पर पोप के अधिकारों पर इतना आक्षेप और मत-भेद है। इस कारण हमको इटली देश के इतिहास की छान बीन करनी पड़ेगी। इसकी उत्पत्ति का ज्ञान लेना अत्यावश्यक है।

चौथी शताब्दी में कुस्तुनतुनिया (Constantinople) रोम साम्राज्य की राजधानी बना। पोप ही रोम नगर का सर्वाधिकारी बन गया, उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला कोई न रहा। मध्यकाल में पोप को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इटली पर अनेकों आक्रमण हुये। धर्म-सुधार आरम्भ हुआ जिसके नाम पर हज़ारों वीरों की धर्म-वेदी पर बलि चढ़ी। आधा यूरप पोप के विरुद्ध हो गया। इसी सुधार आन्दोलन को प्रोटेस्टेन्ट रिफ़ारमेशन (Protestant Reformation) कहते हैं। प्रोटेस्टेन्ट देशों में रोम का सम्मान जाता रहा। प्रोटेस्टेन्ट लोग रोम को भी अपने अधिकार में ले लेना चाहते थे। सन् १८१४ की वीना कांग्रेस ने पोप का रोम देश पर अधिकार स्वीकार कर लिया। पोप ही रोम का राजा बना। सन् १८७० में रोम इटली राज्य में मिला लिया गया। अब पोप कहाँ रहे, उसका स्थान क्या रह गया? इसी बात पर विवाद हो रहा है। पोप केथालिक देशों में गिर्जा का अध्यक्ष अथवा सरकार था और रोम देश का राजा था। रोम देश का कोई विधान न था, पोप के अधिकार की कोई सीमा न थी। उसके मंत्री थे, परन्तु कोई पार्लियामेन्ट न थी। वह गवर्नरों को और न्यायाधीशों को स्वयं नियुक्त करता था, स्वयं ही नियम निर्माण करता था। उसी के हुक्म से कर लगाये जाते थे और वसूल किये जाते थे। पोप के हाथों में राजा के अधिकार होना तो ठीक है, परन्तु अनुभव हमको इस बात का परिचय देता है कि धर्मानुयायियों को कभी शक्ति प्रदान नहीं करनी चाहिये। क्योंकि धर्मानुयायी धर्मान्ध होकर बड़े भीषण कांड रचते हैं और पापाचार करते हैं।

सन् १८४८ में अन्य देशों की भाँति रोमनिवासी भी प्रतिनिधि सभा चाहते थे और देश के शासन के लिये विधान भी चाहते थे। पोप पियुस नवाँ (Pius IX) ने एक विधान भी बनाया, प्रजा को इससे सन्तोष न हुआ; आन्दोलन और गड़बड़ी हुई। उन्होंने गण तंत्र (Republic) की भी स्थापना की। फ़ान्सीसियों की सहायता से पोप को पुनः अधिकार प्राप्त हुए। विधान उड़ा दिया गया। परन्तु रोम का प्रश्न सदैव जनता के समक्ष रहा। समस्या केवल इतनी थी कि रोम को मुक्त करके उसको इटली की राजधानी बनाई जाये। ऐसा करने से पोप का रोम राज्य पर से अधिकार जाता रहा। किसका आधिपत्य रहना चाहिये? सन् १८७० तक फ़ान्स की सेनायें रोम की सहायता और रक्षा करती रहीं। सन्

१८७० में नेपोलियन की सीडन के युद्ध में हार हो गई । उसकी सेनाओं ने रोम से कूच किया । तुरन्त ही इटली वालों ने रोम पर चढ़ाई की और उसको अपने क़ब्ज़े में कर लिया । केवूर का स्वप्न फलीभूत हुआ । पोप के सारे अधिकार छीन लिये गये ।

इटली की शासन सरकार की कभी यह इच्छा न थी कि पोप के धर्म संबंधी अधिकार भी छीन लिये जायें । पोप को धर्म संबन्धी सारे अधिकार दिये गये । सन् १८७१ में पार्लियामेन्ट ने पोप के अधिकार सुरक्षित करने के निमित्त एक एक्ट पास किया (The Law of Papal Guarantees) । इस एक्ट का मतलब यह था कि धर्म संबंधी विषयों में उसको पूर्ण स्वतंत्रता रहे । उसके विरुद्ध सारे अपराध राज्य अपराध के समान हैं । उसको वेटिकन और लेटिरम के सुविशाल महलों पर (Vatican and Lateram Palace) पूर्ण अधिकार दिया गया है । उन पर कभी किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता । वेटिकन को आने वाले दूतों का वही आदर सत्कार और सम्मान होता है जो कि अन्य राजदूतों का होता है । शासन सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करेगी । इटली का कोई भी पदाधिकारी पोप की आज्ञा के बिना उसके भवनों में पदार्पण नहीं कर सकता । पोप की चिट्ठी पत्री में रोक टोक नहीं हो सकती । पोप को ३२,५०,००,००० लायर (Lire) सालाना दिया जायगा यह उसके देश छिनने का मुआवज़ा है ।

संरक्षित नियमों ने केथालिक चर्च को और भी अन्य सुविधायें दी । परदेशियों के ऊपर जो बाधायें थी उनको हटा दिया गया है । पोप को चर्च पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है । विशपों को पोप ही नियुक्त करता है, पर उनका वेतन इटली सरकार की परामर्श से दिया जाता है । रोम में कार्डिनल्स के पद पर विदेशी भी नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि उनको इटली शासन सरकार के लिये वफ़ादारी की शपथ नहीं लेनी पड़ती है (For Gardinals it is not necessary to take the Oath of Allegiance to the Italian Government) । चर्च अदालतों को भी अधिकार दिये गये हैं ।

पोप उससे सन्तुष्ट न हुआ—टेक्स से मुक्त होना, या रुपया प्राप्ति से क्या उसकी क्षति पूर्ति हो सकती थी; १८७१ के संरक्षित नियम केवल पुस्तक (Statute Book) पर अंकित हैं, परन्तु अभी तक किसी पोप ने उनको स्वीकार नहीं किया है । पोप लियो त्रयोदश (Leo XIII) तो इतना असन्तुष्ट हुआ कि उसने इटली को

केथालिक प्रजा से शासन में भाग लेने से मना किया। उनको निर्वाचन के समय वोट देने से भी मना किया। सन् १८९५ में उसने नान लिसेट (Non Licet) डिक्री द्वारा उपरोक्त आज्ञा दी। असहयोग की यह नीति सफ़ल न हो सकी। इटली वालों ने पोप की आज्ञा न मानी।

लगभग ३५ वर्ष हुये पोप ने यह डिक्री चालू की थी। यह डिक्री अभी तक रद्द भी नहीं की गई है, परन्तु अब ज़रा किंचित सुविधायें कर दी गई हैं। पोप नर्म पड़ गया है! उसकी आज्ञा है कि चर्च के विरोधियों को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिये। इटली में कैथालिक दल भी बन गया है जैसे कि जर्मनी में सेन्ट्रम (Centrum) दल है। महायुद्ध से पूर्व सभा में इस दल की संख्या बहुत कम थी। महायुद्ध काल में पोप और शासन सरकार में सहयोग बढ़ गया। युद्ध के अन्त होने पर इस दल ने अपना संगठन किया। इस दल ने अपना नाम बदल कर पार्टिटो पोपोलर (Portito Popolare) रक्खा—अर्थात् जनता दल। इस दल का उद्देश्य शासन सरकार में संशोधन करने का है। पोपोलारी दल औरतों को मताधिकार देना चाहता है, अनुपातिक निर्वाचन चाहता है और राज्य का संगठन, प्रान्तीय शासन में परिवर्तन, न्याय रीति का सुधार अथवा राष्ट्र अर्थ की देखभाल। यह लोग साम्यवादियों के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने व्यवसायिक समस्याओं का सरलता से समाधान किया है। यह लोग नियम द्वारा श्रम जीवियों की रक्षा करना चाहते हैं और प्रतिस्पर्द्धा नहीं चाहते हैं, वरन् यह चाहते हैं कि सब लोग उपज के काम में सहयोग देवें।

(२) **साम्यवाद**—साम्यवाद दल का उत्थान इटली की बहुत बडी बात है। इटली के मज़दूर अधिकतर विप्लव वादी हैं न कि साम्यवादी। साम्यवादी और विप्लववादियों में अन्तर यह है कि साम्यवादी शासन सरकार के पक्ष में है और यह चाहते हैं कि समस्त संस्थायें सरकार के निरीक्षण और अध्यक्षता में होना चाहिये। विप्लववादी शासन सरकार को नहीं चाहते हैं, और सरकार के हाथों में से सारे अधिकार छीन लिया चाहते हैं। विप्लववादियों ने साम्यवादी दल के मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयत्न किया, परन्तु उनके विरुद्ध अनेकों नियम बना कर उनको ठंडा कर दिया गया। सन् १८९० के बाद साम्यवाद दल से विप्लव दल पृथक कर दिया गया। साम्यवादियों ने देश के सामने प्रोग्राम रक्खा जो कि बहुत ही गरम और बढ़ा चढ़ा समझा गया। वास्तव में यह कुछ भी नहीं है। एक संकीर्ण हृदय

वाला पुरुष कभी इससे विचलित न होगा। इनके प्रोग्राम की सारी मनोकामनायें पूरी हो गई हैं। महायुद्ध काल तक साम्यवाद दल अपना संगठन करने में लगा रहा। इस दल के पहले केवल बारह मेम्बर थे किन्तु युद्धकाल में पचास।

युद्ध काल में साम्यवादियों ने सरकार की सहायता की, उसी का पक्ष लिया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वह अधिक गर्म पड़ गये। रूस और जर्मनी की क्रान्ति ने उनके हौसले बढ़ा दिये। बहुत से कट्टर समुदायवादी (Communists) बन गये। सन् १९१९ की साम्यवादी कांग्रेस के अधिवेशन के समय साम्यवादियों ने मास्को अन्तर राष्ट्रीय मत (Third International) का अपने आप को पक्षपाती घोषित किया। इन्होंने पूँजीपतियों को दूर करने का और अपने प्रोग्राम को फलीभूत करने का प्रयत्न किया। इस प्रोग्राम को इटली वाले कभी पसन्द न करते यदि साम्यवादियों का कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होता। सारा देश अशान्ति की अग्नि से भभक रहा था क्योंकि युद्ध से उसको कुछ लाभ नहीं हुआ था।

उपरोक्त बातों के कारण सन् १९१९ में साम्यवादियों के १५६ सदस्य निर्वाचित हुये। साम्यवादियों की इतनी संख्या तो थी नहीं कि स्वयं शासन कर सकते, परन्तु दूसरों का विरोध करने के लिये उनकी संख्या पर्याप्त थी। देश में इसी समय गड़बड़ी मची। तिजारती नगरों में रूस की भाँति लोकल सोवियट स्थापित किये गये। महाशय ग्रियोलिटी प्रधान बने रहे, परन्तु साम्यवादियों को दमन करने में असमर्थ रहे। सन् १९२० में साम्यवादी समुदायवाद के गन्तव्य पथ की ओर आरूढ़ हो रहे थे।

६—फ़ासिस्ट आन्दोलन

(Fascist Movement)

एक की कठिनाई, दूसरे का मौक़ा। ठीक इसी समय फ़ासिस्ट दल ने क़दम बढ़ाया। इस दल की उत्पत्ति उस समय हुई जब कि महायुद्ध में इटली ने भाग लेना शुरू न किया था और अभी तक उदासीन था। इटली को भी युद्ध में घसीटने के लिये संस्थाओं की स्थापना की गई। उनका उद्देश्य था कि इटली देश, इंगलैंड, फ़्रांस और रूस का युद्ध में साथ दे। बीच में मध्यस्थ होने के कारण यह दल फ़ासिस्ट इन्टरवेन्टेस्टी (Fasci Interventesti) कहलाया। यह दल साम्यवादियों के विरुद्ध न था पर युद्ध में भाग न लेने के कारण दोषारोपण अवश्य कर

रहा था। सन् १९१५ में इटली ने युद्ध में भाग लेना शुरू किया। इस दल का उद्देश्य पूरा हो गया, इस दल के जीवन समस्या का समाधान हो गया, अब इसकी स्थिति का क्या लाभ ? युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इसका संगठन दूसरे नाम से हुआ—फ़ासी डि काम्बेटिमेन्टो (Fasci di Combattimento)। इसका मुखिया मसोलिनी हुआ। मसोलिनी पहले साम्यवादी था—पत्र लेखन (Journalism) ही उसका पेशा था। इस दल का उद्देश्य था राष्ट्रीयता की जागृति करना, शान्ति की स्थापना करना, मेक्सीमेलिस्ट (Maximalist) प्रोग्राम का दमन करना, आवश्यकता पड़ने पर अस्त्रों की भी शरण लेना। सन् १९२० तक इस दल को सभा में अधिक संख्या न मिल सकी। सन् १९२० में सारे देश में अराजकता फैली। इस दल के सहस्त्रों पक्षपाती बन गये—इस दल के पक्षपाती काली कमीज़ पहनने लगे और मिलीट्री की भाँति अपना सेना-संगठन किया। वह हथियार रखने लगे और ड्रिल करने लगे।

इन्हीं दिनों साम्यवादी दल में गड़बड़ी मच रही थी। इस दल के नर्म लोग साम्यवाद दल की बढ़ी चढ़ी कार्यवाहियों को देख कर घबराये। इन लोगों ने मास्को अन्तरराष्ट्रीय मत से सारा सम्बन्ध छोड़ दिया। शासन ठीक प्रकार न हो सकता था। सन् १९२१ में सभा भंग कर दी गई। समुदायवादियों ने हड़ताल घोषित की। फ़ासिस्ट वादियों ने हड़ताल रोकने का प्रयत्न किया। स्टेशनों पर और अन्य स्थानों पर जहाँ पर कि समुदायवादियों ने हड़ताल की थी फ़ासिस्ट दल वाले आ डटे। इन्होंने दुकानों पर से, फ़ेक्टरियों में से समुदायवादियों को निकाल दिया और उन्हें अपने क़ब्ज़े में कर लीं। उन्हों ने लोकल सोवियटों को तोड़ डाला और वह जहाँ कहीं थे उनको उनके स्थान से निकाल भगाया। फ़ासिस्ट दल के नेताओं ने मंत्री मंडल को भी पद-च्युत करने का उद्योग किया। अक्टूबर सन् १९२२ में सारे फ़ासिस्ट दल वाले रोम पर चढ़ आये, इसको आकर घेर लिया, और शासन को अपने हाथ में ले लेने के लिये चिल्लाने लगे।

मंत्री मंडल को अपना सर झुकाना पड़ा। मसोलिनी प्रधान मंत्री बन गया, और उन्होंने ही अपना मंत्री मंडल बनाया। उसने सभा को यह धमकी दी कि यदि सभा उसका साथ न देगी तो सभा भंग कर दी जावेगी। सभा ने उन महापुरुष के सामने अपना सिर झुकाया। इसने १९२३ के निर्वाचित सुधारों पर स्वीकृति दे दी। मसोलिनी की चढ़ बनी। वह बजट में काट छांट करने लगा, शासन सरकार

के व्यय में कमी करने लगा। उसने बहुत से अनावश्यक अफ़सरों को पद-च्युत किया। उसने विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न किया। उसने कटाक्षों और समालोचनाओं को भी दमन किया। मसोलिनी की इस कार्यवाही से उसकी बहुत निन्दा हुई। उसको विदेश नीति में भी कुछ सफलता प्राप्त हुई, इस कारण सन् १९२४ के निर्वाचन में उसको सभा में अधिक संख्या प्राप्त हो गई। फ़ासिस्ट के सभा में ५३५ में से ३५६ सदस्य थे।

इटली में बहुमत पाना सरल काम है, परन्तु उसको ठीक तरह से रखना ज़रा मुश्किल काम है। फ़ासिस्ट दल के केवल चालीस प्रतिशत पक्षपाती थे और उसको सभा में ३५६ सीट मिल गई। फ़ासिस्ट दल को अन्य दलों के भी सौ सदस्य अपने दल में भरती करने पड़े थे। फ़ासिस्ट लोग साम्यवादियों को निकाल कर शासन की बाग-डोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। वैसा ही हुआ यह लोग डिक्टेटर बनना नहीं चाहते थे।

क्या ऐसी कार्यवाही से कठिनाइयों का अन्त हो गया? अनेकों कठिनाइयाँ आ खड़ी हुईं। नवीन निर्वाचन नियमों का तात्पर्य यह था कि शासन की बागडोर एक ही दल के हाथ में होनी चाहिए, और किसी प्रकार के संघ नहीं बनने चाहिए। निर्वाचित होने के उपरान्त भी इन लोगों ने मन्त्री मंडल का संघ इस प्रकार बनाया कि मंत्री मंडल में समस्त दलों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक था। सन् १९२४ में फ़ासिस्ट वादियों को उदारदल और राष्ट्रीय दल की सहायता की आवश्यकता पड़ी। कुछ ही काल बीत जाने पर उदार दल वाले संघ से पृथक् हो गये। मसोलिनी को बहुमत खो देने का भय तो था नहीं, परन्तु भय यह था कि कहीं असन्तुष्ट राजनीतिज्ञ उसके विरुद्ध प्रचार न करें। कुछ लोगों ने एक ऐवेन्टाइन ब्लाक (Aventine bloc) बनाया। इस ब्लाक ने सभा में आना छोड़ दिया। मंत्री मंडल का सभा में बहुमत तो अवश्य था, परन्तु इसी दल के बहुत से मेम्बर इसकी नीति को न पसन्द करते थे? जब सब कोई किसी नीति का विरोध करें और होवे मनमानी तो 'डिक्टेटरशिप' (dictatorship) की प्रचार स्थापना होती है।

फ़ासिस्ट वाद अक्सर पूँजी पतियों की डिक्टेटरशिप कहलाती है, और समुदायवाद श्रम जीवियों की डिक्टेटरशिप कहलाई जाती है। वास्तव में फ़ासिस्ट वाद का यह उद्देश्य कदापि नहीं है। इसका मुख्य मन्तव्य है देश का भला,

न कि किसी अमुक संगठन का, जाति का, सम्प्रदाय का या किसी प्रकार की अन्य संस्था का भला करना। कोई संस्था देश का शासन संचालन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये नहीं कर सकती है। फ़ासिस्ट दल युद्ध अथवा आभ्यन्तरिक कलह नहीं चाहता है, जिससे कि केवल एक दल का भला होता है। लेकिन इन दल युद्धों का किस प्रकार अन्त हो सकता है? फ़ासिस्ट दल का उत्तर है "सरकार को सर्वोच्च समझना चाहिये।" शासन सरकार का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि किसी एक दल को विशेष सुविधायें न प्राप्त होवें। मिलों का और तिजारत का संगठन इस प्रकार होना चाहिये कि प्रतिस्पर्द्धा का सर्वनाश हो जावे। इस प्रोग्राम को फलीभूत करने के लिये वर्षों लगेंगे।

वास्तव में—हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और—यही कहावत फ़ासिस्ट वादियों के लिये चरितार्थ होती है। उद्देश्य कुछ और है वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है। फासिस्टवादी अपना मार्ग छोड़ कर अन्य मार्ग पर चल रहे हैं। हम फ़ासिस्ट दल की प्रधानता को डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। यह दल किसी का विरोध नहीं चाहता है। विरोध को ही दमन करना उसका मुख्य कर्तव्य है। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई है। उनको सरकार की आज्ञा प्राप्त कर के ही ख़बरें छापनी पड़ती हैं। लोगों को भाषण और व्याख्यान देने दी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। यह दल लोगों के दिलों में भय उत्पन्न करके अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है। व्यवसायिक मामलों में यह दल बिलकुल उदासीन है।

केवूर की मृत्यु के पश्चात ही इटली में ऐसा बड़ा आदमी उत्पन्न हुआ है। परन्तु ऐसी लीडर शिप और नेतृत्व से क्या लाभ जब कि सब के सब श्रृंखलाओं में आबद्ध हुए जा रहे हैं; जब कि एक आदमी की आज्ञा सर्वमान्य है और उसका उल्लङ्घन घोर पाप है। मसोलिनी किसी की नहीं सुनना चाहता है। किसी ने सत्य ही कहा कि दुर्भाग्य के समय ही लोग शक्ति शाली व्यक्ति को चाहते हैं, जब सब काम ठीक हो जाते हैं तब वह असन्तुष्ट हो जाते हैं।

१०—विदेश नीति

फ़ासिस्ट दल की विदेश नीति भी ज़रा निरीक्षण योग्य है। इसका, मुख्य कर्तव्य है यूरुप के राष्ट्रों में इटली को सर्व प्रथम बनाना। इटली के पास फ़्रान्स और इङ्गलैंड की भाँति बड़े बड़े उपनिवेश नहीं हैं। जो कुछ उपनिवेश इसके पास

हैं भी वह होलैंड और पोर्चुगाल वालों से छोटे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि इटली वाले उपनिवेश राज्य नहीं चाहते हैं, या वह अन्य देशों में जा कर नहीं बसना चाहते हैं। इतिहास के पाठकों को विदित होगा कि नई दुनियाँ (New World) की ढूँढ़ एक इटली निवासी ने ही की थी। इस वीर पुरुष कोलम्बस के सहस्रों देशवासी उत्तर और दक्षिण अमरीका की खोज में जा चुके हैं। इटली की दशा जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं अत्यन्त शोचनीय रही है। १९वीं शताब्दी के मध्य में ही इटली का संगठन हो पाया था। इस समय तक यूरोपीय राष्ट्रों ने सारे उपनिवेश घेर लिए थे, अब भी क्या बिगड़ा था? इटली की दृष्टि अफ्रीका के उत्तरी भाग पर पड़ी। यह लोग ट्यूनिस लेना चाहते थे। फ्रान्सीसी लोग बड़े ही चतुर थे, उन्होंने ट्यूनिस को अपने अधिकार में ले लिया, परन्तु लाल सागर के पश्चिमी किनारे पर इटली वालों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन ऐबीसिनीया वालों से इनका विवाद बढ़ गया। इटली की जीत हुई, पूर्ण अधिकार स्थापित करने के समय इटली ने ढील डाल दी। सन् १८९६ में उनकी सेना का सर्वनाश हुआ। अब लाल सागर में केवल ऐरीट्रिया (Eritrea) इटली के हाथ में है, इसमें सोमाली लैण्ड का भी कुछ भाग सम्मिलित है।

इटली के अधिकार में ट्यूनिस और मिश्र के बीच का देश लिबिया (Libya) है। सोलहवीं शताब्दी से अब तक यह देश टर्की के हाथ में था। महायुद्ध से पहले सन् १९११ में इटली वालों ने इस पर आक्रमण किया और अपने अधिकार में ले लिया। लिबिया का क्षेत्रफल लगभग ४००० वर्ग मील है, परन्तु इटली वाले थोड़े से भाग को ही अपने क़ब्ज़े में कर सके। इनके अधीनस्थ भाग में त्रिपोली और सिरीनेसा (Cyrenaica) सम्मिलित हैं। तात्पर्य्य यह है कि इटली अपनी उपनिवेश नीति में सफल नहीं हो पाया है और इस कारण उनको बहुत क्षति उठानी पड़ी है।

समय समय पर इटली वालों को हार खानी पड़ी है, परन्तु उनकी हसरतें अब भी बाक़ी हैं। इटली की जन संख्या इतनी अधिक हो गई है कि और अधिक मनुष्य नहीं समा सकते हैं। यहाँ पर एक किलोमीटर स्थान में लगभग १३० मनुष्य वास करते हैं, फ्रान्स में ७० और संयुक्त राज्य में केवल ११ आदमी के लगभग रहते हैं। फ्रांस और इंगलैण्ड के देशों में और उनके उपनिवेशों में बड़ी बड़ी कोयले की कानें है। इटली के पास तो कुछ भी नहीं है। कच्चे माल और खाद्य पदार्थों

के लिए भी इटली दूसरे देशों पर निर्भर है। इसका मतलब यह है कि इटली अपने देश वासियों को कार्य (Employment) नहीं दे सकता। लोगों को अपने देश से नाता तोड़ कर अन्य देशों में जाना चाहिये। सन् १९१३ में लगभग १०,००,००० (दस लाख) इटली वालों ने अपना देश छोड़ा। युद्ध के बाद कुछ Emigration रुक गया। इटली वाले कहाँ जायें, यह इटली वालों की जटिल समस्या है। इसका समाधान किस प्रकार हो ?

भौगोलिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में कई समुद्र हैं, परन्तु अभागे इटली के लिये केवल रूम सागर खुला हुआ है। इसी मार्ग से वह संसार के किसी भाग से तिजारत कर सकता है। इसके उत्तर में विशाल पर्वत हैं। इटली की $\frac{४}{५}$ तिजारत समुद्र द्वारा होती है। यदि इटली की स्वतंत्रता छीन ली जाय तो इटली के पास कुछ भी न रह जायगा। उसकी सारी तिजारत रुक जायेगी।

समुद्र की इतनी आवश्यकता होने पर भी इटली को इसी का अभाव है। इंगलैण्ड रूम सागर के इधर उधर के भागों को घेरे हुए पड़ा है—जिब्राल्टर और स्वेज़ केनाल। माल्टा द्वीप भी अंग्रेज़ों के हाथ में है। फ्रांस का टूलो द्वीप पर पूर्ण अधिकार है। रूम सागर का दक्षिणी किनारे और लिबिया के रेगिस्तान के अतिरिक्त सब कुछ इंगलैण्ड और फ्रांस के अधिकार में है। इटली चारों तरफ़ से ऐसा घिरा हुआ है कि यदि राष्ट्र रुष्ट हो जावें तो यहाँ पर सामान का भी आना बन्द हो जायगा। इटली की सारी तिजारत तबाह हो जायगी और इसका सत्यानाश हो जावेगा। इटली वालों ने जो कुछ ग़लती की है अब हमको उसको ध्यान में नहीं लाना चाहिए। इटली को कहीं न कहीं स्थान ढूँढना चाहिए। परन्तु, कहाँ ? यही समस्या इटली को दबाये डाल रही है।

(England) इंगलैंड

१—इतिहास

अंग्रेज़ों का इतिहास बिलकुल नया है। गत ५०० वर्षों में ही इन्होंने अपना इतिहास बनाया है। लगभग १५०० वर्ष हुये अंग्रेज़ जाति न थी। इंगलैंड के मूल निवासी 'ब्रिटन' कहलाते थे। ईसा से ५५ वर्ष पूर्व रोम के जनरल सीज़र (Caesar) ने इंगलैंड पर आक्रमण किया और उसको अपने क़ब्ज़े में कर लिया। रोमन्स ने इंगलैंड पर लगभग पाँच सौ वर्ष राज्य किया। जब जर्मनी की हूश जाति (Barbarians) ने रोम पर चढ़ाई की रोम ने अपनी सेनाओं को इंगलैंड आदि प्रदेशों से बुलवा भेजा। उनके चले आने पर ब्रिटन लोग असहाय हो गये। रोमन्स लोगों ने उनको परावलम्बी बना कर रक्खा था, शस्त्र रखने की आज्ञा नहीं दी थी। ब्रिटन लोगों का अपनी रक्षा करना भी कठिन हो गया।

कुछ काल बाद पिक्ट और ब्रिटन लोगों ने हमला किया। सन् ४४९ ई० के लगभग एल्ब तट के 'जूट' निवासियों ने आकर इंगलैंड के थोड़े से भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद एंगल और सेक्सन लोग आकर भिन्न भिन्न भागों में बस गये। इन लोगों ने अपने अपने पृथक् राज्यों को स्थापना की। यह तीनों राज्य आपस में लड़ते रहे। आठवीं शताब्दी में इन के सात पृथक पृथक राज्य बन गये—यानी 'हेप्टार्की' (Heptarchy)। बहुत झगड़े के बाद सन् ८२७ में एगबर्ट सारे इंगलैंड का सर्व प्रथम सर्वोच्च अधिकारी (Overlord) मान लिया गया। इसी समय से इंगलैंड के एकाकीरण राज्य की स्थापना हुई। 'इंगलैंड' शब्द ही 'एंगलो की भूमि' का द्योतक है।

नवीं शताब्दी में डेन्मार्क वालों ने इंगलैंड पर धावा बोला, और यहाँ आकर थोड़े से भाग पर अधिकार जमा लिया और अपने राज्य की स्थापना की। सन् १०६६ में नार्मन्डी के ड्यूक विलियम ने इंगलैंड पर विजय प्राप्त की और वह राजा बन गया। तदुपरान्त बहुत से नार्मन निवासी इंगलैंड में आकर रहने लगे। इन लोगों को बादशाह से भूमि प्राप्त हुई और सरदार बनाये गये।

कई जातियों के—ज्यूट, एंगल, सेक्सन, डेन और नार्मन के—मिल जाने से अंग्रेज़ जाति बनी है। नार्मनों का आक्रमण अन्तिम था, इस के बाद इंगलेंड आक्रमणों से बचा रहा।

२—शासन पद्धति की विशेषतायें

प्रकट रूप से सारा शासन बादशाह के नाम से होता है, परन्तु वास्तव में समस्त नियमों के निर्माण के लिये, अथवा शासन के लिये मंत्री मंडल और पार्लियामेन्ट उत्तरदायी हैं। बादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम करता है। राजा किसी राज्य कार्य का उत्तर दाता नहीं माना गया है, इसलिये यह कहा जाता है कि बादशाह कोई ग़लती नहीं कर सकता (The king can do no wrong)। सारे कार्यों के लिये मंत्री उत्तरदायी है।

(२) इंगलेंड में सभा द्वारा बनाये हुये नियमों के अतिरिक्त अधिकांश नियम इस प्रकार के हैं जो कि रीति रिवाज़ पर निर्भर हैं। इन्हीं के अनुसार यहाँ पर परम्परा से काम होता है। देश के लिपि बद्ध क़ानून में उनका समावेश नहीं हो सकता है इन नियमों को अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने में काफ़ी समय लगा है। इनका विकास शनैः शनैः हुआ है, इस की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। संशोधन या परिवर्तन सरलता से हो सकता है। इस प्रकार के रीति रिवाज को अंग्रेज़ी भाषा में 'कन्वेन्शन' (Convention) कहते हैं।

(३) Flexibility of the Constitution—यहाँ की शासन पद्धति को परिवर्तन शील कहा जाता है और न कि अन्यान्य देशों की भाँति स्थिर (Rigid) है अमरीका में विधान संशोधन बड़ी कठिनाई से हो सकता है। यह देश विधान स्थिरता के लिये मशहूर है। मंत्री मंडल शासन पद्धति के संशोधन या परिवर्तन के लिये प्रस्ताव कर सकता है। केवल साधारण बहुमत से विधान में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है।

(४) न्यायालय भी पार्लियामेन्ट द्वारा निर्मित नियमों के अर्थ लगाने में स्वतंत्र हैं (Power of Interpretation of Laws)। इस लिये न्यायालयों के निर्णयों का नियमों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

शासन सुधार सरल रीति से होने के कारण क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी कारण इस देश में अन्य देशों की भाँति क्रान्ति और उथल पुथल

नहीं मची है। जो क्रान्ति हुई भी हैं उसके अनुसार शक्ति राज से छीन कर प्रजा के हाथों सौंपी गई है। यही इंगलैंड का इतिहास है।

(५) इंगलैंड का शासन अलिखित है—इसके अर्थ यह हैं कि कोई ऐसी विधान विधायनी सभा आमंत्रित नहीं की गई जिसने कि विधान बनाया हो। यहाँ पर अलिखित शासन पद्धति से उस शासन पद्धति का बोध होता है जो राज्य की रीति रस्म, रिवाज़ रूढ़ी परम्परा के आधार से बनी होती है, जिसके क़ानून सर्व साधारण में लोकमत के अनुसार होने से ही, मान लिये जाते हैं। पार्लियामेन्ट के कुछ क़ानून लिखे हुये भी हैं, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि इस शासन पद्धति में रीति रिवाज़ या रूढ़ि का विशेष भाग है।

३—बादशाह*

(The Crown)

"राजा के सारे अधिकार नियमित हैं"—रिचर्ड हूकर

क्रमशः पार्लियामेन्ट ने अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया है। राजा के अधिकार अब भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे, परन्तु उनका प्रयोग करने में असमर्थ हैं। पहले पहल ट्यूडर (Tudor) वंश के बादशाह नितान्त स्वेच्छाचारी थे। तदुपरान्त पार्लियामेन्ट बादशाह से कुछ अधिकार मांगने लगी। सन् १६४१ में पार्लियामेन्ट तथा बादशाह में घरेलू लड़ाई छिड़ गई। जिसके फल स्वरूप पार्लियामेन्ट की विजय हुई, सन् १६४९ में बादशाह का सर काट डाला गया, ग्यारह वर्ष पश्चात पुनः बादशाह को बुलाया गया और सन् १६८८ में जेम्स द्वितीय को गद्दी त्याग करनी पड़ी और उसकी गद्दी चतुर्थ विलियम को दी गई। अन्त को सन् १७०१ में उत्तराधिकारी के नियम बनने से यह अलिखित परन्तु असंदिग्ध घोषणा हो गई कि यद्यपि बादशाह का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता है, परन्तु वह तभी तक राज्य कर सकता है जबतक पार्लियामेन्ट उसे चाहे।

सन् १९१० से पूर्व बादशाह को शपथ लेनी पड़ती थी कि वह रोमन

---

*बादशाह से तात्पर्य्य हमारा उस व्यक्ति से है जो राज सिंहासन को सुशोभित करे वह चाहे स्त्री हो या पुरुष।

केथालिक मत का अनुयायी नहीं है, परन्तु सन् १९१० के बाद से उसको केवल यह घोषणा करनी पड़ती है कि वह प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी है।

बादशाह को धन प्राप्ती—नार्मन और प्लान्टेजेनेट बादशाहों के ज़माने में राजा अपनी पृथ्वी की आय से ही सारा काम चलाता था, और विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही देश से धन सहायता के लिये प्रार्थना करता था। राष्ट्रीय व्यय बढ़ता गया इसलिये समय समय पर सभायें बुलाई जाती थीं। पूर्व में राष्ट्रीय आय को भी बादशाह अपने स्वयं के व्यय में लगाते थे। अन्त को पार्लियामेन्ट ने उसकी बहुत सी धरती छीन ली और प्रत्येक वर्ष उसके ख़र्च के लिये रुपया मंजूर करती थी

बादशाह के अधिकार—बादशाह के अधिकार दो प्रकार के होते हैं:—

(१) जो उसे क़ानून द्वारा प्राप्त हैं—यह परिमित हैं।

(२) जो उसे बादशाह होने की हैसियत से प्राप्त हैं—यह अपरिमित हैं।

अपरिमित अधिकारों के अनुसार बादशाह के अधिकार असीम हैं—इनके अनुसार वह क्या नहीं कर सकता—सेना के हथियार रखवा सकता है। सरकारी नौकरों को बर्ख़ास्त कर सकता है, युद्ध और सन्धि कर सकता है, किसी निवासी को लार्ड की पदवी दे सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। यह सब अधिकार उसको प्राप्त तो अवश्य हैं, परन्तु मंत्रियों की सलाह बिना वह ऐसा नहीं कर सकता है। उसका भाषण भी मंत्रियों का ही बनाया हुआ होता है। यदि वह इसके विरुद्ध कुछ भी करेगा, उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा।'

वास्तव में बादशाह के दो मुख्य अधिकार हैं :—

(१) महत्त्व पूर्ण कार्यों में बादशाह मंत्रियों को अपना मत प्रकट करता है।

(२) आवश्यकतानुसार मंत्रियों को प्रोत्साहन देता है, और समयानुसार उनको चेतावनी भी देता है।

बादशाह के कर्तव्य—सारे कार्यों के लिये बादशाह को प्रधान की सलाह लेनी पड़ती है :—

(१) मन्त्रियों को और पादरियों को नियुक्त करना।

(२) प्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना।

(३) पार्लियामेन्ट का उद्घाटन करना अथवा उसके अधिवेशन का अन्त करना।

(४) पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत नियमों पर अपने हस्ताक्षर करके वह उनका अन्तिम संस्कार करता है।

(५) पार्लियामेन्ट के उद्घाटन और अन्त के समय भाषण देना।

(६) अपराधियों को क्षमा करना और नागरिकों को उपाधि तथा पदवी देना।

सारा काम बादशाह मंत्रियों की सलाह से करता है, परन्तु शासन को वह अपने महत्त्व से अवश्य प्रभावान्वित करता है। उदाहरणार्थ महारानी विक्टोरिया तथा पंचम जार्ज ने उचित प्रयोग से शासन कार्य में बड़ा भाग लिया है। मंत्री मंडल बनते हैं, और बिगड़ते हैं, परन्तु बादशाह स्थायी है। वह सारे रहस्यों को जानता है, शासन कार्य में उसका अनुभव प्रायः मंत्रियों से अधिक होता है। वैदेशिक विषयों में तो उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता है। बादशाह के अधिकार कम होते गये हैं परन्तु उसका आदर बढ़ता जा रहा है। सम्पूर्ण साम्राज्य उससे प्रेम करता है, और वह एकता का चिह्न है।

४—मंत्री मंडल

(Cabinet)

"समस्त राज्य कार्य राजा के नाम से होता है, परन्तु वास्तव में केबिनेट ही सब कुछ है"—Dicey.

इतिहास—बादशाह की गुप्त सभा की कमेटियों में से ही केबिनेट की उत्पत्ति हुई है। इस संस्था का विकास भी क्रमशः हुआ है। चौदहवीं शताब्दी तक मंत्री राजा की आज्ञा सदैव मानते रहते थे। परन्तु सत्रहवीं शताब्दी में प्रतिनिधि सभा के विरुद्ध काम करने से मंत्रियों पर अभियोग (Impeachment) चलाया जाने लगा। अन्त को यही निश्चय हुआ कि बहुमत दल में से ही मंत्री चुने जाने चाहिये। सन् १७१४ में हेनावर वंश के जार्ज प्रथम बादशाह बने, यह और उनके पुत्र जार्ज द्वितीय अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ थे, इस कारण वह मंत्री मंडल में या किसी अन्य जगह विवाद में भाग न ले सकते थे। प्रधान मंत्री राजा का सारा काम करने लगा, उसके अधिकार बहुत बढ़ गये। तृतीय जार्ज ने शक्ति को पुनः अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया, परन्तु मौक़ा हाथ से निकल गया था, लकीर को पीटा करें।

केबिनेट के सदस्यों की संख्या—प्रथम केबिनेट सन् १७१४ में महाशय

वालपोल (Walpole) ने बनाया। उनके मंडल में सात से दस तक सदस्य रहे। जैसे ही शासन का काम बढ़ता गया, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई, और उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में तो उनकी संख्या बढ़ कर बीस हो गई। कुछ तीस अन्य मंत्री बनाये गये जिनको शासन का भार तो अवश्य सौंपा गया, परन्तु मंडल के सदस्य नहीं थे। महायुद्ध काल में ऐसी बड़ी बैठक लड़ाई का काम नहीं कर सकती थी, केवल पाँच आदमियों को युद्ध का सारा काम सौंपा गया। सन् १९१९ में पुनः बीस व्यक्तियों का मंडल बनाया गया। प्रत्येक मंत्री को कोई एक राजनैतिक विभाग सौंपा जाता है, जिसके लिये कि वह उत्तरदायी है।

मंत्री दल (Ministry) और मंत्री मंडल (Cabinet) में फ़र्क़ जान लेना आवश्यक है। मंत्रियों को पार्लियामेन्ट का अविश्वास खो देने पर अपना त्याग-पत्र देना पड़ता है। पूरे मंत्री दल में पचास मेम्बर हैं और मंत्री मंडल में केवल २१ मेम्बर हैं। सारा मंत्री दल एक साथ बैठकर काम नहीं करता, परन्तु मंत्री मंडल सदैव एक साथ बैठकर काम करता है।

पार्लियामेन्ट के निर्वाचन के पश्चात् या प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र देने पर राजा ऐसे आदमी को सदस्य बनाता है जो कि सभा के बहुमत को अपने पक्ष में रख सके। प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों को चुन कर मंत्री दल बनाता है। ये मंत्री दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। मंत्री दल में प्रत्येक विभाग के दो दो मंत्री रहते हैं। एक प्रतिनिधि सभा का सदस्य होता है और दूसरा सरदार सभा का। इसका लाभ यह है कि अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री अपनी अपनी सभाओं के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। विशेषावस्था में मंत्री मंडल में बाहर के आदमी भी मंडल के सदस्य बना लिये जाते हैं। मंत्री प्रायः उसी दल के होते हैं जिसका कि प्रधान होता है। परन्तु विशेष समयों में अन्य दलों से भी सदस्य चुने जाते हैं। इसको गंगा-जमुनी मंत्री दल कहते हैं (Coalition Governments)। प्रधान मंत्रियों को चुनता है और बादशाह उनको नियत करता है।

मंत्री मंडल सारे कार्यों के लिये प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रधान मंत्री सरकार की नीति को निश्चित करता है और विविध विभागों की देख रेख करता है। मंत्री मंडल के सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसको भंग (Dissolve) करा सकते हैं।

केबिनेट की कार्य पद्धति—केबिनेट की सप्ताह में नं० १० डाउनिंग स्ट्रीट (No. 10 Downing Street) में एक बैठक होती है या कभी आवश्यकता पड़ने पर प्रधान के कमरे में। विशेष समयों में भिन्न भिन्न विभागों के लिये समितियाँ निर्णयार्थ बनाई जाती हैं, इनका निर्णय अन्तिम नहीं होता, वरन् केवल अपनी रिपोर्ट देती है।

सन् १९१६ से पहले केबिनेट की कार्यवाही को अंकित करने के लिये कोई साधन न था। प्रधान मंत्री के कर्मचारियों का भी केबिनेट से कुछ सम्बन्ध न था। प्रधान समय समय पर कुछ संक्षिप्त नोट लिख लिया करता था जिसका सारांश कि वह बादशाह के सामने रखता था। लायड जार्ज ने रेकार्ड और 'डाकूमेन्ट्स' को रखने के लिये 'सेक्रिटेरियट' की स्थापना की। यह सेक्रिटेरियट बहुत बड़ा हो गया। इस पर टिप्पणी होने लगी। सन् १९२२ में बोनर ला ने इसकी संख्या घटा दी।

केबिनेट की कार्यवाही बिल्कुल गुप्त होती है, इसकी कार्यवाही की घोषणा नहीं प्रकाशित की जाती है। सदस्यों को भी सारी कार्यवाही गुप्त रखनी पड़ती है। मतभेद होने पर जनता को कुछ पता चल जाता है, परन्तु बिल्कुल अपूर्ण। केबिनेट आम तौर से जनरल पालिसी के लिये विवाद करता है।

मंत्री मंडल और बादशाह का सम्बन्ध—सारे मंत्री बादशाह को उत्तरदायी हैं। यह बात तो केवल दिखावटी है। बादशाह किसी मंत्री को पद-च्युत नहीं कर सकता। यदि वह प्रधान की अनुमति बिना ऐसा करेगा तो सारा मण्डल इस्तीफ़ा दे देगा। ऐसा करने से बादशाह आफ़त में पड़ जायगा। वास्तव में बादशाह मंत्री मंडल के हाथों में कठपुतली की भाँति है।

मंत्रियों का एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व—यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि केबिनेट की स्थिति के लिये पूर्ण संगठन अत्यन्त ही आवश्यक है। यदि कोई एक सदस्य गड़बड़ी करे तो प्रतिनिधि सभा सारे मंत्री मंडल को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है इसका भय सदैव बना रहता है। इसी कारण मंत्रियों को अपने सहयोगियों से परामर्श लेना अत्यावश्यक है सन् १८५१ में महाशय पामर्सटन को इसी कारण मंत्री मंडल छोड़ना पड़ा। जब तक मंत्री केबिनेट की नीति का समर्थन करते रहेंगे, उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि उस पर किसी प्रकार का आघात भी होगा तो सम्पूर्ण मंडल और सभा उसका साथ देगी। उसको निकालने से सारा मंडल अपना पद त्याग देगा।

प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायित्व—मंत्री सभा के प्रति उत्तरदायी हैं इस प्रकार का कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार मंत्रियों को अविश्वास प्रकट करने पर पद त्याग करना चाहिये। परन्तु रिवाज़ ऐसा हो गया है कि मंत्रियों को पद-त्याग करना चाहिये।

मंडल को निकालने की तरकीबें—(१) आय व्यय अनुमान पत्र के पेश होते समय सभा किसी मंत्री का वेतन कम करने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, मंत्री मंडल रुष्ट होकर पद-त्याग देता है (२) सभा के केबिनेट के किसी प्रस्ताव के रद्द कर देने पर मंडल को पद-त्याग करना पड़ता है। (३) केबिनेट के विरोध करने पर यदि सभा किसी प्राइवेट बिल को पास कर दे तो केबिनेट पद-त्याग कर देता है। (४) यदि सभा को केबिनेट की नीति ना पसन्द है तो वह जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। गत १०० वर्षों में सभा के विरुद्ध मत प्रकट करने पर केबिनेट को बहुत कम पद त्याग करना पड़ा है। बहुधा प्रतिकूल निर्वाचन होने पर ही उसको पद त्याग करना पड़ा है।

केबिनेट हार खाने पर जनता से अपने पक्ष समर्थन के लिये अपील करता है। प्रधान मंत्री राजा को सभा भंग करके सर्व-साधारण निर्वाचन की आज्ञा देने के लिये परामर्श देता है। विरुद्ध मत होने पर वह तुरन्त अपना पद त्याग देते हैं और निर्वाचित दल को काम सौंपते हैं।

मंत्री दल और सरकारी कर्मचारी—प्रत्येक मंत्री के अधीन कई स्थायी कर्मचारी होते हैं जो कि मंत्री के निर्धारित नीति के अनुसार काम करते हैं। कर्मचारियों का पद स्थायी होने के कारण वह बहुत सी बारीकियों को जानता है। इन कर्मचारियों की बदौलत ही शासन की श्रृंखला बनी रहती है। यदि सरकारी कर्मचारियों का काम सन्तोष प्रद न हो तो मंत्री उन पर जुर्माना कर सकता है और निकाल भी सकता है

सरकारी कर्मचारी की त्रुटि के लिये मंत्री ही उत्तर दायी समझा जाता है कोई सरकारी कर्मचारी सभा का सदस्य बनने के लिये उम्मेदवार नहीं हो सकता।

इन सिविल सर्विस के कर्मचारियों को प्रतियोगिता परीक्षा का इम्तिहान पास करना पड़ता है। कुछ ऊँचे पदों पर, उनसे नीचे पद वालों को तरक्की देकर नियुक्ति की जाती है। इनका वेतन नियत रहता है और क्रमशः तरक्की होती जाती है। टर्म समाप्त हो जाने पर इनको पेन्शन मिलती है।

५—सरदार सभा

(House of Lords)

"यद्यपि प्रतिनिधि सभा के आदर्श रूप में होते हुये, सरदार सभा अनावश्यक और इस लिये हानिकारक होगी, परन्तु प्रतिनिधि सभा ऐसी हो जैसी कि वास्तव में होती है, तो यथेष्ट अवकाश वाली निरीक्षक सभा यदि आवश्यक न भी हो, तो अत्यन्त उपयोगी तो अवश्य है"—Walter Badgchot.

"The same reason which induced the Romans to have two consuls makes it desirable that there should be two chambers ; that neither of them may be exposed to the corrupting influence of undivided power, even for the space of a single year" J. S. Mill.

सन् १६४९ में इंगलेंड में बादशाह का पद तथा सरदार सभा बिल्कुल उड़ा दी गई। परन्तु इन ११ वर्षों के अनुभव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि दोनों ही आवश्यक हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर दूसरी सभा के सदस्य ऐसे सुयोग्य अनुभवी और सार्वजनिक हिताभीलाषी हैं जैसे वह वास्तव में होने चाहिये। अधिकांश सरदार बड़े ज़मींदार, या धनी व्यापारी आदि होने के कारण आलसी, ऐश्वर्य-प्रेमी और अनुदार हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं।

इस सभा में लगभग ७०० मेम्बर होते हैं—उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

३—शाही ख़ानदान के लार्ड
२—प्रधान लाट पादरी या 'आर्कविशप' (Archbishop)
२४—लाट पादरी या 'विशप' (Bishops)
६१३—संयुक्त राज्य के लार्ड
१८—ड्यूक (Dukes)
१९—मारक्विस (Marquiss)
१२४—अर्ल (Earls)
६४—विस्काउन्ट (Viscount)
३७८—बेरन (Barons)

१६—स्काटलेन्ड के लार्ड—इनका निर्वाचन होता है।

२८—आयर्लैंड के लार्ड—इनका जनम भर के लिये निर्वाचन होता है।

३—न्यायाधीश लार्ड (Law lords)

सभा में विशेष अधिकार उन्हीं को हैं जो वशांगत होते हैं। यह लोग स्वभाव से परिवर्तन-विरोधी होते हैं। नये लार्डों को बादशाह बनाता है। स्त्रियाँ, नाबालिग़, विदेशी, दिवालिये, राज्यद्रोही और अपराधी सरदार नहीं बनाये जा सकते।

सरदार सभा के विशेष अधिकार—

(१) भाषण स्वातंत्र्य (Freedom of speech)

(२) दीवानी मामले में गिरफ़्तार नहीं हो सकते

(३) बादशाह को परामर्श देना

(४) अपराधों के लिये सभा द्वारा ही जाँच होना

निर्वाचन के समय सरदारों को मताधिकार प्राप्त नहीं है।

सरदार सभा का अधिवेशन वेस्ट मिनिस्टर भवन में होता है। इसकी बैठक प्रतिनिधि सभा के साथ होती है। लार्ड चांसलर (Lord chancellor) ही सरदार सभा का सभापति बनता है। सरदार सभा की बैठक मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को होती है। इसका कार्य ४॥ बजे आरम्भ होता है और ८ बजे तक समाप्त हो जाता है। कार्य करने के लिये न्यूनतम संख्या (Quorum) तीन रक्खी गई है। क़ानूनी मसविदे पर विचार करने के लिये तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है।

बादशाह की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने से पहले सरदार सभा में विवाद होता है। अर्थ बिलों का श्री गणेश सरदार सभा में नहीं होता वरन् साधारण सभा में होता है। अर्थ बिलों के अतिरिक्त अन्य सारे विषय दोनों सभाओं में पेश किये जा सकते हैं। धन सम्बन्धी विषयों पर कोई अधिकार न होने के कारण मंत्री दल पर भी कोई अधिकार नहीं है। मंत्री मंडल केवल प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है। सरदार सभा को प्रश्नों के पूछने का भी अधिकार है, परन्तु इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तब भी सरकार का काफ़ी प्रभाव पड़ता है क्योंकि सरदार सभा के कुछ सदस्य मण्डल के सदस्य होते हैं।

सरदार सभा को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। लार्ड्स के

राजविद्रोह के अभियोग की जाँच सरदार सभा में ही होती है। लार्डस की सम्पत्ति सम्बन्धी विषयों का निपटारा भी सरदार सभा में ही होता है। प्रतिनिधि सभा द्वारा चालान किये हुये मुक़द्दमों (Impeachment) पर फ़ैसला देती है न्याय लार्ड्स (Law Lords) अपील सुनते हैं।

लार्ड्स की कार्य क्रम विधि प्रतिनिधि सभा से भिन्न है। सरदार सभा में किसी प्रकार की स्थायी समितियाँ नहीं हैं। तीसरी दफ़ा बहस होने के लिये सारी सभा उपस्थित रहती है। सरदार सभा के संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा पर निर्णयार्थ भेजे जाते हैं।

सरदार सभा का सुधार-सरदार सभा के सदस्य वंशागत होने के कारण उनकी संख्या सदैव बढ़ती जा रही है 'इन सदस्यों को देश की किसी श्रेणी का सदस्य नहीं कहा जा सकता। १५ वर्ष हुये इनकी संख्या केवल २०० थी। अब लगभग ७०० के है।

सन् १९०९ में प्रतिनिधि सभा का सरदार सभा से इतना विरोध बढ़ गया कि सरदार सभा में सुधार करने की आवश्यकता पड़ने लगी। इस वर्ष अर्थ मंत्री मि० लायड जार्ज ने आयव्यय अनुमान पत्र में पृथ्वी कर लगाने का प्रस्ताव पेश किया। इस बिल के अनुसार पृथ्वी-पतियों को भारी क्षति पहुँचने की सम्भावना थी। इस कारण सरदार सभा ने इस बिल को अन्य बिलों सहित रद्द कर दिया प्रतिनिधि सभा ने सरदार सभा की इस कार्यवाही को अवैध घोषित किया। सरदार सभा अड़ी रही। प्रधान को अब केवल एक चारा रह गया था—देश से प्रार्थना (Appeal to the nation)। सन् १९१० के प्रारम्भ में सर्व साधारण निर्वाचन हुआ। इन दिनों सरदार सभा के अधिकारों को कम करना ही एक मुख्य प्रश्न था। निर्वाचन के समय उदार दल वालों की जीत हुई, बिल कामन्स ने पुनः पास किया, सरदार सभा ने इस समय आना कानी न की।

उदार दल वाले इससे कब सन्तुष्ट होने वाले थे, उन्होंने सरदार सभा के अधिकार कम करने के लिये प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया। इस बिल के चार मुख्य अंग थे :—

(१) प्रतिनिधि सभा में अर्थ बिल पास हो जाने के बाद वह एक मास बाद कार्यान्वित हो जाने चाहिये।

(२) प्रतिनिधि सभा ने अर्थ सम्बन्धी बिलों की व्याख्या की, यदि इस

में कुछ मतभेद हो तो साधारण सभा का सभापति ही इसका निर्णय करेगा।

(३) कोई बिल प्रतिनिधि सभा के तीन बार स्वीकृत होने पर सरदार सभा के विरोध करने पर भी पास समझा जायगा और बादशाह के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(४) पार्लियामेन्ट का निर्वाचन सातवें वर्ष के बजाय प्रति पाँचवें वर्ष होगा। पार्लियामेन्ट यदि आवश्यक समझे तो अपने कार्य काल की वृद्धि भी कर सकती है।

यह पार्लियामेन्ट बिल लार्ड्स के समक्ष उपस्थित किया गया। लार्ड्स ने दूसरा साधन अख़्तियार किया। प्रतिनिधि सभा की धमकी देने पर लार्ड्स ने बिल को जैसा का तैसा मान लिया। वोट के दिन बहुत से सरदार अनुपस्थित रहे, थोड़े से बहुमत से ही बिल पास हो गया। सन् १९११ का पार्लियामेन्ट से इंगलेंड की शासन पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है।

लार्ड्स के अधिकारों को न्यून करने के अतिरिक्त उनकी बनावट में भी परिवर्तन करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। संकीर्ण दल ने भी एक बार वंशागत सरदारों की संख्या कम करने का प्रस्ताव पेश किया था। सन् १९०९ में जब कि दोनों सभाओं का झगड़ा हो रहा था, उस समय लेन्सडाउन प्लान (Lansdowne Plan) ने यह बताया कि सरदार सभा में ३३० सदस्य होने चाहिये—कुछ सरदार और कुछ अन्य पुरुष। उदार दल ने इसको न माना अन्त को ब्राईस कमेटी की स्थापना करके उसका निर्णय माँगा गया। उसके तीस सदस्य थे, आधे प्रतिनिधि-सभा में से चुने गये और आधे सरदार सभा में से।

ब्राईस कमेटी ने सन् १९१८ में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने यह तय किया कि सरदार सभा का साइज़ कम कर देना चाहिये। इसके $\frac{1}{3}$ मेम्बर सरदारों में से चुने जाने चाहिये और प्रतिनिधि सभा को $\frac{2}{3}$ चुनने चाहिये। इन सदस्यों का कार्य काल बारह वर्ष होना चाहिये। हर चौथे वर्ष $\frac{1}{3}$ मेम्बर पद छोड़ने और उनकी जगह नये रक्खे जाने चाहियें। यदि किसी विषय पर दोनों सभाओं में मत भेद होवे तो दोनों सभाओं के तीस तीस प्रतिनिधि संयुक्त बैठक करके झगड़े का निपटारा करें। यह रिपोर्ट ज़्यादह पसन्द न आई।

अन्य तरकीबें भी पसन्द न आईं। सरदार सभा का सुधार नहीं हो सका है। जैसा था वैसा रहा।

६—प्रतिनिधि सभा

(House of Commons)

पार्लियामेन्ट इंगलेंड की उच्चतम क़ानूनी संस्था है। व्यवस्थापिक सभाओं में यह सब से पुरानी है, बहुत से देशों ने इसका अनुकरण कियां है इसी लिये इस को "पार्लियामेन्टों की जननी" (Mother of Parliaments) कहते हैं।

बारहवीं शताब्दी से पहले राजा स्वयं नियम बनाता और बनवाता था, वह स्वयं ही कर लगाता था। बारहवीं शताब्दी में कुछ बड़े बड़े लोगों में यह भाव फैला कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें ही होना चाहिये, बादशाह को नहीं। कुछ काल बाद उन्होंने सर्वसाधारण को भी अपने पक्ष में मिला लिया और अन्त को सन् १२१५ ई० में प्रजा ने जोन बादशाह के ऊपर विजय प्राप्त की और उससे "मेगना कार्टा" (Magna charta) नामक अधिकार पत्र लेलिया। इस पत्र के अनुसार पृथ्वी-पतियों की और सर्वसाधारण की सभायें होनी चाहिये थीं।

निर्वाचकों की योग्यता (Qualification for voters)—इंगलेंड में संघ दो तरह के हैं—(१) साधारण और (२) विश्वविद्यालय। सूची प्रतिवर्ष तय्यार की जाती है, और कोई निर्वाचक दो से अधिक संघों से मत नहीं दे सकता।

सूची में नाम लिखाने के लिये निर्वाचकों की अयोग्यता नहीं होनी चाहिये। जो पुरुष दस पौंड और स्त्री पाँच पौंड किराये वाले मकान में छः महीने तक रहा हो वोट दे सकता है।

विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट (Graduate) जिनकी अवस्था २१ वर्ष की है वोट दे सकते हैं।

स्त्रियों को मताधिकार—उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्रियों को मताधिकार देने का प्रश्न उठा। जान स्टुअर्ट मिल ने स्त्रियों को मताधिकार देने के सम्बन्ध में अनेकों प्रतिभाशाली लेख लिखे। साठ वर्ष तक कुछ न हो सका। आन्दोलन बढ़ता गया। पार्लियामेन्ट में कई बार प्रस्ताव पेश हुये, परन्तु पास न हो सके। बहुत से राज-नीतिज्ञ स्त्रियों के पक्ष में हो गये। महा-युद्ध में स्त्रियों की सेवा से सन्तुष्ट हो कर सन् १९१८ में उनको मताधिकार दिया गया। सन् १९१८ में तो तीस वर्ष की अवस्था वाली स्त्रियों को मताधिकार मिला और दस वर्ष बाद पुरुषों के समान इन को भी अधिकार प्राप्त हो गया।

निर्वाचकों की अयोग्यतायें—निम्नलिखित वोट नहीं दे सकते :—

(१) नाबालिग़, सरदार, विदेशी (सिवाय उनके जिन्होंने कुछ शर्तें पूरी की हैं) और पागल (Invalids, Lords, foreigners and Lunatics) ।

(२) फ़ौज़दारी या राजद्रोह के अभियुक्त (Felons) ।

(३) निर्वाचन के कर्मचारी (Officers Conducting Election business) ।

(४) जिन लोगों ने निर्वाचन नियमों को भंग किया है । निम्नलिखित व्यक्ति उम्मेदवार नहीं हो सकते :—

(१) जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं है ।

(२) पादरी (Clergymen and Bishops) ।

(३) दिवालिये (Insolvents) ।

(४) कर्मचारी जज और पेन्शन पाने वाले ।

(५) सरकारी ठेकेदार, शेरिफ़, और निर्वाचन अफ़सर ।

सन् १८८३ के नियमानुसार निर्वाचन के समय के अनुचित व्यवहार रोके जा सकते हैं ।

(१) रिश्वत और दावत देना, अकारण प्रभाव डालना, झूठे नाम से काम करना अपराध है (Bribery, feasting, forcing, forgery)

(२) निर्वाचकों के ऊपर सात पेंस से अधिक ख़र्च नहीं करना चाहिये ।

(३) उम्मेदवारों को निर्वाचन का पूरा हिसाब सरकार को देना चाहिये ।

(४) निर्वाचन नियमों को भंग करने वाले ।

इतने कठोर नियम होने पर भी अपराधों की संख्या कम नहीं हुई । क्योंकि कोई भी दंड दिलाने की दरख़्वास्त नहीं देता ।

प्रतिनिधि सभा का संगठन—इसके ६१५ सदस्य हैं । ४९३ इंगलैंड और वेल्ज़ के हैं, ७४ स्काटलैंड के और ४८ उत्तरी आयलैंड के । निर्वाचन प्रति पाँचवें वर्ष होता है । इसकी कार्य काल अवधि बढ़ाई और घटाई जा सकती है । प्रत्येक सदस्य को भाषण-स्वातंत्र्य प्राप्त है, वह दिवानी के मामलों में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता । सन् १९११ से पहले सदस्यों को वेतन नहीं मिलता था अब उनको ४०० पौं० प्रति वर्ष मिलता है ।

यहाँ पर निर्वाचन विधि एक केन्द्र एक प्रतिनिधि के हिसाब से होता है ।

यहाँ पर अनुपातिक निर्वाचन विधि काम में नहीं लाई गई। इसके गुण दोष हम पहले लिख चुके हैं। उम्मेदवारों को निर्वाचकों से समय समय पर मिलते रहना चाहिये और उनको पार्लियामेन्ट की कार्यवाही को समझना चाहिये। उनसे आवश्यक विषयों पर उनकी राय भी लेनी चाहिये। प्रतिनिधि कहना माने या न माने, वह इसमें स्वतंत्र हैं। अकसर लोग निर्वाचन समाप्त हो जाने पर अपना दल बदल देते हैं, परन्तु कुछ ज्ञानवान लोग निर्वाचकों से इसके लिये परामर्श लेते हैं।

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारीः—

(१) सभापति (Speaker)

(२) कमेटियों का सभापति तथा प्रतिनिधि सभा का उपसभापति।

(३) प्रतिनिधि सभा का क्लर्क (Clerk)

सभापति केवल सभा का सुचारु रूप से काम करता है, और समान मत होने पर ही वोट देता है (President has merely a casting vote)। सदस्यों को उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, यदि वह ऐसा न करें तो प्रवक्ता उनको निकाल सकता है। उसका निर्णय अन्तिम है। उसको ५००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है।

कमेटियों का सभापति मन्त्री दल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है, और सभा का उपसभापति होता है।

क्लर्क प्रतिनिधि सभा का स्थायी कर्मचारी होता है, वह प्रतिनिधि सभा की रिपोर्ट रखता है और उसको प्रकाशित करता है।

सभा की कमेटियाँ—(१) प्रतिनिधि सभा की सब से महत्त्वपूर्ण कमेटी 'पूर्ण सभा की कमेटी' (Committee of the whole) होती है। इसका अध्यक्ष उपसभापति होता है। यह अपने कार्य के अनुसार नाम ग्रहण करती है।

(२) सिलेक्ट कमेटी (Select Committee) इसके १५ सदस्य होते हैं। और क़ानूनी मसविदों पर विचार करती है।

(३) छः स्थायी कमेटियाँ (Standing Committee) है। इसमें ६० से ८० तक मेम्बर होते हैं और क़ानूनी मसविदों पर निर्णय करती हैं।

(४) नियुक्ति कमेटी (Committee of Selection) इसके ११ सदस्य होते हैं और स्थायी कमेटियों के सदस्यों को नियुक्त करती हैं।

प्रतिनिधि सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रस्ताव पेश

कर सकते हैं। विभाग का ख़र्च कम कर सकते हैं और मन्त्रियों का वेतन घटा सकते है। मन्त्रीदल की शक्ति दिन दिन बढ़ती जा रही है। प्रधान मन्त्री अपनी इच्छानुसार काम कर सकता है यदि वह अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बाँध कर रखता है।

७—प्रतिनिधि सभा का कार्यक्रम

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ६१५ है, परन्तु बैठने योग्य स्थान केवल ३६० के लिये है। इनके लिये भी बेंच हैं। सभा के भवन के ऊपर के दो बरामदों में सौ सदस्य बैठ सकते हैं। उपस्थिति बहुत कम रहती है और जगह ख़ाली पड़ी रहती है। चालीस सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। यदि कभी प्रवक्ता का इस कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तो घूमते हुये सदस्यों को घंटी द्वारा सूचना दी जाती है।

वोट गिनने की प्रथा—किसी प्रस्ताव पर विवाद हो जाने के पश्चात वोट गिनी जाती है। प्रवक्ता 'हाँ' या 'नहीं' कहने को कहता है। इसी के अनुसार वह अपना विचार प्रकट करता है। किसी सदस्य के प्रवक्ता के कथन विरोध करने से पुन: मत लिया जाता है। अब भी विरोध करने पर हाँ पक्ष वाले दायें कमरे में जाते हैं और न पक्ष वाले बायें ओर के कमरे में। सदस्यों के नाम लिख लिये जाते हैं तदुपरान्त अंतिम निर्णय किया जाता है।

प्रतिनिधि सभा अपना प्रवक्ता का निर्वाचन करने के पश्चात सरदार सभा भवन में बादशाह का भाषण सुनने के लिये बुलाई जाती है। बादशाह अपने भाषण में केबिनेट की नीति बतलाता है जिसके अनुसार उस वर्ष में कार्य होता है। तदुपरान्त प्रवक्ता इस भाषण को प्रतिनिधि सभा में पढ़ता है और इस पर विवाद होता है। और इस पर मत लिया जाता है। यदि मत भाषण की नीति के विरुद्ध हो तो मंत्री मंडल को स्तीफा देना पड़ता है।

सभा की बैठक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को पौने तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती है, आवश्यक कार्य होने पर इसके बाद भी जारी रह सकती है। बीच में सवा आठ बजे पन्द्रह मिनट के लिये जलपान की छुट्टी होती है। शुक्रवार के दिन बैठक केवल ५॥ तक रहती है। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है।

सभा का कार्य आरम्भ होने से पहले प्रति दिन प्रार्थना होती है, तत्पश्चात् प्रवक्ता अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दर्ख्वास्तें पेश की जाती हैं इस काम में पन्द्रह मिनट लगते हैं। तदुपरान्त प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनका उत्तर पौने चार बजे तक मिलना चाहिये। अन्यथा वह और कार्यवाही के साथ प्रकाशित किये जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिये सदस्यों को पहले से सूचना देनी चाहिये। प्रश्नों का उत्तर सन्तोषप्रद न होने से और जनता के लिये हितकर होवे तो कोई सदस्य सभा को स्थगित (Adjournment) करने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि उसी दिन यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो उस विषय पर उसी दिन ८॥ बजे बहस होती है। आमतौर से ४ बजे के बाद प्रस्तावों पर निर्णय होता है।

साल भर में १०० दिन काम होता है अर्थात् उसकी दो सौ बैठकें होती हैं जिनमें अधिकतर मंत्री मंडल के प्रस्ताव उपस्थित किये जाते हैं। केवल ३० बैठकों में प्राइवेट सदस्यों का काम हो सकता है। समयाभाव के कारण सारे ग़ैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर निर्णय होना कठिन है, इसलिये चिट्ठी (Lottery) डालकर यह पता चलाया जाता है कि किन किन प्रस्तावों पर निर्णय होगा।

मसविदे अर्थात् बिल—(Bills) तीन प्रकार के होते हैं। (१) क़ानूनी मसविदे (धन के अतिरिक्त), (२) धन सम्बन्धी, (३) स्थानीय तथा व्यक्ति गत। मंत्री मंडल के प्रस्तावों के लिये दिन आसानी से निर्दिष्ट कर लिये जाते हैं। अन्य सदस्यों को चिट्ठी डालने पर उनका नाम आ जाय तभी मौक़ा मिलता है। ग़ैरसरकारी सदस्यों को अपने मसविदे के लिये पहले से सूचना देनी पड़ती है।

प्रथम वाचन (First Reading of the bill) पहले दिन केवल मसविदे का शीर्षक पढ़ा जाता है, उस पर बहस नहीं होती पर अनुमति प्राप्त हो जाती है। और उसके **द्वितीय वाचन** के लिये तारीख़ निश्चय की जाती है। उस दिन मसविदे के सिद्धान्त पर बहस होती है, परन्तु संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्ताव उस दिन वाद न पास होवे तो कुछ दिन बाद फिर रक्खा जाता है। जो सदस्य मसविदे के लिये मत नहीं चाहते हैं, छः मास के लिये उसको स्थगित करा सकते हैं। यदि प्रस्ताव पास हो जाय तो उस मसविदे के सम्बन्ध में सारी कार्यवाही बन्द कर दी जाती है।

द्वितीय वाचन के पश्चात् प्रस्ताव स्थायी कमेटी को भेजा जाता है। प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हो तो यह 'पूरी सभा की कमेटी' या 'सिलेक्ट कमेटी' के पास भेजा जाता है। कमेटी धाराओं और शहादत पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देती है। कमेटी में संशोधन भी किये जा सकते हैं। इसको कमेटी मंज़िल (Committee Stage) कहते हैं। तदुपरान्त कमेटी की रिपोर्ट प्रतिनिधि सभा के सामने रखी जाती है और सम्पूर्ण प्रस्ताव पर बहस होती है। इसको रिपोर्ट मंज़िल (Report Stage) कहते हैं।

सब धाराओं पर विचार हो चुकने के पश्चात् यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह मसविदा स्वीकार किया जाय। यह मसविदे का **तीसरा वाचन** होता है। इस समय कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। अन्तिम बार स्वीकार होने के बाद प्रस्ताव सरदार सभा के पास भेजा जाता है।

सरदार सभा में भी प्रतिनिधि सभा की भाँति, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है। कमेटी मंज़िल और रिपोर्ट मंज़िल भी होती हैं। सरदार सभा की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर बादशाह के पास हस्ताक्षरार्थ यह प्रस्ताव भेजा जाता है। तदुपरान्त बिल ऐक्ट का रूप ग्रहण करता है। सरदार सभा यदि संशोधन करे तो प्रतिनिधि सभा उन पर निर्णय करती है। यह संशोधन प्रतिनिधि सभा को स्वीकार हो तो हस्ताक्षरों के लिए बादशाह के पास जाता है। यदि स्वीकार न हो और सरदार आग्रह करें तो अगले अधिवेशन तक के लिए बिल स्थगित किया जाता है। इस अवधि के बीतने पर प्रस्ताव पुनः सारी मंज़िलें तय करता है और सरदार सभा में पहुँचता है। सरदार लोग अब भी बस में न आवें तो फिर अगले अधिवेशन के लिये प्रस्ताव स्थगित किया जाता है। इस अधिवेशन में फिर प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा की सारी मंज़िलें तय करनी पड़ती हैं। इस बार सरदार चाहे स्वीकृति दे या न दे, प्रस्ताव बादशाह की हस्ताक्षर प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। परन्तु शर्त यह है कि इस बीच में दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जानी चाहिए।

इससे यह स्पष्टतया विदित होता है कि सरदार सभा ज़्यादह से ज़्यादह साधारण प्रस्ताव को दो वर्ष तक के लिये मुल्तवी कर सकती है।

धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे—दो प्रकार के होते हैं।

(A) ख़र्च सम्बन्धी (Consolidated Funds) और (B) कर सम्बन्धी (Finance Bill)

A—प्रति वर्ष मार्च मास में पूरी सभा की कमेटी में ख़र्च प्रस्तावों पर विचार होता है। यह प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। सदस्य ख़र्च कम करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। ख़र्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर यह प्रस्ताव आम-कमेटी के पास स्वीकृत होने के लिये भेजा जाता है। प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव विविध मंज़िलें तय करने के बाद सरदार सभा के पास भेजा जाता है। सरदार सभा में सारी मंज़िलें तय करता है। सरदार चाहे संशोधन करें, परन्तु बादशाह के पास उसी रूप में जाता है जिसमें कि प्रतिनिधि सभा ने पास किया है।

B—अप्रैल मास के आरम्भ में अर्थ मंत्री सभा में बजट पेश करता है जिसमें कि वह करों की दर घटाने, बढ़ाने या नये कर लगाने का प्रस्ताव करता है। कोई सदस्य कर घटाने का संशोधन प्रस्ताव उपस्थित करता है। इस प्रस्ताव के मसविदे पर बहस होती है और विविध मंज़िलें तय करने के बाद सभा के पास जाता है। सरदार सभा के संशोधन किसी महत्त्व के नहीं होते क्योंकि बादशाह प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किये हुये प्रस्ताव पर ही हस्ताक्षर करता है।

सरदार सभा से धन सम्बन्धी विषयों में परिवर्तन करने का अधिकार सन् १९११ के क़ानून से छीन लिया गया है।

स्थानीय या व्यक्तिगत मसविदे (Local or Personal Bills)—जो प्रस्ताव के किसी विशेष स्थान या कम्पनी से सम्बन्ध रखते हैं। सदस्य इसके लिये दर्ख्वास्त देते हैं जिसकी जाँच ख़ास अफ़सरों द्वारा होती है। उनकी जाँच के अनुसार प्रस्ताव का प्रथम वाचन और शैली पर ग़ौर करने के पश्चात द्वितीय वाचन होता है। स्थानीय कमेटी मसविदे पर ग़ौर करती है जो कि गवाहों की शहादत के अनुसार अपनी रिपोर्ट देती है। प्रतिनिधि सभा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करती है। इसके बाद मसविदा सरदार सभा के पास विचारार्थ भेजा जाता है और वह सारी मंज़िलें तय करता है। यदि सरदार सभा को स्वीकार हो तो प्रस्ताव बादशाह के पास भेजा जाता है, यदि न पसन्द हो तो रद्द कर दिया जाता है।

ऐसे मसविदे बहुत कम पेश होते हैं क्योंकि बहुत व्यय करना पड़ता है।

कमेटी के अल्प दल सदस्य अपनी मत-भेद-पत्रिका (Note of Dissent) पेश करते हैं। या कुल सदस्यों की दो रिपोर्टें हो जाती हैं एक अल्प मत (Minority), दूसरी बहुमत (Majority), कमेटियाँ अकसर शिफ़ारिशें भी करती हैं जिनके अनुसार कानून बनना चाहिये।

८—राजनैतिक दलबन्दी

(Political Parties)

"दलों का होना अत्यावश्यक है। संसार के समस्त स्वतंत्र देशों में वह अनिवार्य समझी गई है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि प्रतिनिधित्व शासन उनकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है। वह देश के हित के लिये लाभदायक है और शान्ति स्थापन करती है। उनके दोष अन्य दोषों को दूर करते हैं।"

—Lord Bryce

सोलहवीं शताब्दी तक इंगलैंड में कोई दल न था। राजा की आज्ञा उल्लंघन नहीं की जा सकती थी। तब कोई भी विरुद्ध मत प्रकट नहीं कर सकता था। पार्लियामेन्ट के अधिवेशन बहुत कम होते थे। सदस्यों को संगठित होने का अवसर नहीं मिलता था। बादशाह अपने ही आदमियों को मंत्री चुनता था दूसरे लोग शासन के कार्य से अनभिज्ञ रहते थे।

बादशाह अपने अधिकारों को ईश्वर दत्त समझते थे। विशेष कर स्टुअर्ट वंशज तो अपने को ईश्वर के ऐल्ची बताते थे। पार्लियामेन्ट इसको कब सहन कर सकती थी। उसका मत था कि राज्य को सारे अधिकार पार्लियामेन्ट के द्वारा प्राप्त हैं। सन् १६४१ के गृहयुद्ध में पार्लियामेन्ट की विजय हुई। दो दलों की उत्पत्ति हुई—पार्लियामेन्ट समर्थक और राजा के पक्षपाती। कुछ काल तक प्रजापक्षियों की नाक ऊँची रही। क्रामवेल की मृत्यु के अनन्तर राजा के समर्थकों की संख्या बढ़ गई और चार्ल्स द्वितीय राजा बनाया गया। पार्लियामेन्ट के कुछ सदस्य जेम्स द्वितीय को निकालना चाहते थे। इसी लिये पार्लियामेन्ट में प्रस्ताव पेश किया गया, दोनों दलों में विरोध बढ़ गया—जेम्स के तरफ़दार 'टारी' (Tory) कहलाये जाने लगे और उसके विरोधी 'ह्विग' (Whig)।

सन् १७१४ में जार्ज प्रथम के अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण बहुमत दल से वालपोल प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त किये गये। आप ही इंगलेंड के सर्व प्रथम प्रधान मंत्री थे। जार्ज तृतीय के शासन काल में अमरीका अपनी स्वतंत्रता के युद्ध में विजयी हुआ। उसके विरोधी टोरी दल का प्रभाव घट गया और ह्विग लोग आगे बढ़े।

सन् १७८९ में फ्रान्स की राज्य क्रान्ति आरम्भ होते ही ह्विग दल का प्रभाव

क्षीण होने लगा, टोरी दल आगे बढ़ा और नेपोलियन के पतन तक शासन की बाग-डोर अपने हाथ में रक्खी उसके बाद ह्विग लोग फिर आगे बढ़े और सन् १८३२ में रिफ़ार्म ऐक्ट पास कराया।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 'ह्विग' और 'टोरी' लिबरल और कनज़र्वेटिव (Liberal) उदार (Conservative) अनुदार कहलाने लगे। लिबरल लोग सुधार चाहते हैं, कनज़र्वेटिव लोग जो प्रथा है उसी को रखना चाहते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में मज़दूर दल (Labour Party) का जन्म हुआ। इस दल के पक्ष-पातियों की नीति साम्यवादी (Socialist) है और वे सह-कारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। वह सरकार द्वारा उद्योग धन्धों का नियन्त्रण किया चाहते हैं। सन् १८८५ से ही उनके सदस्य पार्लियामेन्ट में जाने लगे।

सन् १९२४ में मज़दूर दल ने अपना मंडल बनाया। परन्तु पार्लियामेन्ट में यथेष्ट संख्या न होने के कारण ग्यारह महीने के बाद ही पद छोड़ना पड़ा। तदु-परान्त अनुदार दल ने मंडल बनाया। सन् १९२९ के निर्वाचन के बाद मज़दूर दल ने पुनः मंडल बनाया। नवम्बर सन् १९३१ में निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। इसमें कई दलों का संघ है, परन्तु अनुदार दल की संख्या अधिक है। मज़दूर दल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री रामसे मेकडानेल्ड (Ramsay Macdonald) अपना दल छोड़ कर इधर आ मिले हैं।

९—न्यायालय

(Law and the Courts)

"किसी स्वतंत्र मनुष्य को न तो गिरफ्तार किया जायगा, न देश निकाला दिया जायगा, न किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जायगी, न उसको न्यायालय और सरदारों की आज्ञा बिना सज़ा दी जायेगी। किसी को न्याय से वंचित नहीं रक्खा जायगा"—Magna Charta।

"लोगों के लिये कुछ स्वतंत्रता नहीं होती, यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापक तथा शासन शक्ति से पृथक न रक्खी जाय'—Montesqieu।

न्याय कार्य की विशेषतायें—(१) समस्त अपराधों के लिये साधारण न्यायालय है, किसी अपराध के लिये विशेष न्यायालय नहीं हैं। बादशाह और मन्त्रियों

के मुक़दमें भी इन्हीं साधारण अदालतों में होते हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होने पर भी इन्हीं न्यायालयों में मुक़दमा होता है।

(२) बादशाह लार्ड चांसलर की सिफ़ारिश से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। न्यायाधीश तब तक पदच्युत नहीं किये जा सकते जब तक कि वे नेकचलनी से काम करते रहते हैं। इसी कारण न्याय कार्य इंगलेंड में स्वतंत्रता से होता है और शासकों का प्रभाव नहीं पड़ने पाता।

(३) फ़ौजदारी के मुक़दमें और कुछ दीवानी के मुक़दमों का निर्णय 'जूरी' (Jury) के अनुसार होता है। न्यायाधीश पाँच या सात पंचों को चुन लेते हैं जो कि मुकदमें के अन्त में अपना मत प्रकट करते हैं। इन्हीं के निर्णय के अनुसार न्यायाधीश अपना फ़ैसला सुनाते हैं। इससे अन्याय होने की संभावना जाती रहती है।

फ़ौजदारी मुक़दमें—(१) फ़ौजदारी का मुक़दमा चलाने से पहले अफ़सर को ठीक तौर से जाँच करनी पड़ती है।

(२) मुजरिम को दोषी ठहराने का भार अभियोग चलाने वाले पर है।

(३) यदि अभियुक्त जूरी के किसी पंच को निष्पक्ष समझे तो मुक़दमा शुरू होने से पहले आपत्ति कर सकता है।

(४) मुक़दमा खुली अदालत में होता है और गवाहों के बयान शपथ देकर लिये जाते हैं।

(५) जूरी का निर्णय अन्तिम होता है; और फ़ैसला क़ानून की सीमा में होना चाहिये।

ऊपर लिखी विशेषताओं के कारण फ़ौजदारी के मुक़दमों में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक न्याय होता है।

इंगलैंड की सब से बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कहते हैं। इस अदालत के दो भाग हैं :—(१) हाई कोर्ट—इसमें बीस न्यायाधीश होते हैं। इसमें दीवानी, व फ़ौजदारी के मुक़दमों पर विचार होता है। हाई कोर्ट नीचे की अदालतों की देख रेख करता है और उनके फ़ैसलों की अपील सुनता है। (२) अपील कोर्ट (Court of Appeals)—इसमें नौ न्यायाधीश होते हैं। यह हाई कोर्ट के और ख़ास ख़ास नीचे की अदालतों के फ़ैसलों को सुनता है।

अपील कोर्ट की अपील सरदार सभा में होती है। इसके लिये अटार्नी जन-

रल (Attorney General) की अनुमति प्राप्त कर लेना परमावश्यक है। ब्रिटिश उपनिवेशों तथा आधीन देशों की अपील प्रीवीकौन्सिल की न्याय समिति में होती है।

न्यायालयों को पार्लियामेन्ट द्वारा निर्मित नियमों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पार्लियामेन्ट के ऐक्टों के अर्थ समझने में मतभेद होने पर न्यायालय अपना अर्थ लगा सकते हैं और यही अर्थ सर्वमान्य और शिरोधार्य समझे जाते हैं।

१०—स्थानीय शासन

(Local Government)

"स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर निर्भर है"—De Tocqueville.

"इंगलैंड की स्वतंत्रता का मुख्य कारण हैं उसकी स्वतंत्र संस्थायें। सेक्सन लोगों के काल से अंग्रेज़ नागरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा उसके कर्तव्यों का भली भाँति मनन कर रहे हैं—Blackstone.

स्थानीय कार्य सुगमता अथवा सुचारु रूप से करने के लिये ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भिन्न भिन्न भाग—इंगलैंड, स्काटलैंड, वेल्ज़ और उत्तरी आयर्लैंड—काउन्टियों में बटे हुये हैं। कुछ बड़े शहरों को ही काउन्टी बना दिया गया है, उनको 'काउन्टी बरो' (County borough) कहते हैं। प्रत्येक काउन्टी में प्रबन्ध कार्य के लिये काउंटी कौन्सिल होती है। प्रत्येक कौन्टी ग्राम, नगर और म्युनिसिपेलिटी में विभाजित होती है। प्रत्येक विभाग की एक प्रथम कौन्सिल होती है। ग्राम ज़िले पेरिशों (Parishes) में भी विभक्त हैं। पेरिशों में पेरिश कौन्सिल होती है।

काउन्टी कौन्सिल—काउन्टी में प्रत्येक ज़िले से साधारण सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं। सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निर्भर है जो कि २८ से १४० तक होती है। कौन्सिल के सदस्य कुछ एल्डरमेन (Aldermen) छः वर्ष के लिये चुनते हैं। आधों का निर्वाचन हर तीसरे वर्ष होता है। (निर्वाचन में मताधिकार उनको है जो काउन्टी में छः मास तक रह चुके हैं)।

काउन्टी कौन्सिल, जिला कौन्सिल के काम की देख भाल करती है और उनकी त्रुटियों को दूर करती है। काउन्टी काउन्सिल सड़कों और पुलों की टूट फूट

का इन्तज़ाम करती है; कृषकों के लिये खेत दिलवाने का प्रयत्न करती है; बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करती है; पुलिस का नियन्त्रण करती है; 'प्राइमरी' अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करती है और उच्च शिक्षा के लिये भी सहायता करती है; अस्पताल, सुधार गृह, और पागलख़ानों को ठीक तरह से रखती है; विनोद स्थानों के लिये लाइसेंस देती है। पशुओं की छूत की बीमारी, पशु, तोल और माप (Measurements and weights), स्फोटक पदार्थ, नदियों की गन्दगी के सम्बन्ध के नियमों को भी कार्यान्वित करती है।

कौन्सिल काउन्टी के लिये नियम बनाती जिनके उल्लंघन के लिये जुर्माना होता है। काउन्टी की आय जुर्माने से और 'काउन्टी रेट' करों द्वारा होती है अथवा उससे जो कि केन्द्रीय सरकार इसको खर्च के लिये देती है। इसके हिसाब किताब की जाँच एक निरीक्षक द्वारा होती है। कौन्सिल अपने कर्मचारियों को स्वयं नियत करती है।

ज़िला कौन्सिल के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें से $\frac{1}{3}$ सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है। छः मास तक अनुपस्थित सदस्यों की जगह ख़ाली समझी जाती है। सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आमंत्रित किये जाने पर स्वास्थ्य विभाग का सदस्य भी भाषण कर सकता है।

ज़िला काउन्सिल के कर्तव्य हैं, ज़िले के कूचों और गन्दगी की सफ़ाई, सड़कों पर छिड़काव, स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करती है, मकानों का मैल और कूड़ा हटवाती है, नुक़सान देने वाले और गन्दे पदार्थों को फिकवाती है। कुछ छोटी छोटी सड़कों की मरम्मत करवाती है। छूत की बीमारियों को रोकने के लिए सारे साधन ढूंढ़ सकती है (Prevention of Contagious diseases), यह गाड़ियों, सरायों और मातृगृह आदि का लाइसेंस देती है, मेलों का प्रबन्ध करती है, तथा कारखानों में काम का समय नियत करती है।

नगर—ज़िला-कौन्सिल के कुछ अधिकार ये हैं:—यह स्नानागार और लांडरी और वाशिंग फ़ैक्टरी का प्रबन्ध करती है। अकस्मात आग लगने पर उसको शान्त करना, क़साई ख़ानों का स्थान नियत करती है और अपनी इच्छानुसार उनके लिए मकान बनवाती है और उनका ब्यौरा अपने पास रखती है। नागरिकों की सुविधा के लिये ट्रामवे और छोटी लाइन बनवाती है अथवा उनकी शिक्षार्थ पुस्तकालय, अजायब घर और सार्वजनिक उद्यान इत्यादि स्थान बनवाती है।

नगर ज़िला कौन्सिल की आय, फ़ीस, जुर्माने और ब्रिटिश सरकार से काउन्टी द्वारा प्राप्त है। इसको कुछ कर वसूल करने का भी अधिकार है। ग्राम जिला कौन्सिल का ख़र्च 'दरिद्र रक्षा कर' (Poor Rates) से चलता है।

म्युनिसिपल कौन्सिल—जिन बड़े नगरों में काउन्टी कौन्सिल नहीं है, वहाँ पर म्युनिसिपल कौन्सिल काम करती है। इनमें मेयर, एलडरमेन और कुछ सदस्य होते हैं। साधारण सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिये होता है, परन्तु $\frac{1}{3}$ का निर्वाचन प्रति वर्ष पहली सितम्बर (1st of September) को होता है।

ऐलडरमेन की संख्या साधारण सदस्यों से $\frac{1}{3}$ रहती है। ऐलडरमेन का चुनाव साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिये होता है, परन्तु आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष अपना पद छोड़ते हैं और उनकी जगह नये ऐलडरमेन चुने जाते हैं। 'मेयर कौन्सिल का सभापति होता है और १ साल के लिये चुना जाता है। कौन्सिल द्वारा नियुक्त कमेटियों का सदस्य मेयर ही बनता है और बरो की न्यायाधीश समिति का सभापति होता है। मेयर अकारण दो मास तक अनुपस्थिति रहें तो उनकी जगह ख़ाली हो जाती है।

कौन्सिलें 'बरो' (Boroughs) के लिये उपनियम बना सकती हैं। यह बरो की जायदाद की देख भाल करती हैं। दस हज़ार से अधिक जन संख्या वाली बरों की प्राइमरी शिक्षा के लिये कौन्सिल उत्तरदायी है। ये बरों बीमारी, खान, पान, नाप तोल सम्बन्धी नियमों को काम में लाती हैं। बीस हज़ार से अधिक जन संख्या वाली बरो पुलिस विभाग का भी प्रबन्ध करती है।

पेरिश कौन्सिल—इसमें ५ से १५ तक सदस्य होते हैं, और १५ अप्रैल को तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। छः मास की अनुपस्थिति वाले सदस्यों की जगह ख़ाली समझी जाती है। कौन्सिल अपना सभापति चुनती है। कौन्सिल जन्म मृत्यु का ब्यौरा और किताबें रखती है शादियाँ रजिस्टर करती है। कृषिकों को काम में लगाने के लिये पृथ्वी दिलवाने का प्रयत्न करती है। यह गाँव में लाइट, चौकीदारी, क़ब्रस्तान, फ़ाइरब्रिगेड (आग बुझाने के ऐंजिन), पार्क और अन्य मनोरंजक स्थानों का प्रबन्ध करती है। 'दरिद्र रक्षा कर' में से कौन्सिल प्रति पौंड में से छः औंस तक ख़र्च कर सकती है। ग्राम-जिला-कौन्सिल की शिकायत पेरिश कौन्सिल कौन्टी कौन्सिल के पास भेज सकती है।

दरिद्रों और अपाहिजों की सहायता के लिये कुछ दरिद्र समितियाँ स्थापित

की गई हैं। समस्त समितियाँ एक संरक्षक बोर्ड के अख्तियार में हैं। बोर्ड तीन वर्ष के लिये चुना जाता है। परन्तु तृतीयांश हर साल पद त्यागता है। बोर्ड वस्त्र, आजीविका इत्यादि का प्रबन्ध करता है। लन्दन का स्थानीय शासन दो संस्थाओं द्वारा होता है। (१) लन्दन कारपोरेशन, (२) लन्दन काउन्टी कौन्सिल। लन्दन कारपोरेशन का कार्य लार्ड मेयर, ऐलडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा प्राचीन नगर का शासन होता है। लंदन काउन्टी कौन्सिल नवीन लन्दन शहर की अट्ठाइस काउन्टी कौन्सिलों के ऊपर है और कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य शासन

"The wishes, the desires and the interests of the people of these countries must be the dominant factor in settling their future Government".

इसके सब भागों का कुल क्षेत्रफल १,२३,५५,४,२६ वर्ग मील है और सन् १९२१ के सेन्सस के अनुसार इसकी जन संख्या ४४,९५,८३,००० है। यह क्षेत्रफल और जन संख्या संसार भर के क्षेत्रफल और जन संख्या से १/४ है। इस साम्राज्य में कुछ स्वतंत्र राष्ट्र भी सम्मिलित हैं। इस हिसाब से तो क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत कम जाती है। परन्तु सुगमता के लिये राजनीतिज्ञ साम्राज्य के भूभाग को भूमंडल का १/४ मान लेते हैं। समस्त स्वतंत्र और अधीन उपनिवेशों का वर्णन हम क्रमशः करेंगे। साम्राज्य में जातीयता, बोली, भाषा, धर्म और आचार विचार में पूर्ण विभिन्नता पाई जाती है। सारे साम्राज्य में देशी निवासियों की संख्या यूरोपीय जाति वालों से बहुत ही अधिक है कुछ को पूर्ण स्वतंत्रता है और कुछ को बिलकुल नहीं है।

संयुक्त साम्राज्य, चेनल द्वीप, आइल आफ़ मेन (Isle of Man) आइरलेंड और भारतवर्ष को छोड़ कर उपनिवेशों को हम छः भागों में बाँट सकते हैं।

(१) स्वाधीन राज्य इनमें केनेडा, दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेन्ड, न्यूफ़ाउन्डलेन्ड और दक्षिणी रोडेशिया (Southern Rhodesia) हैं। पहले यह राज्य स्वाधीन उपनिवेश कहलाये जाते थे इसके अर्थ आधीनता के समझे जाते थे अब इनका नाम बदल कर स्वाधीन राज्य रख दिया गया है।

(२) दोहरी चाल के राज्य (dyarchy) जिन देशों को कुछ स्वतन्त्रता प्रदान की गई और कुछ अधिकार इंगलैण्ड ने अपने हाथ में रिज़र्व कर रक्खे हैं। (Self-govt. with some powers reserved) उदाहरणार्थ भारतवर्ष और माल्टा।

(३) उपनिवेश विभाग के आधीन भू-भाग। इन्हें राज्यकीय उपनिवेश (Crown Colonies) भी कहते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है।

अ—इनमें से कुछ उपनिवेशों की प्रधान सभा (Upper Chamber) नियुक्त की जाती है और साधारण सभा निर्वाचित होती है—उदाहरणार्थ बर्मुडा, बाहमास, और बारबाडोस (Bermuda, Bahamas, and the Barbados)

ब—कुछ में केवल एक सभा है जिसमें नियुक्त किये हुये और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य हैं। लंका, साइपरस और जमाइका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक है और हांग कांग, नाइगेरिया, ट्रिनिडाड में नियुक्त मेम्बरों की संख्या अधिक है।

स—कुछ में व्यवस्थापिक सभायें नहीं हैं—उदाहरणार्थ, जब्राल्टर, अशान्टी, और बसूटोलेंड (Gibraltar, Ashanti and Basutoland)।

(४) रक्षित राज्य (Protected States) इनमें प्रभुत्व तो अपने राजा का है। परन्तु ब्रिटिश सरकार का बाहरी और भीतरी विषयों के सम्बन्ध में कुछ अधिकार है—उदाहरणवत् भारतवर्ष की देशी रियासतें और सूडान।

(५) आदेश-युक्त राज्य—(Mandated Territories), यह अन्तर राष्ट्रीय संघ की ओर से ब्रिटिश सरकार को शासन करने के लिये दिये गये हैं। इनके शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी है उदाहरणवत् पेलेस्टाइन और मेसोपोटामिया (Palastine and Mesopotamia)।

(६) प्रभाव क्षेत्र (Spheres of Influence); यह देश स्वतन्त्र हैं परन्तु इनमें ब्रिटिश सरकार का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है—उदाहरणवत् भूटान, सुडान, हेब्रीडीज़ (These Lands are governed in condominion with other countries)।

(७) मिश्र तिब्बत और नेपाल। इनका ब्रिटिश सरकार से कुछ सम्बन्ध है, परन्तु ऊपर लिखी हुई किसी श्रेणी में नहीं आते हैं।

सारे उपनिवेशों का ठीक तरह से विभाग करना बहुत कठिन है। ग्रेट ब्रिटेन की कोई विशेष उपनिवेश नीति है। उपनिवेशों के साथ समान व्यवहार नहीं है। प्रत्येक उपनिवेश का एक विधान पत्र है या एक पार्लियामेंट का एक्ट है जिसके अनुसार इन उपनिवेशों का शासन होता है।

१—स्वाधीन उपनिवेशों (राज्य) का शासन

(Members of the Commonwealth of the British Empire)

"जो शासन पद्धतियाँ समृद्धि और सौहार्द बढ़ाती हैं, और जो हमारे साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिये स्थायी रही हैं, प्रायः वही शासन पद्धतियाँ हैं

जिनकी रचना स्वयं उन लोगों ने की, जिन्हे उनके अनुसार रहना था"—Sir John Simon.

केनेडा, दक्षिण अफ्रीका के यूनियन आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउण्डलैंड और दक्षिणी रोडेशिया में अधिकांश संख्या यूरोपीय जातियों की है। अब हम पृथक् पृथक् इन देशों की शासन पद्धति का निरूपण करते हैं।

केनेडा (Canada)

सन् १९२० की मनुष्य गणना के अनुसार तो इसकी जन संख्या लगभग अस्सी लाख है। इसमें से ½ फ्रांसीसी लोग हैं। इसका क्षेत्र फल ३७,२९,६६५ वर्ग मील है।

इतिहास—सब से पहले यहाँ पर आकर बसने वाले फ्रांसीसी लोग थे। यह लोग यहाँ पर मिसीसिपी और ओहियो (Mississippi and Ohio) नदी तक आ पहुँचे और पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ लोग उत्तर की तरफ हडसन खाड़ी के आस पास जा बसे। फ्रांसीसी लोगों ने इस देश का शासन बड़ी कठोरता और निर्मम बन कर किया। वह जनता में प्रजातन्त्र के विचारों को पसन्द न करते थे। जब कि केनाडा की जन संख्या केवल ५०,००० थी इंगलेंड और फ्रांस में घोर युद्ध छिड़ गया जो कि आधी शताब्दी तक जारी रहा। अन्त को फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसके फल स्वरूप फ्रांसीसियों को क्वेबेक (Quebec) अंग्रेज़ों को देना पड़ा। सन् १७६३ में सप्तवर्षीय युद्ध का अन्त हुआ और फ्रांस को केनाडा से अलग होना पड़ा, इंगलेंड अब समस्त केनाडा का शासन करने लगा। इंगलैंड निवासी जा जाकर केनाडा में बसने लगे और उनकी संख्या फ्रांसीसियों से भी अधिक हो गई। यह लोग आगे बढ़ गये। इस देश का शासन करने के लिये इंगलेंड की सरकार एक गवर्नर नियुक्त करती थी, एक गवर्नर की कौंसिल और एक निर्वाचित सभा। गवर्नर अपने कामों में स्वतन्त्र था।

इस कार्यवाही से और शासन पद्धति से जनता नितान्त असन्तुष्ट थी। उत्तरी केनाडा और दक्षिणी केनाडा में झगड़ा आरम्भ हो गया। (उत्तर में अंग्रेज़ों की संख्या अधिक थी और दक्षिण में फ्रान्सीसियों की) विद्रोह की अग्नि आसानी से शान्त कर दी गई। ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई थी और अशान्ति के कारण जानने के लिये उत्सुक थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने लार्ड डरहम (Earl of Durham) को सारे अधिकारों से विभूषित करके केनाडा को

भेजा। लार्ड डरहम को वहाँ जाकर उपनिवेशिकों की शिकायतें सुननी चाहिये और जो उनकी समझ में आये वही शासन परिवर्तन के लिये सिफ़ारिशें करें।

डरहम साहब ने अपनी रिपोर्ट में औपनिवेशिक नीति का पूरा ब्यौरा दिया है। महाशय डरहम में शासन करने की योग्यता तो न थी परन्तु उन्होंने उपनिवेशों की त्रुटियों को ख़ूब समझ लिया, और उसका पूरा विवरण लिखा। सारी अशान्ति का कारण बड़ी क़ाबिलियत के साथ लिखा। मातृ देश और उपनिवेश में किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिये—इस विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक शताब्दी के व्यतीत हो जाने पर भी यह रिपोर्ट बहुत ही शिक्षा प्रद और महत्त्व पूर्ण समझी जाती है।

डरहम साहब ने सिफ़ारिश की थी कि उत्तरी और दक्षिणी केनाडा को मिलाकर उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय। उपनिवेश शासन की सारी संस्थायें जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये। उसको पूर्ण आशा थी कि ऐसा करने से उत्तरी अमरीका की सारी उपनिवेशों का संगठन किया जा सकता है। उनकी सम्मति के अनुसार ही काम किया गया। कुछ वर्ष बाद पार्लियामेन्ट की आज्ञा से गवर्नर जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करने लगे। इसके कुछ वर्ष संघ प्रस्ताव (Federation) पार्लियामेन्ट के सामने पेश किया गया। सन् १८६७ में 'ब्रिटिश नार्थ अमरीका ऐक्ट' पास किया गया और इसी के अनुसार केनाडा का शासन हो रहा है। इस एक्ट के अनुसार संघीय शासन की स्थापना की गई, प्रान्तों को थोड़े थोड़े अधिकार दिए गये। अब प्रान्तों की संख्या ९ है।

केनाडा का शासन ऊपरी तौर से संयुक्त अमरीका से मिलता जुलता है—क्योंकि संघीय और प्रान्तीय सरकारों में विभिन्नता और पृथकता कर दी गई है। राष्ट्रीय नीति से सम्बन्ध रखने वाली कार्यवाही का निरीक्षण केन्द्रीय शासन करते हैं और स्थानीय बातों की देखभाल प्रान्त करते हैं। संयुक्त अमरीका में जो अधिकार केन्द्रीय शासन के पास नहीं है वह प्रान्तों के पास समझे जाते हैं, केनाडा में बिलकुल विरुद्ध ही बात है। जो अधिकार प्रान्तों के पास नहीं है केन्द्रीय सरकार के समझे जाने चाहिये। (प्रान्तों को अधिक अधिकार देना किंचित हानिकारक प्रतीत होता था। क्योंकि शक्ति से मदपूर प्रान्त मनमानी करते थे। जैसा कि संयुक्त अमरीका में हुआ। वहाँ पर तो आभ्यन्तरिक युद्ध ही छिड़ गया था।)

गवर्नर जनरल—प्रबन्धक वर्ग का अधिष्ठाता ब्रिटिश क्राउन द्वारा पाँच वर्ष

के लिये नियुक्त किया जाता है। वास्तव में केबिनेट ही किसी ब्रिटिश सरदार को नियुक्त करता है। वह सभा को आमंत्रित करता है और उसको भंग करता है। वह व्यवस्थापिक नियमों पर अपनी सम्मति प्रदान करता है और अपनी सही देता है, पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। इन सारे कामों के लिये उसको मंत्रियों से परामर्श लेना पड़ता है और उनकी इच्छानुसार ही काम करना पड़ता है। मंत्री केनाडा की प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। गवर्नर जनरल केनाडा की सरकार और उपनिवेश मंत्री के बीच में काम करता है। केनाडा की सहायता के लिये लन्दन में भी केनाडा का नियुक्त किया हुआ हाई कमिश्नर (High Commissioner) है जो अपनी सरकार के आदेशानुसार काम करता है। दिखावटी काम गवर्नर जनरल को बहुत से करने पड़ते हैं।

केबिनेट—केबिनेट इङ्गलैण्ड की भाँति प्रधान मंत्री द्वारा चुना जाता है। प्रधान मंत्री उसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार इङ्गलैण्ड का प्रधान मंत्री। प्रबन्धक वर्ग का अध्यक्ष गवर्नर जनरल नहीं है, परन्तु प्रधान मंत्री है जो कि सभा के बहुमत दल में से चुना जाता है। केबिनेट के सदस्य पार्लियामेन्ट के मेम्बर होने चाहिये और सभा का विश्वास खो देने पर समस्त मंडल को पद-त्यागना चाहिये।

पार्लियामेन्ट—केनाडा की पार्लियामेन्ट की दो सभायें हैं:—(१) सेनेट और (२) प्रतिनिधि सभा (House of Commons)।

सेनेट को इंगलैन्ड के हाउस आफ़ लार्डस की भाँति निर्माण करना या अमरीका के सेनेट की भाँति निर्माण करना किंचित कठिन था। लिहाज़ा यह सोचा गया कि केनाडा के सेनेट में गवर्नर जनरल को प्रधान मंत्री की अनुमति प्राप्त करके ९६ सेनेटर नियुक्त करने चाहिये। (प्रत्येक प्रान्त को नियमित संख्या भेजता है। ओन्टोरियो क्वेबेक (Ontario and Quebec) के प्रान्त प्रत्येक चौबीस सेनेटर भेजते हैं। यह प्रथा सन्तोष जनक प्रतीत न हुई क्योंकि प्रधान मंत्री सदैव अपने दल में से ही सेनेटरों को चुनता है। अमरीका के सेनेट की भांति केनाडा की सेनेट के धन विषयों के अतिरिक्त सारे व्यवस्थापिक अधिकार हैं। जब सेनेट किसी साधारण सभा के प्रस्ताव को रद्द कर देता है तो दोनों गृहों में तसफ़िया करने का या झगड़े का अन्त करने का कोई साधन नहीं है। केनाडा की सेनेट का मत है कि प्रतिनिधि सभा सारे व्यवस्था कार्य के लिये ज़िम्मेवार है और सेनेट का कर्तव्य है बिलों को दोहराना और उनकी त्रुटियों की पूर्ति करना और दूर करना। सेनेट का

इस प्रकार शासन में कोई विशेष भाग नहीं है। केबिनेट के ऊपर भी सेनेट का कोई दबाव नहीं है। इसका सुधार करने का प्रसताव किया जा रहा है जिन प्रान्तों में 'डाइवोर्स कोर्ट' (Divorce Court) जहाँ पर कि विवाह सम्बन्ध टूटता है) नहीं है वह प्रान्त डाइवोर्स की दरख़्वास्त सेनेट को देते हैं। सेनेट अपनी एक कमेटी नियुक्त करता है और उसका निर्णय ही अन्तिम होता है जिसको कि सेनेट पास कर देता है।

प्रतिनिधि सभा—(House of Commons) केनेडा की प्रतिनिधि सभा और संयुक्त अमरीका की प्रतिनिधि सभा में बहुत कुछ समानता है। एक निर्वाचन केन्द्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह निर्वाचन केन्द्र जन संख्या के आधार पर बनाये जाते हैं जो कि सब बराबर होती हैं और हर दसवें वर्ष उनकी काँट छाँट होती है। आजकल प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या २३४ है। (अमरीका के प्रतिनिधि सभा की भाँति केनेडा के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या बे-तादाद नहीं बढ़ती रहती है। संख्या नियत कर दी गई। यह नियत कर दिया गया है कि क्वेबेक प्रान्त ६५ सदस्यों से अधिक कदापि नहीं भेज सकता। इसी हिसाब से और प्रान्त भी अपने सदस्य भेजते हैं)। प्रतिनिधि सभा के कार्य काल की अवधि पाँच वर्ष है। परन्तु सभा किसी समय भी भंग की जा सकती है।

कोई अंग्रेज़ निवासी (स्त्री या पुरुष) जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष की है और जो केनाडा में १ साल तक रह चुका हो अपना मत दे सकता है। प्रत्येक केन्द्र में पार्टी कन्वेशन ही उम्मेदवारों को नियोजित (nominate) करती है। वोटिंग बन्द पर्चे से होता है।

केनेडा की साधारण सभा व्यवस्थापिक कार्यों से सर्वोच्च है। केबिनेट इसको उत्तरदायी है। सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश इसी सभा में होता है। अन्य विषय की उत्पत्ति भी इसी सभा में होती है। बिल पेश होते हैं। कमेटी के पास जाते हैं, वाद विवाद और स्वीकृत होने के उपरान्त सेनेट की आज्ञा के लिये जाते हैं। सरकारी, ग़ैर सरकारी, और स्थानीय बिलों में भेद किया जाता है। सभा अपना सभापति निर्वाचित करती है और उसका पुनः निर्वाचन होना ज़रूरी नहीं है। नये निर्वाचन के बाद सभा नया सभापति चुनती है। अर्थ बिलों को केवल केबिनेट के सदस्य पेश कर सकते हैं।

राजनैतिक दल—अन्य स्वतंत्र देशों की भाँति केनेडा में भी राजनैतिक

दल मौजूद हैं। दलों के नाम तो इंगलेंड के दलों जैसे हैं परन्तु उनका संगठन और उद्देश्य संयुक्त अमरीका के दलों जैसा है। पूर्वकाल के उदार और अनुदार दल हैं। लड़ाई के ज़माने से नये दल की उत्पत्ति हुई है—प्रोग्रेसिव। इस दल के मुख्य सहायक हैं उत्तर-पश्चिम के कृषक और पूर्व के उद्यमी और मज़दूर।

केनेडा ९ प्रान्तों का संघ है—ओन्टारियो, क्वेबेक, नोवा, स्कोशिया, न्यूब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, मानिटोबा, सासकाचिवान, एल्बेर्टा और ब्रिटिश कोलम्बिया (Ontorio, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia)। प्रत्येक प्रान्त की प्रान्तीय सरकार है। जिसमें कि एक अध्यक्ष होता है—जो कि लफ्टन्ट गवर्नर (Lieutenant Governor) कहलाते हैं। एक प्रान्तीय प्रधान मन्त्री और उसका मंडल होता है और एक व्यवस्थापिका सभा होती है। लफ्टन्ट गवर्नर पाँच साल के लिये गवर्नर जनरल द्वारा केबिनेट की सम्मति से नियुक्त किया जाता है। लफ्टन्ट गवर्नर के कोई विशेष अधिकार नहीं हैं क्योंकि वह कोई काम केबिनेट की परामर्श बिना नहीं कर सकता है और केबिनेट सभा को उत्तरदायी है। क्वेबेक और नोवा स्कोशिया के प्रान्तों में दो सभायें हैं—लेजिस्लेटिव कौन्सिल और लेजिस्लेटिव एसेम्बली। दोनों सभाओं का निर्वाचन होता है। अन्य सात प्रान्त में केवल एक निर्वाचित सभा है जिसके लिये कि सारे निवासियों को मताधिकार है। प्रान्तों में दलबन्दी उसी प्रकार है जिस प्रकार कि संघीय सरकार में है।

ब—आस्ट्रेलिया
(Australia)

सन् १६०६ में सबसे पहले डच निवासी यहाँ पर आये। और कुछ काल बाद हज़रत अंग्रेज़ भी तशरीफ़ लाये। सभी ने इसको बंजर पाया और मूल निवासियों को भी झगड़ालू पाया। खोज का काम कुछ काल तक बन्द हो गया। डच लोगों का पतन हो गया। सन् १७६८ में केप्टेन कूक यहाँ आये और इस देश को बसाने योग्य घोषित किया और यह कहा कि यहाँ की धरती में उपज हो सकती है। सन् १७८३ में संयुक्त राज्य इंगलेंड से पृथक् हो गये। अब इंगलेंड का ध्यान आस्ट्रेलिया की ओर आकर्षित हुआ। स्वतंत्र धार्मिक और राजनैतिक विचार वाले अमरीका के बजाय आस्ट्रेलिया भेजे जाने लगे। सन् १७८८ में इन अपराधियों का

एक जहाज़ आस्ट्रेलिया में उतरा और यह लोग इस देश की उन्नति में लग गये (It served as a penal colony) । सन् १८४० से यहाँ पर अपराधी आने बन्द हो गये । सोने की खानों की ढूँढ़ के बाद उत्तेजना बढ़ गई । आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों ने स्वतंत्र शासन की माँगें पेश कीं । सन् १८५१ में न्यूसाउथ वेल्ज़, विक्टोरिया, दक्षिण आस्ट्रेलिया और टासमानिया ने सुसंगठित होकर अपनी माँगे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के सामने रक्खा जिनको कि स्वीकार कर लिया गया । सन् १८५९ में क्वीनसलेन्ड को और सन् १८९० में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को भी स्वतंत्र शासन का अधिकार दिया गया । यह उपनिवेश आपस में सीमा के लिये झगड़ते थे । अन्त में इनको १९०० में संघ वद्ध कर दिया गया । इसी साल के पार्लियामेन्ट एक्ट के अनुसार इस देश का शासन होता है ।

पार्लियामेन्ट—पार्लियामेन्ट में दो सभायें है—सेनेट और प्रतिनिधि सभा । सेनेट में आस्ट्रेलिया की छः रियासतों से छः छः सदस्य आते हैं जो कि छः वर्ष के लिये चुने जाते हैं । प्रत्येक प्रान्त के आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष पद-त्यागते हैं और नये चुने जाते हैं । बालिग़ आदमी उम्मेदवार हो सकते हैं ।

प्रतिनिधि सभा में ७५ सदस्य होते हैं । मूल निवासियों के अतिरिक्त समस्त बालिग़ आदमियों को मताधिकार है ।

यदि प्रतिनिधि सभा किसी प्रस्ताव को दो बार स्वीकार करदे और सेनेट अस्वीकार करदे तो गवर्नर जनाब दोनों सभाओं को भंग कर सकते हैं । नये निर्वाचन के बाद भी दोनों सभाओं में मत-भेद हो तो दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है, उनका निर्णय ही ठीक समझा जाता है । विधान सम्बन्धी नियम यदि एक सभा द्वारा दो बार स्वीकार कर लिया जाय और दूसरी सभा द्वारा अस्वीकार तो इसमें जनता का मत लिया जाता है । बहुमत से ही नियम पास हो जाता है ।

गवर्नर जनरल और केबिनेट—गवर्नर जनरल इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रबन्धकारिणी की सलाह से काम करता है । प्रबन्धकारिणी में तो मन्त्री है जो प्रतिनिधि सभा को ज़िम्मेवार है ।

प्रान्तीय शासन—इस राज्य में छः प्रान्त हैं । प्रत्येक प्रान्त के लिये एक गवर्नर होता है जिसको कि इंगलैंड की सरकार नियुक्त करती है । यह गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन नहीं होते । प्रत्येक प्रान्त में दो व्यवस्थापिका सभायें हैं जो नियम बनाती और कर निर्धारित करती हैं ।

केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे क़ानून द्वारा दिये गये हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं।

C—दक्षिण अफ़्रीका का यूनियन

(Union of South Africa)

सन् १६५० ई० में, उत्तम आशा अन्तरीय (Cape of Good Hope) के निकट कुछ डच लोगों की बस्ती बनी। सन् १७९५ में अंग्रेज़ों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। डच लोग आगे जा जा कर अपने उपनिवेश बसाते रहे। यह डच लोग बोअर (Boer) कहलाते हैं। सन् १८४४ में नेटाल को अंग्रेज़ों ने ले लिया। सन् १९०२ तक ट्रांसवाल और आरेंज फ्रीस्टेट भी अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिये। सन् १९०६ ई० में आरेंज फ्रीस्टेट और ट्रांसवाल को स्वराज्य प्राप्त हो गया। सन् १९०९ में अन्तरीय उपनिवेश (Cape Colony) और नेटाल को मिला कर एक सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया जिसका नाम कि दक्षिण अफ़्रीका का यूनियन रक्खा गया। यह यूनियन आस्ट्रेलिया और केनेडा के संघों से भिन्न है क्योंकि संघीय अधिकार और प्रान्तीय अधिकारों में भेद नहीं किया गया है। विधान ने सारे अधिकार यूनियन पार्लियामेन्ट को सौंप दिये हैं, और यह प्रान्तों को अपनी इच्छानुसार अधिकार सौंप सकती है। प्रान्त के सारे नियमों पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति होनी चाहिये।

पार्लियामेन्ट—पर्लियामेन्ट की दो सभायें हैं—सेनेट और प्रतिनिधि सभा। सेनेट के ४० सदस्य होते हैं। ८ को गवर्नर जनरल नामज़द करता है और ३२ को प्रतिनिधि सभा नियुक्त करती है। यह सदस्य १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं। यूरोपियन ब्रटिश प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं जिनकी आयु कम से कम तीस वर्ष की होती है और उनके पास ५०० पौंड की सम्पत्ति होनी चाहिये।

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या १३४ है जो कि जनता (बालिग स्त्री और पुरुष) द्वारा पाँच साल के लिये निर्वाचित किये जाते हैं।

धन मसविदों का श्री गणेश प्रतिनिधि सभा में होता है जिनमें कि सेनेट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई नियम प्रतिनिधि सभा में दो बार स्वीकृत होने पर और सेनेट के रद्द कर देने पर दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है और तब क़ानून बनता है।

गवर्नर जनरल को इंगलेंड की सरकार नियुक्त करती है जो कि प्रवन्ध-कारिणी सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा में दस मन्त्री होते हैं जो कि प्रतिनिधि सभा को ज़िम्मेवार हैं।

प्रान्तीय शासन—यूनियन में चार प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त के लिये एक शासन (Administrator) होता है जिनको कि गवर्नर जनरल नियुक्त करता है। व्यवस्थापक सभाओं की आयु तीन वर्ष की होती है। केबिनेट में चार सदस्य होते हैं जो कि व्यवस्थापिका सभा को ज़िम्मेवार हैं।

D—न्यूज़ीलेंड

(New Zealand)

सन् १७६९ में केप्टेन कुक ने इसका पता लगाया। इसके दो भाग हैं—उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। १८३० तक औपनिवेशिक प्रर्याप्त संख्या में यहाँ पर आ गये। फ्रान्सीसियों ने १८३९ में इसको लेना चाहा; परन्तु असफल रहा। औप-निवेशिकों की स्वायत्त शासन की माँग ब्रिटिश सरकार ने सन् १८५९ में स्वीकार कर ली और सन् १८६० में पार्लियामेन्ट की स्थापना की गई। यहाँ के मूल निवासी माओरी (Maori) कहलाते हैं।

पार्लियामेन्ट की दो सभायें हैं—व्यवस्थापक परिषद् और व्यवस्थापिका सभा

व्यवस्थापक परिषद् में ४३ सदस्य हैं। उम्मेदवारी के लिये जायदाद की ज़रूरत नहीं है। तीन माओरी सदस्यों को गवर्नर जनरल नियुक्त करता है और शेष चालीस सात वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं।

व्यवस्थापिका सभा में ८० सदस्य होते हैं जिनको कि सर्व साधारण तीन वर्ष के लिये निर्वाचित करते हैं। इसमें से चार माओरी सदस्य होते हैं। स्त्रियाँ भी सदस्य हो सकती हैं।

गवर्नर जनरल बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि प्रवन्ध कारिणी की सलाह से काम करता है। इस सभा में १२ मेम्बर होते हैं जो कि व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

दोनों सभाओं में मतभेद होने पर दोनों सभाओं का एक संयुक्त अधिवेशन होता है।

E—न्यूफाउन्डलेन्ड

(New Foundland)

पार्लियामेन्ट की दो सभायें हैं—व्यवस्थापक परिषद् और व्यवस्थापिका सभा। व्यवस्थापक परिषद में २४ सदस्य हैं जिनको कि गवर्नर नियुक्त करता है। व्यवस्थापक सभा में ३६ सदस्य जनता द्वारा चार वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं। मताधिकार केवल बालिग़ पुरुषों को है।

गवर्नर बादशाह द्वारा नियुक्त होता है और प्रबन्ध कारिणी सभा की सम्मति से काम करता है। इस सभा में नौ मंत्री होते हैं जो कि व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

२—दोहरी चाल के राज्य

(Dyarchy or Semi-autonomous states)

दोहरी चाल के राज्यों का विवरण करने में हम एक पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। इन राज्यों को कुछ स्वतंत्रता तो अवश्य है, परन्तु पूर्णतया नहीं है। उदाहरणार्थ दक्षिणी रोडेशिया को काफ़ी स्वतंत्रता प्राप्त है परन्तु कुछ अधिकार गवर्नमेन्ट ने मूल निवासियों के लाभार्थ अपने हाथ में रख छोड़े हैं।

माल्टा को पूरी स्वतंत्रता है, परन्तु देश रक्षा, सिक्का, बाहरी तिजारत इत्यादि जैसे विषय यहाँ की सरकार के अधिकार में नहीं हैं।

जेमेका (Jamaica) के निर्वाचित प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक सभा पर तो अधिकार है परन्तु प्रबन्धक वर्ग पर उसका कुछ ज़ोर नहीं है। इसकी स्थिति फ़िलिपाइन्स (Philippines) से मिलती जुलती है।

ब्रटिश हन्डूराज़ (British Honduras) में व्यस्थापिक सभा है परन्तु इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अल्प है। परन्तु सेन्ट हेलेना (St. Helena) द्वीप में तो कोई भी सभा नहीं है (इसी द्वीप में नेपोलियन बन्दी करके रक्खा गया था)।

३—उपनिवेश विभाग के अधीन भूभाग

(Crown Colonies)

"ब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के जिन स्थानों पर गोरे बसते हैं, वे एक प्रकार से स्वतंत्र हैं। उन पर नाम मात्र के लिये ब्रिटिश महाराज की प्रभुता है, परन्तु जिन

भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनमें अनगोरों की वस्ती है। इसलिये सच पूछा जाय तो अनगोरी जातियाँ ही छोटे से ब्रटिश टापू को करोड़ों आदमियों का प्रभु बना रही हैं।"—स्वतंत्र

ये उपनिवेश भूमंडल भर में तितर बितर हैं। इन भागों या टापुओं के निवासी नान्-यूरोपियन हैं इसलिये हूश समझे जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ व्यापार निमित्त आये थे। कुछ उपनिवेश युद्ध में जीत के वाद या सन्धियों से भी मिले हैं। इनमें अंग्रेज़ निवासियों की संख्या अधिक नहीं है क्योंकि इन देशों की जलवायु से अंग्रेज़ों को माफ़िक़त नहीं है; जहाँ की आबहवा अच्छी है वहाँ पर यूरोपीय लोगों की पाँचों घी में हैं। जहाँ की पैदावार अच्छी है वहाँ यूरोपियन लोग अपनी वर्बरता का परिचय देते हैं—सस्ती मज़दूरी और चोखा काम।
अदन और जिब्राल्टर जैसे उपनिवेश भौगोलिक स्थिति के कारण बढ़े चढ़े हैं।

श्रेणियाँ—उपनिवेशों की चार श्रेणियाँ हैं :—

(१) जिसमें कि गवर्नर ही शासन करता है और नियम बनाता है—इनमें व्यवस्थापिका सभा भी नहीं हैं :—

जिब्राल्टर, गोल्डकोस्ट, सेंट हेलीना, अशान्टी
नाइगेरिया, बसूटोलेन्ड, बिचुआनालेन्ड, स्वाज़ीलेन्ड,
अदन।

(२) जिनमें व्यवस्थापिका सभायें तो हैं, परन्तु बिलकुल बेकार हैं। गवर्नर ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार काम करता है :—

ब्रिटिश हन्डूराज़, ट्रिनिडाड, विंडवर्ड द्वीप समुदाय, पश्चिमी अफ्रीका का उपनिवेश, न्यासालेंड, हौकांग, स्ट्रेट सेटलमेंट, और सेचलीज़।

(३) जिनमें व्यवस्थापिका सभायें हैं, परन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम हैं। गवर्नर सारा शासन काम ब्रिटिश सरकार के हुक्म से करता है—इनमें हैं :—

जेमेका, लंका, मारीशस, फ़ीजी, कीनिया, ब्रिटिश गायना, लीवर्ड द्वीप, साइप्रस, यूगाडो, दक्षिण रोडेशिया, गेम्बिया, सीटालोयन, फ़ाकलेन्ड, दक्षिण जर्जिया, और पेपुआ।

लंका और कीनिया के सुधार सम्बन्धी कमीशन नियुक्त हुये थे, परन्तु इनकी रिपोर्ट सन्तोषजनक नहीं है।

(४) जिनमें दो व्यवस्थापिका सभायें हैं। एक के सदस्यों को सरकार स्वयं नियुक्त करती है, और दूसरों का निर्वाचन होता है। मंत्री व्यवस्थापिका सभाओं को ज़िम्मेवार नहीं है। इस श्रेणी के उपनिवेश ये हैं :—

बहामाज़, बारबेदोज़, बरमुडाज़ और माल्टा

गवर्नरों को बादशाह उपनिवेश मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। शासन सम्बन्धी सारे अधिकार गवर्नरों को प्राप्त हैं परन्तु समय समय पर मंत्री की हिदायतों के अनुसार काम करते हैं। गवर्नर प्रबन्धकारिणी के मत को त्याग कर मनमानी कर सकता है। गवर्नर को उपनिवेश के लाभ का पूरा ध्यान रखना चाहिये, उसको मूल निवासियों की सब प्रकार सहायता करनी चाहिये, उसको उनके धर्म, माल व जान की रक्षा करनी चाहिये। उपनिवेश की तरक्की के साधन भी सोचना चाहियें—जैसे कि रेलें और बन्दरगाह।

साम्राज्य के इन भागों का शासन उपनिवेश मंत्री के हाथ में होता है जो कि इंगलेंड के हाउस आफ़ कामन्स के प्रति उत्तरदायी हैं। शासकों को उपनिवेश मंत्री की सोलह आने आज्ञा माननी पड़ती है। उपनिवेश विभाग कि दो शाखायें हैं—एक शासन और राजनैतिक कार्यों की देख भाल करती है और दूसरी डाक, तार, रेल, मुद्रा आदि की देख रेख करती है।

४—रक्षित राज्य (Protected States)

"इस संसार में किसी के अधिकारों में छेड़छाड़ से दूर रहने वाली और अपने घर में शान्ति पूर्वक रूखी सूखी रोटी खाने वाली जो बेचारी छल प्रंपच रहित जातियाँ हैं, वे संरक्षकता की खुदगर्ज़ी का तूफान लिये फिरने वाली इन यूरोपीय जातियों के पंजे में कैसी बुरी तरह से आ पड़ी हैं।"—स्वाधीन

रक्षित राज्य वह होते हैं जिसमें प्रभुत्व तो उसी राज्य के राजा का होता है, परन्तु संरक्षक राज्य का भीतरी या बाहरी बातों में दख़ल हो जाता है। जब किसी दुर्बल राज्य पर बाहर से आक्रमण होता है तो यह राज्य किसी बाहरी राज्य की शरण लेते हैं या उसी राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। संरक्षक राज्य अधिक से अधिक भू-भाग अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसको अन्त में हड़प कर लेना चाहते हैं। अकसर राज्यों को धन की जरूरत पड़ती है, इस समय रुपया देते वक्त बड़े बड़े राज्य इन राज्यों के संरक्षक बन जाते हैं।

निम्नलिखित राज्यों ने भय या आक्रमण के कारण अंग्रेज़ों की सरंक्षकता स्वीकार कर ली है।

ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य रक्षित राज्य ये हैं—

मलाया, स्रावक, बोरन्यू, सूडान और ज़ंजीबार। सब में शासन भिन्न भिन्न प्रकार का है।

मलाया का शासन एक राज्य परिषद् द्वारा होता है, जिसका सभापति यहाँ का सुलतान होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेज़ीडेन्ट सुलतान की सहायता करता है।

स्रावक के भीतरी मामलों में ब्रिटिश सरकार दख़ल अन्दाज़ी नहीं कर सकती, परन्तु विदेशी मामले में सरकार अवश्य स्वयं नियन्त्रण करती है। ब्रिटिश सरकार इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय करती है।

बोरन्यू का शासन 'ब्रिटिश नार्थ बोरन्यू कम्पनी' के अधीन है। ब्रिटिश सरकार भीतरी मामलों में कुछ दख़ल नहीं देती। कम्पनी के डाइरेक्टर ही शासन के कर्ता धर्ता होते हैं। ब्रिटिश सरकार कम्पनी के नियुक्त किये हुये गवर्नर को स्वीकृत करती है।

सूडान—यह इंगलैंड और मिश्र की संरक्षकता में है। सूडान ने स्वतंत्रता के लिये आन्दोलन भी किया था, परन्तु दमन कर दिया गया। यह अंग्रेज़ों के लिये बहुत ही लाभकारी है।

मिश्र सरकार की आज्ञा से ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल को नियुक्त करती है जो सैनिक तथा देश का शासन कार्य करता है। गवर्नर जनरल प्रान्तीय गवर्नरों और इन्सपेक्टरों को नियुक्त करता है।

जंजीबार का शासन सुल्तान के नाम से रेज़ीडेन्ट द्वारा होता है। रेज़ीडेन्ट कीनिया के गवर्नर के अधीन होता है। यहाँ का गवर्नर हाई कमिश्नर (High Commissioner) कहलाता है। सुल्तान और रेज़ीडेन्ट दोनों ही नियम बनाते हैं और उनकी सहायता के लिये एक प्रबन्ध कारिणी सभा होती है। इस सभा का सभापति सुल्तान होता है और रेज़ीडेन्ट उपसभापति होता है। इनके अतिरिक्त इस सभा के तीन सरकारी और तीन ग़ैर-सरकारी सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक व्यवस्थापिका सभा भी है।

५—आदेशयुक्त राज्य

(Mandated Territories)

"राष्ट्र-संघ के नियमों और निर्णयों को दृष्टि से देखा जाय तो शासनादेश में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। नियम बहुत अच्छे हैं पर नियम बनाने वालों की नियत में हमें घोर सन्देह है"।—आज

इन राज्यों की उत्पत्ति अभी केवल पन्द्रह वर्ष ही हुये हुई थी। सन् १९१९ में मित्र राष्ट्र (Allies) इंगलेंड, फ्रांस, इटली के महायुद्ध में विजय हुई। उन्होंने टर्की और जर्मनी के राज्य छीन लिये, और आपस में बाँट लिये। इन राष्ट्रों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनको कुछ काल तक सबक़ सीखने के लिये अथवा शिक्षा प्राप्ति के लिये, राष्ट्रों की मातहती में रहना आवश्यक है। यह राष्ट्र अन्तर राष्ट्रीय संघ (League of Nations) के आदेशानुसार काम करते हैं। इन राज्यों को Mandatory States कहते हैं।

ब्रिटिश सरकार नीचे लिखे हुये देशों पर आदेशयुक्त राज्य करती है। इन राज्यों पर शासक सरकारों का आधिपत्य है।

राज्य	शासक राज्य
न्यूगिनी	आस्ट्रेलिया
सेमोआ	न्यूज़ीलेंड
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका का यूनियन
नौरू	इंगलेंड, न्यूज़ीलेन्ड और आस्ट्रेलिया
टाँगानिका, पेलेस्टाइन, इराक़	ब्रिटिश सरकार
टोगोलेंड, केमरून	ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार Condominion of French and British Governments

शासक सरकारों का कार्य—इनको मूल निवासियों की सब प्रकार रक्षा और उन्नति करनी चाहिये। इस बात के लिये वह राष्ट्र-संघ के प्रति उत्तरदायी हैं। संघ की हिदायतें यह हैं:—दास प्रथा और बेगार रोकी जाय, अस्त्र-शस्त्र पर रुकावट रहे, पुलिस शिक्षा के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा न दी जाय, यहाँ पर क़िला या

सैनिक अड्डा न जमाया जाय। उनको व्यापार का पूरा अधिकार है, पादरी बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। इन नियमों का स्वार्थांध या मदांध होकर बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रसंघ से शिकायत करना भी तो व्यर्थ है।

सेमोआ—इस देश की प्रजा अपने लिये स्वतंत्रता अधिकार चाहती है। उनको बड़ी कठोरता के साथ दमन किया जा रहा है। अभागे आन्दोलकों से कहा जाता है वे अपने देश का हित नहीं पहचानते। व्यवस्थापिका सभा में ग़ैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत ही न्यून है। यह भी यूरोपीय मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। बाक़ी जितने सदस्य हैं उनको न्यूज़ीलेन्ड का गवर्नर अपने हुक्म से नियुक्त करता है। सेमोइओं की एक परामर्श परिषद है, परन्तु सरकारी नीति का समर्थन करने वाले ही इसके सदस्य बनाये जाते हैं।

इराक़—(इसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं।) तुर्कों से छीन कर यह राज्य अंग्रेज़ों को दिया गया है। पार्लियामेन्ट की स्थापना तो की गई है परन्तु बादशाह और मंत्री मंडल को नाम मात्र के अधिकार हैं, वास्तव में यह इंगलेंड ही के अधीन देश के समान है।

मोसल के तेल के कुओं पर टर्की और अंग्रेज़ झगड़ा करने लगे। दोनों ही इसको अपनी सीमा में बताते हैं। एक कमीशन नियुक्त किया गया, उसकी रिपोर्ट से दोनों ही असन्तुष्ट रहे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ को भी झगड़े की सूचना मिली, उनको भी हाथ डालना पड़ा। मोसल इराक़ को दे दिया गया और इस प्रकार दूकानदारों के हाथ में आ गया।

पेलेस्टाइन—इंगलेंड को राष्ट्र-संघ की ओर से यह आदेश है कि वह इस देश में यहूदियों (Jews) को पूर्णतया स्थापित करदें, उनके राष्ट्र की ही स्थापना कर दी जाय। (स्मरण रहे यहूदी लोगों का कोई नियत स्थान न था, यह सारे संसार में घूमते फिरते हैं। जहाँ जगह मिल गई वहीं बस गये। इन्होंने ही महात्मा ईसा की हत्या की थी, इसी कारण इनका सम्मान जाता रहा है और हर एक कोई घृणा की दृष्टि से देखता है)। इंगलेंड को यहाँ पर प्रजातंत्र शासन के बीज बोने चाहिये जिससे कि कुछ साल बाद यह लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपना शासन अपने हाथों कर सकें। उनको स्थानीय शासन में भी निपुण बना देना चाहिये। उनके धार्मिक और नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिये। इसी आदेश की पूर्ति के लिये इंगलेंड ने यहाँ पर पेलेस्टाइन में 'हाई कमीश्नर' (High

Commissioner) नियुक्त किया है। उसकी सहायता के लिये एक मनोनीत सभा है। एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसके सदस्य जनता द्वारा indirectly चुने जाते हैं।

आदेशयुक्त राज्य अपने शासन की रिपोर्ट राष्ट्र-संघ को भेजते हैं। संघ जाँच के निमित्त एक कमीशन नियुक्त करता है। कमीशन के अधिकांश सदस्य उस सरकार के नहीं होते। कमीशन ख़राब बातों के सम्बंध में जवाब तलब कर सकता है। कमीशन आदेशयुक्त राज्य से शासन व्यवस्था, शराब, आर्थिक समानता, सार्वजनिक शिक्षा इत्यादि विषयों पर ठीक ध्यान रखने का अनुरोध कर सकता है।

शासक सरकार कमीशन से असन्तुष्ट रहती है। वह उसको बुरी निगाह से देखती है। कौन यह चाहेगा कि उसकी मनमानी बातों को रोकें ? ऐसा न किया जाय तो आदेश युक्त और अधीन राज्यों में अन्तर ही क्या रहेगा ?

६—प्रभाव-क्षेत्र

(Spheres of Influence)

जब किसी राज्य में व्यापार की सुविधायें प्राप्त होने, से या पूँजी लगाकर एकाधिकार प्राप्त होता है तो वह राज्य प्रभाव-क्षेत्र कहलाता है। इन राज्यों में प्रभुता नहीं होती, परन्तु मसल मशहूर है "हाथ पकड़ते पकड़ते पौंचा !" अन्त में उसको अपना स्थिर राज्य बना ही छोड़ते हैं।

जिन राज्यों का हम वर्णन कर रहे हैं उनमें अंग्रेज़ों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पहले अपनी दुकानें लगाईं, मशीनें खोलीं, या ऋण दिया। अन्त को अंग्रेज़ों को वहाँ रहने की विशेष सुविधायें प्राप्त हो गईं।

निम्न लिखित प्रभाव-क्षेत्र हैं :—

भूटान, कुवेत और अरब का कुछ भाग।

भूटान—का क्षेत्रफल अट्ठारह हज़ार वर्ग मील है और जन संख्या ४ लाख है। अंग्रेज़ सरकार भूटान को एक लाख वार्षिक देती है और सारे बाहरी मामले उनकी सलाह से होते हैं। सन् १७७४ में भूटान से संधि हो गई थी। इसकी सीमा पर भारत सरकार का रेज़ीडेंट रहता है (जो कि अन्दरूनी मामलों में दख़ल नहीं देता।)

कुवेत—फ़ारिस की खाड़ी पर है। शासक सुलतान कहलाता है। इसको

अपना प्रभाव क्षेत्र बना लेने से अंग्रेज़ फ़ारिस की खाड़ी को अच्छी तरह से अपने क़ब्ज़े में रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के सुल्तान से संधि करली है।

अरब का भाग—अंग्रेज़ों का रास्ता लाल सागर से होकर है। इंगलैंड का स्वार्थ था, इसलिये अंग्रेज़ों ने अरब की जातियों से विशेष कर हेजाज़ (Hedjaz) से संबंध बना रक्खा है।

७—मिश्र, तिब्बत और नेपाल

(Egypt, Tibbet and Nepal)

ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध रखने वाली किसी श्रेणी में यह राज्य नहीं आते, इसलिये हम इनका सम्बन्ध पृथक परिच्छेद में लिखते हैं।

मिश्र—तुर्कों के खेदिव पर अधिकार जमाने के लिये इंगलैंड और फ्रांस ने उसको ऋण दे दिया। क़र्ज़ा वसूल करने की फ़िक्र पड़ी, एक ही चारा था, राज्य कार्य में हस्तक्षेप करना। १८८२ में ऐलेक्ज़ेंड्रिया में दंगा हुआ, ब्रिटिश प्रजा की रक्षा के लिये, राजधानी को अंगरेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया। खेदिव अंग्रेज़ों के हाथ में कठपुतली की तरह से आ गया। महायुद्ध में खेदिव ने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दिया, और अपने भाई ब्रादर तुर्कों का पल्ला पकड़ा। खेदिव गद्दी से उतार दिया गया और नये शासक को सुल्तान की पदवी से विभूषित किया गया। स्वतंत्रता के लिये आन्दोलन हुआ, महाशय जगलूल पाशा ने विशेष भाग लिया। सन् १९१९ का मिलनर कमीशन का पूर्णतया बहिष्कार हुआ (यह कमीशन शासन सुधार निमित्त आया था)। सन् १९२२ में मिश्र को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। परन्तु आने जाने के साधन और विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधिकार में हैं। मिश्र वालों ने १९२३ में अपना विधान बनाया। मिश्र को शासन करने में स्वतंत्रता है परन्तु अंग्रेज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, इसीलिये यहाँ पर इंगलैंड का हाई कमिश्नर रहता है। सन् १९२७ से अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी सेना रक्खे हुये हैं। इस सेना को निकालने का घोर प्रयत्न किया जा रहा है।

तिब्बत—सन् १७७४ में ब्रिटिश भारत और तिब्बत से व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुआ। सन् १८८८ में तिब्बत ने सिकिम की सीमा के निकट लिगंतु पहाड़ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार इसको अपने अधिकार में रखना चाहती थी,

अंग्रेज़ों ने तिब्बत पर आक्रमण बोल दिया। १८९३ में और १९०४ में अंग्रेज़ों से दो सन्धियाँ हुईं।

१८९३ की सन्धि की शर्तें निम्नलिखित हैः—

तिब्बत अंग्रेज़ों के व्यापार पर से चुंगी उठा ले। इसकी दूसरी शर्त यह थी कि तिब्बत अंग्रेज़ों की अनुमति बिना किसी अन्य राष्ट्र को भूमि पट्टा, मार्ग, खान या कर नहीं दे सकेगा। कोई राष्ट्र ब्रिटिश सरकार की अनुमति बिना अपना एजेंट नहीं भेज सकता।

सन् १९१२ में चीन के हाथ से अधिकार निकल कर दलाई लामा के हाथों में पहुँचा। सन् १९१३ में रूस और चीन में सन्धि होगई। ब्रिटिश सरकार सतर्क होगई। सन् १९१४ में एक सन्धि पत्र लिखा गया जिसकी शर्तें यह थीं।

(१) तिब्बत में चीन का अधिकार स्वीकार किया गया, परन्तु वह उसे अपना सूबा नहीं बना सकता।

(२) ब्रिटिश सरकार किसी भाग को अपने साम्राज्य में न मिलावेगी।

(३) तिब्बत की आन्तरिक स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई।

(४) अंग्रेज़ लासा में चीनियों की $\frac{3}{4}$ संख्या तक रह सकते हैं।

(५) ज्ञानतसी में स्थापित ब्रिटिश एजेंट व्यापारिक मामलों के सम्बन्ध में लासा जा सकेंगे।

महायुद्ध में तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। तिब्बत में ब्रिटिश सैनिक शिक्षा दी जाने लगी और लासा तक तार भी लगा दिया गया। सन् १९२० में वहाँ ब्रिटिश सरकार का मिशन भेजा गया। सम्बन्ध बहुत घनिष्ट हो गया है। यह सम्बन्ध तिब्बत के लिये हानिकारक होगा। अंग्रेज़ अपना अधिकार बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, बाद को हाथ मसलते रहेंगे, पछतायेंगे और तिब्बत की स्वतंत्रता का अन्त होगा। बिच्छू से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिये।

नेपाल—में चित्तोड़ के राजवंशी राज्य करते हैं। ये लोग गोरखा (गोरक्षक) के नाम से प्रसिद्ध हैं। सन् १७९२ में नेपाल से व्यापार सन्धि हुई, सन् १८१६ में मित्रता की सन्धि हुई।

नेपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है। अंग्रेज़ लोग उसे His Majesty लिखते हैं। प्रधान मंत्री को ही वास्तविक शासन अधिकार प्राप्त हैं। प्रधान मंत्री के नीचे जंगी लाट होता है जो कि प्रधान मंत्री के देहान्त के बाद

उसके पद का अधिकारी होता है। प्रधान मंत्री को महाराज और हिज़ ऐक्सीलेंसी का ख़िताब रहता है।

नेपाल को ब्रिटिश सरकार से हर दसवें वर्ष दस लाख रुपये मिलते हैं। सीमा पर एक अंग्रेज़ रेज़ीडेन्ट रहता है जो कि भीतरी मामलों में कुछ दख़ल नहीं देता। नेपाल का एक राजदूत ब्रिटिश सरकार रखती है। इसका क्षेत्र फल ५४,००० वर्ग मील है और जन संख्या पचास लाख है, वार्षिक आय पाँच करोड़ है।

रूस (Russia)

"सड़ी, गली चीज़ कब तक स्थित रह सकती है ? कभी न कभी तो उसका भी प्राणान्त होगा। सदियों तक यह वस्तु विकृत रूप में तो अवश्य स्थित रहती है, परन्तु, अन्त को इसका सर्वनाश हो ही जाता है।" कार्लाइल

बहुत से महानुभावों का मत है कि रूस एक समूचा राष्ट्र है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। महायुद्ध से पहले रूस में दस भिन्न जाति के मनुष्य वास करते थे—रूसी, वोल्स, यहूदी, फ़िन, लेटस, तुर्की अथवा मंगोल।

रूस में पहले तिजारती लोग आये और आकर निवासियों पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ राज्य शासन अभी तक एक तंत्री था, ज़ार अत्यंत क्रूर थे। इसका मूल कारण यह है कि तेरहवीं शताब्दी में रूस टर्क लोगों के पंजे में था। इतिहास के पाठक जानते हैं कि टर्क लोगों की शासन पद्धति सदैव एक तंत्री रही है। पीटर दी ग्रेट ने रूस को इस बर्बरता से मुक्त करने का घोर प्रयत्न किया, परन्तु उसको कोई विशेष सफलता प्राप्त न हुई।

ताहम भी रूस का यूरोप के इतिहास में काफ़ी प्रभाव पड़ा। फ़्रान्सीसी क्रान्ति के समय स्वाधीनता, समानता की गूंज रूस में न पहुँच सकी, न यह विचार ही इस देश में समावेश कर सके। अन्त को नेपोलियन स्वयं ही यहाँ आ धमका, फ़्रान्सीसी झंडा यहाँ पर भी फहराया, रूस की विजय नेपोलियन के लिये केवल माया रूप रहा। रूस की सहायता से अंग्रेज़ फ़्रान्सीसियों को वाटरलू के युद्ध में हरा सके।

देश के विस्तार, अथवा अनेकों जातियों के होने के कारण यहाँ पर स्वेच्छाचारी शासन की नींव ठीक प्रकार पड़ सकी। समय समय पर ज़ारों ने जनता को जनता शासन का प्रलोभन दिया, मानों उनको रोटी का एक टुकड़ा डाल दिया। उनकी भलाई तो इसी में थी कि जनता अधिकार हीन रहे। सन् १८४८ में प्रजातंत्र की लहर सारे यूरोप में दौड़ गई, परन्तु रूस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा।

ज़ार सिकन्दर द्वितीय ने रूस में गुलामी की प्रथा का अन्त कर दिया तथा उनकी आर्थिक दशा भी सुधारी। परन्तु पृथ्वी पतियों के या पूंजी पतियों के अधिकारों में कुछ कमी न की। ज़ार सिकन्दर ने ज़िलों में और प्रान्तों में जनता सभायें स्थापित की जो कि जेम्सवोस (Zemstvos) के नाम से प्रसिद्ध थीं। इन्होंने बाद को काफ़ी अधिकार प्राप्त कर लिये। अब लिबरल मूवमेन्ट का आरम्भ हुआ। यह दल पार्लियामेन्टरी राज्य शासन की पुकार मचाने लगा। ज़ार ने इस प्रकार की सारी ख़बरों का छापना मना कर दिया। कार्ल मार्क्स की शिक्षा ने भी यहाँ पर सिक्का जमाया। जनता में साम्यवाद के भाव प्रेरित होने लगे। ऐसी स्थिति में रूस को जापान से युद्ध में लड़ना पड़ा। रूस की इसमें हार हुई। साम्यवादियों ने श्रमजीवियों को भड़का कर अपने पक्ष में कर लिया। अपनी रक्षा करने के निमित्त ज़ार ने प्रजा को कुछ अधिकार देना स्वीकार किया।

सन् १९०५ में ज़ार ने कुछ फ़रमान पत्र प्रकाशित किये जिसके अनुसार रूस में विधान की तय्यारी होने लगी। यह केवल ढोंग था। स्वेच्छाचारी शासन जारी रहा। दो सभाओं की स्थापना की गई—'कौंसिल आफ़ दी एम्पायर' (Council of the Empire) अथवा डूमा (Duma)। कौन्सिल आफ़ दी एम्पायर में आधे सदस्यों को राजा नामज़द करता था और आधे सदस्य ९ वर्ष के लिये प्रान्तीय सभाओं, पृथ्वी पति, धनिक, चेम्बर आफ कामर्स, चर्च, विश्वविद्यालय द्वारा चुने जाते थे। डूमा में ज़िला कौन्सिल के प्रतिनिधि आते थे जिनको किसी प्रकार के विशेष अधिकार न थे।

ज़ार इतने पर भी अनमनाने लगे। प्रजा भी अंधकार में थी, नितान्त निरक्षर थी। वह अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रकार करे इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। १९०६-१९०७ की डूमा की सभाओं में लिबरलों का बहुमत था। उनकी कार्यवाही से ज़ार के दिल में धक धक मचने लगी। जनता इस धोके की टट्टी को समझ गई, और त्राहि त्राहि मचाने लगी।

ज़ार ने असन्तुष्ट होकर दो बार डूमा को भंग किया। उसने समझ लिया डूमा की निर्वाचन विधि में परिवर्तन करना चाहिये। उसने आज्ञापत्र द्वारा घोषणा की कि वोटर कई भागों में बाँटे जायेंगे—पृथ्वीपति, तिजारती, सौदागर, कृषक, श्रमजीवी। प्रत्येक भाग नियमित सदस्य भेज सकेगा। इसके फल सरूप तीसरी डूमा इतनी झगड़ालू साबित नहीं हुई। पाँच सात वर्ष तक इसने अपना कार्य किया।

प्रजातंत्र का मार्ग अब जनता के लिये बन्द हो गया। यह क्षुधा पीड़ित रोटी माँगते थे, उनको ऐवज़ में पत्थर नसीब हुये। लोगों को विदित हो गया कि ज़ार आसानी से नहीं फुसलाया जा सकता। बिना ख़ून बहाये उनके पल्ले कुछ न पड़ेगा। युद्ध के आरम्भ में अधिकारियों की नितान्त अयोग्यता का पता चल गया। चारों तरफ़ तबाही थी। ज़ार ने निर्मोही मनुष्यों को अपना मंत्री बनाया। इनको आन्दोलन से लेश मात्र भी सहानुभूति न थी। इन लोगों ने अत्याचार करना आरम्भ किया। ड्यूमा भी जो इतनी संकीर्ण सभा थी और जो कि ज़ार के साथ सहयोग देना चाहती थी, इस अत्याचार को सहन न कर सकी। उसके सदस्य मंत्रियों की अवहेलना करने लगे। नाज़ जर्मनी को भेजा जा रहा था, परन्तु रूस के कृषकों की गर्दन पर छुरी चलाकर। सारी स्थिति इतनी असह्य हो गई थी कि एक ज़बरदस्त क्रान्ति ही इसको ठंडा कर सकती थी। इसके चिह्न प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे, परन्तु वाह पट्ठे ज़ार—तूने कुछ भी पर्वाह न की। शाबाश! उसका परिणाम भी तो तूने ही भोगा, तेरे पापों की गठरी भर गई थी। अन्य राष्ट्रों को इससे शिक्षा लेनी चाहिये।

मार्च १९१७ में क्रान्ति पेटरोग्रेड में आरम्भ हुई। भूख से सताई हुई जनता सड़कों में घूमने लगी और रोटी की पुकार मचाने लगी। सरकार ने इन क्रान्तिकारियों को तितर बितर करने की आज्ञा दी। परन्तु सेना ने आज्ञा भंग की। सेना भी इस जनसमूह के साथ सम्मिलित हो गई। उन्होंने सेन्ट पीटर के जेल को तोड़ डाला और क़ैदियों को मुक्त कर दिया। इसी समय ड्यूमा की एक कमेटी ने शासन की बाग डोर अपने हाथ में ली और विधान बनाने का वायदा किया।

जिस दिन इस सरकार की स्थापना हुई थी उसी दिन श्रम जीवियों ने 'पेटरोग्रेड सोवियट वर्क मेन्स डिपुटीज़' की स्थापना की जिसका नाम कि दो दिन बाद बदल कर 'प्रेटरोग्रेड सोवियट आफ़ वर्कर्स ऐन्ड सोल्जर्स डिपुटीज़' रक्खा गया। सोवियट सरकार और प्राविज़नल सरकारों के भिन्न भिन्न मत थे और दोनों ही अपनी अपनी आज्ञा देती थीं। सोवियट ने बड़ी मुश्किल के बाद सेना को भंग कर दिया। दोनों सरकारों ने संघ बना कर काम करना आरम्भ किया, परन्तु देश की सैनिक या आर्थिक गड़बड़ियों को न रोक सके।

स्थिति दिन दिन ख़राब होती गई। इसी समय बाल्शेविक लोग शासन में अधिक भाग लेने लगे। उनका कहना था कि क्रान्ति आर्थिक और राजनैतिक

दोनों ही होनी चाहिये। श्रमजीवि मिलों को अपने अधिकार में ला रहे थे। किसान पृथ्वीपतियों को निकाल रहे थे। वाल्शेविक लोग बहुत अधिक संख्या में न थे, परन्तु उनका एक निश्चित प्रोग्राम था जिसको कि श्रमजीवि और लैनिन ठीक तरह से समझ सके। उनका उद्देश्य था शान्ति की स्थापना करना और श्रमजीवी राज्य (Proletariat) की स्थापना करना। लेनिन ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और प्राविज़नल सरकार को निकाल बाहर किया।

साम्यवादियों की कांग्रेस ने एक Council of Peoples' Commissaries नियुक्त की। लेनिन इसका अध्यक्ष बना। इसने विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर दी कि सम्पत्ति, रेलवे, बैंक, मिलें, कानें छीन ली गई हैं और श्रमजीवियों के काम में लाई जायेंगी। ज़ार और उसका ख़ान्दान मौत के घाट उतार दिये गये। बहुत से धनिक, पृथ्वीपति, ज़ार के अफ़सर इत्यादि को भी अनेकों कष्ट सहन करने पड़े। कुछ को देश निकाल दिया गया, कुछ को खुदा गंज भेज दिया गया। चर्च भी तोड़ दिया गया। दो चार मास में ही देश कम्यूनिस्ट बना दिया गया। क्रान्ति को निष्फल करने के अनेकों प्रयत्न हुये, परन्तु सब विफल हुये।

सन् १९१८ के ग्रीष्म मास में सोवियट कांग्रेस ने बोल्शेविकों का बनाया हुआ विधान स्वीकार कर लिया। इस विधान को न तो विधान विधायिनी सभा ने ही पास किया था और न इस पर जनता निर्णय ही लिया गया था। रूस के कई भागों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और सोवियट राज्य की स्थापना की। सन् १९२२ में समस्त भागों का संघ अर्थात् 'फ़ेडरेशन' बन गया। अब यूनियन आफ़ सोवियट, सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई और एक संघीय विधान तय्यार किया गया जिस पर कि सन् १९२३ में जनता निर्णय लिया गया।

सन् १९१८ के विधान ने रूस को रिपब्लिक या प्रजा तांत्रिक घोषित कर दिया। सारे अधिकार घोषणा अनुसार दुखी और सताई हुई जनता के घोषित किये गये न कि सम्पूर्ण रूसी जनता के। मताधिकार उन्हीं को प्रदान किया गया जो कि अट्ठारह वर्ष की अवस्था के हों। और अपनी जीविका स्वयं उपार्जित करते हों—वे चाहे किसी जाति राष्ट्र या धर्म के हों सैनिकों अथवा नाविकों को भी मताधिकार दिया गया। निम्नलिखित मनुष्यों को न तो वोट का अधिकार है और न किसी पद को पा सकते हैं। (१) जो दूसरों को अपने लाभ के लिये नोकर बनाते हैं (इसमें घर के नोकर शामिल नहीं किये जाते हैं) (२) जो बिना मेहनत किये

धन उपार्जन करते हैं जैसे सूद ख़ोर या किराये के मकान रखने वाले, (३) तिजारत पेशा, ऐजन्ट, दलाल, और व्यवसायी, (४) पादरी, (५) वह लोग जिनका कि ज़ार से कुछ भी सम्बन्ध था, (६) मुजरिम और पागल। अट्ठारह वर्ष की अवस्था के व्यक्तियों को भी लोकल सोवियट केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मताधिकार प्रदान कर सकती थी।

इसके अर्थ यह हैं कि मताधिकार केवल श्रमजीवियों को और सैनिकों को प्रदान किया गया है। १९१८ के विधान ने प्रजातंत्र की स्थापना न की वरन् डिक्टेटरशिप की स्थापना की। रूस की उच्चतम शासन संस्था 'यूनियन आफ़ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक' (Union of Soviet Socialist Republic or U. S. S. R.), की ब्रांच यूनियन कांग्रेस आफ़ सोवियट है। इस कांग्रेस में देहात से और शहर से प्रतिनिधि आते हैं। शहरों में प्रत्येक २५,००० श्रमजीवी एक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं और देहात में १,२५,००० जनता एक प्रतिनिधि भेजती है। साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, छुट्टी काल में कांग्रेस की निर्वाचित की हुई यूनियन सेन्ट्रल कार्यकारिणी समिति (Tsik) सारे कार्य करती है। इसको व्यवस्थापक अधिकार भी है। इस समिति की तीन मास में पन्द्रह दिन के लिये बैठक होती है। इस कार्य कारिणी समिति में लगभग ४०० सदस्य होते हैं जिनके दो भाग होते हैं और अपनी अपनी सभायें करते हैं। एक सभा के लिये कांग्रेस चार रिपब्लिकों के कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। आवश्यक कार्यों को करने के लिये एक कमेटी है जिसको 'प्रेज़ीडियम' (Presidium or Steering Committee) कहते हैं। इसमें २१ सदस्य होते हैं।

शासन प्रबन्ध के अधिकार यूनियन कौन्सिल आफ़ पीपल्स कमीसर्स को हैं। इसको कार्यकारिणी समिति (Tsik) निर्वाचित करती है और इसको अथवा कांग्रेस को उत्तरदायी है। एक कमीसर इसका प्रेज़ीडेन्ट बनता और चार और कमीसर उपसभापति बनते हैं। प्रत्येक कमीसर किसी एक विभाग का अध्यक्ष बनता है। इसके निर्णय यूनियन के सारे लोगों के लिये माननीय हैं। इस कौन्सिल में एक छोटा सा केबिनेट 'सोवारकोम' (Sovarkom) और है जो कि ग़ैर राजनैतिक विषयों पर विचार करता है।

यूनियन विधान ने निम्न लिखित अधिकार उपरोक्त अधिकारियों को सौंपे—जैसे सन्धि करना और विदेशी विषय, युद्ध घोषणा या सुलह करना, ऋण लेना, विदेश

तिजारत को ठीक करना, रियायतें देना, (Granting Concessions) रेल की लाइनें बनाना, डाकख़ाने और तारघर बनाना, सेना की देख भाल करना, टक्साल का प्रबन्ध करना, कर लगाना इत्यादि सब यूनियन के अधिकार में हैं। यदि किसी रिपब्लिक का कोई नियम १९२२ की सन्धि के विरुद्ध हो तो यूनियन उसको निषेध कर सकती है।

रिपब्लिक के चारों भाग अपना अपना शासन अपनी इच्छानुसार करते हैं, परन्तु शासन लगभग चारों भागों का समान ही है।

कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण लगभग ४२५ आदमियों की एक कमेटी शासन करती है। यह संख्या भी बहुत अधिक है इस कारण इसकी भी एक सब कमेटी बहुत कुछ काम करती है।

रूस के मुख्य भाग (Russia Proper) का शासन भी लगभग उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि यूनियन का होता है। शासन अधिकार १२ आदमियों की एक कार्य कारिणी समिति को है। इन सदस्यों को कमीसर कहते हैं और इनको एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी चुनती है। कमीसर कौंसिल को सदैव समय समय पर एक्ज़ीक्यूटिव को सूचना देनी पड़ती है, परन्तु विशेष समयों पर अपनी ज़िम्मेवारी पर ही काम कर सकती है। प्रत्येक शासन विभाग की सहायता के लिये एक शासन बोर्ड होता है। यहाँ पर कोई प्रधान मंत्री पद नहीं है, परन्तु कमीसर बोर्ड किसी एक सदस्य को प्रेज़ीडेन्ट चुन लेता है।

संसार के हर एक देश में किसी न किसी प्रकार के हल्के, निर्वाचन केन्द्र, या क्षेत्र या ज़िले हैं। समस्त जनता को उस केन्द्र में वोट का समान अधिकार है और एक ही काल में वोट भी करते हैं अमरीका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने ज़िले के अन्तरगत सारे विषयों के प्रतिनिधि होते हैं। रूस में प्रतिनिधि व्यवसाय की शक्ति अनुसार चुने जाते हैं। लोग अपने अपने व्यवसायों के प्रतिनिधियों के लिए वोट करते हैं। कांग्रेस के सदस्य किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं होते वरन् अपने व्यवसाय और पेशे वालों के प्रतिनिधि होते हैं।

इस प्रथा के सहायकों की दलील है कि "यह बहुत ही सुन्दर प्रथा है क्यों कि प्रतिनिधियों का मन्तव्य सदैव एक रहेगा और केन्द्रीय निर्वाचन तो बिल्कुल बेमाने बात होगी।"

अमरीका में तो वोटर का अधिकारियों से सीधा सम्बन्ध रहता है वही

व्यवस्थापिक सभाओं को अथवा कार्यकारिणी को चुनते हैं परन्तु रूस में वोटर की दशा देखिये—कितना अन्तर है।

वोटर ग्राम सोवियट को निर्वाचत करते हैं।
|
ग्राम सोवियट ज़िला सोवियट को प्रतिनिधि भेजते हैं।
|
यह ज़िला सोवियट प्रान्तीय सोवियट को सदस्य भेजते हैं।
|
प्रांतीय सोवियट अखिल रूसी कांग्रेस और यूनियन कांग्रेस को प्रतिनिधि भेजती है।
|
यह दोनों अपनी अपनी कार्य कारिणी नियुक्त करती हैं।
|
तदुपरान्त कार्य कारिणी सब कमेटी नियुक्त करती है।

पाठक समझ सकते हैं कि कितना अंतर हो जाता है। प्रतिनिधि अपनी ज़िम्मेवारी महसूस नहीं करते हैं। सब गड़बड़ी और झंझट है जिसको कि साधारण आदमी समझ भी नहीं सकता।

समय समय पर साधारण या असाधारण कमीशन शासन कार्य सँभालने के लिये नियुक्त किये जाते हैं। इनकी कार्य काल अवधि नियत नहीं रहती। सबसे बड़ा और महत्त्वशाली कमीशन चेस्का (Cheska) था। यह विद्रोहियों की जाँच पड़ताल करता था। इसको फ़ाँसी तक दंड देने का हुक्म था। सन् १९२२ में इस संस्था को भंग कर दिया गया और इसके स्थान में निर्वाचित न्यायाधीश काम करते हैं।

देश का शासन सूत्र टूट क्यों नहीं जाता? इसका उत्तर केवल यही है कि सारा शासन बोल्शेविक दल अपने हाथ में रक्खे हुये है किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जब कभी मतभेद भी होता है तो दल स्वयं ही उनका निपटारा कर देता है। यही कारण है कि शासन निर्विघ्न होता जा रहा है।

कार्ल मार्क्स की अध्यक्षता में प्रथम अन्तरराष्ट्रीय (First International) साम्यवादी कांग्रेस हुई। उसके बाद दूसरी सन् १८८९ में पेरिस नगर में हुई। तीसरी मास्को में हुई। यह संस्था कम्यूनिस्ट दल की प्रतिनिधि है। इसका हेड आफ़िस मास्को में है और रूस के कम्यूनिस्ट दल की सरंक्षकता में है। इसका उद्देश्य है संसार की सारी क्रान्तिकारी दलों का संगठन करके संसार में क्रान्ति मचाई

जाय और कम्यूनिस्ट राज्य की अस्थापना होवे। इसी संस्था द्वारा रूस संसार में कम्यूनिस्ट प्रचार कर रहा है।

Its aim is to " unite the efforts of all revolutionary parties of the world proletariat and to thus facilitate a communist revolution on a world wide basis."

संयुक्त राष्ट्र अमरीका

(United States of America)

" The Constitution of America is to be treated even as a part of a man's life and religion."

सन् १७६३ में सप्त वर्षीय युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इंगलैंड वालों का अमरीका देश पर पूरी तौर से सिक्का जम गया। सारा देश उनके अधीन हो गया। इंगलैंड की पार्लियामेन्ट ही अमरीका का शासन करती थी, मनमाने नियम बना कर देशवासियों पर आतंक जमाती थी। कुछ औपनिवेशिकों का कथन है कि पार्लियामेन्ट अमरीका वालों पर तब तक कर नहीं लगा सकती जब तक कि अमरीका वालों का पार्लियामेन्ट में प्रतिनिधित्व स्वीकार न किया जाय। इन लोगों ने घोर आन्दोलन किया, स्वतंत्रता की पताका फहराई, विजय का डंका बोला, शत्रुओं के हाथ से मुक्ति पाई। अन्त को सन् १७८७ में विधान विधायनी सभा ने देश की शासन पद्धति का निर्णय करना आरम्भ किया। येन केन प्रकारेण सन् १७८९ में विधान तय्यार हो गया।

इस विधान के अनुसार ही आज अमरीका का शासन हो रहा है। अमरीका वासी इसको पूजनीय समझते हैं। विधान पत्र बहुत ही संक्षिप्त, अथवा स्पष्ट शब्दों में है। इस में आधुनिक विधानों की तरह व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं है। सन् १७८९ से अब तक विधान में केवल १९ संशोधन हुए हैं। विधान संशोधन विधि अत्यन्त ही पेचीदा हैं। इसी कारण इस देश के विधान को 'रिजिड' (Rigid) कहते हैं।

१—प्रेज़ीडेन्ट

(President)

प्रेज़ीडेन्ट के निर्वाचन की विधि बहुत ही पेचीदा है। सारे देश के छोटे छोटे प्रान्तों और ज़िलों से दलों के प्रतिनिधि आते हैं और एक बहुत बड़ी महती

सभा में प्रेज़ीडेन्ट के निर्वाचन के लिये वोट देते हैं। प्रेज़ीडेन्ट को विशेप बहुमत (Absolute Majority) प्राप्त करना चाहिये। बहुधा प्रेज़ीडेन्ट को पहली बार के वोटिंग में विशेष बहुमत प्राप्त नहीं होता है, दोबारा वोटिंग होता है। वोटिंग तब तक जारी रहता है जब तक कि किसी एक उम्मेदवार को विशेष बहुमत प्राप्त न हो जावे।

प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार पाँच प्रकार के हैं—(१) शासन सम्बन्धी, (२) सेना, (३) विदेश, (४) व्यवस्थापक और (५) राजनैतिक।

(१) शासन सम्बन्धी अधिकार—उसको मुजरिमों को माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है, पदों पर अफ़सरों को नियुक्त करता है। ६,००,००० पदों की नियुक्ति उसके हाथ में है। बड़े पदों की नियुक्ति के लिये सेनेट का परामर्श लेना आवश्यक है। परन्तु, सेनेट कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रेज़ीडेन्ट उन्हीं को नियुक्त करता है जिन्होंने कि उसको निर्वाचन काल में सहायता दी हो। बहुत से लोग जिनको कि पद नहीं मिलता है प्रेज़ीडेन्ट से नाराज़ हो जाते हैं। सन् १८८४ में प्रेज़ीडेन्ट गार्फ़ील्ड इसी असन्तोष के शिकार हुये। तब से पदों पर योग्य व्यक्ति प्रतिस्पर्द्धा के बाद भर्ती किये जाते हैं।

(२) सेना—विधानानुसार वह सेना का कमान्डर-इन-चीफ़ (Commander-in-Chief) होता है। सेना का साइज़ कांग्रेस ही नियत करती है क्योंकि यही बजट पास करती है। सारे देश में जगह जगह पर वह आवश्यकतानुसार सेना भेजता है। वह मनमानी जहाँ चाहे किसी देश के विरुद्ध सेना भेज सकता है और देश को युद्ध में घसीट सकता है।

(३) विदेश सम्बन्धी अधिकार—विदेशी राज्यों से सन्धि करता है, वहाँ पर राजदूत भेजता है। विदेश से आये हुये राजदूतों का स्वागत करता है। अन्तरराष्ट्रीय विषयों में प्रेज़ीडेन्ट मुख्य व्यक्ति होता है। उसके व्याख्यान व स्टेटमेन्ट्स विदेश में ध्यान पूर्वक पढ़े जाते हैं। यह व्याख्यान बड़े महत्त्व के होते हैं। सन्धि पत्र पर प्रेज़ीडेन्ट को ⅔ सेनेट की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। प्रेज़ीडेन्ट विदेशी राज्यों में सेना भेज सकता है, राजदूतों को बिना किसी से आज्ञा लिये वापिस जाने को कह सकता है। प्रेज़ीडेन्ट युद्ध की घोषणा तो कर नहीं सकता, परन्तु वह अपनी नीति से अमरीका को युद्ध में घसीट सकता है।

(४) व्यवस्थापक अधिकार—अमरीका में अधिकार विच्छेद (Separation

of powers) के कारण सेनेट को नियम पास करने का अधिकार है और प्रेज़ीडेन्ट उन नियमों को कार्यान्वित करता है। परन्तु प्रेज़ीडेन्ट को भी नियम बनाने के पर्याप्त अधिकार हैं। प्रेज़ीडेन्ट विल्सन ने बहुत से नियम मन माने बनाये। ऐसा वह दो प्रकार कर सकता है (१) नियमों को स्थगित करना अथवा (२) कुछ नियमों को किसी सदस्य द्वारा पेश करना। वह सभा को संदेश भेज सकता है और देश हित के लिए आवश्यक नियम पास करने को कह सकता है। प्रेज़ीडेन्ट के सन्देशों में ही विदेश नीति का सार रहता है। कांग्रेस यदि प्रेज़ीडेन्ट के ही दल की है तो संदेश व बिल अवश्य ही पास हो जाते हैं अन्यथा नहीं।

प्रेज़ीडेन्ट बिल पास हो जाने के बाद या तो इसको कार्यान्वित करता है या दस दिन के भीतर निषेध कर के उसको सभा के पास पुनः निर्णय के लिये भेज देता है। यदि इन दस दिन के भीतर सभा भंग हो जाये और प्रेज़ीडेन्ट अपनी सम्मति न देवे तो बिल पास नहीं हो सकता। इस प्रकार के निषेध को 'पाकेट वीटो' (Pocket Veto) कहते हैं। स्मरण रहे कि प्रेज़ीडेन्ट अकारण ही नियम निषेध नहीं करता है। अब तक उसके निषेध करने के पश्चात् केवल २५ बिल पास हो सके हैं।

(५) राजनैतिक अधिकार—यह अधिकार प्रेज़ीडेन्ट को विधान द्वारा प्राप्त नहीं हुये हैं। इसके अर्थ केवल यही हैं कि चार वर्ष तक प्रेज़ीडेन्ट देश के शासन की बाग डोर अपने हाथ में लिये रहता है और देश भर का प्रधान व्यक्ति अथवा नेता होता है। इंगलैंड में थोड़ी सी योग्यता वाला व्यक्त कदापि प्रधान मंत्री नहीं हो सकता है। परन्तु अमरीका में ऐसा नहीं है। उसको अपनी योग्यता प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता है। समय समय पर उसको सेनेट का विरोध सहन करना पड़ता है, यदि वह सेनेट के विरुद्ध काम करे तो उसकी बदनामी होती है, और यदि प्रेज़ीडेन्ट शान्त प्रिय है तो यह उसकी कमज़ोरी समझी जाती है।

२—सेनेट

(Senate)

अमरीका में विधायकों ने पार्लियामेन्ट की दो सभायें रखना निश्चित किया क्योंकि उनका इरादा यह था कि समस्त प्रान्तों को सेनेट में समान अधिकार मिल जावे और जिन प्रान्तों में आबादी अधिक हो उनको साधारण सभा में प्रतिनिधित्व

मिल जाय । अट्ठारहवीं शताब्दी में यह डर था कि पूर्ण राष्ट्रीय सरकार छोटे प्रान्तों का अन्त कर देगी इसी कारण सेनेट का निर्माण आवश्यक समझा गया ।

प्रान्त परिषद् सेनेट के सदस्यों का निर्वाचन करते थे । इस प्रथा में अनेकों दोष थे । उम्मेदवार परिषद् के सदस्यों को घूस देकर अपना निर्वाचन करा लेते थे । इस प्रथा को हटा कर 'इन्डाइरेक्ट निर्वाचन' रीति की स्थापना की गई । उसमें भी अनेकों दोष प्रतीत होने लगे । सन् १९१३ में इस प्रथा को भी हटा दिया गया और अब जनता ही सेनेटरों का निर्वाचन करती है । सेनेट के सदस्यों की अवस्था कम से कम तीस वर्ष की होनी चाहिये और कम से कम ९ वर्ष के अमरीका वासी होने चाहिये । इस प्रथा से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि निर्वाचन अब भी दलों के हाथ में है ।

विधायक सेनेट को सरदार सभा और प्रीवी कौंसिल सभा के कार्यों को सौंपना चाहते थे । सर्व प्रथम प्रेज़ीडेन्ट ने जार्ज वाशिंगटन सेनेट का इसी प्रकार सम्मान किया । अब इसका उतना आदर नहीं है । सेनेट नियुक्ति और सन्धि पत्रों पर अनुमति देती है । इसके साधारण सभा के समान पूर्ण अधिकार हैं ।

प्रान्तों में पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रेज़ीडेन्ट उस प्रान्त के प्रतिनिधियों से परामर्श लेता था । इसको Senatorial Courtesy कहते हैं । सेनेटर इस अधिकार का दुर्व्यवहार करने लगे। फलतः सन् १८६० में उनकी शक्ति मन्द होने लगी । प्रेज़ीडेन्ट विल्सन के काल से उनकी फिर उन्नति हो रही है ।

सनेट प्रेज़ीडेन्ट का, वाईस प्रेज़ीडेन्ट का और पदाधिकारियों पर चलाये हुये अभियोगों का निर्णय करती है । अब तक केवल दो व्यक्तियों पर सेनेट में अभियोग चलाया गया—प्रेज़ीडेन्ट जानसन पर और युद्ध मंत्री पर । परन्तु उनको अभियोगी घोषित करने के लिये $\frac{2}{3}$ सेनेट ने अनुमति न दी ।

प्रत्येक बिल पर तीन बार निर्णय होता है या उसकी तीन रीडिंग्स होती हैं। (१) साधारण विवाद, (२) कमेटी द्वारा निर्णय । इन कमेटियों को एक अन्य कमेटी बनाती है । इनकी पूरी नियुक्ति दल नेताओं के हाथ में रहती है । अमरीका में सरकारी प्रस्ताव नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अधिकार विच्छेद की प्रथा प्रचलित है । दल के परामर्श से ही नेता लोग अपने अपने प्रस्ताव पेश करते हैं, तदुपरान्त सेनेट की राय ली जाती है ।

३—प्रतिनिधि सभा

(House of Representatives)

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या जन संख्या पर निर्भर है। संख्या और उसका निर्णय नियम द्वारा होगा। विधानानुसार प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक प्रतिनिधि साधारण सभा में अवश्य आना चाहिये। और १ सदस्य अधिक से अधिक ३०,००० जनता का प्रतिनिधि होना चाहिये। विधानानुसार प्रति दसवें वर्ष मनुष्य गणना होनी चाहिये और उसी के अनुसार सदस्यों की संख्या निर्णय की जानी चाहिये। सबसे पहली प्रतिनिधि सभा में केवल ६५ सदस्य थे अब ४३५ सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिये १९१० के बाद सदस्यों की संख्या में कुछ भी न्यूनाधिक नहीं किया गया है।

समस्त अमरीका के नागरिकों को जिन्हें कि अपने प्रान्त में वोट का अधिकार है प्रतिनिधि सभा के लिये भी मत प्रकट कर सकते हैं। सत्रहवें विधान संशोधन के अनुसार समस्त मनुष्यों को चाहे वह किसी रंग के हों वोट का अधिकार दिया गया है। उन्नीसवें संशोधन के अनुसार स्त्रियों को भी मताधिकार प्रदान किया गया। दक्षिणी अमरीका के प्रान्तों ने नीगरों को वोट से वंचित रखने के अनेकों साधन ढूँढ़ निकाले हैं—उदाहरणवत्–शिक्षा, टैक्स व सम्पत्ति। ग़रीब नीगरों को यह सब बातें कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, इस कारण विधान संशोधन से उनका कुछ भी भला नहीं हुआ है।

प्रत्येक प्रांत को निर्वाचन की सुविधा के लिये ज़िलों और हल्कों में बांट दिये गये हैं। प्रत्येक हल्के से १ सदस्य निर्वाचित होता है। ज़िलों को समान भागों में बाँटने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु इसमें भी दल के नेताओं की नियत साफ़ नहीं मालूम पड़ती। प्रत्येक प्रांत में जिस दल का बहुमत रहता है। अपनी इच्छानुसार निर्वाचन केन्द्र विना किसी हिसाब के बना लेता है। वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि दूसरे दल के वोटों को १ या दो ज़िले में भर दे और बाक़ी ज़िलों में अपना बहुमत रहे। इस प्रकार के प्रान्त विभाग को जेरीमेन्डरिंग (Gerrymandering) कहते हैं। प्रत्येक दल अपना अपना निर्वाचन करके अपने दल से किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। तदुपरान्त वह सर्व साधारण निर्वाचन में भाग ले सकता है। इस प्रकार दल बहुत ही शक्ति शाली हो गये हैं।

सदस्यों की अवस्था पचीस वर्ष होनी चाहिये और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नागरिक होने चाहिये। यह भी आवश्यक है कि वह सात साल तक अमरीका में निवास कर चुके हों। अब यह भी आवश्यक हो गया है कि उम्मेदवार उसी ज़िले का निवासी होवे। सदस्य अन्तर राष्ट्रीय समस्याओं में कुछ भाग नहीं लेते हैं वरन अपने ज़िले के हित की ही प्रेरणा करते रहते हैं। प्रतिनिधि सभा की कार्य काल अवधि दो वर्ष है जिसके अर्थ यह हैं कि सदस्य जब सभा पद्धति सीख पाते हैं उसी समय उनको पद त्याग करना पड़ता है।

अमरीका में सरकारी प्रस्ताव नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अधिकार विच्छेद की प्रथा प्रचलित है। सदस्य अपने दल के आदेशानुसार या किसी विभाग के हेड के कहने से सभा में प्रस्ताव पेश करते हैं। सेनेट भी बिल पेश करती है। तदुपरान्त यह बिल किसी कमेटी के पास निर्णय के लिये भेजा जाता है। यदि कमेटी इस पर ख़राब रिपोर्ट देती है तो बिल के पास होने की लेश मात्र भी आशा नहीं होती। अगर माफ़िक़ राय देती है तब भी यह ज़रूरी नहीं कि बिल पास ही हो जाय। पास होवे या न होवे। तदुपरान्त दोनों सभाओं से पास होकर बिल प्रेज़ीडेन्ट के पास हस्ताक्षर के निमित्त जाता है। प्रेज़ीडेन्ट की वीटो के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं।

४—जनता-निर्णय व प्रस्तावना

(Referendum and Initiative in America)

अनुभव हमको इस बात का परिचय देता है कि आजकल व्यवस्थापिका सभाओं का सम्मान दिन दिन क्षीण होता जा रहा है और कार्य कारिणी के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। अमरीका के प्रांतीय सभाओं के बजट सम्बन्धी अधिकार दिन दिन कम किये जा रहे हैं। लगभग आधे प्रांतों में जनता को भी बिल पेश करने का अधिकार दिया गया है इससे धारा सभाओं का सम्मान घटता जा रहा है। धारा सभाओं का सम्मान घटने का एक प्रधान कारण यह भी है कि कुछ महानुभावों को यह विश्वास भी हो गया है कि जनता कभी ग़लती नहीं कर सकती, इसी कारण सारे अधिकार जनता को सौंप देना चाहिये।

प्रथम बार सन् १८९८ में दक्षिण डेकोटा के प्रान्त की जनता को प्रस्तावना का अधिकार दिया गया था। इस प्रांत ने इस विषय में स्वीटज़रलैंड

की प्रथा का अनुकरण किया। कुछ वर्ष वाद अन्य प्रांतें ने भी इस प्रथा को अपनाना आरम्भ किया। सन् १९०० में ऊटा प्रांत ने, सन् १९०२ में आरीगन प्रांत ने इसको अपनाया। आजकल २२ प्रांतों में जनता प्रस्तावना की प्रथा प्रचलित है।

प्रांतों में जनता-निर्णय अथवा प्रस्तावना की समान विधि नहीं है। परन्तु तब भी कुछ बातें समान हैं। उदाहरणार्थ प्रार्थना पत्र पेश करना। बहुधा कोई संगठन अपने ऊपर इसका सारा भार लेता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में हस्ताक्षरों की संख्या भिन्न भिन्न है। ८ प्रति शत से १५ प्रति शत हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। विधान संशोधन के लिये २० प्रतिशत जनता के हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ प्रान्तों में जनता केवल विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव कर सकती है और कुछ प्रान्तों में जनता को साधारण प्रस्ताव भी पेश करने का अधिकार है।

हस्ताक्षर प्राप्त करने के वाद प्रार्थना पत्र अधिकारियों को भेजा जाता है। अधिकारी इस प्रार्थना पर कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, वरन् केवल जनता के परामर्श लेने के लिये उनकी वोट लेते हैं।

कुछ प्रान्तों में बिल को पास करने के लिये केवल जनता का बहुमत पर्याप्त है परन्तु कुछ में प्रस्ताव को पास करने की संख्या नियमित रहती है।

जनता का मत ही सर्व प्रधान है, प्रेज़ीडेन्ट भी उसका निषेध नहीं कर सकता।

जापान की शासन पद्धति

[लेखक—श्रीयुत् रहसबिहारी बोस, टोकियो, जापान]

जापान का शासन सुधार सम्बन्धी आन्दोलन और बहुत से देशों के आन्दोलनों से इस बात में भिन्न था कि यहां यह सम्राट की शक्ति को कम करने के लिये कदापि नहीं चलाया गया था। न प्रतिनिधि द्वारा निधि वितरण सम्बन्धी सिद्धान्त को स्थापित करना ही इस का उद्देश्य था। यह सुधार १८६८ के देश व्यापी सुधार का स्वाभाविक फल स्वरूप था। इसके अनुसार जापान योरोपीय देशों के समान बन गया। चाहे देश के नेताओं ने इस की कल्पना भी न की हो, जब जापान सदियों की नींद से जाग उठा उसे छोटी छोटी रियासतों को अलग करके एकता का मन्त्र जपना पड़ा। इसी से राज्य प्रबन्ध का भार शोगोन नामी सेनापति के हाथ से निकलकर सम्राट के हाथ पहुँचा यद्यपि महाराजा साहब इस समय नाममात्र ही को थे।

१८७४ ई० में जापान के शासन सुधार सम्बन्धी आन्दोलन का नियमित रूप से आरंभ हुआ। जिन राजनीतिज्ञों ने सुधार कार्य को अपने ऊपर लिया वे दो भिन्न दल के थे एक सैनिक वर्ग दूसरे साधारण प्रजा वर्ग। एक के विचार कैकोकूटो दल से मिलते थे जो देश में विदेशियों के आने जाने के पक्ष में थे। दूसरों के विचार जोइटो दल से मिलते थे, जिनका मत यह था कि विदेशियों को देश में किसी प्रकार नहीं आने देना चाहिये। पर जब दोनों पक्षों के नेताओं ने देखा कि उनके इस भेद से जातीय जीवन सङ्कट में पड़ रहा है, तो दोनों ही में देश भक्ति के भाव उमड़ आये। दोनों ही ने देश हित के लिये एक ही काम करना आरम्भ किया। विदेशियों का डर दूर होने पर कभी न कभी दोनों विपक्षी दलों में मुठभेड़ होना स्वाभाविक था जब राजकीय शासन जम गया तो यह समा-चार कोरिया इस आशा से भेजा गया कि वहां से अभिनन्दनार्थ एक राजदूत जावेगा जैसा कि नये शोगून (सैनिक शासक) के सिंहासन पर बैठने के समय सदा से होता चला आया था। पर कोरिया ने राजदूत भेजना ठीक न समझा। सैनिक दल इस अपमान का

बदला लेने के लिये कोरिया में एक सेना भेजना चाहता था लेकिन प्रजावर्ग के नेताओं ने इसका घोर विरोध किया दोनों में फूट पड़ गई। पराजित दल के त्याग-पत्र देने से इस घटना का अंत हुआ। अधिकार छोड़ने के बाद कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय महासभा स्थापित करने के लिये आंदोलन उठाया और अधिकारी वर्ग पर खुल्लमखुल्ला निरंकुशता का दोष लगाया। जन साधारण के लिये इस प्रकार का आंदोलन बिलकुल नया था। क्योंकि वे सदियों से निरंकुश शासन के आदी हो गये थे। फिर भी इस नये आंदोलन का उन पर अद्भुत असर पड़ा। यह आंदोलन देश में ऐसा फैला कि सरकार को सीनेट नामी एक व्यवस्थापक सभा, हाईकोर्ट और प्रांतीय गवर्नरों (शासकों) की सभा बनाने के लिये बाध्य होना पड़ा। पर विरोधी दल को इतने से संतोष न हुआ और उन्होंने वैध आन्दोलन चलता ही रक्खा। इसका फल यह हुआ कि १२ अक्तूबर सन् १८८१ ई० को सरकार ने एक शाही फ़रमार निकाला जिसके अनुसार १८९० ई० में राष्ट्रीय सभा स्थापित करने की आज्ञा हुई। १८८२ के मार्च मास में युवराज ईटो (जो उस समय महाशय ईटो कहलाते थे) और उनके अनुयाई योरुप को इसलिये भेजे गये कि वे वहां की शासन पद्धतियों का अध्ययन करके जापान के लिये शासन प्रणाली तय्यार करें। १८८४ ई० में यह मिशन जापान लौट आया। जब युवराज ईटो योरुप में थे तब उन्होंने अधिकतर समय प्रूशा में बिताया जहाँ उनका प्रिंस बिस्मार्क से बहुधा सम्पर्क होता रहा जिन की बातचीत से प्रिंस ईटो ने बहुतसी बातें सीखीं।

वास्तव में ईटो ने योरुप से लौटने पर जापान में प्रूशा के समान ही नौकर शाही स्थापित करने में अपनी सारी शक्ति लगादी। उसकी अध्यक्षता में १८८४ ई० में शासन सुधार सम्बन्धी एक सूचनालय की नींव पड़ी इसका काम ही यह था कि नवीन शासन पद्धति का मसविदा तयार करें यह आयोजन १८८९ ई० में बनकर प्रकाशित हो गया। दूसरे वर्ष राष्ट्रीय सभा अथवा राजसभा (इम्पीरियल डायट) की स्थापना हुई। इस प्रकार जापान में निरंकुश राज सत्ता के बदले नियन्त्रित राजसत्ता को स्थान मिला। जापान की शासन पद्धति में मुख्य संस्थाए यह हैं।

सम्राट, प्रिवी कौंसिल, केबिनेट और इम्पीरियल डायट। इनका अधिकार व बल संक्षिप्त में इस प्रकार है।

सम्राट

नवीन शासन पद्धति के अनुसार सम्राट के वैध अधिकार व स्थिति संसार के दूसरे नियन्त्रित राजाओं ही के समान हैं पर जन साधारण पर महाराज का

प्रभाव अलौकिक और अद्वितीय है। शासन प्रणाली के मुख्य रचयिता युवराज ने महाराज की स्थिति की व्याख्या इन शब्दों में की है

देश पर राज्य करके और व्यवस्था ठीक रखने का प्रधान अधिकार महाराज को जन्म ही से प्राप्त हैं और उनके द्वारा यह अधिकार उनकी भावी सन्तान को मिलता रहेगा।

नियम बनाने व शासन करने की समस्त शक्तियाँ जिन से देश व जाति पर राज्य किया जाता है महामान्यवर सम्राट ही में मिलती हैं। जिस प्रकार समस्त मानसिक क्रियाओं का मूल कारण मन है चाहे इन क्रियाओं का आविर्भाव शरीर के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा ही क्यों न हो। इसी प्रकार समस्त राजनैतिक जीवन के केन्द्र, सम्राट हैं। सारे विभागों में जीवन संचार महाराजा द्वारा ही होता है। इस भाँति सिद्धान्त में जापानी सम्राट स्वेच्छा-चारी हैं। जापानी प्रजा उन्हें पवित्र व अवध्य समझती है। पर वास्तव में सम्राट महोदय, प्रधान मंत्री की सम्मति के अनुसार ही काम करते हैं। प्रतिदिन के जीवन में जापानी सम्राट की शक्ति व अधिकार ब्रिटिश सम्राट से कुछ भी अधिक नहीं हैं पर प्रजा पर उनका अत्यन्त प्रभाव है जिसका फल जापानी राजनैतिक जीवन में देखा जाता है।

जापान की शासन पद्धति में सम्राट के बाद दूसरा विलक्षण स्थान प्रिवी कौंसिल का ही है। जापान की प्रिवी कौंसिल ब्रिटिश प्रिवी कौंसिल से भिन्न है। इंगलैंड की प्रिवी कौंसिल से तो यहाँ के मंत्री मंडल (केबिनेट) का जन्म हुआ है। और क़ानून के अनुसार मंत्रियों का उससे घनिष्ट सम्बन्ध है। पर जापान में प्रिवी कौंसिल और केबिनेट दो भिन्न व स्वतन्त्र संस्थाएँ हैं। प्रिवी कौंसिल के फैसले को मानना जापानी सरकार के लिये आवश्यक नहीं है।

जापान में प्रिवी कौंसिल का अधिकतर काम सलाह देने का है। राजकाज में जब कोई कठिन समस्या आ जाती है तो सम्राट महोदय के कहने पर यह अपनी बैठक करती है और अपने ज्ञान के अनुसार सम्राट को सलाह देती है। अधिकतर प्रिवी कौंसिल से पूछ ताछ उन मामलों में की जाती है जो इम्पीरियल हाउस ला (शाही घरेलू क़ानून) शासन प्रणाली के नियमों के अन्तर्गत हैं। शाही फरमान व मुहासरा-सम्बन्धी घोषणाओं के नियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की सन्धि व प्रतिज्ञा पत्रों के अवसर पर प्रिवी कौंसिल का काम पड़ता है।

केबिनेट

इङ्गलैंड के समान ही जापान में भी केबिनेट ही प्रधान कार्य कारिणी समिति है। बादशाह को जितनी न्याय शासन और व्यवस्था की ताक़तें मिली हुई हैं उन सब का प्रयोग बादशाह के नाम से केबिनेट ही करती है। अर्थात् शासन सम्बन्धी घोषणाएँ, विदेशी जातियों से सन्धि करना, युद्ध अथवा शांति घोषित करना थल व जल सेना को आज्ञा देना और उनके संगठन को नियत करना। सार्व-जनिक राज कर्मचारियों को जिन में आजन्म न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं नियत करना व अलग करना उनका वेतन व पेन्शन आदि बाँधना आदि काम बादशाह के नाम से वास्तव में केबिनेट द्वारा ही होता है।

इंगलैंड में केबिनेट के मंत्री (हाउस आफ कामंस) कामंस सभा के किसी न किसी दल के सदस्य ही होते हैं और केबिनेट कामंस सभा के बहु संख्यक दल द्वारा नियुक्त होती है। इसे ही राष्ट्र की कार्य कारिणी शक्ति सौंप दी जाती है। और इसलिये पार्लियामेंट के सामने उत्तर दायी होती है।

पर जापान में मंत्री मण्डल के सदस्य सदा मण्डली विशेष हो के लोग नहीं होते। प्रतिनिधि सभा का सहारा न मिलने पर भी वे अपने पद पर रह सकते हैं।

प्रतिनिधि शासन पद्धति का विकास जापान में इतना नहीं हुआ है जिससे मंत्री लोग अनिवार्य रूप से डायट (राष्ट्र सभा) के सामने उत्तर दायी रहें। एक नियम के अनुसार केवल सेनापति ही युद्ध-मंत्री और जल सेना नायक ही जल सेना का मंत्री हो सकता है। पर इस नियम के कारण जापान की राजनीति में एक विलक्षण घटना खड़ी हो जाती है। कुछ वर्ष हुए वायकाउंट क्योस को मंत्रिमण्डल की स्थापना करने की आज्ञा मिली पर अनुकूल सेना नायक न मिलने से वे मंत्रि-मण्डल को संगठित न कर सके। पर ऐसे प्रसंग बहुत कम होते हैं। सच तो यह है डायट और ख़ास कर प्रतिनिधि सभा की शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है।

और आज कल मंत्रिमण्डल के लिये आवश्यक है कि उनका डायट (सभा) में बहुमत हो क्योंकि इसकी अनुमति के बिना राष्ट्र का कोई बड़ा काम नहीं चल सकता। आय व्यय का लेखा तो दोनों सभाओं की स्वीकृति ही से कार्य रूप में परिणत होता है।

इम्पीरियल डायट

इम्पीरियल डायट दो सभाओं में विभक्त है एक नामज़द शाही कुटुम्ब वालों (पियर) की सभा है दूसरी प्रजा के प्रतिनिधियों की। नामज़द सदस्यों की सभा में सब ३९४ सदस्य हैं जिनमें पन्द्रह तो सम्राट के सगे युवराज हैं। १४ युवराज कुटम्बियों के हैं ३३ मारक्विस, २९ काउंट, ७४ वायकाउंट, ७२ बैरन, १२१ सम्राट द्वारा नियुक्त सदस्य हैं और ४५ प्रतिनिधि उन धनी लोगों के हैं जो सब से अधिक कर देते हैं। सगे युवराज, दूसरे शाहज़ादे और मारक्विस बालिग होते ही पियर सभा के सदस्य अपने आप बन जाते हैं। काउंट, वायकाउंट और बैरन अपने प्रतिनिधि प्रति सातवें वर्ष चुनते हैं इसी प्रकार सब से अधिक कर देने वालों के प्रतिनिधियों का चुनाव भी हर सातवें वर्ष होता है पर महाराजा द्वारा नियुक्त किये गये लोग आजन्म सदस्य रहते हैं।

व्यवस्था सम्बन्धी बातों में डायट की दोनों सभाओं को समान शक्ति और अधिकार मिले हुए हैं। अन्तर केवल यह है कि आय व्यय का लेखा पहिले प्रतिनिधियों की सभा में पेश होता है। इस प्रकार सिद्धान्त में दोनों सभाएँ बराबर अधिकार वाली हैं न कोई छोटी गिनी जाती है न कोई बड़ी। पर कार्य रूप में ऐसा नहीं होता। जहां कहीं दो सभाएं होती हैं वहाँ नियम बनाने के अवसर पर स्वतः एक सभा का अधिकार दूसरे से बढ़ जाता है।

ऊपर से पियर सभा के सदस्यों की स्थिति अधिक प्रबल जान पड़ती है क्योंकि यह सभा कभी भंग नहीं की जाती है। प्रतिनिधियों की सभा विसर्जन कर दी जाती है। पर कार्य रूप में मन्त्रि-मण्डल को प्रतिनिधि-सभा अधिक शक्ति शाली और भयानक जान पड़ती है जिसका शासन करना कठिन हो जाता है वास्तव में बात यह है कि (पियर) उच्च सभा के १२१ सदस्य जिन्हें सम्राट नियुक्त करते हैं अधिकतर भूतपूर्व पदाधिकारी होते हैं और जीवन भर के लिये सदस्य होते हैं। शेष जन्म तथा धन के कारण स्वेच्छाचारी होते हैं जिस से स्वभावतः उनकी सहानुभूति मन्त्री मण्डल से होती है जो प्रतिनिधि सभा पर निर्भर नहीं रहता है। पियर सभा में साधारणतया विशेष दल बन्दी नहीं होती। पर इस सभा के सदस्यों के छः राजनैतिक समूह हैं। पर ये समूह किसी विशेष राजनैतिक सिद्धान्तों या विचारों पर निर्धारित नहीं हैं। आरम्भ में ये सामाजिक न कि राजनैतिक कारणों से अलग बट गये थे।

भारतवर्ष (India)

भारतवर्ष में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की प्रधानता

कम्पनी के शासन को हम चार भागों में बाँट सकते हैं—

१—सन् १६०० में ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी ऐलीज़बेथ के फ़रमान से ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई। इसको दूरस्थ भारतवर्ष और अन्य पूर्वीय देशों मे शासन करना था, इसी कारण इस कम्पनी को कुछ नैयायिक और व्यवस्थापिक अधिकार भी दे दिये गये। उस चार्टर के अनुसार कम्पनी आर्डिनेन्स नियम इत्यादि बना सकती थी (To make, ordain and constitute such a constitution, orders of ordinances as shall seem necessary and convenient for the good govt. of the said company) समय समय पर इन चार्टरों की वृद्धि हुई।

व्यापार निमित्त ईस्ट इंडिया कम्पनी ने समुद्रतटों पर अपने गोदाम घर बनाये। अट्ठारहवीं शताब्दी में स्थिति बदली, मुसलमानों का पतन हुआ, फ्रान्सीसियों से युद्ध में जीत हुई। मरहठों के पड़ोस में रहने के लिये उनके पास दो मार्ग रह गये थे। भारत त्याग या स्वयं आक्रमण करना। उनकी नीति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास के पाठक इससे भली भाँति परिचित होंगे। कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण वाक़े हुये। क्लाइव, लारेंस और कूट ने अपने आतंक से दक्षिणी भारत में सिक्का जमा लिया। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ बिहार और बंगाल के मालिक हो गये। अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुराई के साथ मुग़ल दर्बार के नियमों का उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया। बगुला भगत लोग भारत को अपना माल समझने लगे। सन् १७२६ में मदरास, बम्बई और फोर्ट विलियम में मेयर कोर्टस की स्थापना हुई। यह कोर्ट अंग्रेज़ों के झगड़ों का निपटारा करते थे, साथ में हिन्दुस्तानियों के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। सन् १७६५ में कम्पनी ने शाह आलम से दीवानी का फ़रमान प्राप्त किया। इस फ़रमान के अनुसार कम्पनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का शासन प्राप्त हुआ।

केवल फ़ौजदारी के मुक़दमें मुग़ल बादशाहों का प्रतिनिधि नवाबनिज़ाम तय करता था।

२—१७६५ से १८५८ तक ईस्ट इन्डिया कम्पनी की वृद्धि हुई, उसके राज्य का विस्तार बढ़ा। सन् १८५७ के ग़दर के बाद कम्पनी के शासन का अन्त हुआ, पार्लियामेन्ट ने शासन अपने हाथ में लेलिया।

सन् १७०३ में रेगूलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार कम्पनी को अच्छा शासन करना चाहिये। बंगाल सरकार सर्व प्रधान थी और यह मद्रास, बम्बई की सरकारों का निरीक्षण करती है। बंगाल में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और उसकी सहायता के लिये चार आदमियों की प्रबन्ध कारिणी समिति बनाई गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश था और तीन उसके मातहत। कौन्सिल गवर्नर जनरल के हुक्म का निषेध कर सकती थी। वारन हेस्टिंग्ज को इस प्रकार सदैव दिक़ किया जाता था। शासन सरकार शासन कोर्ट के विरुद्ध भी कुछ नहीं कर सकती थी। सन् १७८१ में इस नीति में संशोधन किया गया।

सन् १७८४ में पिट्स इंडिया एक्ट (Pitts India Act) पास किया गया जिसके अनुसार पार्लियामेन्ट हिंदुस्तान के शासन में भाग लेने लगी। इंगलेंड में छ: आदमियों का बोर्ड बनाया गया। समस्त विषयों का निर्णय केबिनेट बोर्ड के परामर्श से करने लगा।

हर बीस साल बाद कम्पनी को पार्लियामेन्ट से फ़रमान लेना पड़ता था। सन् १८१३ के चार्टर एक्ट के अनुसार क्राउन का कम्पनी की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार घोषित किया गया। सन् १८५७ के ग़दर ने कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया। भारतवासियों को स्वतंत्रता की आशा जाती रही, जंज़ीर में जकड़ दिये गये, अपने ही देश में स्वयं ग़ुलाम बन बैठे, और वह भी मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के हाथों में। इसका मूल कारण है भारतवासियों का फूट-प्रेम।

३—सन् १८५८ में गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया ऐक्ट पास किया गया। भारतवर्ष का राज्य भारत सचिव राजा के नाम से करने लगा। प्रधान मंत्री ही भारत सचिव को अपने दल में से चुनता है। सन् १८५८ से १९१७ तक ब्रिटिश सरकार ही सारा शासन करती थी। भारत सचिव ही सब कुछ बन गया। गवर्नर जनरल को भी उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिये। वह राजा को उच्च पदाधिकारी

नियुक्त करने की सलाह देता है। भारत सचिव की सहायता के लिये दो सहायक सचिव हैं।

भारत सचिव और उसकी कौन्सिल "इण्डिया कौन्सिल" के नाम से प्रसिद्ध है। कौन्सिल के ८ से १२ तक सदस्य होते हैं। यह सदस्य पूर्व के भारतीय पदाधिकारी होते हैं। जो अपने अनुभव के अनुसार सलाह देते हैं। कौन्सिल के मेम्बर पाँच साल के लिये नियुक्त किये जाते हैं। यही कौन्सिल सारा काम करती है।

४—सन् १९१७ में महाशय मांटेगू की अध्यक्षता में एक कमीशन भारतवर्ष में आया जिस ने कि दो वर्ष की मेहनत के बाद अपनी एक शासन सुधार रिपोर्ट पेश की। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक क़ानून बनाया और उसी के अनुसार आजकल भारतवर्ष का शासन हो रहा है। जिसका कि अब हम निरूपण करते हैं।

२—ज़िले का शासन

प्रत्येक प्रांत में कुछ कमिश्नरी हैं और कुछ कमीशनरी में ज़िले। इस परिच्छेद में हम ज़िले का शासन प्रबंध लिखते हैं ब्रिटिश भारत में ज़िलों की कुल संख्या २७७ है। ज़िले छोटे बड़े हैं। सारे ज़िलों को शासन प्रबंध एक सा है—

ज़िला मेजिस्ट्रेट—(District Magistrate) पंजाब के ज़िलों में वह डिप्टी कमिश्नर कहलाता है और अन्य प्रांतों में कलेक्टर कहलाता है (अर्थात् माल गुज़ारी वसूल करने वाला)।

उसके कर्तव्य:—(१) ज़िले की भूमि सम्बंधी मामलों पर विचार करता है। लगान के झगड़े या पृथ्वी के झगड़े जो किसानों और ज़मीदारों में होते हैं उनका निपटारा करता है। अथवा उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रजा सरकार की सेवक बनी रहे।

(२) दुर्भिक्ष के समय तक़ावी के लिये सिफ़ारिश करता है।

(३) ज़िले के कोष को ठीक प्रकार रखने के लिये वह पूर्णतया जिम्मेवार है।

(४) ज़िले के बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियाँ उसके निरीक्षण में रहती हैं।

(५) वह अपराधों के लिये दो वर्ष की क़ैद और १००० रुपया जुर्माना भी कर सकता है।

(६) ज़िले में अमन चैन फैलाने का प्रयत्न करता है। सारी पुलिस उसी के इशारे पर काम करती है।

(७) ज़िले के पब्लिक वर्क्स, जैसे सड़क, पुल, सफ़ाई इत्यादि का वही निश्चय करता है। स्थानीय स्वराज्य के लिये वही सिफ़ारिश भी करता है।

(८) ज़िले के प्रबन्ध की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों को भेजता है, शासन त्रुटियों को दूर करता है।

ज़िले में हर विभाग के लिये अध्यक्ष भी होता है, जैसे स्कूलों का डिप्टी इन्स्पेक्टर, पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट (Police Superintendent) अस्पताल के सिविल सर्जन, जेलों के भी सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं। निर्माण कार्य के लिये एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर (Executive Engineer) और ज़िला जज जो सारे न्याय कार्य करता है।

प्रत्येक ज़िले को कई हिस्से में बाँट कर सब डिवीज़न या तहसील बनती है। तहसीलदार अपनी तहसील के माल व फौजदारी काम के अलावा, म्युनिसिपैलिटियों और बोर्डों में भी काम करते हैं। तहसीलदारों का सब से मुख्य कार्य लगान वसूल करना है। इनके नीचे, नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूनगो, रेवन्यू इन्सपेक्टर आदि होते हैं।

गाँव में लम्बरदार, चौकीदार और पटेल होते हैं जो तहसीलदार को सहायता देते हैं। लम्बरदार गाँव से लगान और कर वसूल करके तहसील में भेजता है। चौकीदार चौकसी करता है। जो कि पुलिस की जीवन, मृत्यु, चोरी, लूट, क़त्ल इत्यादि की आवश्यक सूचना देता है।

पटवारी किसानों व ज़मींदारों के अधिकारों के काग़ज़, खेतों के नक़्शे, खेवट, इत्यादि रखता है और समय समय पर सरकार को सूचना देता रहता है।

३—प्रान्तीय सरकार

(Provincial Governments)

मद्रास प्रान्त के अतिरिक्त समस्त प्रान्तों में चार या पाँच कमिश्नरियाँ होती हैं। इनका अध्यक्ष कमिश्नर कोई विशेष काम नहीं करता वरन् शासकों को चुनौती देता रहता है। ज़िलों की और प्रान्तों की चिट्ठी पत्री कमिश्नर द्वारा होती हैं। कमिश्नर माल के मुक़दमे भी सुनता है। कमिश्नर, अपने विभाग की म्युनिसिपैलिटियों की भी देख भाल करता है।

मालगुज़ारी की देख भाल के लिये कुछ प्रान्तों में अर्थ कमिश्नर और कुछ में

रेवेन्यू बोर्ड होते हैं। यह अर्थ और बोर्ड कमिश्नर कलेक्टर की देखभाल करते हैं। रेवेन्यू के मामलों में कलेक्टर के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं।

प्रान्त दो प्रकार के हैं—९ बड़े प्रान्त हैं और छः छोटे प्रान्त हैं।

बड़े प्रान्त—(१) बङ्गाल, (२) बम्बई, (३) मद्रास, (४) संयुक्त प्रान्त, (५) विहार उड़ीसा, (६) पञ्जाब, (७) वर्मा, (८) मध्य प्रान्त, (९) आसाम।

छोटे प्रान्त—(१) देहली, (२) पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त (N. W. Frontier Provinces), (३) बिलोचिस्तान, (४) अजमेर, (५) कुर्ग, (६) ऐंडमोन निकोबार।

छोटे प्रान्तों का शासन प्रबन्ध चीफ़ कमिश्नर करते हैं जो कि भारत सरकार को उत्तरदायी है और गवर्नर जनरल उनको नियुक्त करता है। कुछ चीफ़ कमिश्नर प्रान्तीय शासन के अतिरिक्त कुछ राज्य प्रबन्ध भी करता है। वह अपने प्रान्त की अन्तर्गत स्टेटस का रेज़ीडेन्ट अथवा एजंट होता है।

छोटे छोटे प्रान्तों के लिये भारतीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून बनाता है, परन्तु कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद् ही नियम बनाती है।

बड़े प्रान्त—गवर्नर प्रान्त का प्रधान अधिकारी होता है, और प्रान्त की सुख शान्ति का उत्तरदाता होता है।

बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर और प्रान्तों से ऊँचे माने जाते हैं। इन प्रान्तों के गवर्नर कोई राजनीतिज्ञ होते हैं जो कि भारत मंत्री की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं, और अन्य प्रान्तों के गवर्नर उच्च सिविल सर्विस के सदस्यों में से गवर्नर जनरल के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं।

गवर्नर अपने प्रान्त का शासन अपनी प्रबन्ध कारिणी सभा और मंत्री मंडल की सहायता से करता है। प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों को सम्राट् नियुक्त करता है और इनकी संख्या दो से चार तक होती है। एक सदस्य को कम से कम बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

मंत्री ग़ैर सरकारी सदस्यों में से गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिनका वेतन कि प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के बराबर होता है, इनका वेतन घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह गवर्नर को परामर्श देते हैं, परन्तु वह उनके निर्णय से बाध्य नहीं है। प्रबन्ध कारिणी और मंत्री मंडल के सदस्यों का मतभेद गवर्नर ही दूर करता है।

सन् १९१९ के शासन सुधार से प्रान्तीय सरकारों को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। व्यवस्थापिका सभायें पूर्व की भाँति अधिकार शून्य नहीं रही हैं। शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं:—(१) रक्षित या 'रिजर्वड' (Reserved) हस्तान्तरित 'ट्रान्सफर्ड' (Transferred), रक्षित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर और उसकी प्रबन्धाकरिणी समिति करती हैं। और हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर और उसके मंत्री करते हैं। यानी सरकार के दो भाग हो गये हैं गवर्नर और उसकी प्रवन्धकारिणी सभा, दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्री। जो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है वही उसका निर्णय करता है।

रक्षित विषयः—(१) आबपाशी व नहर, (२) रेवेन्यू, (३) न्याय विभाग, (४) औद्योगिक विषय जिनमें कारखाने और मज़दूरों की कुशल इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है, (५) रुपया उधार लेना, (६) नये प्रान्तीय कर, (७) समाचार पत्र, (८) पुलिस, (९) बन्दरगाह, (१०) व्यवस्थापिका सभाओं के लिये निर्वाचन की व्यवस्था, (११) भारतीय और अन्य सरकारी नौकरियां, (१२) सरकारी कामों के लिये ज़मीन हासिल करना।

हस्तान्तरित विषय—(१) स्थानीय स्वराज्य, (२) चिकित्सा और स्वास्थ्य, (३) शिक्षा (यूरीपीयन और ऐंग्लो इंडियनों को छोड़ कर), (४) निर्माण कार्य विभाग, (५) कृषी और सहकारी समितियां, (६) जंगल और आबकारी, (७) दस्तावेज़ों का रजिस्ट्री विभाग, (८) धार्मिक और दान देने वाली संसथायें, (९) Adulteration, (१०) नाप तोल (Weights and Measures)

रक्षित और हस्तान्तरित विषयों का निर्णय गवर्नर करता है। जो विषय दोनों विभागों में आते हैं तो ऐसी स्थिति में गवर्नर दोनों विभागों से परामर्श लेता है। हस्तान्तरित विषय भारत मंत्री की आज्ञा लिये बिना रक्षित नहीं बनाया जा सकता।

प्रत्येक मंत्री तथा प्रबन्ध कारिणी सभा के सदस्य की सहायता के लिये एक सेक्रेटरी रहता है। मंत्रियों के सेक्रेटरी प्रायः कौन्सिल के सदस्य होते हैं इसलिये सभा के प्रति उत्तरदायी हैं।

प्रान्तीय सरकार को कुछ केन्द्रीय विषयों का भी पालन करना पड़ता है। हस्तान्तरित विषयों में भारत सरकार का नियन्त्रण कम है। ऋण और वेतन भोगियों में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। पद सृष्टि या वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को भारत मंत्री से परामर्श लेनी पड़ती है।

४—प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्

(Legislative Councils)

प्रत्येक प्रान्त में क़ानून बनाने के लिये व्यवस्थापक परिषद् है। कुर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी छोटे प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद् नहीं है।

परिषद् की कार्य काल अवधि तीन वर्ष की होती है। गवर्नर यदि चाहें तो अवधि को घटा बढ़ा सकता है। परिषद् में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं—प्रबन्ध-कारिणी के सदस्य, नामज़द अथवा निर्वाचित। सुधार एक्ट के अनुसार २० प्रति-शत से अधिक सरकारी और ७० फ़ीसदी से कम निर्वाचित सदस्य नहीं होते।

उम्मेदवारों की अवस्था पचीस वर्ष की होती है, और निर्वाचन के समय २५०) रु० की ज़मानत दाख़िल करनी पड़ती है।

निर्वाचक संघ दो प्रकार के हैं—(१) साधारण निर्वाचक संघ, जाति गत निर्वाचन संघों में विभाजित किये गये हैं।

(२) विशेष निर्वाचक संघों में विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, ज़मींदार और कामर्स सभा के प्रतिनिधि।

निर्वाचक की योग्यतायें—(Qualifications for voters) साधा-रण संघों में निर्वाचकों की योग्यतायें—(१) जो संघ क्षेत्र में रहते हों और उनके मकान का किराया ३) मासिक हो।

या २—शहर में रहने वाले २००) रु० आय पर कर देते हों।

या ३—जो भारत सरकार को आय-कर देते हैं।

या ४—जो लोग ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी आय निर्धारित रक़म या उससे अधिक हो। (हमारे प्रान्त में २५) वार्षिक मालगुज़ारी देनेवालों को मताधिकार है)।

या ५—जिनके अधिक में निर्धारित आय या उससे अधिकार की ज़मीन हो (हमारे प्रान्त में ५०) रु० का वार्षिक लगान देने वालों को मताधिकार प्राप्त है)।

या ६—जिनको पेंशन मिल रही हो।

विशेष निर्वाचक संघ—जो विश्व विद्यालय के कोर्ट या सिनेट के मेम्बर हों। या बी० ए० की परीक्षा पास किये हुए सात साल व्यतीत हो गये हों और एम० ए० की परीक्षा पास किये हुए एक साल व्यतीत हुआ हो।

हमारे प्रान्त में वह व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो अवध के ब्रिटिश इंडिया ऐसोसियेशन के सदस्य हों या ५००० रु० की वार्षिक मालगुज़ारी देते हों। कानपुर की कामर्स चेम्बर वाले भी अपने कुछ प्रतिनिधि भेजते हैं।

निर्वाचक संघ मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम संघों में विभाजित हैं।

परिषद् अपना सभापति और उप सभापति स्वयं नियुक्त करती है। और उनका वेतन भी नियुक्त करती है। परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित होने पर राज-भक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। परिषद् कुछ विषयों पर निर्णय नहीं कर सकती, उनका अंतिम निर्णय गवर्नर को है। कुछ महत्व पूर्ण विषयों पर विवाद करने के लिये परिषद् के अधिवेशन को स्थगित किया जा सकता है।

परिषद् अपने प्रान्त की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध के लिये क़ानून बना सकती हैं। यह भारत सरकार या प्रान्तीय संस्थाओं के बनाये हुये क़ानून में भी संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट के नियमों में परिषद् कुछ हस्तक्षेप नहीं करती। क़ानून बनाने से पूर्व या उन पर विचार करने से पूर्व गवर्नर की परामर्श लेनी पड़ती है।

सदस्य अपने प्रान्त के सम्बन्ध में सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकते हैं, अदालत में पेश होने वाले, देशी रियासत या विदेश से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। प्रश्न पूछने से पहले सूचना देनी चाहिये और सरकारी मेम्बर उनका उत्तर देते हैं। (Supplementary) अर्थात् 'पूरक' प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

सदस्य सूचना देकर अपने प्रान्त सम्बन्धी प्रस्ताव कर सकते हैं। यह प्रस्ताव सिफ़ारिश के रूप में होते हैं। परिषद् में पास हो जाने के उपरान्त प्रस्ताव गवर्नर के पास जाता है, वह चाहे तो पास कर दे या रद्द कर दे। (रियासतों या विदेशों से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव परिषद् में नहीं रक्खे जा सकते)।

सरकारी या ग़ैर सरकारी सदस्य सूचना देकर बिल पेश कर सकता है। उस विषय से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी सदस्य अपने प्रस्ताव पेश कर सकता है— हस्तान्तरिक विषयों के मसविदे मंत्रियों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। ग़ैर सरकारी सदस्यों को अपने प्रस्तावों की सूचना पहले से देनी पड़ती है। परिषद् यदि विचार करना चाहे तो बिल को एक छोटी कमेटी के पास भेजती है। प्रस्ताव से सम्बन्ध रखने वाला सरकारी सदस्य इसका सभापति होता है। रिपोर्ट सभा में पेश की जाती है, पूरे मसविदे पर बहस होता है। पास हो जाने के बाद गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर एक्ट बन जाता है अन्यथा नहीं।

गवर्नर—उसके अधिकार—गवर्नर परिषद् के अधिवेशन के लिये समय और स्थान नियत करता है। परिषद् के सम्मुख भाषण करने के लिये सदस्यों को बुला सकता है। वह परिषद् की अवधि घटा सकता है और एक साल के लिये बढ़ा सकता है। वह परिषद् के पास किये हुये मसविदे को रद्द कर सकता है। मसविदे पर विचार होने से भी रोक सकता है, अथवा उसके किसी अंश को भी मसविदे से निकाल सकता है—यदि वह यह समझे कि यह उसके प्रान्त की शान्ति में बाधक होगी।

प्रान्त की शान्ति के लिये वह मसविदे पेश भी कर सकता है—(He can certify laws) यह मसविदे परिषद् को पास करने पड़ते हैं—अन्यथा वह स्वयं उसको बिना परिषद् की स्वीकृति के कार्यान्वित कर सकता है।

प्रान्तीय बजट—प्रान्तीय सरकार मार्च मास में परिषद् में आयव्यय अनुमान पत्र उपस्थित करती है। बजट तय्यार करने में रक्षित विषयों के सम्बन्ध में प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों की और हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में मन्त्रियों की सलाह ली जाती है। परिषद् किसी मद को कम कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है—परन्तु ऋण, ब्याज, और अधिकारियों के वेतन में परिषद् मत नहीं दे सकती। परिषद् आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में भी जिनको कि गवर्नर ने पास कर दिया हो मत प्रकट नहीं कर सकती।

प्रान्त की रक्षा के लिये गवर्नर स्वयं कुछ व्यय कर सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि गवर्नर बजट के विषयों में भी सर्वोपरि है। उसको गवर्नर जनरल और भारत-मन्त्री के आदेशानुसार काम करना होता है।

५—भारत सरकार

(Government of India)

भारत सरकार का अर्थ है कौन्सिल-युक्त गवर्नर जनरल (Governor General in Council)। (कौन्सिल का अर्थ है उसकी प्रबन्ध कारिणी सभा और न कि व्यवस्थापक सभा)।

गवर्नर-जनरल या वाइसराय—यह भारत सरकार का सबसे उच्च पदाधिकारी है। यह प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है और प्रान्तों के गवर्नरों के ऊपर होने के कारण वह गवर्नर जनरल कहलाता है। वह सम्राट का प्रतिनिधि

बनकर देशी रियासतों में जाता है, दरबार करता है, इसलिये वाइसराय कहलाता है। उसकी अवधि पाँच साल की होती है। और किसी लार्ड की उपाधि वाले व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। यदि किसी वाइसराय बनने वाले व्यक्ति को लार्ड की उपाधि प्राप्त न होवे तो वह लार्ड बना दिया जाता है (हमारे भूतपूर्व वाइसराय लार्ड इरविन को 'लार्ड' की उपाधि प्राप्त न थी)।

प्रबन्ध कारिणी की अनुपस्थिति में वह पदाधिकारियों और प्रान्तीय सरकार को आज्ञा भेज सकता है। ब्रिटिश भारत में शान्ति स्थापित करने के लिये छः महीने के लिये 'आर्डिनेन्स' (Ordinance) निकाल सकता है। (हमारे दुःखी भारतवासी इन आर्डिनेन्सों से बहुत सताये गये हैं, इनको वह कभी नहीं भूल सकते)। वह अपराधियों को क्षमा कर सकता है। उसको प्रबन्ध कारिणी सभा, भारतीय व्यवस्थापिका सभा और राज्य परिषद् सम्बन्धी, प्रान्तीय सरकार और उनकी व्यवस्थापिका सभा अथवा नरेन्द्र मंडल सम्बन्धी विविध अधिकार हैं।

प्रबन्ध कारिणी सभा—इसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त छः सदस्य और हैं। इनमें से तीन सदस्यों को दस वर्ष का अनुभव होना चाहिये। ला मेम्बर को दस वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील होना आवश्यक है। यह सदस्य पाँच वर्ष के लिये सम्राट की अनुमति से नियुक्त किये जाते हैं।

भारत सरकार सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं—(१) केन्द्रीय और प्रान्तीय मुख्य केन्द्रीय विषय निम्नलिखित हैं।—

(१) देश रक्षा, (२) विदेश सम्बन्ध—देशी रियासतें भी इसी में आ जाती हैं, (३) ख़र्च, (४) बन्दरगाह, (५) डाक, तार, रेल इत्यादि, (६) कर, (७) टक्साल और करेंसी नोट्स इत्यादि, (८) भारतीय ऋण, (९) सेविंग बेंक, (१०) भारतीय हिसाब की जाँच का विभाग (Indian audition office), (११) कामर्स और बीमा, (१२) अफ़ीम आदि पदार्थों की पैदावार, (१३) पुलिस और हथियार, (१४) मनुष्य गणना (Census), (१५) भारतीय नौकरियाँ और (१६) प्रान्तों की सीमा।

भारत सरकार के निम्नलिखित ८ विभाग हैं:—

१—अर्थ या 'फ़ाइनेन्स' (Finance)—यह विभाग बजट बनाता है, आय-व्यय का हिसाब रखता है। टक्साल तथा डाक तार का भी प्रबन्ध करता है।

२—स्वदेश 'या होम' (Home)—यह देश के भीतरी शासन का निरीक्षण

करता है। सिविल और मेडिकल सर्विस, क़ानून, व्यय, जेल, काला पानी, ईसाई धर्म, अथवा पुलिस कर्म-चारियों की संख्या ठहराता है।

(३) क़ानून या 'ला' (Law)—क़ानूनी विषयों में परामर्श देता है।

(४) उद्योग तथा श्रम (Labour and Industry)

(५) शिक्षा, स्वास्थ्य या भूमि (Education, Health and Lands)

(६) रेल और कामर्स (Railways and Commerce)

(७) विदेश (Foreign) यह एशिया के स्वाधीन राज्यों, देशी रियासतों, सीमान्त प्रदेशों से सम्बन्ध, उपाधि, विदेशी वाणिज्य, दूतों का स्वागत आदि का प्रबन्ध करता है।

(८) सेना (Army) विभाग।

प्रथम छः विभागों के सदस्य प्रबन्ध कारिणी के सदस्य होते हैं। विदेश विभाग गवर्नर जनरल के अधीन है, और सेना विभाग कमांडर-इन-चीफ़ के अधीन है।

डाइरेक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर-जनरल प्रान्तीय सरकार के विविध विभागों की देख भाल करता है।

प्रबन्ध कारिणी सभा का अधिवेशन प्रति सप्ताह होता है, गवर्नर जनरल या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य सभापति बनता है। निर्णय उन्हीं विषयों पर होता है जो गवर्नर जनरल पेश करता है या सदस्य पेश करते हैं। गवर्नर-जनरल प्रबन्धकारिणी सभा के निर्णय से बाध्य नहीं है। (अन्तिम बार लार्ड रिपन ने प्रबन्धकारिणी की अनुमति के विरुद्ध काम किया था)।

भारत सरकार अपने कार्यों के लिये ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तर दायी है, न कि भारतीय जनता के प्रति। यदि प्रबन्धकारिणी के सदस्य इंगलैंड की सरकार से सहमत न होवें तो त्याग-पत्र देना होगा। उत्तराधिकारियों को ब्रिटिश सरकार की आज्ञानुसार काम करना पड़ता है।

सारा काम भारत मंत्री के आदेशानुसार होता है।

६—भारतीय धारा सभायें

(Legislative Assembly and The Council of State)

भारतीय व्यवस्थापक सभा (Legislative Assembly) और राज्य परिषद् को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक मंडल (Indian legislature) बनता है।

दोनों सभाओं के स्वीकृत कर देने पर ही नियम पास हो सकते हैं। सरकारी नोकर निर्वाचित नहीं हो सकते। गवर्नर जनरल की कौन्सिल के सदस्य किसी एक सभा के सदस्य होते हैं।

व्यवस्थापिका सभा—इस सभा में १४५ सदस्य होते हैं, ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। कम से कम ५/७ सदस्य अवश्य निर्वाचित होने चाहिये। नामज़द में कम से कम १/३ ग़ैर सरकारी होने चाहिये। सभा की आयु तीन वर्ष है। परन्तु गवर्नर जनरल इसकी अवधि घटा बढ़ा सकता है।

भारतीय व्यवस्थापिका सभा के लिये भी मुसलमानी, ग़ैर-मुसलमानी, सिख, यूरोपियन, जमींदार, व्यापार के निर्वाचन संघ हैं। निर्वाचक होने के लिये सम्पत्ति योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न है।

सभा अपना सभापति और उप-सभापति चुनती है, और गवर्नर जनरल अपनी सम्मति देता है। सभा ही इनका वेतन स्वीकृत करती है।

राज्य परिषद् में ६० सदस्य होते हैं—३४ निर्वाचित और २६ नामज़द। नामज़द में २० से अधिक अधिकारी नहीं हो सकते। सभापति को गवर्नर जनरल स्वयं नियुक्त करता है। परिषद् का निर्वाचन पाँच साल के लिये होता है। भिन्न भिन्न प्रान्तों में आय-कर या ज़मीन लगान अलग अलग है। संयुक्त प्रान्त में १००००) रु० पर आयकर देने वाले वोट दे सकते हैं। हमारे प्रान्त में ५०००) रु० सालाना लगान देने वालों को मताधिकार है। सारांश यह है कि इस परिषद् के लिये बड़े बड़े ज़मींदार और पूँजीपति निर्वाचित होते हैं।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल स्वतंत्रता पूर्वक क़ानून नहीं बना सकता। यह उन्हीं विषयों पर क़ानून बना सकता है जिन पर कि इसको पार्लियामेन्ट से अधिकार प्राप्त हों। यह शासन पद्धति इत्यादि में संशोधन नहीं कर सकता।

सभा की बैठक आम तौर से ११ बजे से शाम के पांच बजे तक होती है। आरम्भ में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। कुछ दिन ग़ैरसरकारी प्रस्तावों पर विचार होता है, शेष दिन सरकारी प्रस्तावों पर। सेक्रेटरी ऐसेम्बली के लिये ऐजेंडा तय्यार करता है। नवीन विषयों पर विचार करने के लिये सभापति आज्ञा देता है। राज्य परिषद् में १५ सदस्यों की उपस्थिति से और व्यवस्थापिका सभा में २५ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। अंग्रेज़ी भाषा न जानने वाले सदस्य हिन्दी में भाषण कर सकते हैं।

प्रश्न पूछने की सूचना दस दिन पहले देनी चाहिये। सभापति चाहें तो प्रश्न पूछने की अनुमति न दे।

व्यवस्थापक मंडल के प्रस्तावों से भारत सरकार बाध्य नहीं है। प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश के रूप में होते हैं। विदेशी या देशी राज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश नहीं किये जा सकते। जिन बातों का मुक़दमा अदालत में हो रहा हो उन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव भी पेश नहीं किये जा सकते। कुछ विषयों पर प्रस्ताव पेश करने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। गवर्नर यदि चाहे तो प्रस्ताव के किसी अंग को या प्रस्ताव को ही निषेध कर सकता है।

राज्य परिषद् में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं—(१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिये सभा को मुल्तवी करना, (२) या भारत सरकार से किसी बात के लिये सिफ़ारिश करना। प्रथम प्रकार के प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के बाद सेक्रेटरी को सूचना देकर उपस्थित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिये १५ दिन की सूचना देना आवश्यक है। सभापति के निर्णय से ही प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है।

सदस्य अपने प्रस्ताव (यदि आवश्यक हो तो गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करके) नियमित सूचना देने के उपरान्त सभा में पेश करते हैं। प्रस्ताव के सिद्धान्तों पर विवाद हो चुकने के बाद यह प्रस्ताव तीन आदमियों की एक कमेटी को रिपोर्ट निमित्त सौंपा जाता है। तत् पश्चात पूरे प्रस्ताव के सारे हिस्सों पर विवाद होता है और पास होते हैं। तदुपरान्त यह प्रस्ताव दूसरी सभा में भेजा जाता है और उसके बाद गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तब यह प्रस्ताव क़ानून का वेश धारण करता है। यदि दूसरी सभा संशोधन करे तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा को विचारार्थ लौटाया जाता है। व्यवस्थापिका सभा यदि संशोधनों को न माने तो राज्य परिषद् या तो मसविदे का निषेध कर देती है या गवर्नर जनरल के पास भेजती है। गवर्नर जनरल यदि चाहे तो दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक कर सकता है, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा वही पास किये जायेंगे। अभी तक दोनों सभाओं की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई है।

गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आमंत्रित करके भाषण कर सकता है। कुछ प्रस्ताव बिना उसकी अनुमति के सभा में पेश नहीं हो सकते। दोनों सभाओं में भी पास हो जाने पर उसकी स्वीकृति बिना प्रस्ताव

कार्यान्वित नहीं हो सकते। दोनों सभाओं की अवहेलना करके गवर्नर जनरल देश की शान्ति के लिये प्रस्तावों को सभा में विचारार्थ ज़बरदस्ती पेश कर सकता है (He can certify laws) और सभा पास करे या न करे मसविदा क़ानून बन जाता है।

भारतीय बजट प्रति वर्ष व्यवस्थापिका सभा के सामने रक्खा जाता है। गवर्नर जनरल की सिफ़ारिश से ही किसी काम में रुपया लगाया जा सकता है। कुछ विषयों पर व्यवस्थापिका सभा न तो वोट दे सकती है और न वादानुवाद कर सकती है—उदाहरणार्थ—ऋण का सूद; जो ख़र्च नियम द्वारा निर्धारित हो; सम्राट या भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन; धार्मिक, राजनैतिक रक्षा इत्यादि के ख़र्च।

इन प्रस्तावों को छोड़ कर अन्य प्रसताव व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख, माँग के स्वरूप में रक्खे जाते हैं। सभा इनको अस्वीकार कर सकती है और गवर्नर जनरल चाहे तो उनकी अस्वीकृति को रद्द कर सकता है।

७—भारतमंत्री और उसकी सभा

(Secretary of State for India)

पार्लियामेन्ट भारतवर्ष का निरीक्षण भारत मंत्री और उसकी कौन्सिल द्वारा करती है।

भारत मंत्री के दो सहायक मंत्री होते हैं—एक स्थायी और दूसरी उस सभा का सदस्य जिसका कि भारत मंत्री सदस्य न होवे। उसके दफ़्तर को 'इंडिया आफ़िस' (India Office) कहते हैं।

प्रधान मंत्री की परामर्श से सम्राट उसको नियुक्त करता है। राजनैतिक दल का होने के कारण उसका पद स्थायी नहीं है। पार्लियामेन्ट के अधिवेशन के २८ दिन के बाद वह भारतवर्ष की आय व्यय की रिपोर्ट पार्लियामेन्ट के सामने पेश करता है। और साथ में गत वर्ष की रिपोर्ट भी देता है। हाउस आफ़ कामन्स की एक कमेटी इस पर निर्णय करती है और भारत मंत्री सारी बातों को समझाता है। पार्लियामेन्ट के सदस्य भी बहस कर सकते हैं। भारत-मंत्री पार्लियामेन्ट को भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देता रहता है। सम्राट भारत मंत्री द्वारा भारतीय क़ानूनों को रद्द कर सकता है। बड़े कर्मचारियों की नियुक्त के लिये सम्राट को सम्मति भी देता है।

भारतीय शासन के लिये भारत मंत्री पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय व्यवस्था के निरीक्षण और नियन्त्रण सम्बन्धी नियम बना सकता है। प्रान्तों के हस्तान्तरित विषयों के नियम बना कर पार्लियामेन्ट की दोनों सभाओं में पेश करता है। रक्षित विषयों के नियम उसे पहले पार्लियामेन्ट की दोनों सभाओं में पेश कर के स्वीकार कराने पड़ते हैं।

इन्डिया कौन्सिल भारत-मंत्री की सहायता व परामर्श देने के लिये है। इसकी बैठक प्रति मास होती है। भारतमंत्री या उसका सहकारी इसका सभापति बनता है। सदस्यों को भारत मंत्री-स्वयं नियुक्त करता है। विशेष समयों में वह कौन्सिल के बहुमत के बिना भी काम कर सकता है।

इन्डिया कौन्सिल की कई समितियाँ बनाई जा सकती हैं जो कि भिन्न भिन्न विभागों का काम करती हैं। कौन्सिल-युक्त भारत मंत्री ही वास्तव में भारतीय या प्रान्तीय सरकार से पत्र व्यवहार करता है।

इस कौन्सिल में ८ से १२ तक सदस्य होते हैं। आधे सदस्य भारतवर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं जिन्हें नोकरी छोड़े पाँच वर्ष से अधिक व्यतीत न हुये हों। सदस्य पाँच वर्ष के लिये चुने जाते हैं। तीन सदस्य भारतवासी होते हैं प्रत्येक सदस्य को १५००) रु० मासिक वेतन मिलता है। भारतीय सदस्यों को इसके अलावा ७५०) रु० भत्ते के मिलते हैं। कुछ ख़र्च अंग्रेज़ी कोष सहता है।

सदस्य भारत मंत्री को केवल अपनी सम्मति प्रकट कर सकते हैं। उनकी सम्मति को ठुकराया जा सकता है। सदस्य पार्लियामेन्ट में नहीं बैठ सकते, मगर पार्लियामेन्ट ही इनको पदच्युत कर सकती है।

हाई कमिश्नर पाँच वर्ष के लिये नियुक्त होता है, उसका वार्षिक वेतन ३००० पौंड है जिसका भार भारतीय कोष को सहना पड़ता है। यह गवर्नर जनरल और उसकी कौन्सिल के अधीन है। इसका काम है ठेके देना, इण्डिया आफ़िस का स्टोर्स विभाग और उसका हिसाब रखना, भारतीय विद्यार्थियों और तिजारत की देख भाल।

८—देशी रियासतें

(Native States of India)

रियासतों के अन्दरूनी मामलों में भारतीय सरकार दख़ल नहीं दे सकती। कुछ रियासतें बहुत बड़ी हैं। और विस्तार में प्रान्तों के बराबर हैं। कुल रियासतें

५६२ हैं जिनकी तीन श्रेणियाँ हैं।

१—ऊँचे दर्जे की रियासतें—जिनमें भारत सरकार का एक रेज़ीडेन्ट रहता है और भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। ये रियासतें हैदराबाद, मेसूर, बड़ोदा, काशमीर, ग्वालियर और सिकिम की हैं।

२—दूसरी श्रेणी में उन रियासतों का समूह है जो आस पास बसी हुई हैं। इनमें वाइसराय का एक एजेंट रहता है, और ये 'ऐजंसी' कहलाती हैं—ये हैं राजपूताना, मध्य भारत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान ऐजंसियाँ।

३—तीसरी श्रेणी में इधर उधर की छोटी छोटी रियासतें हैं। ये प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं, कुछ में पोलिटिकल अफ़सर रहते हैं और कुछ की देख भाल निकटवर्ती ज़िलों के कलेक्टर करते हैं।

देशी रियासतों पर ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता। परन्तु देशी रियासतों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर या जहाँ पर बहुत से अंग्रेज़ रहते हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी सरकार का क़ानून ही लागू होता है। देशी रियासत की प्रजा अपनी रियासत की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा ही की तरह मानी जाती है। परन्तु ब्रिटिश भारत का भागा हुआ मनुष्य रियासत से पकड़वा कर बुलवाया जा सकता है।

नरेश अपनी प्रजा से कर लेते हैं और दीवानी व फ़ौजदारी के मुक़दमों को करते हैं। कुछ नरेश रियासत में आने वाले सामान पर चुंगी लेते हैं, कुल अपने रुपये भी ढालते हैं, परन्तु सब में अंग्रेज़ी रुपया चालू है।

भारतीय सरकार का विदेश भाग रियासतों की देख भाल करता है। भारतीय सरकार रियासतों की रक्षा तब तक करती है और इनका अस्तित्व तब तक बनाये रखती है जब तक कि यह राजभक्त बनी रहे और सन्धियों का पालन करती रहें। नरेश अपनी रियासत का शासन करने में स्वतंत्र हैं, परन्तु भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और नरेश इस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। भारत सरकार किसी को उतार सकती है और उसके निकटतम सम्बन्धी को गद्दी सौंप सकती है। नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है। (सन् १८४९ में लार्ड डलहौज़ी (Dalhousie) ने यह नियम पास किया था कि जिस नरेश के बच्चा न होगा वह गोद नहीं ले सकता और उसकी रियासत अंग्रेज़ी राज्य में मिला ली जायगी) यदि नया राजकुमार अल्पावस्था का हो तो सरकार स्वयं रियासत का शासन करती है। बिना सरकार की आज्ञा के रियासतें न परस्पर सम्बन्ध

रख सकती हैं और न किसी विदेशी को नौकर रख सकती हैं। इनको सरकार की सहायता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती है। किसी पर चढ़ाई वगैरह नहीं कर सकती हैं।

किसी रियासत का दूसरी रियासत से मतभेद होने पर या किसी रियासत का प्रान्तीय सरकार से मतभेद होने पर और या भारत सरकार किसी रियासत से असन्तुष्ट होवे तो वाइसराय एक जाँच कमीशन नियुक्त कर सकता है। इस कमीशन की रिपोर्ट यदि वाइसराय को पसन्द न आवे तो भारत मंत्री इसको झगड़े को तय करता है। किसी रियासत के शासक को या उसके उत्तराधिकारी को पदच्युत करना हो तो भी एक जाँच कमीशन नियुक्त होता है।

नरेन्द्र मंडल (Chamber of Princes)—पूर्व में भारत सरकार रियासतों के सम्मेलन को नहीं चाहती थी और न यह चाहती थी कि वह परस्पर परामर्श कर सकें। अब यह विदित हो गया है कि भारतीय सरकार और नरेशों की परस्पर परामर्श से बहुत सी बातों का अन्त हो सकता है। नरेशों के संगठन की आवश्यकता पड़ी जिससे कि वह अपनी सम्मति प्रदान कर सकें। ८ फ़र्वरी १९२१ को नरेन्द्र मंडल की स्थापना की गई।

१०८ बड़ी बड़ी रियासतों के नरेन्द्र स्वयं मंडल में आकर उसके कार्यक्रम में भाग लेते हैं। १२७ रियासतें १२ प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती हैं। वाइसराय स्वयं इनका सभापति होता है। प्रति वर्ष मंडल के सदस्यों में से चांसलर और प्रो-चांसलर चुने जाते हैं। चेम्बर केवल विवाद करती है और परामर्श देती है।

चेम्बर में रियासतों की सन्धि या भीतरी मामलों के सम्बन्ध में, या उनके अधिकार के विषय में या उनके ख़ानदान के सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता।

चेम्बर के प्रस्ताव किसी प्रकार किसी रियासत को हानि नहीं पहुँचा सकते या वाइसराय और गवर्नर जनरल से उनके सम्बन्ध तोड़ सकती है।

मंडल की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, वाइसराय का भाषण तक प्रकाशित नहीं होता।

९—न्याय-विभाग—हाई कोर्ट

(High Courts of India)

पहले पहल भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के झगड़ों का निपटारा करने के लिये 'इंगलिश कोर्टस' (English Courts) थे। सन् १७२६ में मद्रास बम्बई और फ़ोर्ट

विलियम में मेयर (Mayor) कोर्ट की स्थापना हुई। गवर्नर इन अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनता था। यह अदालतें अंग्रेज़ों के अधीनस्थ निवासियों के मुक़दमे फ़ैसल करती थीं। भारतवासी इन अदालतों के फ़ैसलों से संतुष्ट होकर अपने मुक़दमे इन अदालतों के पास ले जाने लगे। सन् १७६५ में दीवानी मिल जाने के बाद प्रत्येक प्रांत में ज़िला फौज़दारी अदालत और ज़िला दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। उनकी निगरानी के लिये सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत बनाई गई।

सन् १७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट पास हो जाने से कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सन् १७९७ में मद्रास और बम्बई के मेयर कोर्ट में एक रेकार्डर और नियुक्त किया गया और उनका नाम रेकार्डर कोर्ट (Recorder's Court) रक्खा गया। सन् १८०१ में मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।

सन् १८५७ के ग़दर के बाद सुप्रीम कोर्ट को और दो सदर अदालतों को मिलाने की आवश्यकता पड़ी। सन् १८६१ में 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट' पास हुआ जिसके बाद लेटर्स पेटेन्ट (Letters Patent) से कलकत्ते बम्बई, और मद्रास के हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इन हाई कोर्टों को अपने प्रान्त पर समस्त अधिकार हैं।

आजकल भारतवर्ष में बादशाह के लेटर्स पेटेन्ट द्वारा स्थापित किये हुये सात हाईकोर्ट हैं। सम्राट अन्य हाईकोर्टों की भी स्थापना कर सकता है। गवर्नर चाहें तो किसी हाईकोर्ट के निरीक्षण क्षेत्र की सीमा को घटा सकता है, परन्तु सम्राट इस परिवर्तन को रद्द कर सकता है। हर हाईकोर्ट में एक प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice) और आवश्यकतानुसार सहकारी न्यायाधीश (Puisne judges) रहते हैं। बीस से अधिक न्यायाधीश नहीं नियुक्त किये जा सकते। उनको कार्य काल अवधि राजा पर निर्भर है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ काल के लिये गवर्नर जनरल न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।

कौन न्यायाधीश हो सकता है :—

अ—जो इंगलैंड, आयलैंड का बेरिस्टर रहा हो और स्काटलेंड के फ़ेकल्टी आफ़ ऐडवोकेट्स (Faculty of Advocates) का मेम्बर हो और कम से कम पाँच साल तक प्रेक्टिस की हो।

ब—इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य जिसको कि दस वर्ष का अनुभव हो और कम से कम तीन साल तक ज़िले का न्यायाधीश रहा हो।

स—जो व्यक्ति कम से कम पाँच साल के लिये सबोर्डिनेट जज या जज स्माल काज़ कोर्ट (Small Cause Court) रहा हो वह भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है।

द—जिसने हाईकोर्ट में कम से कम दस वर्ष वकालात की हो।

कम से कम $\frac{1}{3}$ न्यायाधीश 'एडिशनल न्यायाधीशों' को छोड़ कर प्रथम श्रेणी में से होने चाहिये और कम से कम $\frac{1}{3}$ इन्डियन सिविल सर्विस में से होने चाहिये। हर हाईकोर्ट का कार्य-क्षेत्र लेटर्स पेटन्ट में स्पष्टतया बता दिया गया है। हाईकोर्ट की सारी कार्यवाही का रेकार्ड पार्चमेन्ट पेपर पर रक्खा जाता है—इस लिये यह 'रेकार्ड कोर्ट' (Courts of Records) भी कहलाते हैं।

रेवेन्यू के मामलों में हाईकोर्ट को (Original) अधिकार नहीं हैं।

हाईकोर्ट सारी आदलतों को निगरानी में रखती है। और उनके फैसलों की अपील सुनती है।

अ— (Call for returns)

ब—एक अदालत से दूसरी अदालतों को मुक़दमे की तबदीली करना।

स—कोर्टस के कार्यक्रम के लिये नियम निर्माण करना।

ड—उनकी किताबों की और रेकार्ड की पुस्तकों के फ़ार्म ठीक करना।

इ—वकील बैरिस्टर, मुहर्रिर और अन्य पदाधिकारियों की फ़ीस निश्चित करना।

गवर्नर जनरल, प्रत्येक गवर्नर, प्रधान कमिशनर गवर्नर जनरल और गवर्नरों की प्रबन्धकारिणी सभाओं के सदस्य और मंत्रीगण।

A—न तो हाईकोर्ट की किसी बात के अधीन है।

B—न हाईकोर्ट ख़ुद उनको गिरफ़्तार कर सकती है।

C—कोई फ़ौजदारी का जुर्म इन पर नहीं लग सकता—यदि यह राजद्रोह का न हो या कोई घोर अपराध (Felony) न हो।

प्रीवी कौन्सिल

(Privy Council)

सम्राट की गुप्त सभा इंडिया के अपीलों की उच्चतम संस्था है। उसका निर्णय अन्तिम है। सम्राट न्यायश्रोत है और साम्राज्य के मुक़दमे सुन सकता है।

इसी कारण मुक़दमे उसके पास जाते हैं।

सम्राट से जो अपील होती है उनको गुप्त सभा की न्याय समिति ही सुनती है। न्याय समिति की स्थापना पूरी एक शताब्दी हुई सन् १८३३ में हुई थी। कमेटी में लार्ड चांसलर, लार्ड प्रेज़ीडेन्ट अन्य सदस्य, अथवा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। सन् १९१५ के बाद उपनिवेशों के सुप्रीमकोर्ट के और भारतवर्ष के हाईकोर्टों के न्यायाधीश भी प्रीवी कौन्सिल के सदस्य बनाये जा सकते हैं। सन् १९२९ में भारतवर्ष की अपील सुनने के लिये दो Additional Judges नियुक्त किये गये हैं।

प्रीवी कौन्सिल में फ़ौजदारी के मुक़दमों की अपील नहीं सुनी जाती है, परन्तु विशेष अवस्थाओं में फ़ौजदारी के मुक़दमें भी जा सकते हैं। फ़ौजदारी के मुक़दमों में तो प्रीवी कौन्सिल जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उसको इस बात का ठीक तरह से ज्ञान न हो जाय कि कार्यवाही में बेईमानी और नाइन्साफ़ी इत्यादि हो रही है।

१०—स्थानीय स्वराज्य

जनता को अपने नगर, व गाँव के सम्बन्ध में कुछ अधिकार मिल गये हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसी को स्थानीय स्वराज्य कहते हैं। स्थानीय स्वराज्य की मुख्य संस्थायें तीन हैं।

१—म्युनिसिपैलिटियाँ।

२—ज़िला बोर्ड।

३—पंचायतें।

A—म्युनिसिपैलिटियाँ

(Municipalities)

म्युनिसिपैलिटियों का कार्य क्षेत्र नगर या शहर है। इनके दो उद्देश्य हैं नगर का सुधार करना अथवा जनता को नागरिक शिक्षा देना।

ब्रिटिश भारत में सब मिलाकर साढ़े सात सौ म्युनिसिपैलिटियाँ हैं। ७० म्यूनिसिपैलिटियाँ ५०,००० से अधिक जन संख्या की प्रतिनिधि है। प्रारम्भ में केवल कलकत्ते, बम्बई और मद्रास में ही म्युनिसिपैलिटियाँ थीं। सन् १८८४ में लार्ड रिपन ने इनके अधिकार बढ़ा दिये। इस समय से जनता इनमें ज़्यादह भाग लेने लगी है।

प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी की सीमा निश्चित है। ¾ सदस्यों को जनता निर्वाचित करती है और ¼ नामज़द रहते हैं। अपनी पहली बैठक में म्यूनिसिपेलिटी एक सभापति या 'चेयरमेन' (Chairman) चुनती है। चेयरमेन ग़ैर-सदस्यों में से भी चुना जा सकता है, परन्तु उप सभापति सदस्यों में से ही चुना जाता है।

म्युनिसिपेलिटी की सहायता के लिये छोटी छोटी समिति रहती हैं और चार छः अन्य सदस्य होते हैं। मिलाये हुये सदस्यों को छोटी कमेटी में तो अधिकार हैं परन्तु म्युनिसिपल कमेटी में नहीं हैं।

म्युनिसिपेलिटी के सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं। जो हाउस टैक्स या म्युनिसिपल रेट देते हैं और उनकी अवस्था १८ वर्ष की हो वोट दे सकते हैं। ३) रु० महावार के मकान में रहने वालों को भी मताधिकार है।

नगर वार्डों में बँटे हुए हैं। प्रत्येक वार्ड से १ या इससे अधिक सदस्य चुने जाते हैं। २१ वर्ष की आयु वाले निर्वाचक सदस्य बन सकते हैं। निर्वाचन में बहुमत पाने वाले ही सदस्य बन सकते हैं और वह 'म्युनिसिपल कमिश्नर' कहलाते हैं। वह सदस्य जनता की अच्छी सेवा कर सकते हैं।

म्युनिसिपेलिटियों के कर्तव्य हैं:—

(१) जनता की सुविधा और भले के साधन ढूँढ़ना, सड़क बनवाना, उनकी मरम्मत करना, उन पर छिड़काव करना और वृक्ष लगाना। अग्नि शान्त करना, विपत्ति के समय सहायता करना।

(२) स्वास्थ्य-रक्षा, अस्पताल, टीके, गंदा पानी वहाना, छूत की बीमारी रोकना। स्वच्छ जल की व्यवस्था करना। खाने, पीने की चीज़ में मिलावट (Adulteration) रोकना।

(३) शिक्षा का प्रचार करना।

(४) रोशनी और ट्रेफ़िक का इन्तज़ाम करना।

आमदनी—समस्त म्युनिसिपेलिटियों की वार्षिक आय लगभग १२ करोड़ है और इसके साधन यह हैं :—

(१) अन्दर आने जाने वाले माल पर चुंगी, (२) हाउस टैक्स और पृथ्वी कर, (३) व्यापार और पेशा कर, (४) नदियों के पुलों का कर, (५) सवारियों पर कर, (६) पानी, रोशनी, क़साइख़ाने और हाट कर, (७) आय, सम्पत्ति और जानवरों पर कर, (८) यात्रियों पर कर, (९) सरकारी सहायता।

सेक्रेटरी म्युनिसिपल आफ़िस का प्रधान कर्मचारी होता है। म्युनिसिपेलिटी इसको चुनती है और सरकार इसको पसन्द (Approve) करती है।

सफ़ाई काम के लिये हेल्थ आफ़िसर, सेनिटरी इन्सपेक्टर इत्यादि होते हैं। नल, पानी, पुल, सड़क के लिये इन्जीनियर और ओवरसियर होते हैं।

कुछ म्यूनिसिपेलिटियों को अपने बजट के लिये सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रायः नये कर के लिये भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। म्युनिसिपेलिटियों का काम ठीक न होने से सरकार उनको तोड़ भी सकती है। तदुपरान्त नया चुनाव होता है।

B—ज़िला-बोर्ड

(District Boards)

ग्रामों के सुप्रबन्ध के लिये ज़िला-बोर्ड होते हैं:—यह तीन प्रकार के होते हैं:—

१—लोकल बोर्ड—एक गाँव के लिये या कुछ गाँवों के संघ के लिये।

२—ताल्लुक़ा या सब डिविज़नल बोर्ड। यह एक ताल्लुके में होता है और लोकल बोर्डों की देख भाल करता है।

३—ज़िला बोर्ड ज़िले के समस्त बोर्डों की देख भाल करता है।

बोर्डों में चुने हुये सदस्य ज़्यादह रहते हैं, परन्तु नामज़द सदस्यों की संख्या म्यूनिसिपेलिटियों से ज़्यादह रहती है। सभापति इत्यादि निर्वाचित होना चाहिये या नियुक्त इसको प्रान्तीय क़ानून निश्चित करता है। हमारे प्रान्त में और मध्य प्रान्त में सभापति चुना जाता है और ग़ैर-सरकारी होता है।

निर्वाचन—सदस्यों का और सभापति का निर्वाचन तीन वर्ष के लिये होता है। ज़िला हल्क़ो या 'सर्किल्स' (Circles) में विभक्त रहता है और प्रत्येक हल्क़े से सदस्यों की संख्या नियमित रहती है। प्रत्येक निर्वाचक उम्मेदवार हो सकता है। जिसको परिषद् की योग्यता प्राप्त है या जिसने देशी भाषा की परीक्षा पास करली है मत दे सकता है।

इन बोर्डों के कर्तव्य वही हैं जो कि म्युनिसिपेलिटियों के हैं, इसके अतिरिक्त इनको कृषि और पशु की उन्नति का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं।

(१) सड़कें बनवाना और पेड़ लगवाना। घाट, नाव, पुल इत्यादि का प्रबन्ध करना।

(२) प्रारम्भिक शिक्षा देना।

(३) चिकित्सा करना।

(४) बाज़ार, नुमाइश, मेला और कृषि प्रदर्शनी रचना।

(५) पानी के लिये कुएँ और तालाब खुदवाना।

(६) कांजीहौज़ (Kine house) जहाँ पर लावारिस और खेती की हानि करने वाले जानवर रक्खे जाते हैं।

इन बोर्डों के क्षेत्रफल में रहने वाले लगभग २१ करोड़ व्यक्ति हैं। समस्त बोर्डों की पूरी आमदनी ग्यारह करोड़ है। इनकी आय का मुख्य साधन भूमि लगान से होता है जिस पर कि इनको एक आना रुपया कमीशन मिलता है। सरकार इनको कुछ रक़म और भेंट कर देती है। इनके अलावा इनको तालाब, कांजीहौज़ मेले इत्यादि से भी कुछ आमदनी हो जाती है। लोकल बोर्डों को खर्च के लिये ज़िला-बोर्डों से रुपया मिलता है, इस कारण लोकल बोर्ड उनकी इच्छा बिना खर्च भी नहीं कर सकते।

कलेक्टर और कमिश्नर इन बोर्डों की देख भाल करते हैं। वह किसी हानि-कारक प्रस्ताव को काम में लाये जाने से रोक सकते हैं। जो बोर्ड अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उनको प्रान्तीय सरकार चाहे तो तोड़ सकती है। प्रान्तीय सरकार चाहे तो नया निर्वाचन करे या अपने आदमियों द्वारा उनका काम करावे।

C—पंचायतें

(Panchayats)

भारतवर्ष में तो पंचायतें चिरकाल से स्थापित हैं। यह कर वसूल करती थीं, पुलिस का भी काम करती थीं, दीवानी और फ़ौजदारी के मुक़दमों का फ़ैसला भी करती थीं। पंचायतों पर बड़ा विश्वास था। ब्रिटिश राज्य में इन के अधिकार प्रान्तीय सरकार ने छीन लिये। अब भी पंचायतों के कुछ चिह्न बाक़ी हैं। अब इनको पुनः जीवन देने का उद्योग किया जा रहा है। यह सरकारी संस्थाओं की भाँति हैं।

भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में पंचायत क़ानून (Panchayat Act) बन

गये हैं। पंचायतों के अधिकार और संगठन निर्धारित हो गये हैं। बहुत से गाँवों में पंचायतें खुल भी गई हैं।

किसी ज़िले में कलेक्टर या (डिप्टी कमिश्नर) पंचायतें स्थापित कर सकता है। किसी गाँव के मुख्य व्यक्तियों की दख़्वास्त पर भी पंचायत की स्थापना की जा सकती है। कलेक्टर योग्य आदमियों की जाँच करता है, तदुपरान्त पंच नियत करता है और एक को सरपंच बनाता है। तत्पश्चात् रजिस्टर, फार्म इत्यादि पंचायत के पास भेज दिये जाते हैं, और उनके काम की तिथि इत्यादि भी नियत कर दी जाती हैं।

संयुक्त प्रान्त के १९२० के पंचायत क़ानून के अनुसार पंचों की संख्या ५ से ७ तक होती है। ग्राम वालों की इच्छा से कलेक्टर पंचायत नियत करता है। उनमें दो पढ़े लिखे होने चाहिये। स्त्रियाँ, दीवालिये, २५ वर्ष की कम अवस्था वाले, सरकारी नोकर, सज़ा पाये हुये व्यक्ति, पंचायत क्षेत्र में न रहने वाले आदमी पंच नहीं बनाये जा सकते। पंच तीन वर्ष तक नियुक्त होते हैं। इनकी बैठक के समय कम से कम तीन पंच उपस्थित रहने चाहिये।

सरपंच को शिक्षित अवश्य होना चाहिये। वह ग्राम कोष, आवश्यक काग़ज़ और रजिस्टर रखता है, सम्मन तालीम करता है, और कलेक्टर को पंचायत सम्बन्धी रिपोर्ट देता है। कलेक्टर की अनुमति से एक क्लर्क भी रक्खा जा सकता है।

पंचायतों को दीवानी और फ़ौजदारी दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। आवारा मवेशियों के सम्बन्ध में भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इनको सरकार से कुछ रक़म मिलती है। पंचायत क्षेत्र में रहने वालों पर कर लगा सकती है। अपराधियों पर जुर्माना कर सकती है। कलेक्टर की अनुमति से ही पंचायतें व्यय कर सकती हैं।

मध्य प्रान्त की पंचायतों में ९ से १५ तक पंच होते हैं। २१ वर्ष के मनुष्य पंच बन सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर इन पंचों की फ़ौजदारी के मुक़दमों के लिये 'विलेज बेंच' (Village Bench) बना देता है और दीवानी के मुकदमों के लिये (Village Court) बना सकता है। (इन बेंचों या कोर्टों में सब या कुछ मेम्बर होते हैं) पंचायत समस्त प्रान्तों में एक सी हैं।

कमिश्नर किसी विलेज बेंच या कोर्ट को तोड़ सकता है, इनकी किसी

कार्यवाही को रद्द कर सकता है। अन्य कार्यों के सम्बन्ध में पंचायतों पर 'ज़िला कौन्सिल' का नियंत्रण रहता है। ज़िला कौन्सिल ⅔ सदस्यों के बहुमत से पंचायत के किसी प्रस्ताव को या आज्ञा को रद्द कर सकती है।

पंचायत से मुक़द्दमेबाजी कम हो जाती है। अकारण धन नष्ट नहीं होता। इनके अधिकार कम हैं, आय के साधन भी कम हैं। पंचायत के निर्णयों को ग्राम-वासी प्रायः न्याय पूर्वक समझते हैं, लोगों में परस्पर स्नेह बना रहता है, यह सब से बड़ी बात है।

आयर्लैंड

(Ireland)

(१)

आयर्लैंड का इतिहास केवल उसकी स्वतंत्रता संग्राम की एक दुख भरी कहानी है। विदेशी जाति के पंजे में जकड़ कर किसी देश का इतिहास ही क्या हो सकता है। विदेशी मनोवांछित शासन करते हैं। उनको पर्वाह नहीं कि निवासी मरते हैं या जीते हैं, उनको खाने पीने के लिये भी है या नहीं। उनको तो केवल एक बात से मतलब है—लूट मचाना, देश की बर्बादी से ही उनके उद्देश्य की पूर्ति है। विदेश के हाथ में होकर आयर्लैण्ड का इतिहास ही क्या हो सकता है—केवल इधर उधर स्वतंत्रता की झलक, कुछ थोड़ा बहुत आन्दोलन। उनका अन्तिम संस्कार कर दिया आततइयों के दमन ने, उनके शस्त्र प्रहार ने, उनके निर्मम, निरंकुश व्यवहार ने। जनता की बोलती बन्द कर दी गई।

ग्यारहवीं शताब्दी से अट्ठारहवीं शताब्दी तक का इतिहास केवल आन्दोलन और दमन है। डब्लिन में प्रोटेस्टेन्ट जनता की पार्लियामेन्ट भी अधिकार शून्य थी। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की अनुमति बिना न तो यह अधिवेशन कर सकती थी और न कोई नियम ही पास कर सकती थी। यह लाचारी थी महाशय पोयनिंग के नियम के फल स्वरूप (Poynings Act) इंगलैंड की सरकार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये ही नियम पास करती थी।

अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्त में उनको कुछ अधिकार दिये गये। व्यवस्थापिका सभा को कुछ अधिकार दिये गये। भीतरी मामलों में कुछ स्वतंत्रता प्रदान की। डब्लिन पार्लियामेन्ट में केवल प्रोटेस्टेन्ट थे। यह अधिकार किस लाभ के जब कि

आधी से अधिक जनता दूसरों के पंजों में फँसी रहे। स्थान स्थान पर बलवे हुये। शस्त्र प्रहारों का आयर्लेन्ड वाले मुक़ाबला नहीं कर सकते थे।

छोटे पिट (Younger Pitt) ने उनकी गुलामी को सदैव क़ायम रखने के लिये सन् १८०० में यूनियन ऐक्ट पास किया जिससे कि आयर्लेन्ड और इंगलेंड को सम्मिलित कर दिया गया। डब्लिन की पार्लियामेन्ट ने बड़ी कठिनाई से इसको पास कर दिया। आयर्लेन्ड को पार्लियामेन्ट में सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया— २८ सरदार भेजने का अधिकार दिया गया और १०० प्रतिनिधियों को 'हाउस आफ़ कामन्स' में भेजने का अधिकार मिला। आयर्लेन्ड का काम लार्ड लफ्टन्ट करता था। उसके कोई विशेष अधिकार न थे। सारा काम उसका चीफ़ सेक्रेटरी करता था। उसका किसी के प्रति उत्तरदायित्व न था। अभी तक आयर्लेन्ड वाले नौकरी में भरती नहीं किये जाते थे। कुछ काल बाद थोड़ी सी इनायत की गई। सारा संगठन का स्वरूप नौकरशाही था। आयर्लेन्ड के प्रतिनिधि कामन्स सभा में बैठते थे। इसी कारण अपने देश के लिये नियम बनाने में उनको कुछ अधिकार प्राप्त था। परन्तु कार्यकारिणी में उनको कुछ अधिकार न था।

आयर्लेन्ड में अशान्ति के तीन कारण थे—कृषक, धार्मिक और राजनैतिक। इन समस्यायों का समाधान किस प्रकार हो सकता था, यह बहुत ही कठिन बात थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक स्थिति में कुछ परिवर्तन न हुआ।

सन् १८३४ में महाशय डेनियल ओकानर (Daniel O'Conner) ने आन्दोलन आरम्भ किया। वही हुआ—दमन। कुछ लोगों का मत था कि ठीक तरह काम करने से, व्यवस्थापिका सभा में माँगें पेश करने से मुमकिन है कुछ स्वतंत्रता मिल जाय, परन्तु अंग्रेज़ी सरकार के कान में जूँ तक न रेंगी। आयर्लेन्ड वाले परेशान हो गये। अन्त को तंग आकर उन्होंने दूसरा मार्ग अख़्तियार किया वह था क्रान्ति का।

आयर्लेन्ड के कुछ क्रान्तिकारी अमरीका में थे, उन्होंने अपना संगठन करके फ़िनीरियल भ्रातृत्व (Fineareal Brotherhood) की स्थापना की। उनकी नीति थी, इंगलेंड और आयर्लेन्ड में लूट मार। उनकी सारी कार्यवाही गुप्त रूप से होती थी। उनकी कार्यवाही का किसी को पता न चलता था। महाशय ग्लेस्टन (Gladstone) ने भी ठीक ही कहा है "इन्हीं लोगों के उद्योग के कारण ब्रिटिश अधिकारियों के मत में परिवर्तन हो सका है।" शान्ति दल ने क्रान्तिकारियों के इस आन्दोलन की तीव्र आलोचना की।

सन् १८७० में महाशय आईज़क बट (Isac Butt) ने होम रूल लीग की स्थापना की। यह संस्था अपना काम शान्ति से करना चाहती थी। इस लीग के ६० सदस्य निर्वाचित हो गये। महाशय पार्वेल (Parvel) नेता बने। इन्हीं के परिश्रम के कारण ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में खलबली मच गई और आयर्लेण्ड का प्रश्न राजनीतिज्ञों को तंग करने लगा। इन्होंने आयर्लेण्ड के सदस्यों का संगठन करके एक राष्ट्रीय दल बनाया—जिसका उद्देश्य था, पार्लियामेण्ट के काम में बाधायें और रुकावटें डालना। (They carried out a policy of obstruction and filibustering) इनके उद्देश्य की पूर्ति जब तक नहीं हो सकती थी जबतक कि यह किसी दल से मेल न कर लें। सन् १८८५ में इन्होंने अनुदार दल से मेल कर लिया, परन्तु यह दल तो आयर्लेण्ड की स्वतंत्रता का कट्टर शत्रु था। इस दल को त्याग कर आयर्लेन्ड वालों ने ग्लेस्टन की शरण ली उसको अपने पक्ष में मिला लिया। उन्होंने होमरूल बिल पेश किया, परन्तु यह बिल पास न हो सका। ग्लेस्टन को पद-त्याग करना पड़ा। सन् १८९३ में हाउस आफ़ कामन्स ने तो बिल को पास कर दिया, परन्तु सरदार सभा ने इसको नामंज़ूर कर दिया। तदुपरान्त अनुदार दल नेता बना और सन् १९०५ तक शासन की बागडोर अपने हाथ में लिये रहा। सन् १९०५ में उदार दल को आयर्लेण्ड वालों की सहायता की आवश्यकता न थी। उन्होंने इस कारण आयर्लेण्ड वालों का साथ दिया।

सन् १९१० में उदार दल की संख्या घट गई, आयर्लेण्ड वालों से सहायता माँगी, तीसरा होमरूल बिल पास किया गया। अब बिल के पास होने की बहुत कुछ सम्भावना थी क्योंकि सरदार सभा के निषेध करने पर भी बिल पास किया जा सकता था।

अल्सटर के प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायियों ने सम्पूर्ण आयर्लेण्ड के होमरूल का घोर विरोध किया और आन्दोलन आरम्भ किया। महाशय एसक्विथ (Asquith) अपने कार्य में संलग्न रहे। दो दफ़ा सरदार सभा ने इसका निषेध किया, तीसरी बार इसको प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया। सरदार सभा ने बिल का संशोधन करते हुये यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि अल्सटर का कोई भाग आयर्लेण्ड के होमरूल से अलग होना चाहता है तो वह ऐसा केवल छः मास तक कर सकता है। यह बात किसी को पसन्द न आई। महायुद्ध आरम्भ हो गया। सारा काम उड़ा दिया गया। शीन फ़ीन दल आगे बढ़ा।

आयर्लैण्ड को स्वतंत्रता प्रदान करने का काम शिथिल पड़ गया था। शीन फ़ीन लोगों ने भी समझौते को मान लिया था, परन्तु वह कब चुप बैठने वाले थे; दूसरों की आपत्ति और उनका मौक़ा। ईस्टर के दिनों में बलवा किया, परन्तु शान्त कर दिया गया। उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया जिसको कि आयर्लैण्ड का नेता घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई—हाय! आयर्लैण्ड हाथ से निकला। यह आन्दोलन अल्सटर के अतिरिक्त सारे आयर्लैण्ड में फैल गया। सन् १९१८ के सर्व साधारण निर्वाचन के समय शीन फ़ीनरों के १०० में से ७३ प्रतिनिधि निर्वाचित हुये। इन लोगों ने स्वयं अपनी पार्लियामेन्ट की स्थापना की। शीन फ़ीनरों के ३७ सदस्य डीवेलरा (DeValera) सहित जेलख़ानों में सड़ रहे थे। शीन फ़ीनरों ने पेरिस का फ्रेन्स में सम्मिलित होने का घोर प्रयत्न किया। डीवेलरा जेल से भाग निकले और अमरीका आये और अमरीका वासियों से धन की सहायता ली और उनको अपने पक्ष में मिलाने लगे। आयर्लैण्ड वाले अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहने लगे। सरकार ने सन् १९१४ के होमरूल बिल को स्थगित कर दिया और नया बिल तय्यार किया—गवर्नमेन्ट आफ़ आयर्लैण्ड बिल। इस बिल के अनुसार एक सभा होनी चाहिये थी और न्यायालय और कुछ रक्षित विषय (Essential Safeguards) दोनों में शान्ति स्थापना करने के लिये एक कमेटी बनाई गई। इससे कैसे सन्तोष हो सकता था। राजनीतिज्ञ अब ज़ुल्म से काम लेना चाहते थे परन्तु संसार तो अन्धा नहीं था, वह आयर्लैण्ड के ही पक्ष में था। इस स्कीम को जबरदस्ती कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया। निर्वाचन हुये, चार मेम्बरों के अतिरिक्त सब शीन फ़ीन दल के थे। उन्होंने पार्लियामेंट में जाने से इन्कार कर दिया। छिपछिप कर लड़ाई प्रारम्भ हुई। डीवेलरा और लायड जार्ज में चिट्ठी पत्री शुरू हुई। दस जुलाई सन् १९२१ को लायड जार्ज ने डुमिनियन स्टेटस (Dominion status) दिया। डीवेलरा को इसे मंजूर करने के लिये धमकी दी गई।

शीन फ़ीन समझ गये कि यदि अब उन्होंने कुछ आनाकानी की तो यह मौक़ा भी हाथ से जाता रहेगा। लायड जार्ज ने धमकी दी थी कि यदि छः दिसम्बर तक कुछ तसफ़िया न हुआ तो सारी बातचीत बन्द करदी जायगी। भयभीत होकर तीसरी दिसम्बर को आयर्लैंड वालों ने ऐंग्लो-आइरिश सन्धि कर ली।

कुछ काल के लिये (Provisional) सरकार की स्थापना की गई। इसने

विधान बनाने का काम आरम्भ किया। डीवेलरा विधान में शपथ आवश्यक नहीं समझते थे। उन्होंने इसका घोर विरोध किया। सन् १९२७ में उन्होंने विरोध त्याग दिया और पार्लियामेंट में भाग लेने लगे।

(२)

आयर्लेण्ड की जनता को अपना विधान स्वयं बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परन्तु विधायकों को सारा काम ६ दिसम्बर सन् १९२१ की सन्धि के अनुसार करना था। उनको अपनी कार्यवाही के लिये ब्रिटिश सरकार से मंजूरी लेना भी आवश्यक था। और यह घोषणा कर दी गई कि सन्धि के विरुद्ध के सारे नियम रद्द कर दिये जायँगे, परन्तु इससे विधायकों के मार्ग में कुछ बाधा नहीं पड़ी।

विधान में प्रजातंत्र के सम्बन्ध में अनेकों सिद्धान्त, व उद्देश्यों का वर्णन है जिन का कि पूरा करना भी किंचित मुश्किल दीख पड़ता है।

विधान के पहले भाग में जनता के अधिकारों का वर्णन है। उदाहरणवत्, व्याख्यान, मेल मिलाप और मत स्वातंत्र्य इत्यादि। विधान के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का परम धर्म है।

विधान में हम चार बातें प्रधान पाते हैं:—

(१) राज भक्ति का अंश, (२) गण तंत्र अंश, (३) प्रजातंत्र अंश, (४) गेलिक (Gallic) अंश। इनका हम समय समय पर निरूपण करेंगे।

आयर्लेंड में नियम बनाने के अधिकार दो सभाओं को हैं और इंगलेंड के राजा को। आयर्लेंड के लेजिस्लेचर को 'उरिक्तास' (Oriechtas) कहते हैं। साधारण सभा को 'डेल इरीन' (Dail Eireann) कहते हैं और प्रधान सभा को 'शानाद इरीन' (Seanad Eireann) कहते हैं।

'डेल' अर्थात् साधारण सभा में १५३ सदस्य हैं जो कि संख्या तुल्य निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। इनमें से ६ सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक सदस्य ३०,००० जन संख्या के हिसाब से निर्वाचित होता है। दसवें साल जन संख्या के अनुसार सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती है। इक्कीस वर्ष की अवस्था वाले आइरिश नागरिकों को (स्त्री या पुरुष) मताधिकार प्राप्त है।

सभा का कार्य काल पाँच वर्ष का है और गवर्नर जनरल कार्यकारिणी की सम्मति से इसको भंग कर सकता है।

प्रधान सभा के निर्वाचन की विधि भी बहुत ही प्रशंसनीय है। हम इसको

जनता मताधिकार अथवा तालिका विधि का संघर्ष कह सकते हैं (A combination of direct popular election and panel system)।

तीस वर्ष की अवस्था वाले व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिये। प्रतिनिधि सभा अर्थात् 'डेल' को २८ उम्मेदवारों की तालिका बनानी चाहिये, सेनेट को भी १४ उम्मेदवार भेजने का अधिकार दिया गया। जो लोग पूर्व में प्रधान सभा के सदस्य रह चुके हैं वह भी खड़े हो सकते हैं।

सेनेट में ७० सदस्य होते हैं जिनकी कार्य काल अवधि बारह वर्ष है। इसके चार सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं। $\frac{1}{4}$ सदस्य अर्थात् १४ सदस्यों को प्रति तीसरे वर्ष पद-त्याग करना पड़ता है और उनकी जगह उपरोक्त विधि से भरी जाती है।

इस विधि के दोष प्रत्यक्ष ही हैं। निर्वाचक उम्मेदवारों को जानते तक नहीं थे, इस दशा में इस विधि में परिवर्तन करना आवश्यक था। सेनेट की कार्य काल अवधि ९ वर्ष रक्खी गई। अब इसमें से $\frac{1}{3}$ सदस्यों को प्रति तीसरे वर्ष पद त्यागना पड़ता है और जनता मत की बजाय निर्वाचन संघ (Electoral College) इनको निर्वाचित करता है। (विधायकों का तात्पर्य था क़ाबिल और योग्य पुरुष सेनेट के सदस्य हों, परन्तु अब तो केवल दल के टट्टू ही सदस्य होते हैं)।

दोनों सभाओं का सम्बन्ध—अर्थ बिलों का श्री गणेश साधारण सभा में ही हो सकता है और अर्थ बिलों पर सेनेट को अपना निर्णय १४ दिन के अन्दर देना चाहिये। सेनेट अर्थ सम्बन्धी विषयों के लिये केवल सिफ़ारिश कर सकती है। साधारण सभा इन सिफ़ारिशों को मंजूर कर सकती है और नामंजूर भी। जिस रूप में साधारण सभा इस बिल को पास करे, उसी रूप में बिल कार्यान्वित होता है।

साधारण बिलों को भी प्रतिनिधि सभा सेनेट के निषेध करने पर भी पास कर सकती है साधारण सभा में पास होने उपरान्त बिल सेनेट के पास भेजा जाता है। सेनेट अपने संशोधन इत्यादि करके बिल को साधारण सभा के पास भेजती है। साधारण सभा को यदि यह संशोधन स्वीकार न हों तो बिल १८ महीने के बाद पुनः सेनेट के पास जाता है। इस अवधि के ६० दिन पर्य्यन्त सेनेट चाहे मंजूर करे या न करे बिल पास कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर लिये जाते हैं।

इंगलैंड में तो सभापति ही यह निर्णय करता है कि अमुक बिल अर्थ बिल है या नहीं, परन्तु इस बात का निर्णय करने के लिये आयलैंड में एक 'कमेटी आफ़

प्रीविलेजेज़' (Committee of Privileges) है जिसमें कि दोनों सभाओं के तीन सदस्य होते हैं और सभापति के नेतृत्व में ही इस कमेटी की बैठक होती है।

यदि किसी विषय पर या बिल पर दोनों सभाओं में घोर मतभेद होवे तो सेनेट की प्रार्थना पर वाद विवाद के लिये (न कि वोटिंग के लिये) दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होती है। मुमकिन है सेनेट अपने तर्क से साधारण सभा के अधिकांश सदस्यों को अपने पक्ष में कर ले।

जनता निर्णय और प्रस्तावना—अर्थ बिलों के और आवश्यक बिलों के अतिरिक्त अन्य सब बिल २/५ 'डेल' या सेनेट के बहुमत से ९० दिन के लिये स्थगित किए जा सकते हैं। इसी अवधि में यदि जनता का १/२० अंश या ३/५ सेनेट प्रार्थना करे तो बिल जनता निर्णयार्थ रक्खा जा सकता है।

विधान सम्बन्धी बिलों को व्यवस्थापिका सभा आठ वर्ष तक स्वयं पास कर सकती थी। परन्तु १९३० के बाद जनता निर्णय आवश्यकीय समझा गया। यदि जनता का बहुमत वोट देने आवे और इसका २/३ अंश इससे सहमत होवे तभी यह बिल पास किया जायगा अन्यथा नहीं।

व्यवस्थापिका सभाओं के निर्णय के दो साल बाद से ५०,००० जनता प्रस्तावना कर सकती है। अगर दो साल तक सभायें कुछ ध्यान न दें तो ७५,००० जनता सभाओं को जनता निर्णय के लिये बाध्य कर सकती है।

सन् १९२८ में प्रेजीडेन्ट कांग्रेस ने एक बिल को आवश्यक घोषित करके जनता निर्णय या प्रस्तावना की आज्ञा न दी। इसलिये आजकल केवल वैधानिक विषयों पर ही जनता का निर्णय लिया जाता है।

सभाओं की कार्य पद्धति—सबसे मुख्य पदाधिकारी साधारण सभा का सभापति होता है। वह किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। उसके निर्वाचन का कोई विरोध नहीं करता है और सदैव निर्वाचित हो जाता है।

आयर्लेण्ड में स्थायी समितियाँ नहीं हैं। बिलों को पेश इत्यादि करने की विधि वैसी ही है जैसी कि इंगलेंड में, केवल अन्तर इतना है कि यदि बिल अधिवेशन काल में रद्द कर दिया जाय तो उसी काल में वह पुनः पेश नहीं किया जा सकता, इंगलेंड में ऐसा नहीं है।

प्राइवेट बिल सबसे पहले सेनेट में पेश होते हैं, तदुपरान्त साधारण सभा के पास आते हैं।

आयर्लैण्ड की कार्यकारिणी—सन् १९२६ की इसी 'इम्पीरियल कान्फ्रेन्स' ने यह तय किया कि बादशाह उन पब्लिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा जिसको कि कार्यकारिणी न चाहे और कार्यकारिणी सभा के प्रति उत्तरदायी हो। सन् १९२६ से पेश्तर गवर्नर जनरल केबिनेट के परामर्श से ही काम करता था, परन्तु अब उसको आयर्लैंड की कार्यकारिणी के आदेशानुसार ही काम करना पड़ता है। उसका कर्तव्य वही है जो कि इंगलैंड में बादशाह का है।

गवर्नर जनरल की नियुक्ति में कार्यकारिणी की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिये। विधानानुसार यदि गवर्नर जनरल में विश्वास नहीं है तो उसको स्तीफ़ा देना चाहिये।

सारे अधिकार कार्यकारिणी समिति के हाथों में हैं जिसमें कि हम अनेकों नई विशेषतायें पाते हैं। कार्यकारिणी में ५ से ७ तक सदस्य हो सकते हैं जो कि केवल साधारण सभा में से ही चुने जा सकते हैं। इन पाँच में President, उपसभापति और अर्थ मंत्री सदैव रहते हैं और शेष दो किसी पद को सुशोभित करते हैं।

सबसे प्रथम 'डेल' प्रेज़ीडेन्ट को चुनती है जो कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनता है तदुपरान्त सभा इन सदस्यों की सूची को मंजूर करती है या रद्द कर देती है (Dail rejects or accepts the list as a whole)।

कार्य कारिणी सभा घरेलू और विदेश नीति का निर्माण करती है, आय व्यय अनुमान पत्र तय्यार करती है। गवर्नर जनरल को समय समय पर सलाह देती है। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी की आज्ञा से किसी बिल को निषेध कर सकता है, परन्तु कार्यकारिणी सभा ऐसा क्यों करेगी क्योंकि वह सभा के प्रति उत्तरदायी है।

इंगलैंड में हारा हुआ मंत्री मंडल दूसरे निर्वाचन के लिये बादशाह से आग्रह कर सकता है। परन्तु आयर्लैंड में मंत्री मंडल ऐसा नहीं कर सकता।

बाहरी अर्थात् एक्सटर्न मंत्री (Extern Ministers)—विधायकों के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि बाहरी मंत्री रखना बहुत लाभदायक होगा क्योंकि जो महापुरुष दलबन्दी की झंझटों से अलग रहना चाहते हैं उनके लिये भी कोई साधन होने चाहिये। दूसरा कारण यह था कि बहुत दिनों तक आयर्लैंड को नये नये विचारों की और साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये ऐसे मंत्रियों का होना परमावश्यक है।

मंत्री मंडल में ५ से ७ तक सदस्य होने चाहिये और कार्यकारिणी के

सदस्यों की संख्या १२ से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रेजीडेंट बाहरी मंत्रियों के लिये पदों की एक सूची तय्यार करता है और सभा को पेश करता है। सभा एक कमेटी बनाती है और भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करती है। यह लोग अपने कार्य के लिये केवल साधारण सभा को उत्तरदायी हैं, और इनकी कार्य काल अवधि पाँच वर्ष है।

एक्सटर्न मंत्री पदच्युत नहीं किये जा सकते हैं। इस नीति ने ठीक काम नहीं किया। इस प्रस्ताव के सबसे बड़े समर्थक केविन ओहिगिन्स ने इसकी त्रुटियों को और दोषों को स्वीकार कर लिया। कोई भी बिल अर्थ मंत्री के परामर्श बिना पास नहीं हो सकता था क्योंकि वही धन नियत करता था। ऐसी परिस्थिति में एक्सटर्न मंत्री क्या कर सकता था? यदि वह कोई ख़राब बात करे तो सारी ज़िम्मेवारी उसके सिर मढ़ी जाती है। राजनैतिक और अन्य मेम्बरों में सदैव मतभेद रहता था। विधान संशोधन सम्बंधी प्रस्ताव पेश किया गया जिससे कि इन झगड़ों और मतभेदों का ही अन्त हो गया। इस संशोधनानुसार केबिनेट में ५ से १२ तक सदस्य हो सकते हैं और यदि प्रधान चाहें तो एक्सटर्न मंत्री भी रख सकता है।

व्यवस्थापिका सभायें कोई नियम विधान विरुद्ध नहीं बना सकतीं। उनके बनाये हुए सारे नियमों पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देते हैं। यदि कोर्ट उसको विधान विरुद्ध समझें तो बिल रद्द कर दिया जाता है। इसी को नैयायिक प्रधानता या जुडिशल सुप्रीमेसी (Judicial Supremacy) कहते हैं।

असाधारण या स्पेशल ट्राइब्यूनल नहीं बनाये जा सकते। केवल युद्ध काल में ही मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाये जा सकते हैं और उसी क्षेत्र के निवासियों का मुक़दमा इनमें हो सकता है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की अपील प्रीवी कौंसिल में नहीं जा सकती।

मिश्र (Egypt)

सन् १९१४ से पहले मिश्र टर्की वालों के हाथ में था। दिसम्बर सन् १९१४ से यह अंग्रेज़ों का रक्षित राज्य बना दिया गया। मुहम्मदअली के वंश के सब से बड़े राजपुत्र हुसेन कामिल सुल्तान बनाये गये। १९१७ में हुसेन कामिल की मृत्यु हो गई और इसी वर्ष अंग्रेज़ों का आधिपत्य भी घट गया। मिश्र अंग्रेज़ों का रक्षित राज्य न रहा १५। मार्च १९२२ को सुल्तान ने अपने को बादशाह घोषित किया। आधुनिक राजा इस वंशावली के नवें हैं। राजगद्दी वंश परम्परा के अनुसार वंश के सब से बड़े अधिकारी राजपुत्र को दी जायेगी। स्त्रियाँ या उनके बच्चे गद्दी पर नहीं बैठ सकते। जो लोग पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुये हैं वह भी राजा नहीं बन सकते। शासक की अवस्था अट्ठारह वर्ष से कम होने पर एक रीजेन्सी की स्थापना की जाती है। या तो पूर्व राजा स्वयं अपना वसीयतनामा छोड़ जाता है, अन्यथा पार्लियामेन्ट स्वयं तीन आदमियों की रीजेन्सी कौन्सिल बनाती है। इस रीजेन्सी कौन्सिल के वही लोग सदस्य चुने जा सकते हैं जो कि राजपुत्र हों, या प्रधान मंत्री हों या रह चुके हैं, मंत्री गण या नेता लोग।

२२ अक्टूबर सन् १९३० का विधान मिश्र को स्वाधीन, वैधराजतंत्री (Monarchy of Representative Government) घोषित करती है। समस्त मिश्र वासियों का समान नागरिक अथवा राजनैतिक अधिकार है—नागरिक चाहे किसी देश या धर्म के हैं। धार्मिक अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लड़कों और लड़कियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक है।

राजा को सेनेट और प्रतिनिधि सभा की भाँति समान अधिकार हैं। राजा ही अर्थ बिलों का श्रीगणेश करता है। कोई बिल पार्लियामेन्ट की सम्मति और राजा की आज्ञा बिना नियम नहीं बन सकता। राजा प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है। मंत्री इस सभा को हर प्रकार उत्तरदायी हैं। राजा जल वा थल सेना का अध्यक्ष होता है। कोई युद्ध पार्लियामेन्ट की आज्ञा बिना नहीं छेड़ा जा सकता। सारे काम मन्त्रियों द्वारा होते हैं।

सेनेट में १०० सदस्य होते हैं। इनमें से ६० को राजा स्वयं नामज़द करता है और ४० का जनता द्वारा दस वर्ष के लिये निर्वाचन होता है। प्रत्येक दसवें वर्ष सेनेट के आधे सदस्यों की जगह में नये सेनेटर नियुक्त किये जाते हैं।

प्रतिनिधि सभा में १५० सदस्य होते हैं जो कि पाँच वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है।

पार्लियामेन्ट के सदस्यों को वेतन मिलता है। पार्लियामेन्ट की आज्ञा से ही कर लगाये जाते हैं या हटाये जाते हैं। अर्थ वर्ष के समाप्त होने से तीन मास पहले सभा में बजट पेश होते हैं।

देश का मुख्य धर्म इस्लाम है। अरबी इसकी भाषा है और केरो (Cairo) इसकी राजधानी है।

सभा वंश परम्परा, या प्रजातांत्रिक विषयों में या समानता वा स्वाधीनता के सिद्धान्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

स्थानीय शासन—सन् १९०९ में प्रान्तों को कुछ विशेष अधिकार दिये गये। उनको पब्लिक विक्रय स्थान खोलने का पूर्ण अधिकार है। वे गाँव के चौकीदारों का वेतन और उनकी संख्या नियत करते हैं—चौकीदारों को अरबी भाषा में गाफ़िर कहते हैं। समस्त वर्नाक्यूलर स्कूल उनकी अध्यक्षता में हैं। प्रान्तीय कौंन्सिल में प्रत्येक केन्द्र (مركز) से दो प्रतिनिधि आते हैं। मुदीर (مودير) ही कौंन्सिल का सभापति होता है।

मिश्र पाँच गवर्नर प्रान्तों में विभाजित है जिसको कि गवर्नरशिप या मुहाफ़ज (موحافز) कहते हैं। यह प्रान्त भी अन्य छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुये हैं।

चौदह प्रधान नगरों में मिश्रित समिति हैं। इन मिश्रित समिति (Mixed Council) में यूरोपियों की और मिश्र वासियों की समान संख्या है। यह कौंसिल नगरों का शासन व देख रेख करती है। सिकन्दरिया (Alexanderia) की मिश्रित कौंसिल के अतरिक्त अन्य समस्त कौंसिलों को कर लगाने का पूर्ण अधिकार है।

५६ नगरों में स्थानीय शासन की कुछ भिन्न प्रथा है। स्थानीय कौंसिल में चार सदस्य होते हैं। इन के कौंसिलों के अधिकार लगभग वही हैं जो कि मिश्रित कौंसिलों के हैं।

सन् १९१८ में कुछ गाँवों में ग्राम कौंसिलें नियुक्त की गईं। आजकल इस प्रकार की कौंसिलें ३९ क़स्बों में हैं। परन्तु इनको अपनी कौंसिल में मनमानी सदस्य भरने का अधिकार नहीं है।

केन्द्रीय सरकार को इन कौंसिलों के नियम निषेध करने का पूर्ण अधिकार है।

चीन (China)

१२ अक्टूबर १९१२ को संसार के एक बहुत ही प्राचीन राजवंश का अन्त हुआ। (क्रान्ति के सम्बन्ध में हम भूगोल के पिछलों अंकों में लिख चुके हैं)—यह था मंचू वंश जो कि ताचिंग चायो (Ta Ch'ing Ca'ao) के नाम से प्रसिद्ध था—

इसके अन्तिम बादशाह पू-इस (Pu-yis) इस वंश के सोलहवें राजा थे। आपका जन्म ११ नवम्बर १९०६ को हुआ। १४ नवम्बर १९०८ को अपने चाचा की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे। अपने जन्म के ठीक छः वर्ष बाद, उसी दिन आप राजगद्दी से उतार दिये गये। ५ नवम्बर १९२४ को आपने चीन का नागरिक होना स्वीकार किया।

केन्द्रीय सरकार नानकिंग में स्थापित हुई। इसको समिति शासन (Committee Government) कहना कोई अत्युक्ति न होगा। यह शासन कोमिंगताग (Komingtang) अर्थात् राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि है।

राष्ट्रीय शासन सरकार की पाँच समितियाँ या 'यूआन' (Yuan) हैं—कार्य कारिणी समिति, व्यवस्थापक, नैयायिक, परीक्षार्थ, निरीक्षक।

देश का एक नेता (President) भी होता है। उसकी सहायता के लिये २४ से ३६ तक सदस्यों की परामर्श समिति होती है। प्रत्येक समिति का एक सभापति और उपसभापति होता है जिनको कि राष्ट्रीय दल की मुख्य समिति निर्वाचित करती है। समस्त निर्णयों पर, आज्ञापत्रों पर, सेना की देख रेख सम्बन्धी विषयों पर प्रेज़ीडेन्ट के और उस विषय से सम्बन्ध रखने वाली समिति के प्रेज़ीडेन्ट के अथवा मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये।

कार्य कारिणी समिति देश की सर्व प्रधान शासन संस्था है। यह समिति मंत्रियों को अथवा आवश्यक विषयों पर निर्णय करने के लिये कमीशन नियुक्त करती है। यह समिति में आय-व्यय अनुमान पत्र, मुक्ति प्रस्ताव, युद्ध घोषणा, सन्धि प्रस्ताव अथवा अन्य अन्तर राष्ट्रीय विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा में पेश करती है।

धारा सभा उपरोक्त विषयों पर विचार करती है । इस सभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति । इसमें ४९ से ९९ तक सदस्य होने चाहिये । सभा के प्रेज़ीडेन्ट की सिफ़ारिश के अनुसार राष्ट्रीय सरकार इन सदस्यों को दो साल के लिये नियुक्त करती है ।

नैयायिक समिति मुक़दमे तय करती है, न्याय शासन की देख भाल करती है, काम में त्रुटि होने के कारण अफ़सरों को सज़ा देती है, अभियुक्तों की मुक्ति के लिये इस समिति का प्रेज़ीडेन्ट राष्ट्रीय सरकार से सिफ़ारिश करता है ।

परीक्षा समिति का काम वही है जो कि भारतवर्ष में पब्लिक सर्विस कमीशन का है । यह परीक्षा लेने के बाद योग्य पुरुषों को पदों पर नियुक्त करती है ।

निरीक्षण समिति का काय केवल निरीक्षण का है । यह बड़े बड़े अधिकारियों पर अभियोग चलाती है और हिसाब की जाँच करती है । राष्ट्रीय सरकार इस समिति के सदस्यों को नियुक्त करती है । इसमें १९ से २९ तक सदस्य होते हैं । इसके सदस्यों को राज्य भर में कोई अन्य पद नहीं सौंपा जा सकता न सदस्य ही अपने पद से हटाये जा सकते हैं ।

स्थानीय शासन—सन् १९२८ के जुलाई मास में ६ प्रधान और कुछ साधारण म्युनिसिपेलिटियों की स्थापना की गई । सन् १९३० में प्रधान और साधारण का भेद उड़ा दिया गया । ज्ञात रहे प्रधान म्युनिसिपेलिटियाँ राष्ट्रीय सरकार अथवा कार्य कारिणी की अध्यक्षता में थी और साधारण म्युनिसिपेलिटियाँ अपनी प्रान्तीय सरकारों की अध्यक्षता में थी, दोनों प्रकार का भेद तो अवश्य हटा दिया गया है परन्तु उनका शासन पहले की भाँति ही होता है ।

सियाम

(Siam)

२५ जून १९३२ तक सियाम एकतंत्री शासन के सूत्र में आबद्ध था। इसी वर्ष यहाँ पर क्रान्ति मच गई। राजा को विवश हो कर वैधानिक बनना पड़ा। विधान बनने में अवश्य बहुत समय नष्ट होता है। इसी कारण कुछ काल के लिये शासन निमित्त २७ जून को Temporary Constitutional Act पास कर दिया गया। समस्त अधिकार प्रजा के अथवा राष्ट्र के हैं।

राजा राज्य का अधिष्ठाता है। शासन अधिकार जनता दल के पन्द्रह सदस्यों की एक समिति के हाथ में हैं। यह सदस्य 'पीपल्स सेनेट' (Peoples' Senate) में से चुने जाते हैं।

नये विधान की तय्यारी हो रही है। इस विधान के अनुसार सभा के आधे सदस्यों को राजा नामज़द करेगा और आधे सदस्यों का निर्वाचन होगा।

प्राचीन सुप्रीम कौंसिल और प्रिवी कौंसिल भंग कर दी गई हैं।

सियाम राज्य १० केन्द्र या 'मानथों' (Circle or Monthon) में विभाजित है। ९ केन्द्रों में शासन के लिये ९ लार्ड लफ़्टन्ट (Lord Lieutenants) हैं। उनकी अध्यक्षता में छोटे छोटे प्रान्तों के गवर्नर रहते हैं। क्रुन्गदेव (Krungdeb) केन्द्र के शासन के लिये एक लार्ड प्रीफ़ेक्ट होता है। यह दस केन्द्र ६९ प्रान्तों में विभाजित हैं (अर्थात् 'चंगवत' Changwat)। ४०६ ज़िलों में विभाजित है (अथात् 'अमपुर' Ampurs)। ४९७८ कम्यून में विभाजित है ('तम्बोन' Tambons)।

सियाम आजकल अनेकों सन्धि करने के बाद विदेश जातियों के झंझट से मुक्त हो गया है।

दक्षिणी अमरीका के स्वतंत्र राज्य

यह छोटे छोटे राज्य पहले स्पेन के अधीन थे। पाठकों को विदित होगा कि स्पेन वालों ने यहाँ आकर अपने उपनिवेश बनाये। सोने की खोज में उन्होंने सारा देश छान डाला, निवासियों पर जो अत्याचार किये उनका वर्णन करने से रोमांच हो आता है। धीरे धीरे निवासियों ने तथा उपनिवेशकों ने दृढ़ता से स्वतंत्रता प्राप्त की। हम दक्षिणी अमरीका के राज्यों के विधान में स्वतंत्रता के युद्ध का वर्णन करना व्यर्थ समझते हैं। हम केवल संक्षिप्त में आवश्यकतानुसार सब कुछ आप के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

१—वेनेज़ुला

(Venezuela)

यहाँ के निवासियों ने सन् १८३० में रिपब्लिक की घोषणा की, परन्तु निवासियों में अथवा अन्य व्यक्तियों में सदैव फूट रहती थी। इसी कारण देश का शासन ठीक प्रकार न हो सकता था। महाशय विनसेन्टी गोमेज़ (General Juan Vincenti Gomez) ने इस झगड़े को अन्त करने का प्रयत्न किया। आप १९०९ से १९१५ तक और पुनः सन् १९२२ से १९२९ तक वेनेज़ुला रिपब्लिक के प्रेज़ीडेंट रहे। सन् १९२९ में देश के राजनैतिक विषयों से आप बिल्कुल पृथक हो गये। परन्तु सेनापति के पद पर स्थित रहे। सन् १९३१ के अप्रेल मास में सेना में उपद्रव खड़ा हो गया। कांग्रेस (कांग्रेस के अर्थ हैं व्यवस्थापिका सभायें) ने जनरल गोमेज़ को प्रेजीडेंट निर्वाचित कर लिया। ७ जुलाई १९३१ को विधान में भी संशोधन कर दिया गया।

विधानानुसार कांग्रेस के दो भाग हैं—सेनेट और चेम्बर आफ़ डिपुटीज़। सेनेट में ३० वर्ष की अवस्था के ४० सेनेटर होते हैं। प्रत्येक प्रांत दो सदस्य भेजता है। इनकी कार्य काल अवधि तीन वर्ष है।

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ अर्थात् प्रतिनिधि सभा में ७७ सदस्य होते हैं। इसकी

कार्य काल अवधि भी तीन वर्ष है। १ सदस्य ३५,००० जन संख्या का प्रतिनिधि होता है। यदि किसी प्रांत में १५,००० वोट शेष रह जावे तो वह प्रांत १ सदस्य और भेजता है।

कांग्रेस कम से कम तीस वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को सात वर्ष के लिये राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। केबिनेट मंत्रियों के परामर्श से ही शासन का सारा काम होता है।

कारकास इस देश की राजधानी है। आवश्यकता पड़ने पर कार्य कारिणी इसको हटा भी सकती है।

प्रान्तों को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, उनको समस्त समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक प्रांत में लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली हैं, एक प्रेज़ीडेंट होता है जो कि प्रांतीय विधानानुसार चुना जाता है।

ज़िलों में म्युनिसिपेलिटियाँ हैं, म्युनिसिपल कौंसिल इत्यादि हैं।

२—यूरेगुए

(Uruguay)

इस देश में स्पेन के राजाओं के प्रतिनिधि अर्थात् वाइसराय शासन करते थे। वास्तव में यह राज्य ब्रेज़ील के अधीन था और उसी का प्रांत भी था। घोर प्रयत्न के बाद अथवा अनेकों कष्टों को सहकर १८ जुलाई सन् १८३० को उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, विधान पास कर दिया। देश का सुचारु रूप से शासन होने लगा।

इस देश वालों ने इस बात का ध्यान रक्खा कि प्रेज़ीडेंट कभी भी डिक्टेटर (Dictator अर्थात् सब कुछ करता धरता) न बन जाये। कार्य कारिणी में प्रेज़ीडेंट सम्मिलित है और उसकी सहायता के लिये ९ सदस्यों की एक राष्ट्रीय शासन कारिणी समिति है। इसके छः सदस्य तो बहुमत दल से चुने जाते हैं और ३ उस अल्प दल से चुने जाते हैं जिसके अल्प दलों में से सबसे अधिक वोट आये हों। इस शासन कारिणी के ३ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अपना पद त्याग करते हैं, और उनकी जगह नये चुने सदस्य जाते हैं। जनता ही प्रेज़ीडेन्ट को और शासनकारिणी कौन्सिल को निर्वाचित करती है। प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन चार साल के लिये होता है। उसका पुनः निर्वाचन केवल उसके कार्य काल की अवधि समाप्त होने के आठ

साल बाद हो सकता है ।

प्रेज़ीडेन्ट विदेश, युद्ध, जलसेना और देशी मंत्रियों को नियुक्त करता है और उन पर उसका पूरा दबाव है । कौंसिल अर्थ, देश सेवा, तिजारत, शिक्षा के विभागों के मंत्रियों को नियुक्त करती है । कौन्सिल वार्षिक आय व्यय अनुमान पत्र तय्यार करती है और आय के साधन ढूँढ़ कर प्रेज़ीडेन्ट को बतलाती है ।

सन् १९१९ में विधानसंशोधन हुआ—चर्च को राज्य से पृथक् कर दिया गया अर्थात् यह घोषित कर दिया गया कि धर्म का राजनैतिक विषयों में कुछ स्थान नहीं होना चाहिये ।

प्रथम तो केवल १८ वर्ष की अवस्था वाले मनुष्यों को मताधिकार था । यह आवश्यक है कि वोटरों को लिखने पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये । सन् १९२१ में स्त्रियों को भी मताधिकार दिया । निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है ।

पार्लियामेन्ट के दो भाग हैं :—सेनेट और प्रतिनिधि सभा (Senate and Chamber of Representatives) । सेनेट में १९ सदस्य हैं जिनको कि एक निर्वाचन संघ (Electoral College) छः वर्ष के लिये निर्वाचित करता है । प्रत्येक विभाग (Department) एक सदस्य भेजता है । $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद त्यागते हैं ।

प्रतिनिधि सभा में १२४ सदस्य हैं जो कि तीन वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं । १२००० व्यक्ति एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं ।

सभाओं का अधिवेशन १५ मार्च से १५ दिसम्बर तक होता है । छुट्टियों के दिनों में दो सेनेटरों और पाँच प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की एक कौन्सिल काम करती है ।

३—पीरू

(Peru)

पीरू में भी स्पेन के वाइसराय शासन करते थे । १८ जुलाई सन् १९२१ को पीरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की । परन्तु पूर्ण स्वतंत्रता उनको केवल सन् १९२४ में युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी । आजकल पीरू का शासन १८ जनवरी १९२० के विधानानुसार हो रहा है ।

यहाँ पर सेनेट को और प्रतिनिधि सभा को जनता ही पाँच पाँच वर्ष के लिये निर्वाचित करती है। सेनेट में ३५ सदस्य होते हैं, और प्रतिनिधि सभा में ११० सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष २८ जुलाई से सभाओं का अधिवेशन आरम्भ होता है। यह सभायें ९० दिन से १२० दिन तक काम करती हैं।

प्रेज़ीडेन्ट पाँच साल के लिये चुना जाता है और ७ सदस्यों के एक केबिनेट द्वारा शासन कार्य करता है। केबिनेट के सदस्य प्रेज़ीडेन्ट को उत्तरदायी हैं। प्रेज़ीडेन्ट जब चाहें उनको पदच्युत कर सकता है।

देश में बीस विभाग (Departments) हैं जो कि ११३ प्रान्तों में विभक्त हैं। यह प्रान्त भी ९७३ ज़िलों में विभक्त है। प्रत्येक विभाग में प्रीफ़ेक्ट होता है, और प्रत्येक प्रान्त में एक सब-प्रीफेक्ट होता है।

म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों को जनता ही निर्वाचित करती है। परदेशियों को भी मताधिकार है।

४—पेरागुये

(Paraguay)

यह देश सन् १८११ में स्पेन के बन्धन से मुक्त हुआ। १८१५ में डाक्टर गेस्पर (Dr. Jose Gaspar Rodrique Fraucia) डिक्टेटर बन गये और अपनी मृत्यु पर्य्यन्त, २० सितम्बर सन् १८४० तक डिक्टेटर बने रहे। इसी वर्ष एक नया विधान बनाया गया। इसके अनुसार प्रेज़ीडेन्ट ही सर्व प्रधान था।

सन् १८६५ से १८७० तक पेरागुये का ब्रेज़िल राज्य से युद्ध छिड़ा रहा। सन् १८७० में युद्ध समाप्त हो जाने के बाद नवीन विधान का निर्माण किया गया।

कांग्रेस के दो भाग हैं :—सेनेट और प्रतिनिधि सभा। सेनेट में २० सदस्य हैं। ८००० से १२,००० तक जनता एक सेनेटर को निर्वाचित करती है। सेनेट की कार्य काल अवधि छः वर्ष है। $\frac{1}{3}$ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदच्युत होते हैं और नये सदस्य भरे जाते हैं।

प्रतिनिधि सभा में ४० सदस्य होते हैं जो कि चार वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं। आधे सदस्यों का दूसरे वर्ष निर्वाचन होता है। ६,००० जनता के हिसाब से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अठारह वर्ष की अवस्था वाले मनुष्यों को मताधिकार है।

छुट्टियों में काम करने के लिये दो सेनेटरों और चार प्रतिनिधियों की सभा काम करती है। प्रेज़ीडेन्ट भी चार वर्ष के लिये निर्वाचित किया जाता है। उसकी सहायता के लिये ५ सदस्यों का एक केबिनेट रहता है।

५—इक्वेडर

(Ecuador)

स्पेन से तारतम्य युद्ध के बाद ११ मई सन् १८३० को इक्वेडर ने रिपब्लिक की घोषणा की। स्मरण रहे इससे पहले इक्वेडर क्वीटो (Quito) नाम से प्रसिद्ध था। आजकल देश का शासन २६ मार्च १९२९ के विधानानुसार हो रहा है।

जनता ही प्रेज़ीडेन्ट को चार साल के लिये निर्वाचित करती है। अकारण मृत्यु हो जाने पर या इस्तीफ़ देने पर देशी मंत्री प्रेज़ीडेन्ट की जगह काम करता है। केबिनेट में छः मंत्री होते हैं जो इकट्ठे और पृथक पृथक दोनों ही प्रकार ज़िम्मेवार हैं।

कांग्रेस के दो भाग हैं :—सेनेट अर्थात् प्रधान सभा। इसमें ३२ सदस्य होते हैं। जिनकी कार्य काल अवधि चार वर्ष होती है। भीतर के और समुद्र तट का प्रत्येक प्रान्त एक सेनेटर भेजता है, प्राचीन या पुरातन प्रांत भी एक सेनेटर भेजता है। विश्वविद्यालय, स्पेशल शिक्षालय, छापेख़ाने, वैज्ञानिक और साहित्यिक संस्थायें, तिजारत, हिंदुस्तानियों का रक्षा विभाग प्रत्येक एक सेनेटर चुनता है। प्रारम्भिक और नार्मल शिक्षालय, कृषी, व्यवसाय, श्रम, देशी निवासी इत्यादि प्रत्येक दो सेनेटर चुनते हैं।

'चेम्बर आफ़ डिपुटीज़' में ५६ सदस्य होते हैं जो कि दो वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक प्रान्त कम से कम दो प्रतिनिधि भेजता है। जिन प्रान्तों की जन संख्या १,००,००० से अधिक है वे दो से अधिक प्रतिनिधि भी भेजते हैं।

स्त्री और पुरुष दोनों को ही मताधिकार प्राप्त है। निर्वाचकों को लिखने पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये।

कांग्रेस को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पर स्वयं क्वीटो में १० अगस्त से अपना कार्य आरम्भ करती है। हिन्दुस्तानियों को कर से मुक्त कर दिया गया है।

प्रान्तों का शासन गवर्नरों द्वारा होता है, उनके छोटे विभागों का अर्थात्

केन्टनों का शासन राजनैतिक सरदारों (Political Chiefs) द्वारा होता है। पेरिसों का शासन पोलिटिकल लफ्टन्टों (Political lieutenants) द्वारा होता है।

६—चाइल

(Chile)

१८ सितम्बर सन् १८१० को चाइल ने अपने को स्पेन के बन्धन से मुक्त कर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि मरते दम तक भी कोई अपना पक्ष नहीं छोड़ता। अस्तु, सन् १८१८ में ही चाइल को मुक्ति मिली। आजकल चाइल का शासन १८ अक्टूबर सन् १९२५ के विधानानुसार हो रहा है।

सेनेट और चेम्बर का निर्वाचन जनता द्वारा केवल नाम मात्र के लिये होता है। फ़र्वरी सन् १९३० में दलों ने आपस में समझौता करके दोनों सभाओं में कुछ सदस्य भेजे।

सेनेट में ४५ सदस्य ८ वर्ष के लिये पाँच प्रान्तों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त पाँच सदस्य भेजता है। आधे सदस्य प्रति चौथे वर्ष त्याग करते हैं। चेम्बर में १३२ सदस्य २१ वर्ष की अवस्था वाले शिक्षित जनता द्वारा चुने जाते हैं। (३०,००० जनता १ सदस्य चुनती है)।

कांग्रेस का अधिवेशन १२ मई से १८ सितम्बर तक होता है। जनता ही प्रेज़ीडेन्ट को छः वर्ष के लिये निर्वाचित करती है, उसका पुनः निर्वाचन नहीं हो सकता। प्रेज़ीडेन्ट कांग्रेस के नियमों का निषेध कर सकता है, परन्तु आधे से अधिक मेम्बरों की उपस्थिति में $\frac{2}{3}$ सदस्यों का मत प्रेज़ीडेन्ट के इस निषेध को रद्द कर सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी झगड़ों का एक ट्राइब्यूनल निपटारा करता है। इस ट्राइब्यूनल में पाँच सदस्य होते हैं जो कि लाटरी डाल कर चुने जाते हैं।

शासन कार्य के लिये प्रत्येक विभाग के लिये एक मंत्री होता है। यह मंत्रीगण प्रेज़ीडेन्ट के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्री सभा में केवल भाषण दे सकते हैं, परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं है।

७—ब्रेज़ील

(Brazil)

३ मई सन् १५०० को पुर्तगाल वालों ने इसको खोज निकाला था। सन् १८१५ में इसको राज्य (Kingdom) घोषित कर दिया गया। पुर्तगाल के बादशाह का ज्येष्ठ पुत्र डाम पीडरो (Dam Pedro) वैधानिक राजा और सरंक्षक घोषित किया गया। उसी वर्ष ब्रेज़ील को स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। सन् १८८९ में ब्रेज़ील में उपद्रव मचा। डाम पीडरो द्वितीय को गद्दी पर से उतार दिया गया और संयुक्त ब्रेज़ील एक्ट के नाम से ब्रेज़ील रिपब्लिक घोषित किया गया। सन् १८९१ में ब्रेज़ील का विधान बना, सन् १९२६ में यह पुनः स्वीकार कर लिया गया और अक्टूबर सन् १९३० में सेना समिति (Military Junta) ने भी इसको स्वीकार कर लिया और शासन की बागडोर अपने हाथ में ली।

संयुक्त राष्ट्र ब्रेज़ील में २१ प्रान्त हैं। इसमें आकरे (Acre) और एक अन्य संघीय प्रान्त भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक प्रान्त को शासन-स्वातंत्र्य है और इच्छानुसार व्यय करता है। केन्द्रीय शासन रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करता है। केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को ठीक शासन करने का आदेश करती है, अर्थ विषयों का निरीक्षण करती है। संघीय नियमों को कार्यान्वित करती है, बाहर से आने वाले माल पर कर लगाती है। टिकट, स्टाम्प, नोट, इत्यादि का कार्य भी केन्द्रीय शासन करती है। परन्तु विदेश को जाने वाले सामान पर कर, सम्पत्ति, व्यवसाय, तिजारत इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार प्रन्तीय सरकार को है।

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में २१२ सदस्य होते हैं जो कि तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त कम से कम चार प्रतिनिधि भेजता है। सेनेट में ६३ सदस्य होते हैं। प्रत्येक प्रान्त ३ सदस्य ९ वर्ष के लिये भेजता है। $\frac{1}{3}$ सदस्य तीसरे वर्ष अलग होते हैं और नये सेनेटर चुने जाते हैं। सभाओं का अधिवेशन तीसरी मार्च से रियोडि जेनिरो (Riode Janiero) में आरम्भ होता है और लगभग चार मास तक रहता है। डिपटियों को और सेनेटरों को वेतन मिलता है। यह लोग मंत्री जब तक नहीं बन सकते जब तक कि यह लोग सभा को अपना त्याग पत्र न भेज दें।

प्रेज़ीडेन्ट सभा द्वारा चार साल के लिये चुना जाता है। उसकी अवस्था कम से कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये। वह अफ़सरों को नियुक्त करता है, उनको पदच्युत भी कर सकता है। वह सेना का अध्यक्ष होता है। सेनेट के परामर्श से युद्ध और शान्ति की घोषणा करता है। फ़ेडरल ट्राइब्यूनल के सदस्यों को और राजपूतों को नियुक्त करता है। मंत्री गण कांग्रेस में नहीं जा सकते परन्तु कांग्रेस की समितियों से सदैव उसको चिट्ठी पत्री करनी पड़ती है।

८—अर्जेन्टाइन रिपब्लिक

(Argentine Republic)

२५ मई सन् १८१० को स्पेन के विरुद्ध विद्रोह की पताका फहराई गई और ९ जुलाई सन् १८१६ को स्वतन्त्रता घोषणा की गई। सन् १८१६ से १८५२ तक देश में अशान्ति रही। २५ मई सन् १८५३ को विधान की घोषणा की गई। सन् १८६०, १८६६, १८६८ और सन् १९३२ में विधान में संशोधन किया गया।

प्रेज़ीडेन्ट को ३७६ सदस्यों का एक निर्वाचन संघ निर्वाचित करता है। यह सदस्य १४ प्रान्तों और राजधानी के प्रतिनिधि होते हैं, प्रेज़ीडेन्ट सेनापति का काम करता है, सिविल, मिलिट्री और नैयायिक पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। मंत्री मंडल और प्रेज़ीडेन्ट दोनों ही उत्तरदायी हैं।

वाईस प्रेज़ीडेन्ट केवल सेनेट का सभापति होता है। प्रेज़ीडेन्ट और वाईस प्रेज़ीडेन्ट रोमन केथालिक मत के अनुयायी होने चाहिये, और अर्जेन्टाइन के निवासी होने चाहिये। छः वर्ष तक उनका निर्वाचन नहीं हो सकता।

सेनेट में ३० सदस्य होते हैं। दो राजधानी के प्रतिनिधि होते हैं। और प्रत्येक प्रान्त की व्यवस्थापिका सभायें दो दो सदस्य भेजती हैं। सेनेट के सदस्यों की कार्य काल अवधि ९ वर्ष है।

'हाउस आफ़ डिपुटीज़' में १५८ सदस्य होते हैं, जोकि जनता द्वारा चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। आधे मेम्बर दूसरे वर्ष अलग होते हैं।

दोनों सभाओं की बैठक १ मई से ३० सितम्बर तक होती है।